केवल शासकीय उपयोग के लिए

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

(दिनांक 25-5-2000 तक संशोधित)

एवं

इन नियमों में समय-समय पर हुए संशोधन

तथा

जारी किये गये निर्देशों

का

संकलन

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय

2001

शुद्धि - पत्र

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

पृष्ठ क्र.	अंग्रेजी/ हिन्दी	पंक्ति क्र.	संशोधन
1	अं	10	" Seavices" के स्थान पर "Services"
2	हिं	32	"समस्त समय" के स्थान पर "समय-समय"
2	अं	01	" servent" के स्थान पर "servant"
2	अं	04	" Governement" के स्थान पर "Government"
2	अं	09	" depdndent" के स्थान पर "dependent"
2	अं	11	" integity" के स्थान पर "integrity"
2	अं	13	" unbeoming" के स्थान पर "unbecoming"
2	अं	16	" prformance" के स्थान पर "performance"
2	अं	24	" couteous" के स्थान पर "courteous"
3	हिं	07	"स्वीकर" के स्थान पर "स्वीकार"
3	अं	07	के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाय:- "provided that where the acceptance of the employment can not await prior permission of the Government or is otherwise considered urgent, the matter shall be reported to the Government; and the employment may be accepted provisionally subject to the permission of the Government.
3	अं	29	" eff*ct" के स्थान पर "effect"
4	हिं	17	"और उसके संपादन" के स्थान पर "और न उसके संपादन"
4	अं	02	" partonage" के स्थान पर "patronage"
4	अं	05	" prejudical" के स्थान पर "prejudicial"
4	अं	14	" prejudical" के स्थान पर "prejudicial"
4	अं	14	" sovercignty" के स्थान पर "sovereignty"
5	अं	02	" paeudnymously" के स्थान पर "pseudonymously"

निरंतर...2 पर

पृष्ठ क्र.	अंग्रेजी/हिन्दी	पंक्ति क्र.	संशोधन
5	अं	06	"categery" के स्थान पर "category"
5	अं	09	"servvice" के स्थान पर "service" तथा "[illegible]" के स्थान पर "[illegible]" "servants"
			"events"
5	अं	10	"relaions" के स्थान पर "relations"
6	हिं	07	"स्वीकीय" के स्थान पर "स्वकीय"
6	अं	13	"comformity" के स्थान पर "conformity"
6	अं	18	"holdings" के स्थान पर "holding"
6	अं	24	"holdings" के स्थान पर "holding"
6	अं	38	"testmonial" के स्थान पर "testimonial"
7	हिं	03	"छोटी" के स्थान पर "छोड़ी"
7	हिं	09	"निषिदध" के स्थान पर "निषिद्ध"
7	हिं	12	"कारबार" के स्थान पर "कारोबार"
7	हिं	14	"अनियमित" के स्थान पर "अनियमित"
7	हिं	17	"कारबार" के स्थान पर "कारोबार"
7	अं	09	"entertianment" के स्थान पर "entertainment"
8	हिं	06	"क्रिडाओं" के स्थान पर "क्रीडाओं"
8	हिं	12	"अंतवर्लित" के स्थान पर "अंतर्वलित"
8	हिं	19	"कारबार" के स्थान पर "कारोबार"
8	हिं	26	"उधानर" के स्थान पर "उधार"
8	अं	04	"amatcure" के स्थान पर "amature"
9	हिं	16	"माध्यम सिवाय" के स्थान पर "माध्यम के सिवाय"
10	हिं	15	"शासकी सेवक" के स्थान पर "शासकीय सेवक"
10	हिं	27	"होन पर" के स्थान पर "होने पर"
10	अं	05	"Rs.1000.00" के स्थान पर Rs. 2000.00"
10	अं	28	"requird" के स्थान पर "required"
11	हिं	29	"किक्ष" के स्थान पर "किसी"

निरंतर...3 पर

	अंग्रेजी/हिन्दी	पंक्ति क्र.	संशोधन
11	अं	18	" mde" के स्थान पर "made"
12	हिं	04	"निर्दोश" के स्थान पर "निर्दोष"
12	हिं	12	"परंपद" के स्थान पर "पर"
12	हिं	19	"शारीरित" के स्थान पर "शारीरिक"
12	हिं	31	"संबंधि" के स्थान पर "संबंधी"
12	अं	39	" or any act any act" के स्थान पर "or any act"
12	अं	22	" and " विलोपित किया जाय.
12	अं	29	"26.1.2000" के स्थान पर "26.1.2001"
13	हिं	03	"अभ्यासक्त" के स्थान पर "अभ्यासत:"
13	हिं	05	"अनुज्ञाक" के स्थान पर "अनुज्ञात"
13	हिं	10	"प्रत्येयोजन" के स्थान पर "प्रत्यायोजन"
13	हिं	14	"निमयों" के स्थान पर "नियमों"
43	हिं	13	"दिसम्बर" के स्थान पर "सितम्बर"
43	हिं	14	"उद्घाटन(अनावरण(शिलान्यास" के स्थान पर "उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास"
43	हिं	17	-"- -"-
43	हिं	18	-"- -"-
43	हिं	24	"बन्दुया" के स्थान पर "पण्डुया"
49	अं	25	"face...Sh..ey" के स्थान पर "facie Shay"
49	अं	30 के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाय :-	

(iii) Similar intimation and application from a class I officer shall be routed to Government in the administrative department by the Head of Department through the Commissioner of the division having jurisdiction of the place where the property to be acquired or disposed of is located. The administrative department will itself dispose of all these cases except those in respect of a [illegible] should be issued

पृष्ठ क्र.	अंग्रेजी/हिन्दी	पंक्ति क्र.	संशोधन

[illegible] In respect of Deputy Collector and Secretariate gazetted officer (irrespective of his parent service) the Chief Secretary and in respect of a MBFS Officer (irrespective of the establishment on which he may for the time being be borne) the finance secretary shall be the "prescribed authority" under rule 18 of the Madhya Pradesh Government servants (conduct) Rules, 1959.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

Sd/- L.B.Sarje
Deputy Secretary.

70	हिं	16	"उन पर करने" के स्थान पर "उन पर कार्रवाई करने"
70	हिं	20	"सेवकों द्वारा....नहीं" के स्थान पर "सेवकों द्वारा पालन नहीं"
91	हिं	18	"आचरण अरखने" के स्थान पर "आचरण रखने"
126	हिं	19	"कर्मचारी न..... "कार सेवा" में" के स्थान पर "कर्मचारी ने कथित "कार सेवा" में"

§के०एल० महोविया§
अनुभाग अधिकारी,
सामान्य प्रशासन विभाग

****
::GAUTAM::
****

के. एस. शर्मा
मुख्य सचिव
Chief Secretary

Tel : Off: : 551370
551848
Res : 565475

मध्यप्रदेश शासन
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

Government of Madhya Pradesh
Vallabh Bhavan, Bhopal-462004

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर, 2000

भूमिका

शासकीय सेवकों को अपने सेवाकाल में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आचरण करना अपेक्षित होता है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 वर्तमान में प्रभावशील हैं। इन नियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शी निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं। प्रत्येक शासकीय सेवक के द्वारा इनका पालन करना अपेक्षित है।

प्रकरणों की जटिलता के कारण संबंधित नियमों/निर्देशों का निर्वचन किए जाने के फलस्वरूप परिपत्रों की संख्या में अभिवृद्धि होना स्वाभाविक है। अत: शासकीय सेवकों के इन सेवा संबंधित ऐसे मामलों में समस्त निर्देशों व अनुदेशों के एकजाई संकलन की आवश्यकता काफी समय से अनुभव की जा रही थी।

यह प्रसन्नता का विषय है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सिविल सेवा आचरण मूल नियमों/संशोधनों/अनुदेशों को एकजाई कर यह संकलन प्रस्तुत किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से यह संकलन तीन भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में यथा संशोधित आचरण नियमों का हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ सम्मिलित किया गया है। द्वितीय भाग में समय-समय पर संशोधित अधिसूचनाओं तथा तृतीय भाग में इन नियमों के तहत जारी निर्देशों को सम्मिलित किया गया है।

आशा है, इस संकलन से शासकीय सेवकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता मिलेगी व संकलन आचरण मामलों के निराकरण में उपयोगी सिद्ध होगा।

के. एस. शर्मा
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भाग–1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 (पृ. 1 से 14 तक)

भाग–2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत किये गये संशोधन. (पृ. 15 से 32 तक)

भाग–3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देश. (पृ. 33 से 136 तक)

भाग-1

[मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965]

(दिनांक 25-5-2000 तक संशोधित)

मंध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

(25-5-2000 तक संशोधित)

नियम	शीर्ष	पृष्ठ क्रमांक
1.	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा प्रयुक्ति.	1
2.	परिभाषाएं.	1
3.	सामान्य.	2
3.क	तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार.	2
3.ख	शासन की नीतियों का पालन.	2
4.	शासकीय संरक्षण प्राप्त प्रायवेट उपक्रमों में, शासकीय सेवकों के निकट सम्बंधियों का नौकरी में रखा जाना.	3
5.	राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना.	3
6.	प्रदर्शन तथा हड़तालें.	4
7.	शासकीय सेवकों द्वारा अवकाश पर प्रगमन.	4
8.	शासकीय सेवकों द्वारा संघों में सम्मिलित होना.	4
9.	प्रेस तथा अन्य मीडिया से सम्बन्ध.	4
10.	शासन की आलोचना.	5
11.	समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य.	5
12.	अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना.	5
13.	चन्दा.	6
14.	उपहार.	6
15.	शासकीय सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन.	6
16.	प्रायवेट कारोबार या नियोजन.	7
17.	विनिधान, उधार देना या उधार लेना.	8
18.	ऋण शोधक्षमता तथा स्वभावत: ऋणग्रस्तता.	9
19.	जंगम, स्थावर तथा मूल्यवान सम्पत्ति.	9
20.	शासकीय सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोष सिद्ध किया जाना.	12
21.	अशासकीय या अन्य प्रभाव डालना.	12
22.	द्विविवाह.	12
22. क	अवचार की सामान्य धारणा.	12
23.	मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग.	12
23. क	14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध.	13
24.	निर्वचन.	13
25.	शक्तियों का प्रत्यायोजन.	13
26.	निरसन तथा व्यावृत्ति.	13

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई, 1965—श्रावण 1; 1887

क्र. 1539-3015-एक (तीन)-64.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा प्रयुक्ति.**—(1) ये नियम, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 कहलायेंगे.

(2) ये तत्काल प्रवृत्त होंगे.

(3) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर, ये नियम मध्यप्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त समस्त व्यक्तियों को लागू होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात उन शासकीय सेवकों को लागू नहीं होगी, जो :

(क) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं,

(ख) किन्हीं भी ऐसे पदों के धारक हैं, जिनके संबंध में राज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह घोषणा करे कि उनको यह नियम लागू नहीं होते :

* परन्तुक विलोपित

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "शासन" से तात्पर्य, मध्यप्रदेश शासन से है.

(ख) "शासकीय सेवक" से तात्पर्य, मध्यप्रदेश राज्य के कार्यों के संबंधों में किसी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति से है.

व्याख्या.—ऐसे शासकीय सेवक को, जिसकी सेवाएं शासन द्वारा किसी कम्पनी, निगम, संगठन या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई हो, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये, शासन के अधीन सेवा करने वाला शासकीय सेवक समझा जायेगा, भले ही उसे राज्य की संचित निधि को छोड़कर अन्य किन्हीं स्त्रोतों से वेतन दिया जाना हो.

---

* उपर्युक्त परंतुक सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25 मई, 2000 द्वारा विलोपित किया गया. म. प्र. (असाधारण) राजपत्र दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ. पूर्व का प्रावधान निम्नानुसार था :—

परन्तु यह और भी कि नियम 4, 6, 8, 13, 15 नियम 18 का उपनियम (3), नियम 17, नियम 19 के उपनियम (1), (2) तथा (3) नियम 20, 21 और 22 किसी भी ऐसे शासकीय सेवा को लागू होंगे, जो प्रतिमास रुपये 200 या उससे कम वेतन प्राप्त करता हो और शासन की या उसके द्वारा प्रबंधित निम्नलिखित स्थापनाओं में से किसी में भी अराजपत्रित पद धारण करता हो, अर्थात् :—

(एक) भोपाल ट्रेक्टर आर्गनाइजेशन,
(दो) लोक निर्माण स्थापनाएं, जहां तक कि उनका संबंध कार्य प्रभारित कर्मचारी वृन्द (वर्क चार्ज्स स्टाफ) से हो,
(तीन) फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 (कारखाना अधिनियम, 1948) (क्रमांक 63, सन् 1948) की धारा 2 के खंड (एम) में यथापारिभाषित कारखानें, और
(चार) स्थापनाएं, जो श्रम संबंधी विधियों द्वारा शासित श्रमिकों को काम पर लगाती हों.

व्याख्या.— इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिये "स्थापनाएं" में कोई भी ऐसा कार्यालय सम्मिलित नहीं है, जो मुख्यत: प्रशासन, प्रबंध, पर्यवेक्षण, सुरक्षा या कल्याण संबंधी कार्यों से संबंधित हो.

Government of Madhya Pradesh
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Bhopal, the 23rd July 1965—Sravana 1, 1887

No. 1539-3015-I-(iii)-64.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules, namely :—

THE MADHYA PRADESH CIVIL SERVICES (CONDUCT) RULES, 1965

1. **Short Title, Commencement and Application.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.

(2) They shall come into force at once.

(3) Save as otherwise provided in these rules they shall apply to all persons appointed to civil sevices and posts in connection with the affairs of the State of Madhya Pradesh.

Provided that nothing in these rules shall apply to Government servants who are —

(a) members of the All India Service;

(b) holders of any posts in respect of which the Governor may, by general or special order, declare that these rules shall not apply.

* Proviso omitted

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "the Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(b) "Government Servant" means any person appointed to any civil service or post in connection with the affairs of the State of Madhya Pradesh;

Explanation.—A Government servant whose services are placed at the disposal of a company, corporation, organisation or local authority by the Government shall, for the purpose of these rules, be deemed to be a Government servant serving under the Government notwithstanding that his salary is drawn from sources other than from the Consolidated Fund of the State.

---

* The proviso omitted vide GAD Notification No.C-5-1-96-3-EK dated 25-5-2000 published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000 previous provisions was as follows :—

Provided further that rules 4, 6, 8, 13, 15 sub-rule (3) of rule 16, rule 17 sub-rules (1), (2) and (3) of rule 19, rules 20, 21 and 22 shall not apply to any Government servant drawing a pay of Rs. 200 or less permensem and holding a non-gazetted post in any of the following establishment, owned or managed by Government, namely :—

(i) the Bhopal Tractor Organisation;

(ii) Public Works Establishments, in so far as they relate to work-charged staff;

(iii) factories as defined in clause (m) of Section 2 of the factories Act, 1948 (63 of 1948); and

(iv) establishments employing workmen governed by Labour Laws.

Explanation.—For the purposes of this proviso, 'establishment' does not include any office mainly concened with Administrative, managerial, supervisory, security or Welfare functions.

(ग) शासकीय सेवक के संबंध में "कुटुम्ब के सदस्यों" में निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(एक) शासकीय सेवक की पत्नी या उसका पति, जैसी भी दशा हो, चाहे वह शासकीय सेवक के साथ रहती/रहता हो या नहीं किन्तु उसमें, यथास्थिति ऐसी पत्नी या ऐसा पति सम्मिलित नहीं है, जिसका कि सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश द्वारा शासकीय सेवक से पृथक्करण हो गया हो.

(दो) शासकीय सेवक का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, जो उस (शासकीय सेवक) पर पूर्णतः आश्रित हो, किन्तु उसमें ऐसा बालक या सौतेला बालक, जो अब शासकीय सेवक पर किसी भी प्रकार आश्रित न रहा हो, या जिसे अभिरक्षा में रखने से शासकीय सेवक को किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन वंचित कर दिया गया हो, सम्मिलित नहीं है.

(तीन) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो शासकीय सेवक या शासकीय सेवक की पत्नी या उसके पति से चाहे रक्त द्वारा या विवाह द्वारा, संबंधित हो और शासकीय सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो.

3. **सामान्य.**—(1) प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही —

(एक) पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा,

(दो) कर्तव्यपरायण रहेगा, और

(तीन) ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो कि शासकीय सेवक के लिये अशोभनीय हो.

(2) (एक) पर्यवेक्षीय पद धारण करने वाला प्रत्येक शासकीय सेवक ऐसे समस्त शासकीय सेवकों की जो कि तत्समय उसके नियंत्रण तथा प्राधिकार के अधीन हो, सन्निष्ठा तथा कर्तव्यपरायणता को सुनिश्चित करने के हेतु समस्त संभव उपाय करेगा.

(दो) कोई भी शासकीय सेवक, अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में या उसकी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में, उस अवस्था को छोड़कर जबकि वह अपने पदीय वरिष्ठ के निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो, अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार न करके अन्यथा कार्य नहीं करेगा और जहां वह ऐसे निर्देश के अधीन कार्य कर रहा हो, ऐसे निर्देश, जहां के व्यवहार्य हो, लिखित में प्राप्त करेगा, और जहां निर्देश लिखित में प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं हो, वहां वह उस निर्देश के दिये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र उस निर्देश का लिखित पुष्टिकरण प्राप्त करेगा.

व्याख्या.—उपनियम (2) के खण्ड (दो) की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जावेगा, कि वह शासकीय सेवक को इस बात के लिये सशक्त करती है कि वह वरिष्ठ पदाधिकारी या प्राधिकारी से अनुदेश या उसका अनुमोदन चाहकर अपने उत्तरदायित्वों से बच जाय, जबकि ऐसे अनुदेश व्यक्तियों तथा उत्तरदायित्वों के विभाजन की योजना के अधीन आवश्यक न हों.

* 3-क. **तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार.**—कोई भी शासकीय सेवक—

(क) अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा,

(ख) जनता के साथ अपने पदीय संव्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाएगा और उसे सौंपे गए कार्य को निपटाने में जानबूझकर विलंब नहीं करेगा,

(ग) ऐसा कुछ नहीं करेगा जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो,

(घ) शासकीय आवास को, जो उसे आवंटित किया गया है, उसे भाड़े पर नहीं देगा, पट्टे पर नहीं देगा या किसी व्यक्ति द्वारा अधिलाभ के लिए अधिभोग या उपयोग को अन्यथा अनुज्ञात नहीं करेगा.

* 3-ख. **शासन की नीतियों का पालन**—

प्रत्येक शासकीय सेवक, समस्त समय परे—

(क) विवाह की आयु, पर्यावरण के परिरक्षण, वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित शासन की नीतियों के अनुसार कार्य करेगा,

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित शासन की नीतियों का पालन करेगा."

* **उपनियम 3 क एवं 3 ख**— सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी 5-1-96-3-एक दिनांक 25 मई, 2000 द्वारा अंतःस्थापित [म. प्र. (असाधारण) राजपत्र दिनाक 25-5-2000]

(c) "members of family" in relation to a Government servent includes.—

(i) the wife or husband, as the case may be, of the Government servant, whether residing with the Government servant or not but does not include a wife or husband, as the case may be, separated from the Governement servant by a decree or order of a competent court;

(ii) son or daughter or step-son or step-daughter of a Government servant and wholly dependent on him, but does not include a child or step-child who is no longer in any way dependent on the Government servant or of whose custody Government servant has been deprived by or under any law;

(iii) any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly depdndent on the Government servant.

3. **General.**—(1) Every Government servant shall at all times.—

(i) maintain absolute integity;

(ii) maintain devotion to duty; and

(iii) do nothing which is unbeoming of a Government Servant.

(2) (i) Every Government Servant holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all. Government servants for the time being under his control and authority;

(ii) No Government Servant shall, in the prformance of this official duties or in the exercise of powers conferred on him, act otherwise than in his best judgemet except that when he is acting under the direction of his official superior and shall, where he is acting under such direction obtain the direction in writing. Wherever practicible and where it is not practicable to obtain the direction in wirting, he shall obtain written confirmation of the direction as soon as thereafter as possible.

Explanation.—Nothing in clause (ii) of sub-rule (2) shall be construed as empowering the Government servant to evade his responsibilities by secking instructions from or approval of, a superior officer or authotiry when such instructions are not necessary under the scheme of distribution of powers and responsibilities.

*3 A. **Promptness and couteous behavior.**—

No. Government servant shall,—

(a) act discourteously in the performance of his/her official functions;

(b) adopt deletory tacties in his/her official dealing with the public or otherwise and shall make deliberate delay in disposing of the work assigned to him;

(c) do nothing which denote indiscipline;

(d) sub-let, lease or otherwise allow occupation or use for gain by any person of Government accomodation which has been allotted to him.

*3 B. **Observance of Government's Policies.**—

Every Government Servant shall, at all times—

(a) act inaccordancewith the Government's policies regarding age of marriage, preservation of enviornment, protection of wildlife and cultural heritage;

(b) obeserve the Government's policies regarding prevantion of crime against women."

* Sub rule '3-A' and '3-B' inserted vide GAD Notification No. C-5-1-96-3-EK dated 25-5-2000. Published in [M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000]

4. **शासकीय संरक्षण प्राप्त प्राइवेट उपक्रमों में, शासकीय सेवकों के निकट संबंधियों का नौकरी में रखा जाना.—**

(1) कोई भी शासकीय सेवक किसी कम्पनी या फर्म में अपने परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलाने के लिये अपने पद का या प्रभाव का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रयोग नहीं करेगा.

(2) (एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई भी पदाधिकारी किसी भी ऐसी कम्पनी या फर्म में, जिसके साथ उसका पदीय संव्यवहार हो अथवा किसी ऐसे अन्य कम्पनी या फर्म में, जिसका शासन के साथ शासकीय तौर पर संव्यवहार हो, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रित व्यक्ति को नौकरी स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा, परन्तु जब नौकरी स्वीकर करने के हेतु शासन की पूर्व मन्जूरी लेने के लिये प्रतीक्षा करना शक्य न हो या नौकरी स्वीकार करना अन्यथा आवश्यक समझा जाय, तो मामले की रिपोर्ट शासन को की जायेगी और नौकरी, शासन की अनुज्ञा प्राप्त होने के अध्यधीन, अस्थायी रूप से स्वीकार की जा सकेगी.

(दो) शासकीय सेवक, जैसे ही उसे ज्ञात हो कि उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा किसी प्राइवेट उपक्रम में नौकरी स्वीकार कर ली गई है, नौकरी के इस प्रकार स्वीकार किये जाने का प्रज्ञापन विहित प्राधिकारी को देगा और यह भी प्रज्ञापित करेगा कि क्या उस उपक्रम के साथ उसका कोई पदीय संव्यवहार है या था :

परन्तु प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी के मामले में ऐसा प्रज्ञापन देना आवश्यक नहीं होगा, यदि उसने खण्ड (एक) के अधीन पूर्व में ही शासन की मंजूरी प्राप्त कर ली है या शासन को उसकी रिपोर्ट भेज दी है.

(3) ऐसा कोई भी शासकीय सेवक, अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किसी कम्पनी या फर्म या किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित किसी विषय के संबंध में कार्यवाही नहीं करेगा और किसी कम्पनी या फर्म या कि अन्य व्यक्ति को कोई संविदा न तो देगा और न मंजूर करेगा. यदि उसके कुटुम्ब का कोई भी सदस्य उस कम्पनी या फर्म या उस व्यक्ति के अधीन नियोजित हो या यदि वह या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी अन्य रीति में ऐसे विषय या संविदा में हित रखता हो और शासकीय सेवक प्रत्येक ऐसा विषय या ऐसी प्रत्येक संविदा अपने पदीय वरिष्ठ को निर्देशित करेगा और उसके पश्चात् वह विषय या संविदा का निपटारा उस प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा, जिसको कि वह निदेश किया गया हो.

5. **राजनीति तथा निर्वाचनों में भाग लेना.—**

(1) कोई भी शासकीय सेवक, किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन का, जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा न उससे अन्यथा संबंध रखेगा और न वह किसी राजनैतिक आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा, न उसकी सहायतार्थ चन्दा और न किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करेगा.

(2) प्रत्येक शासकीय सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कुटुम्ब के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन या कार्यकलाप में, जो विधि द्वारा स्थापित शासन के लिये विध्वंसकारी हो या जिसका आशय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में विध्वंसकारी होने का हो, भाग लेने, उसकी सहायता के लिए चन्दा देने या किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करे और जहां शासकीय सेवक अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग लेने या उसकी सहायतार्थ चन्दा देने या किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करने से रोकने में असमर्थ हो, वहां वह शासन को इस आशय की रिपोर्ट करेगा.

(3) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाये कि क्या कोई दल राजनैतिक दल है या क्या कोई संगठन राजनीति में भाग लेता है या क्या कोई आंदोलन अथवा कार्यकलाप उपनियम (2) की व्याप्ति के भीतर आता है तो उस पर शासन का निर्णय अन्तिम होगा.

(4) कोई भी शासकीय सेवक, किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन में, न तो मत याचना करेगा, न अन्यथा हस्तक्षेप करेगा, न उसके सम्बंध में अपने प्रभाव का उपयोग करेगा और न उसमें भाग लेगा :

परन्तु—

(एक) ऐसे निर्वाचन में मत देने के लिये अर्ह शासकीय सेवक मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा, किन्तु जहां वह ऐसा करे, वहां उस रीति का, जिसमें वह मत देना चाहता हो या उसने मत दिया हो, कोई संकेत नहीं देगा,

(दो) कोई भी शासकीय सेवक, केवल इस कारण से इस उपनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता हुआ नहीं समझा जायेगा कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर आरोपित कर्तव्य के सम्यक पालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता देता है.

4. Employment of near relatives of Government Servants in Private undertaking Enjoying Government Partonage.—

(1) No Government servant shall use his position or influence directly or indirctly to secure employment for any member of his family in any company or firm.

(2) (i) No Class I or Class II officer shall except with the previous sanction of the Government, permit his son, daughter or other dependent to accept employment in any company or firm with which he has official dealings or in any other company or firm having official dealings with the Government :

(ii) A Government servant shall, as soon as he becomes aware of the acceptance by a member of his family of an employment in any company or firm intimate such acceptance to the prescribed authority and shall also intimate whether he has or has had any official dealings with the company or firm :

Provided that no such intimation shall be necessary in the case of a Class I or Class II officer if he has already obtained the sanction of, or sent a report to, the Government under clause (i).

(3) No Government servant shall in the discharge of his official duties deal with any matter or give or sanction any contract to any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that undertaking or under that person or if, he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner and the Government servant shall refer every such matter or contract to his official superior and the matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made.

5. Taking part in politics and Elections.—

(1) No Government servant shall be member of, or be otherwise associated with, any political party or any organisation which takes part in politics nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.

(2) It shall be the duty of every Government servant to endeavour to prevent any member of his family from taking part in subscribing in aid of or assisting in any other manner any movement or activity which is, or tends directly or indirectly to be subversive of the Government as by law established and where a Government servant is unable to prevent a member of his family from taking part in, or subscribing in aid of or assisting in any other manner, any such movement or activity, he shall make a report to that effct to the Government.

(3) If any question arises whether a party is a political party or whether any organisation takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of sub-rule (2), the decision of the Government thereon shall be final.

(4) No Government servant shall canvass or otherwise interfere with, or use his influcence in connection with or take part in, an election to any legislature or local authority :

Provided that —

(i) a Government servant qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;

(ii) a Government servant shall not be deemed to have contravened the provisions of this sub-rule by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

व्याख्या.—शासकीय सेवक द्वारा अपने शरीर, वाहन या निवास-स्थान पर, किसी निर्वाचन चिन्ह का प्रदर्शन इस उपनियम के तात्पर्य के अन्तर्गत इस बात के समान होगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग कर रहा है.

6. **प्रदर्शन तथा हड़तालें.**—कोई भी शासकीय सेवक—

(एक) स्वयं को किसी भी ऐसे प्रदर्शन में नहीं लगायेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जो कि भारत की प्रभुता तथा अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था शिष्टता या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो या जिसमें न्यायालय का अपमान, मानहानि या किसी अपराध का उद्दीप्त किया जाना अन्तर्ग्रस्त हो, या;

(दो) अपनी सेवा या किसी अन्य शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी भी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न किसी भी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा.

7. **शासकीय सेवकों द्वारा अवकाश पर प्रगमन.**—कोई भी शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक अथवा अन्य) पर उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व प्रगमन नहीं करेगा, परन्तु आपात की दशा में अवकाश स्वीकार करने के लिये सक्षम प्राधिकारी, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, पहले ही लाभ उठाये गये अवकाश को, भूत-प्रभावी स्वीकृति दे सकेगा.

8. **शासकीय सेवकों द्वारा संघों में सम्मिलित होना.**—कोई भी शासकीय सेवक किसी संघों में न तो सम्मिलित होगा और न उसका सदस्य रहेगा, जिसके कि उद्देश्य तथा कार्यकलाप भारत के प्रभुत्व तथा अखण्डता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हों.

*9. **प्रेस तथा अन्य मीडिया से सम्बन्ध.**—

(1) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी समाचार-पत्र या अन्य नियतकालिक का प्रकाशन तथा कोई अन्य मीडिया का पूर्णत: या अंशत: न तो स्वामित्व रखेगा और न उसका संचालन करेगा और उसके संपादन अथवा प्रबंध में भाग लेगा.

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, या अपने कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर, न तो कोई अन्य मीडिया प्रसारण में भाग लेगा और न किसी समाचार-पत्र या नियतकालिक पत्रिका में, अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर, कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कोई लेख देगा या कोई पत्र लिखेगा :

परन्तु ऐसी कोई मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी यदि ऐसा प्रसारण (ब्राडकास्ट) या ऐसा लेख, विशुद्ध साहित्य कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का हो.

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक दिनांक 25-5-2000 द्वारा किया गया जो म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 द्वारा प्रकाशित किया गया. पूर्व प्रावधान में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :—

3. नियम 9 में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"प्रेस तथा अन्य मीडिया से संबंध"

(दो) उपनियम (1) में शब्द "प्रकाशन" के स्थान पर शब्द "प्रकाशन तथ कोई अन्य मीडिया" स्थापित किया जाय.

(तीन) उप नियम (2) में शब्द "रेडियो प्रसारण" के स्थान पर शब्द "कोई अन्य मीडिया प्रसारण" स्थापित किया जाए.

4. नियम 10 में शब्द "रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्ट)" के स्थान पर शब्द "रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्ट) या अन्य मीडिया प्रासरण" स्थापित किए जाएं.

Explanation.—The display by a Government servant on his person, vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this sub-rule.

6. **Demonstrations and strikes.—**

No Government servant shall —

(i) engage himself or participate in any demonstration which is prejudical to the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence, or

(ii) report to or in any way abet any form of strike in connection with any matter Pertaining to his service or the service of any other Government servant.

7. **Proceeding on leave by Government servants.**—No Government servant shall proceed on leave (Casual or otherwise) before it has been sanctioned; provided that in a case emergency the authority competent to sanction leave may for reasons to be recorded in writing accord ex-post facto sanction to leave already a vailed of.

8. **Joining of Associations by Government Servants.**—No Government servant shall join, or continue to be a member of, an association the objects or activities of which are prejudical to the interests of the sovereignty and integrity of India or public order or morality.

*9. **Connection with press and other media.—**

(1) No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, own wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of, any newspaper or other periodical publication and any other media.

(2) No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government or the prescribed authority, or in the *bonafide* discharge of his duties participate in any other media broadcast or contribute any article or write any letter either in his own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any other person to any newspaper or periodical :

Provided that no such sanction shall be required if such broadcast or such contribution is of a purely literary, artistic or scientific character.

---

* Amended vide GAD Notificaiton No. C-5-1-96-3-EK-dated 25-5-2000 published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000. Previous was as follows.—

3. In rule 9,—

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substitued, namely :—

"Connection with press and other media."

(ii) in sub-rule (1) for the word "publication" the words "publication and any other media" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (2) for the words "a radio broadcast" the words "any other media broadcast" shall be substituted.

4. In rule 10 for the words "radio broadcast" the words "radio broadcast or other media broadcast" shall be substituted.

10. **शासन की आलोचना.**—कोई भी शासकीय सेवक किसी रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्ट) या अन्य मीडिया प्रसारण अपने स्वयं के नाम से या गुमनाम तौर पर कल्पित नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित किसी दस्तावेज में या समाचार-पत्र को दी गई किसी संसूचना में या सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किसी उद्‌गार में कोई ऐसा तथ्य या राय प्रकट नहीं कर करेगा.—

(एक) जिसका परिणाम केन्द्रीय सरकार या राज्य शासन की किसी प्रचलित या तात्कालिक नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना करता हो :

परन्तु नियम 1 के उपनियम (3) के द्वितीय परन्तुक में उल्लिखित शासकीय सेवकों के किसी भी प्रवर्ग में सम्मिलित किसी शासकीय सेवक की दशा में, इस खण्ड में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, ऐसे शासकीय सेवकों की सेवा की शर्तों की सुरक्षा करने के प्रयोजन के लिये या उनमें सुधार करने के लिये ऐसे शासकीय सेवकों के कर्मचारी संघ के पदाधिकारी के रूप में उसके द्वारा सद्‌भावना से व्यक्त किये गये विचारों को लागू नहीं होगी, या

(दो) जिससे कि राज्य शासन तथा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य शासन के आपसी संबंधों में उलझन पड़ जाय, या

(तीन) जिससे कि केन्द्रीय सरकार तथा किसी विदेशी राज्य शासन के आपसी संबंधों में उलझन पड़ जाय

परन्तु इस नियम की कोई बात, शासकीय सेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत में या उसे सौंपे गये कर्तव्यों के सम्यक् पालन में दिये गये किसी वक्तव्य या व्यक्त किये गये विचारों को लागू नहीं होगी.

11. **समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य.**—

(1) उपनियम (3) में उपबंधित अवस्था को छोड़कर कोई भी शासकीय सेवक, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा की गई किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा.

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई मंजूरी दे दी गई हो, वहां ऐसा साक्ष्य देने वाला कोई भी शासकीय सेवक, केन्द्रीय सरकार या राज्य शासन की नीति या किसी कार्य की आलोचना नहीं करेगा.

(3) इस नियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी :—

(क) शासन, संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारी के समक्ष जांच में दिया गया साक्ष्य, या

(ख) किसी न्यायिक जांच में दिया गया साक्ष्य, या

(ग) शासन के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जांच में दिया गया साक्ष्य.

12. **अप्राधिकृत रूप से जानकारी देना.**—कोई भी शासकीय सेवक, शासन के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसरण में कार्य करने की अवस्था को छोड़कर उसे सौंपे गये कर्तव्यों का सद्‌भावना से पालन करने की स्थिति को छोड़कर, किसी भी शासकीय सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को जिसको कि ऐसी दस्तावेज या जानकारी देने के लिये वह प्राधिकृत न हो, कोई शासकीय दस्तावेज या उसका कोई भाग या जानकारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देगा.

* "स्पष्टीकरण.—किसी शासकीय सेवक द्वारा (किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष या अन्यथा अपने अभ्यावेदन में) किसी पत्र, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन या किसी अन्य शासकीय दस्तावेज का या उससे या किसी ऐसी फाइल के टिप्पणों से उद्धरण देना, जिस तक पहुंच के लिए वह प्राधिकृत नहीं है या जिसे वह अपनी वैयक्तिक अभिरक्षा में या वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए रखने हेतु प्राधिकृत नहीं है, इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना की कोटि में आएगा."

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000 द्वारा किया गया जो म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ.

10. **Criticism of Government.**—No Government servant shall, in any radio broadcast or other media broadcast or in any document published in his own name or anonymously, pseudnymously or in the name of any other person or in any communication to the press or in any public utterance, make any statement of fact or opinion.—

(i) Which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the Central Government or a State Government :

Provided that in the case of any Government servant included in any categery of Government servants specified in the second proviso to sub-rule (3) of rule 1, nothing contained in this clause shall apply to bonafide expression of views by him as an office bearer of a trade union of such Government servants for the purpose of safeguarding the conditions of sevice of such Government sevants or for securing an improvement thereof; or

(ii) which is capable of embarrassing the relaions between the State Government and the Central Government or the Government of any State; or

(iii) which is capable of embarrassing the relations between the Central Government and the Government of any foreign State :

Provided that nothing in this rule shall apply to any statements made or views expressed by a Government servant in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.

11. **Evidence before Committee or any other Authority.**—

(1) Save as provided in sub-rule (3), no Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, give evidence in connection with an enquiry conducted by any person, committee or authority.

(2) Where any sanction has been accorded under sub-rule (1), no Government servant giving such evidence shall criticise the policy or any action of the Central Government or of a State Government.

(3) Nothing in this rule shall apply to—

(a) evidence given at an enquiry before an authority appointed by the Government, Parliament or a State Legislature; or

(b) evidence given in any judicial enquiry; or

(c) evidence given at any departmental enquiry ordered by authorities sub-ordinate to the Government.

12. **Unauthorised Communication of Information.**—No Government servant shall, except in accordance with any general or special order of the Government or in the performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document or any part thereof or information to any Government servant or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or information.

* "Explanation.—Quotation by a Government servant (in his representation before any Court or Tribunal or any authority or otherwise) of, or from any letter, circular or office memorandum or any other official document or from the notes of any file to which he is not authorised to have access, or which he is not authorised to keep in his personal custody or for personal purposes, shall amount to unauthorised commuication of information within the meaning of this rule."

---

* Added vide GAD Notification No. C-5-1-96-3-EK dated 25-5-2000 and published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000.

13. **चन्दा.**—कोई भी शासकीय सेवक शासन की या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी भी प्रकार के उद्देश्य के अनुसरण में किन्हीं निधियों के लिये या नकदी में या वस्तु के रूप में अन्य संग्रहणों के लिये न तो अंशदान मांगेगा, न अंशदान स्वीकार करेगा और न उनके इकट्ठा किये जाने में स्वयं को अन्यथा सम्बद्ध करेगा.

14. **उपहार.**—(1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर कोई भी शासकीय सेवक कोई भी उपहार न तो स्वीकार करेगा और न उसे स्वीकार करने के लिये अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को अनुज्ञा देगा.

व्याख्या.—अभिव्यक्ति उपहार में ऐसे नि:शुल्क परिवहन, भोजन, आवास या अन्य सेवा या कोई अन्य आर्थिक प्रलाभ सम्मिलित होंगे, जब कि वे शासकीय सेवक से कोई पदीय संव्यवहार न रखने वाले निकट संबंधी या स्वीकीय मित्र को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गये हों.

टिप्पणी.—(एक) आकस्मिक भोजन, उद्वहन (लिफ्ट) या अन्य सामाजिक आतिथ्य, उपहार नहीं समझा जावेगा.

(दो) शासकीय सेवक किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कि साथ उसका पदीय संव्यवहार हो या औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों आदि से मुक्तहस्त आतिथ्य या बारंबार आतिथ्य स्वीकार करने से बचेगा.

*(2) विवाह, वर्ष दिवस, अन्त्येष्टि या धार्मिक कृत्यों जैसे अवसरों पर जब कि उपहार का दिया जाना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो, शासकीय सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकेगा, किन्तु वह शासन को उपहार की रिपोर्ट **उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर करेगा, यदि किसी ऐसे उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो :—

(एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 1,500 रुपये.

(दो) तृतीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 700 रुपये, और

(तीन) चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 250 रुपये.

(3) ऐसे अवसरों पर, जो कि उपनियम (2) में उल्लिखित किये गये हैं, शासकीय सेवक अपने ऐसे स्वकीय मित्रों से, जिनका कि उसके साथ कोई पदीय संव्यवहार न हों, उपहार स्वीकार कर सकेगा, किन्तु वह शासन को उपहार को रिपोर्ट ***उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर करेगा, यदि किसी ऐसे उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक हो :—

(एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 500 रुपये.

(दो) तृतीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 200 रुपये.

(तीन) चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 100 रुपये.

(4) किसी भी अन्य मामले में कोई शासकीय सेवक, शासन की मंजूरी के बिना, कोई उपहार प्रतिगृहीत नहीं करेगा अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को अथवा अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी सदस्य को प्रतिगृहीत करने की अनुज्ञा ही देगा, यदि उसका मूल्य.—

(एक) प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 200 रुपये, और

(दो) तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 50 रुपये से अधिक है.

(5) "कोई भी शासकीय सेवक पेयी अकाउण्ट चैक के माध्यम के सिवाय रुपये 2,000 से अधिक का कोई उपहार नकदी में स्वीकार नहीं करेगा या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा."

14 क. **कोई शासकीय सेवक.**—

(1) दहेज न तो देगा या लेगा अथवा उसके देने या लेने के लिये प्रेरित ही करेगा, अथवा

(2) यथास्थिति वधु-वर के माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा :—

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनार्थ "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो उसे दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में दिया गया है.

15. **शासकीय सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन.**—कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना, न तो कोई अभिनन्दन-पत्र या बिदाई मान-पत्र ग्रहण करेगा, न कोई प्रशंसा-पत्र स्वीकार करेगा और न यह अपने सम्मान में या किसी अन्य शासकीय सेवक के सम्मान में आयोजित किसी सभा या सत्कार समारोह में उपस्थित होगा :

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. 370-सी-आर-309-एक (3)-72 दिनांक 29 जून 1972 द्वारा जोड़ा गया जो म. प्र. राजपत्र दिनांक 28 जुलाई 1972 में प्रकाशित किया गया.

** (1) नियम 14 के उपनियम (2) की तीसरी पंक्ति में "उपहार की रिपोर्ट" शब्द के बाद "उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर" शब्द जोड़ा जाए;

*** (2) नियम 14 के उपनियम (3) की तीसरी पंक्ति में "उपहार की रिपोर्ट" शब्द के बाद "उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर" शब्द जोड़ा जाय.

13. **Subscriptions.**—No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government or of the prescribed authority, ask for or accept contributions to, or otherwise associate himself with the raising of, any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever.

14. **Gifts.**—Save as otherwise provided in these rules, no Government servant shall accept, or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept, any gift.

Explanation.—The expression "gift" shall include free transport, boarding, lodging or other service or any other pecuniary advantage when provided by any person other than a near relative or personnal friend having no official dealings with the Government servant.

Note.—(I) A casual meal lift or other social hopspitality shall not be deemed to be a gift,

(II) A Government servant shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any individual having official dealings with him or from industrial or commercial firms, organisations etc.

*(2) On occasions, such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of a gift is in comformity with the prevailing religious or social practice, a Government servant may accept gifts from his near relatives but he shall make a report a period of one month from the date of receipt of the **gift to the Government if the value of any such gift exceeds—

(i) Rs. 1500.0, in the case of the Government servant holding any Class I or Class II post;

(ii) Rs. 700.00, in the case of a Government servant holding any Class III post, and

(iii) Rs. 250.00, in the case of a Government servant holdings any Class IV post.

(3) On such occasions as are specified in sub-rule (2), a Government servant may accept gift from his personal friends having no official dealings with him, but he shall make a report within a period of one month from the date of rceipt of the ***gifts to the Government if the value of any such gift exceeds—

(i) Rs. 500.00, in the case of a Government servant holding any Class I or Class II posts;

(ii) Rs. 200.00, in the case of a Government servant holding any Class III posts; and

(iii) Rs. 100.00, in the case of a Government servant holdings any Class IV post.

(4) In any other case, a Government servant shall not accept any gift without the sanction of the Government if the value thereof exceeds—

(i) Rs. 200.00, in the case of a Government servant holding any Class I or Class II post; and

(ii) Rs. 50.00, in the case of a Government servant holding any Class III or Class IV post.

(5) No Government servant shall accept or permit any member of his family or any person acting on his behalf or on behalf of any member of his family to accept any gift in cash exceeding Rs. 2000 except throught a payee account cheque.

14 A. No Government servant shall.—

(i) give or take or abet the giving or taking of dowry; or

(ii) demand, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bride groom as the case may be any dowry.

Explanation.—For the purposes of this rule, "dowry" has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

15. **Public Demonstration in Honour of Government servants.**—No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, receive any complimentary or valedictory address or accept any testmonial or attend any meeting or entertainment held in his honour, or in the honour of any other Government servant :

---

* Added vide GAD Notification No. 370-CR-309-EK (3)-72 dated 29-6-1972 and published in M. P. Gazette 28-7-1972.

** (1) in sub-rule (2) of rule 14, after the words "make a report" occuring in the fourth line, the words "within a period of one month from the date of recipt of the gift shall be added;

*** (2) in sub-rule (3) of rule 14, after the workds "make a report" occuring in the third line, the words "within a period of one month from the date of receipt of the gift" shall be added.

परन्तु इस नियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नही होगी—

(एक) वस्तुत: प्रायवेट तथा अनौपचारिक प्रकार का बिदाई संबंधी सत्कार समारोह, जो किसी शासकीय सेवक या अन्य किसी शासकीय सेवक की सेवा निवृत्ति या स्थानान्तरण के अवसर पर उसके सम्मान में या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में, जिसने हाल ही में किसी शासन की सेवा छोटी हो आयोजित किया गया हों, या

(दो) सार्वजनिक निकायों या संस्थाओं द्वारा आयोजित सादा तथा सस्ते सत्कार समारोह का स्वीकार किया जाना.

टिप्पणी.—किसी भी शासकीय सेवक पर, उसे किसी बिदाई संबंधी सत्कार समारोह के लिये, भले ही वह वस्तुत: प्राइवेट या अनौपचारिक प्रकार का हो चन्दा देने हेतु उसे उत्प्रेरित करने के लिये किसी भी प्रकार का दबाव या प्रभाव डालना तथा ऐसे किसी शासकीय सेवक के सत्कार समारोह के लिये भी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का न हो, तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से, किन्हीं भी परिस्थितियों में चन्दा इकट्ठा करना निषिध्ध है.

***16. प्राइवेट कारोबार या नियोजन.—**

(1) कोई शासकीय सेवक, उपनियम (2) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना—

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह कोई कारबार या व्यापार नहीं करेगा; या

(ख) कोई अन्य सेवा नहीं करेगा; या

(ग) किसी निकाय में चाहे वह निगमित निकाय या अनियमित निकाय हो, कोई पदधारण नहीं करेगा या किसी निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी/किन्ही अभ्यर्थियों के लिए प्रचार नहीं करेगा; या

(घ) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वामित्व को या उसके द्वारा प्रबंधित किसी बीमा कंपनी कमीशन एजेन्सी आदि के किसी कारबार के समर्थन में प्रचार नहीं करेगा, या

(ङ) अपने पदीय कर्तव्यों के संबंध में के सिवाय, किसी बैंक या किसी अन्य कम्पनी के, जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए स्थापित किसी सहकारी सोसाइटी के संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग नही लेगा.

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी.-5-1-96-3-एक दिनांक 25-5-2000 द्वारा किया गया जो राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ. पूर्व प्रावधान निम्नानुसार था :—

16. निजी व्यापार या नौकरी.—(1) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार या कारोबार नहीं करेगा या कोई भी अन्य नौकरी नहीं करेगा.

परन्तु कोई भी शासकीय सेवक, ऐसी मंजूरी के बिना, सामाजिक या पूर्व प्रकार का अवैतनिक कार्य अथवा साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का कभी-कभी होने वाला कार्य इस शर्त के अधीन रहते हुए हाथ में ले सकेगा कि उससे उसके पदीय कर्तव्यों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, किन्तु शासन द्वारा इस प्रकार निर्देशित किये जाने पर वह ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा या उसे बन्द कर देगा.

व्याख्या.—शासकीय सेवक द्वारा, उसकी पत्नी या उसके कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के स्वामित्व की या उसके द्वारा प्रबंधित बीमा, एजेन्सी, आढ़त (कमीशन एजेन्सी) आदि के कारोबार के समर्थन में किया गया प्रचार इस उपनियम का उल्लंघन समझा जायेगा.

(2) प्रत्येक शासकीय सेवक शासन को रिपोर्ट करेगा, यदि उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी व्यापार या कारोबार में लगा हो या किसी इन्श्योरेन्स एजेन्सी या आढ़त (कमीशन एजेन्सी) का स्वामित्व रखता हो या प्रबन्ध करता हो.

(3) कोई भी शासकीय सेवक, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने की स्थिति को छोड़कर, किसी बैंक या अन्य कम्पनी के, जिसका कि कम्पनीज एक्ट, 1956 (कम्पनी अधिनियम, 1956) क्रमांक 1, 1956), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित हो या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये किसी सहकारी संस्था के रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा.

परन्तु कोई भी शासकीय सेवक मध्यप्रदेश को-आपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 1960 (मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960) (क्र. 17, सन् 1961), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसी सहकारी संस्था के, जो कि वस्तुत: शासकीय सेवकों के फायदे के लिये, या मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1959) मध्यप्रदेश संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1959 (क्रमांक 1 सन् 1960) या प्रवृत्त किसी तत्स्थानीय विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी साहित्यिक वैज्ञानिक या पूर्व संस्था के रजिस्ट्रीकरण, प्रवर्तन य प्रबन्धक में भाग ले सकेगा :

"परन्तु यह और भी कि इस नियम की कोई भी बात शासकीय सेवक द्वारा, शासन की पूर्व मन्जूरी से सपने आपको आबद्ध किए गए लेन-देन के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी."

(4) कोई भी शासकीय सेवक, किसी लोक नियम या किसी प्रयावेट व्यक्ति के लिये उशके द्वारा किये गये किसी कार्य के लिये, विहित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना कोई फीस नहीं ले सकेगा.

Provided that nothing in this rule shall apply to —

(i) a farewell entertainment of a substantially private and informal character held in honour of a Government servant or any other Government servant on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quit the service of any Government; or

(ii) the acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by public bodies or institutions.

Note.—Exercise of pressure or influene of any sort on any Government servant to induce him to subscribe towards any farewell entertainment even if it is of a substantial private or informal character and the collection of subscriptions from Class III or Class IV employees under any circumstances for the entertianment of any Government servant not belonging to Class III or Class IV, is forbidden.

***16. Private business or employment.—**

(1) No Government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (2), without prior approval of the Government.—

(a) engage himself/herself in any business or trade, directly or indirectly; or

(b) do any other service; or

(c) hold any post in any body, whether it be a corporate body or non-corporate body, or canvass for any candidate/candidates for any election; or

(d) canvass in support or any business of any insurance company, commission agency etc. owned or managed by any member of his/her family, or

(e) except in connection with his official duties, take part in promoting or managing any bank or any other company, which is registered under the companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) or under any other law for the time being in force or any co-operative society established for commercial purposes.

---

* Amended vide GAD Notification No. C-5-1-96-3-EK dated 25-5-2000 and published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000 previous provision was as follows.—

16. Private Trade or Emp;oyment.—(1) No Government servant shall except with the previous sanction of the Government, engage directly or indirectly in any trade or business or undertake any other employment :

Provided that a Government servant may without such sanction, undertake honour any work of a social or charitable nature or occasional work of a literary, artistic or scientific character, subject to the condition that his official duties do not thereby suffer, but he shall not undertake, or shall discontinued such work if so directed by the Government.

Explanation.—Canvassing by a Government servant in support of the business of the insurance agency, commission agency, etc. owned or managed by his wife or any other member of his family shall be deemed to be a breach of this sub-rule.

(2) Every Government servant shall report to the Government if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.

(3) No Government servant shall, without the previous sanction of the Government except in the discharge of his official duties, take part in the registration promotion or management of any bank or other company which is required to be registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any other law for the time being in force or any co-operative society for commercial purposes :

Provided that a Government servant may take part in the registration, promotion or management of a co-operative society substantially for the benefit of Government servants, registered under the Madhya Pradesh, Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) or any other law for the time being in force, or of a literary, scientific or charitable society registered under the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1959 (No. 1 of 1960) or any other corresponding law in force.

(4) No Government servant may accept any fee for any work done by him for any public body or any private person without the sanction of the prescribed authority.

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना :—

(क) किन्हीं भी सामाजिक या खैराती (चैरिटेबिल) प्रकृति के क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ख) किन्हीं भी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के यदा-कदा होने वाले क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ग) खेल-कूद के क्रियाकलापों में अध्यवसायी के रूप में भाग ले सकेगा; या

(घ) साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्व सोसायटी या क्लबों या उसी प्रकार के अन्य संगठनों के (जिसमें कि कोई निर्वाचन पद धारण करना अंतर्वतित न हो) रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में जिनके कि लक्ष्य या उद्देश्य खेलों/क्रिडाओं से संबंधी क्रियाकलापों या सांस्कृतिक अथवा आमोद-प्रमोद की प्रकृति के ऐसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देने से संबंधित हों और जो कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये हों, भाग ले सकेगा; या

(ङ) किन्हीं ऐसी सहकारी सोसाइटियों के, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों और जो कि सारभूत रूप से शासकीय सेवकों के फायदे के लिए स्थापित की गई हों (जिसमें कोई निर्वाचन पद धारण करना अंतवर्तित न हो), रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग ले सकेगा :

परन्तु —

(एक) वह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेना बंद कर देगा यदि शासन द्वारा उसे इस प्रकार निर्देशित किया गया हो; और

(दो) इस उपनियम के खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन आने वाले मामलों में, उसके पदीय कर्तव्य प्रतिकूलत: प्रभावित नहीं होंगे तथा यह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने के पश्चात् एक माह के भीतर उसके भाग होने की प्रकृति का ब्यौरा देते हुए शासन को रिपोर्ट भेजेगा :

(3) यदि किसी शासकीय सेवक के कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी कारबार या व्यापार में लगा हुआ है या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी बीमा कंपनी या कमीशन एजेन्सी का स्वामित्व रखता है या उसका प्रबंध करता है तो यह शासन को रिपोर्ट देगा;

(4) शासन के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी शासकीय सेवक किसी प्राइवेट संस्था या लोक निकाय या प्राइवेट व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना, कोई विहित फीस स्वीकार नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शब्द "फीस" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश फण्डामेण्टल रूल्स के नियम 46 (ए) में उसके लिए दिया गया है.

17. **विनिधान, उधार देना तथा उधानर लेना** :—(1) कोई भी शासकीय सेवक किसी स्टाक, अंश या अन्य विनिधान में सट्टा नहीं लगाएगा व्याख्या—अंशों, प्रतिभूतियों/अन्य विनिधानों का बार-बार क्रय या विक्रय दोनों ही इस उपनियम के तात्पर्य के अन्तर्गत सट्टा समझे जायेंगे.

(2) कोई भी शासकीय सेवक न ही ऐसा कोई विनिधान करेगा और न अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति को उसका अनुज्ञा देगा जिससे कि वह संभावना हो कि वह उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में उसे उलझन में डाल देगा या प्रभावित कर देगा.

(3) यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाय कि कोई लेन-देन उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट किये गये प्रकार का है या नहीं तो उस पर शसन का विनिश्चय अन्तिम होगा.

(2) Any Government servant may, without obtaining prior permission of the Government—

(a) take part in any activities of social or charitable nature; or

(b) take part in any occasional activities of literary, artistic or scientific nature; or

(c) take part in sports activities as an amatcure; or

(d) take part in the registration, promotion or management of any literary, scientific or charitable society or clubs or similar other organisations (wherein holding of any election post is not involved) whose aims or objects relate to promotion of any games/sports activities or activities of cultural or recreational nature and which are registered under the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) or under any other law for the time being in force, or

(e) take part in the registration, promotion or management of any co-operative societies which are registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) or under any other law for the time being in force and which are established substantially for the benefit of the Government servant (wherein holding of any election post is not involved).

Provided that —

(i) he/she shall stop taking part in such activities, if he/she is directed to do so by the Government; and

(ii) in the cases coming under clause (d) and (e) of the sub-rule, his/her official duties shall not be affected adversely within onemonth after taking part in such activities he/she shall send a report to the Government giving the particulars of the nature of his/her participation.

(3) If any member of the family of any Government servant is engaged in any business or trade or if any member of his/her family owns or manages any insurance agency or commission agency, he/she shall report to the Government:

(4) Unless otherwise provided by any general or special orders of the Government, no Government servant shall accept any prescribed fee if for any work done by him/her in any private institution or public body or private person, without obtaining approval of the authority.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the word "fee" shall have the same meaning as assigned to it in rule 48 (a) of the Madhya Pradesh Fundamental Rules."

17.**Investment, Bending and Borrowing.**—(1) No Government servant shall speculated in any stock, share or other investment.

Explanation.—Frequent purchase or sale or both, of shares, securities or other investments shall be deemed to be speculation within the meaning of this sub-rule.

(2) No Government servant shall make, or permit any member of his family or any person acting on his behalf to make, any investment which is, likely to embarrass or influence him in the disharge of his offcial duties.

(3) If any question arises whether any transactions of the nature referred to in sub rule (1) of sub-rule (2), the decision of the Government thereon shall be final.

(4) (एक) कोई भी शासकीय सेवक किसी बैंक या सम्यक् रूप से बैंक का कारोबार करने के लिये प्राधिकृत किसी सुस्थित फर्म के साथ कारोबार के साधारण क्रम की स्थिति छोड़कर, न तो स्वयं और अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के मार्फत :—

(क) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि उसके प्राधिकारी की स्थानीय सीमाओं के भीतर हो या जिसके साथ उसका पदीय संव्यवहार होने की संभावना हो प्रतिनियोक्ता या अभिकर्ता के रूप में धन उधार लेगा और न अन्यथा ऐसे व्यक्ति का अपने ऊपर आर्थिक आभार लेगा, या

(ख) किसी व्यक्ति को ब्याज पर अथवा ऐसी रीति में धन उधार नहीं देगा जिससे कि उसकी वापसी धन के रूप में वस्तु के रूप में ली जाय या की जाय :

परन्तु शासकीय सेवक किसी संबंधी या स्वकीय मित्र को बिना अल्प रकम का बिल्कुल अस्थाई प्रकार का ऋण बिना ब्याज के दे सकेगा या उससे ले सकेगा या किसी वास्तविक व्यापारी के यहां उधार खाता रख सकेगा या अपने प्राइवेट नौकर को वेतन अग्रिम में दे सकेगा.

*परंतु यह और भी कि इस उपनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात शासन के पूर्व अनुमोदन से किसी शासकीय सेवक द्वारा किये गये किन्हीं संव्यवहारों को लागू नहीं होगी.

(दो) जब कोई शासकीय सेवक किसी ऐसे प्रकार के पद पर नियुक्त या स्थानांतरित किया जाय कि जिससे उसके द्वारा उपनियम (2) या उपनियम (4) के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध का उल्लंघन होता हो, तो वह तुरन्त ही उन परिस्थितियों की रिपोर्ट शासन को करेगा और तत्पश्चात् ऐसे आदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो कि शासन द्वारा दिये जाये.

(5) "कोई भी शासकीय सेवक पेयी अकाउन्ट चैक के माध्यम सिवाय रुपये 2,000 से अधिक की धनराशि उधार नहीं लेगा."

18. **ऋण शोधक्षमता तथा स्वभावत: ऋणग्रस्तता.**—शासकीय सेवक अपने निजी कार्यों का इस प्रकार प्रबंध करेगा कि स्वभावत: ऋणग्रस्तता या ऋण शोधक्षमता टल सके, ऐसा शासकीय सेवक, जिसके विरुद्ध उसके द्वारा शोध्य किसी ऋण की वसूली के लिए या उसे ऋण शोधाक्षम न्यायनिर्णित करने के लिए कोई विधि कार्यवाही प्रारम्भ की हो जाय, विधि कार्यवाही के पूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट तुरन्त ही शासन को करेगा.

टिप्पणी.—यह सिद्ध करने का भार शासकीय सेवक पर होगा कि ऋण शोधक्षमता या ऋणग्रस्तता ऐसी परिस्थितियों का परिणाम थी जिनका कि शासकीय सेवक का, सामान्य समवेक्षा के प्रयोग से पूर्व बोध नहीं हो सका था या जिनके ऊपर उसका कोई नियंत्रण न था और जो अपव्यय करने या धन उड़ाने की आदतों से उत्पन्न नहीं हुई थी.

19. **जंगम स्थावर तथा मूल्यवान सम्पत्ति.**—(1) प्रत्येक शासकीय सेवक किसी भी सेवा या पद पर उसके पहलीबार नियुक्त होने पर तथा उसके पश्चात् ऐसे अन्तरालों पर, जो कि शासन द्वारा उल्लिखित किये जाय, अपनी आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी निम्नलिखित के संबंध में पूर्ण विशिष्टियां देते हुए, ऐसे फार्म में जो कि शासन द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा.—

(क) उसके द्वारा दाय में प्राप्त की गई या उसके स्वामित्व की या उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके स्वयं के नाम से अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बन्धक पर उसके द्वारा धारित स्थावर संपत्ति.

(ख) उसके द्वारा दाय में प्राप्त किये गये या उसी प्रकार उसके स्वामित्व के, उसके द्वारा अर्जित या धारित अंश, ऋण-पत्र तथा नकदी, जिसमें बैंक निक्षेप भी सम्मिलित होंगे.

---

* यह परंतुक सा. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक दिनांक 25-5-2000 द्वारा जोड़ा गया जो म. प्र. राजपत्र दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ.

(4) (i) No Government servent shall save in the ordinary course of business with a bank or a firm of standing duly authorised to conduct, banking, business, either himself or through any member of his family or any other person acting on his behalf.—

(a) lend or borrow money as principal or agent to or from any person within the local limits of his authority or with whom he is likely to have official dealings, or otherwise place himself under any pecuniary obligation to such person, or

(b) lend money to any person at interest or in a manner where by return in money or in kind is charged or paid :

Provided that a Government servant may, give to, or accept from, a relative or a personal friend, a purly temporary loan of a small amount free of interest, or operate a credit account with a bonafide tradesman or make an advance :

* Provided further that nothing contained in this sub-rule shall apply to any transactions done by the Government servant with the prior approval of the Government.

(ii) When a Government servant is appointed or transferred to a post of such nature as would involve him in the breach of any of the provisions of sub-rule (2) or sub-rule (4), he shall forthwith report the circumstances to the Government and shall act in accordance with such orders as may be made by the Government :

Provided further that nothing in this sub-rule shall apply in respect of any transaction entered in to by a Government servant with the previous sanction of the Government.

(5) No Government servant shall borrow money exceeding Rs. 2000.00 except through a payee account cheque.

18. **Insolvency and Habitual Indebtedness.**—A Government servant shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. A Government servant against whom any legal proceeding is instituted for the recovery of any debt due from him or for adjudging him as an insolvant shall forthwith report the full facts of the legal proceeding to the Government.

Note.—The burden of proving that the insolvency or indebtendness was the result of circumstances which, with the exercise of ordinary deligence, the Government servant could not have forseen, or over which he had no control, and had not proceeded from extravagent or Dissipated habits, shall be upon the Government servant.

19. **Movable, immovable and Valuable Property.**—(1) Every Government servant shall on his first appointment to any service post and thereafter at such intervals as may be specified by the Government, submit a return of his assets and laibilities, in such form as may be prescirbed by the Government, giving the full particulars regarding.—

(a) the immovable property inherited by him, or owned or acquired by him or held by him on lease or mortage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;

(b) shares, debentures and cash including bank deposits in herited by him or similarly owned, acquired or held by him;

* This proviso added vide GAD notifiation No. C-5-196-3-Ex dated 25-5-2000 and published in M. P. Gazette (extraordinary) dated 25-5-2000.

(ग) उसके द्वारा दाय में प्राप्त की गई या उसी प्रकार उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा अर्जित की गई या उसके द्वारा धारित अन्य जंगम सम्पत्ति.

(घ) उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लिये गये ऋण या अन्य दायित्व.

टिप्पणी.—(एक) उपनियम (1) मामूली तौर से चतुर्थ श्रेणी के सेवकों को लागू नहीं होगा किन्तु शासन यह निर्देश दे सकेगा कि वह उप नियम (1) किसी ऐसे शासकीय सेवकों की या ऐसे शासकीय सेवकों की श्रेणी को लागू होगा.

टिप्पणी.—(दो) समस्त विवरणियों में, 2,000 रुपये से कम मूल्य की जंगम संपत्ति की मदों का मूल्य जोड़ा जाय तथा एक मुश्त दर्शाया जाये, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में से वस्त्र, बर्तन, चीनी (मिट्टी के बर्तन क्राकरी) पुस्तकों आदि मूल्य की ऐसी विवरणी में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है.

टिप्पणी.—(तीन) प्रत्येक शासकीय सेवक, जो इन निमयों के प्रारंभ ही के दिनांक को सेवा में हो, इस उप-नियम के अधीन विवरणी ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व जो कि शासन द्वारा ऐसा प्रारंभ होने के पश्चात् उल्लिखित किया जाय, प्रस्तुत करेगा.

(2) कोई भी शासकीय सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व जानकारी के बिना न तो स्वयं अपने नाम से या न अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से पट्टा, बन्धक, क्रय-विक्रय, दान द्वारा या अन्यथा कोई भी स्थावर संपत्ति न तो अर्जित करेगा और न उसे हस्तांतरित करेगा :

परन्तु शासकीय सेवक द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व मन्जूरी प्राप्त कर ली जाये यदि कोई ऐसा लेन-देन—

(एक) ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो, शासकी सेवक के साथ पक्षीय संव्यवहार रखता हो, या

(दो) किसी नियमित या ख्यात व्यापारी के मारफत न होकर अन्यथा हो.

(2-क) यदि कोई शासकीय, सेवक या उसके नियोजन अवधि के दौरान उसकी संपत्ति से, मोनता से, या अन्यथा उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य —

(1) कोई स्थावर संपत्ति क्रय करता है या अपने स्वामित्व में किसी गृह को चाहे अपने स्वयं के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बेनामी रूप से निर्मित या पुनर्निर्मित करता है, या

(2) पूर्व से ही अपने स्वामित्व की स्थावर संपत्ति में से किसी में भी चाहे अपने द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बेनामी रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा जैसी भी स्थिति हो रुपये 5000 से अधिक का कोई परिवर्तन या मरम्मत करता है तो ऐसा शासकीय सेवक, यथा स्थिति, ऐसे निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन या मरम्मत की पूर्व सूचना यथास्थिति उक्त अर्जन, निर्माण, पुनर्निर्माण, परिवर्तन या मरम्मत के लिये प्राक्कलित कुल रकम को प्रकट करते हुए विहित प्राधिकारी को देगा और वह स्त्रोत जहां से कि यथा स्थिति वह या उसके परिवार का सदस्य इस प्रयजन के लिये अपेक्षित निधि जुटाना प्रस्तावित करता है, भी प्रकट करेगा. यदि यथास्थिति, निर्माण, पुनःनिर्माण, परिवर्तन या मरम्मत के दौरान पुनरीक्षित प्राक्कलन मूल प्राक्कलन से 10 प्रतिशत से अधिक होना संभावित हो, तो वह आगे और इसकी पूर्व सूचना देगा. कार्य पूर्ण होन पर शासकीय सेवक, ऐसे कार्य की अन्तिम लागत और वह स्त्रोत जहां से कि वास्तविक रूप से निधि जुटाई गई थी उसके समर्थन में दस्तावेजों की, यदि कोई हो, प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेगा.

(3) प्रत्येक शासकीय सेवक जंगम संपत्ति के संबंध में उसके द्वारा या तो उसने स्वयं के नाम से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से अपने आप को आबद्ध किए गए प्रत्येक लेन-देन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करेगा, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 10000 रुपये से* अधिक हो या तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 5000 रुपये से* अधिक हो :

परन्तु विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ली जाय कि यदि कोई ऐसा लेन-देन,—

(एक) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका कि शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार हो; या

(दो) किसी नियमित या ख्याति व्यापारी की मार्फत न होकर अन्यथा हो;

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि॰ की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक दिनांक 25-5-2000 द्वारा किया गया जो म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ.

पूर्व प्रावधान में यह राशि क्रमशः रुपये 5000 एवं 2500 थी.

(c) other movable property inherited by him or similarly owned, acquired or held by him;.

(d) debts or other liabilities incurred by him directly or indirectly.

Note.—I. Sub-rule (1) shall not ordinarily apply to Class IV servants but the Government may direct that it shall apply to any such Government servant or class of such Government servants.

Note.—II In all returns, the value of items of movable property worth less than Rs. 1000.00 may be added and shown as a lump sum. The value of articles of daily use such as cloths, utensils, crockery, books etc. need not included in such return.

Note.—III Every Government servant who is in service on the date of the commencement of these rules shall submit a return under this sub-rule on or before such date as may specified by the Government after such commencement.

(2) No Government servant shall, except with the previous knowledge of the prescribed authority, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family :

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the Government servant if any such transaction is —

(i) with a person having official dealings with the Government servant; or

(ii) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(2-A) If a Government servant or, with his consent, tacit or otherwise during the term of his employment, any member of his family —

(1) Purchases any immovable property or gets any house owned by him whether in his own name or benami in the name of any other person erected, or re-erected, or

(2) Makes any alteration or repairs exceeding Rs. 5000.00 in any of the immovable property already, owned by him, whether in his own name or benami in the name of any other person or as the case may be, by any member of his family, such Government servant shall give prior intimation of such erection, re-erection, alteration or repairs, as the case may be, to the prescribed authority, disclosing the total amount estimated for the said acquisition, erection, re-erection, alteration or as the case may be, repairs and also disclose the source from which he, or as the case may be, the member of his family, proposes to raise the requird funds for the purposes. He shall further give prior intimation if during erection, re-erection, alteration or as the case may be, repairs, the revised estimates are likely to exceed by more than 10% of the original estimates. At the completion of the work, the Government servant shall furnish the final cost of such work and the source from which the funds were actually raised, with copies of documents, if any, in support thereof.

(3) Every Government servant shall report to the prescribed authority every transaction entered into by him either in his own name or in the name of a member of his family in respect of movable property, if the value of such property exceeds Rs. 10000.00* in the case of a Government servant, holding any Class I or Class II post or Rs. 5000.00* in the case of a Government servant holding any Class III or Class IV post :

Provided that the previous sanction of the perscribed authority shall be obtained if any such transaction is—

(i) with a person having official dealings with the Government servant; or

(ii) otherwise than through a regular or reputed dealer.

---

* Amended vide GAD Notification No. C-5-1-96-3-EK dated 25-5-2000 and published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000.

(3-क) "यदि कोई शासकीय सेवक या तो उप नियम (1) में विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या किसी वर्ष के लिये ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है, जो समस्त संपत्ति को प्रकट नहीं करता है, जिसका उपदर्शित किया जाना अपेक्षित है या अन्यथा ऐसी कोई संपत्ति छिपाता है तो उसे अवचार माना जावेगा."

(3-ख) "उप नियम (3-क) के अधीन अवचार के कारण की जा रही आनुशासनिक कार्यवाही में यह माना जाएगा कि संपत्ति जिसे विवरणी में सम्मिलित न किया गया हो या जिसका मूल्य गलत दर्शाया गया हो, इन नियमों के उल्लंघनकारी साधनों से उपार्जित की गई है. ऐसी कार्यवाही में यह सिद्ध करने का भार कि संपत्ति वैधत: उपार्जित की गई है, शासकीय कर्मचारी पर होगा."

(4) (एक) प्रशासन या विहित प्राधिकारी किसी भी समय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शासकीय सेवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके द्वारा या उसकी ओर से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा धारित या अर्जित की गई ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति के पूरे और सम्पूर्ण विवरण, जैसी कि आदेश में उल्लिखित की जाए, आदेश में उल्लिखित की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दें. ऐसे विवरण में उन साधनों के जिनके द्वारा या स्त्रोत के जिससे कि ऐसी संपत्ति अर्जित की गई थी, ब्यौरे दिये जायेंगे यदि शासन या विहित प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए.

(दो) यदि जंगम या स्थावर संपत्ति का, उसकी आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक होना पाया जाय, या किसी भी समय पाया गया हो, तो जब तक कि शासकीय सेवक द्वारा उसके विपरीत प्रमाणित न कर दिया जाय, यह धारणा की जायेगी कि वह अर्जन भ्रष्ट स्त्रोत से था.

(5) शासन तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों के किसी प्रवर्ग को उप नियम (4) को छोड़कर इस नियम के उपबंधों में से किसी भी उपबंध से छूट दे सकेगा, तथापि कोई भी ऐसी छूट शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के बिना नहीं दी जायेगी.

व्याख्या.—इस नियम के प्रयोजन के लिये —

(1) अभिव्यक्ति "जंगम संपत्ति" में सम्मिलित है —

(क) रत्नाभूषण (ज्वेलरी) बीमा पालिसिया, जिनका वार्षिक प्रीमियम 1,000.00 रुपये से या शासन से प्राप्त हुई संपूर्ण वार्षिक उपलब्धियों के एक छठवांश से, जो भी कम हो अधिक हो, अंश प्रतिभूतियां और ऋण-पत्र.

(ख) ऐसे शासकीय सेवकों द्वारा दिये गये ऋण, चाहे वे प्रतिभूति हों या नहो;

(ग) मोटरकारों, मोटर साइकिलों, घोड़े या सवारी के कार्य, अन्य साधन और

(घ) प्रशीतक (रेफ्रीजेरेटर्स) रेडियो और रेडियोग्राम.

*(ङ) टेलिविजन सेट तथा अन्य विद्युत् और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुऐं.

(2) "विहित प्राधिकारी" से तात्पर्य.—

(क) (एक) उस स्थिति को छोड़कर जबकि कोई निम्न प्राधिकारी किसी प्रयोजन के लिये शासन द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किया जाय, प्रथम श्रेणी के किसी पद को धारण करने वाले शासकीय सेवक की दशा में शासन.

(दो) द्वितीय श्रेणी के किसी पद को धारण करने वाले शासकीय सेवक की दशा में विभागाध्यक्ष.

(तीन) तृतीय श्रेणी के कीस पद को धारण करने वाले शासकीय सेवक की दशा में कार्यालय प्रमुख.

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-1000 द्वारा जोड़ा गया जो म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ.

(3-A) If a Government servant either fails to file a return prescribed in sub-rule (1) or files a return for any year which does not fully disclose all the property that is required to be indicated or otherwise conceals any such property it would amount to misconduct;

(3-B) In a disciplinary proceeding on account of misconduct under sub-rule (3-A) it shall be presumed that the property not included in the return or the value of which is incorrectly shown was acquired through means in contravention of these rules. In such proceeding the burden of proof of establishing that the property was acquired legitimately shall lie on the Government servant.

(4) (i) The Government or the prescribed authority may, at any time, by general or special order, require a Government servant to furnish, within a period specified in the order, a full and complete statement of such movable or immoable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order. Such statement shall, if so required by the Government or by the prescribed authority, include the details of the means by which or the source from which such property was acquired.

(ii) If, the movable and immovable property is; or at any time, was, found to be beyond his konwn sources of income, it shall be presumed, unless the contrary is proved by the Government servant, that the acquisition was from a corrupt source.

(5) The Government may exempt any category of Government servants belonging to Class III or Class IV from any of the provisions of this rule except sub-rule (4). No such exemption shall, however, be mde without the concurrence of the Government in the General Administration Department.

Explanation.—For the purpose of this rule—

(1) The expression "movable property" includes,—

(a) jewellery, insurance policies the annual premium of which exceeds Rs. 1000.00 or one-sixth of the total annual emoluments received from Government whichever is less, shares, securities and debentures;

(b) loans advanced by such Government servants whether secured or not;

(c) motor, cars, motor cycles, horses or any other means of conveyance; and

(d) refrigerators, radios; and radiograms

*(e) television sets and other electrical and electronic items.

(2) "Prescribed authority" means,—

(a) (i) the Government, of the case of a Government servant holding any Class I post, except where any lower authority is specifically specified by the Government for any purpose;

(ii) Head of Department, in the case of a Government servant holding any Class II post;

(iii) Head of Office, in the case of a Government servant holding any Class III or Class IV post;

* Inserted vide GAD Notification No. C-5-1-96-3-EK, dated 25-5-2000 and published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-5-2000.

(ख) किसी भी ऐसे शासकीय सेवक के संबंध में जो कि विदेश सेवा में हो या किसी अन्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर हो, वह मूल विभाग, जिसके कि संवर्ग (केडर) में ऐसा शासकीय सेवक रखा गया हो या शासन का वह प्रशासकीय विभाग, जिसके कि वह उस संवर्ग के सदस्य के रूप में, प्रशासकीय तौर पर अधीनस्थ हो.

20. **शासकीय सेवकों के कार्यों तथा चरित्र का निर्दोश सिद्ध किया जाना.**—(1) कोई भी शासकीय सेवक शासन को पूर्व मन्जूरी के बिना किसी भी ऐसे शासकीय कार्य को, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारक आक्षेप का विषय बन गया हो, निर्दोष सिद्ध करने के लिए किसी न्यायालय या समाचार पत्र का सहारा नहीं लेगा.

(2) इस नियम की कोई भी बात किसी शासकीय सेवक का, उसके निजी चरित्र या अपनी, निजी हैसियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को निर्दोष सिद्ध करने से प्रतिसिद्ध करती हुई नहीं समझी जायगी और जहां उसके निजी चरित्र या अपनी निजी हैसियत में उसके द्वारा किये गये किसी कार्य को निर्दोष सिद्ध करने के लिये कार्यवाही की गई हो, वहां शासकीय सेवक ऐसी कार्यवाही के बारे में विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

21. **अशासकीय या अन्य प्रभाव डालना.**—कोई भी शासकीय सेवक शासन के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों के विषय में अपने हितों की वृद्धि के लिये किसी वरिष्ठ प्राधिकारी परद्ध कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव न तो डालेगा और न डलवाले का प्रयत्न करेगा.

22. **द्विविवाह.**—(1) कोई भी शासकीय सेवक जिसकी कि पत्नी जीवित हो, शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा, भले ही ऐसा पश्चात्वर्ती विवाह तत्समय उसको लागू होने वाली वैयिक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय हो.

(2) कोई भी स्त्री शासकीय सेविका ऐसे किसी व्यक्ति से जिसकी कि पत्नी जीवित हो, शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना विवाह नहीं करेगी.

"(3) कोई भी शासकीय सेवक ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो कि महिला शासकीय सेवक के यौन उत्पीड़न की कोटि में आता हो. यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अशिष्ट, कामुक क्रियाकलाप सम्मिलित हैं :—

(क) शारीरित संपर्क तथा कामासक्त व्यवहार;

(ख) यौन सहमति की मांग या निवेदन;

(ग) कामासक्त फब्ती;

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना;

(ङ) कामासक्त प्रकृति का कोई भी अन्य अशिष्ट, शारीरिक, शाब्दिक या सांकेतिक आचरण."

(4) प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार तथा राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को अवचार माना जायेगा यदि उनमें से एक का जन्म 26-1-2001 को या उसके पश्चात् हो.

22-क. **अवचार की सामान्य धारणा.**—अवचार की सामान्य धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में अधिनियमित निर्देशों या प्रतिशेधों का उल्लंघन कर दिया गया कोई भी कृत या अकृत मध्यप्रदेश सिविल सेवा, (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अवचार माना जाएगा.

23. **मादक पेयों तथा औषधियों का उपभोग.**—शासकीय सेवक—

(क) मादक पेयों या औषधियों संबंधि किसी विधि का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यक् रूपेण पालन करेगा;

(b) in respect of a Government servant on foregin service or on deputation to any other Government, the parent department on the cadre of which such Government servant is borne or the administrative department of Government to which he is administratively subordinate as member of that cadre.

20. **Vindication of Acts and Character of Government Servants.**—(1) No Government servant shall, except with the previous sanction of the Government, have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticis or an attack of a defamatory character.

(2) Nothing in this rule shall be deemed to prohibit a Government servant from vindicating his private character or any act any act done by him in his privato capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the Government Servant shall submit a report to the prescribed authority regarding such action.

21. **Canvassing of Non-Official or other influence.**—No Government servant shall bring or attempt to bring may political or other influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Government.

22. **Bigamous, Marriages**—(1) No Government servant who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the Government notwithstanding that such, subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable, to him.

(2) No female Government servant shall marry any person who has a wife living without first obtaining the permission of the Government.

"(3) No Government servant shall do anything which may amount to sexual harrassment of women Government servant. Sexual harrassment include the following indecent erotic activities.—

(a) physical contact and lecherous behaviour,

(b) demand or request of and sexual consent,

(c) lecherous remarks,

(d) showing pornographic literature,

(e) any other indecent physical, verbal or gestural conduct of lecherous nature."

(4) Every Government servant shall observe the policies regarding family welfare of the Government of India and the State Government.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, Government Servant having more than two children shall be deemed to be misconduct, if one of them is born on or after 26-1-2000".

22-A. **General concept of Mis conduct.**—Without prejudice to the generality of the concept of mis-conduct, any act or ommission in breach of directions or prohibition enacted in these rules shall amount to mis-conduct punishable under the M. P. Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.

23. **Consumption of intoxicating drinks and drugs.**—A Government servant shall—

(a) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being;

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोई मादक पेय या औषधि नहीं पीयेगा और न उसके प्रभाव में रहेगा;

(ग) किसी भी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा;

(घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासक्त अति उपयोग नहीं होगा;

*स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर (जिसमें कोई वाहन सम्मिलित है), जिसमे जनता का संदाय करने पर या अन्यथा प्रवेश है या प्रवेश के लिए अनुज्ञाक है."

* 23-क 14 **वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध.**—कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा.

24. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो, तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

25. **शक्तियों का प्रत्योयोजन.**—शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इन नियमों के अधीन उसके द्वारा किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोक्तव्य कोई भी शक्ति (नियम 23 तथा इन नियमों के अन्तर्गत शक्ति को छोड़कर) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसी कि आदेश में उल्लिखित की जाय, ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी जो कि उस आदेश में उल्लिखित किया जाय.

26. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन निमयों के अनुरूप कोई भी नियम, जो कि इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों तथा उन शासकीय सेवकों को लागू हो जिनको कि ये नियम लागू होते हों, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानीय उपबन्धों के अधीन दिया गया या की गई समझी जायगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ल. सरजे, अपर सचिव.

---

* यह संशोधन सा. प्र. वि. की अधिसूचना क्र. सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000 द्वारा जोड़ा गया जो म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-5-2000 में प्रकाशित हुआ.

(b) neither take any intoxicating drink or durg nor shall remain under the influence of it at the time of the performance of his duties;

(c) not appear in a public place in a state of intoxication;

(d) not habitually use any intoxacating drink or drug to excess.

*"Explanation.—For the purpose of this rule "Public Place" means any place or premises (including a conveyance) to which the public have, or are permitted to have, access, whether on payment or otherwise."

*23-A **Prohibition regarding employment of children below 14 years of age.**—No Government servant shall employ to work any child below the age of 14 years.

24. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

25. **Delegation of powers.**—The Government may, by general or special order, direct that any power exercisable by it or any head of department under these rules (except the power under rule 23 and this rule) shall subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, be excercisable also by such officer or authority as may be specified in the order.

26. **Repeal and saving.**—Any rules corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules and applicable to Government servants to whom these rules apply are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. B. SARJE, Additional Secretary.

* This Amemendment inserted *vide* GAD Notificaiton No. C-5-1-96-3-EK, dated 25-5-2000 and published in M. P. Gazette (Extraordinayr) dated 25-5-2000.

भाग–2

[मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत समय-समय पर किये गये संशोधन]

(दिनांक 25-5-2000 तक)

भाग-2

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत समय-समय पर किये गये संसाधनों की सूची

स. क्र.	अधिसूचना क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	क्र. 370-सी-आर-309 एक (3)-72, दिनांक 29-6-1972	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन (क्रमांक 1)	18
2.	एफ सी-5-1-83-3-एक दिनांक 7-12-1983	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन (क्रमांक 2)	19
3.	एफ-सी-5-2/85/3/1 दिनांक 25-4-1986	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन (क्रमांक 3)	22
4.	एफ-सी-4-1-87-3-उनन्चास, दिनांक 19-9-1988	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन (क्रमांक 4)	24
5.	एफ-सी-5-1-96-3-एक, दिनांक 25-5-2000	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन (क्रमांक 5)	26

संशोधन क्र. 1

[मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 4 (ग), दिनांक 28 जुलाई 1972 में प्रकाशित]

भाग 4 (ग)

अन्तिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 29 जून 1972

क्र. 370-सी. आर.-309-एक (3)-72.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में :—

(1) नियम 14 के उपनियम (2) की तीसरी पंक्ति में "उहार की रिपोर्ट" शब्द के बाद "उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अंदर" शब्द जोड़ा जाए;

(2) नियम 14 के उपनियम (3) की तीसरी पंक्ति में "उपहार की रिपोर्ट" शब्द के बाद "उपहार प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर" शब्द जोड़ा जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हनुमन्तराव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 1972

क्र. 371-एक (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 370-सी. आर.-309-एक (3)-72, तारीख 29 जून 1972 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वार प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हनुमन्तराव, सचिव.

Bhopal, the 29th June 1972

No. 370-CR-309-I (3)-72.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Serivces (Conduct) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENTS

In the said Rules—

(1) in sub-rule (2) of rule 14, after the words "make a report" occuring in the fourth line, the words "within a period of one month from the date of receipt of the gift" shall be added;

(2) in sub-rule (3) of rule 14, after the words "make a report" occuring in the third line, the words "within a period of one month form the date of receipt of the gift" shall be added.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. H. RAO, Secy.

[मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 4 (ग), दिनांक 23 दिसम्बर 1983 में प्रकाशित]

भाग 4 (ग)

अन्तिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1983

एफ. क्र. सी-5-1-83-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 14 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(5) कोई भी शासकीय सेवक पेयी अकाउन्ट चैक के माध्यम से सिवाय रुपये 2,000 से अधिक का कोई उपहार नकदी में स्वीकार नहीं करेगा या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा."

2. नियम 17 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(5) कोई भी शासकीय सेवक पेयी अकाउन्ट चैक के माध्यम से सिवाय रुपये 2,000 से अधिक की धनराशि उधार नहीं लेगा."

3. नियम 19 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"(2-क) यदि कोई शासकीय सेवक या उसके नियोजन की अवधि के दौरान उसकी सम्मत्ति से, मौनता से, या अन्यथा उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य—

(1) कोई स्थावर संपत्ति क्रय करता है या अपने स्वामित्व में के किसी गृह को चाहे अपने स्वयं के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बेनामी रूप से निर्मित या पुनर्निर्मित करता है, या

(2) पूर्व से ही अपने स्वामित्व की स्थावर संपत्ति में से किसी में भी चाहे अपने द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बेनामी रूप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के द्वारा जैसी भी स्थिति हो रु. 5000 से अधिक का कोई परिवर्तन या मरम्मत करता है,

तो ऐसा शासकीय सेवक, यथास्थिति, ऐसे निर्माण पुनःनिर्माण, परिवर्तन या मरम्मत की पूर्व सूचना यथास्थिति उक्त अर्जन, निर्माण, पुनः निर्माण, परिवर्तन या मरम्मत के लिये प्राक्कलित कुल रकम को प्रगट करते हुए विहित प्राधिकारी को देगा और वह स्त्रोत, जहां से कि यथास्थिति वह या उसके परिवार का सदस्य इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित निधि जुटाना प्रस्तावित करता है, भी प्रगट करेगा. यदि यथास्थिति, निर्माण, पुनः निर्माण, परिवर्तन या मरम्मत के दौरान पुनरीक्षित प्राक्कलन, मूल प्राक्कलन से 10 प्रतिशत से अधिक होना संभावित हों, तो वह आगे और इसकी भी पूर्व सूचना देगा. कार्य पूर्ण होने पर शासकीय सेवक ऐसे कार्य की अंतिम लागत और वह स्त्रोत जहां से कि वास्तविक रूप से निधि जुटाई गई थी, उसके समर्थन में दस्तावेजों की, यदि कोई हों, प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेगा."

4. नियम 19 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किये जायें, अर्थात् :—

"(3-क) यदि कोई शासकीय सेवक या तो उपनियम (1) में विहित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या किसी वर्ष के लिये ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है, जो उस समस्त संपत्ति को प्रगट नहीं करता है जिसका कि उपदर्शित किया जाना अपेक्षित है या अन्यथा ऐसी कोई संपत्ति छिपाता है, तो उसे अवचार माना जायगा.

(3-ख) उपनियम (3-क) के अधीन अवचार के कारण की जा रही आनुशासनिक कार्यवाही में यह माना जाएगा कि वह संपत्ति, जिसे विवरणी में सम्मिलित न किया गया हो या जिसका मूल्य गलत दर्शाया गया हो, इन नियमों के उल्लंघनकारी साधनों से उपार्जित की गई है. ऐसी कार्यवाही में यह सिद्ध करने का भार कि संपत्ति वैधत: उपार्जित की गई है, शासकीय कर्मचारी पर होगा."

5. नियम 22 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ा जाय, अर्थात् :—

"(22-क) अवचार की सामान्य धारण.—अवचार की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों में अधिनियमित निर्देशों या प्रतिषेधों का उल्लंघन कर किया गया कोई भी कृत या अकृत (मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन दंडनीय अवचार माना जाएगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्हे सिंह, विशेष सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 1983

एफ. क्र. सी-5-1-83-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-5-1-83-3-एक, दिनांक 7 दिसम्बर 1983 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एन. श्रीवास्तव, विशेष सचिव.

Bhopal, the 7th December 1983

F. No. C-5-1-83-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the follwong further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. after sub-rule (4) of rule 14, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(5) No Government servant shall accept or permit any member of his family or any person acting on his behalf or on behalf of any member of his family to accept, any gift in cash exceeding Rs. 2000 except through a payee account cheque."

2. after sub-rule (4) of rule 17, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(5) No Government servant shall borrow money exceeding Rs. 2000 except through a payee account cheque."

3. after sub-rule (2) of rule 19, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2-A) If a Government servant or, with his consent, tacit or otherwise during the term of his employment any member of his family —

(1) purchases any immovable property or gets any house owned by him whether in his own name or benami in the name of any other person erected, or re-erected, or

(2) makes any alteration or repairs exceeding Rs. 5000 in any of the immovable property already owned by him, whether in his own name or benami in the name of any other person or as the case may be, by any member of his family; such Government servant shall give prior intimation of such

erection, re-erection, alteration or repairs, as the case may be, to the prescribed authority, disclosing the total amount estimated for the said acquisition, erection, re-erection, alteration or as the case may be, repairs and also disclose the source from which he, or as the case may be, the member of this family, proposes to raise the required funds for the purpose. He shall further give prior intimation if during erection, re-erection, alteration or as the case may be, repairs, the revised estimates are likely to exceed by more than 10% of the original estimates. At the completion of the work, the Government servant shall furnish the final cost of such work and the source from which the funds were actually raised, with copies of documents, if any, in support thereof."

4. after sub-rule (3) of rule 19, the following sub-rules shall be inserted, namely :—

"(3-A) If a Government servant either fails to file a return prescribed in sub-rule (1) or files a return for any year which does not fully disclose all the property that is required to be indicated or otherwise conceals any such property it would amount to misconduct;

(3-B) In a disciplinary proceeding on account of misconduct under sub-rule (3-A) it shall be presumed that the property not included in the return or the value of which is incorrectly shown was acquired through means in contravention of these rules. In such proceeding the burden of proof of establishing that the property was acquired legitimately shall lie on the Government servant."

5. after rule 22, the following rule shall be inserted, namely :—

"22-A. General concept of mis-conduct.—without prejudie to the generality of the concept of misconduct, any act or ommission in breach of directions or prohibition enated in these rules shall amount to mis-conduct punishable under the M. P. Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NANHY SINGH, Spl.Secy.

संशोधन क्र. 3

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल, 1986

एफ. क्रमांक सी. 5-2/85/3/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्‌द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में;

(1) नियम 14 में,—

(क) उपनियम (2) में,—

(एक) खंड (एक) में, अंक "500.00" के स्थान पर अंक "1500.00"

(दो) खंड (दो) में, अंक "250.00" के स्थान पर अंक "700.00" और

(तीन) खंड (तीन) में, अंक "100.00" के स्थान पर अंक "250.00".

स्थापित किये जाय.

(ख) उपनियम (3) में,—

(एक) खंड (एक) में, अंक "200.00" के स्थान पर अंक "500.00"

(दो) खंड (दो) में, अंक "100.00" के स्थान पर अंक "200.00" और

(तीन) खंड (तीन) में, अंक "50.00" के स्थान पर अंक "100.00"

स्थापित किये जाय.

(ग) उपनियम (4) में,—

(एक) खंड (एक) में, अंक "75.00" के स्थान पर अंक "200.00" और

(दो) खंड (दो) में, अंक "25.00" के स्थान पर अंक "50.00"

स्थापित किये जाय.

(2) नियम 19 में, उपनियम (3) में,—

(एक) अंक "1,000.00" के स्थान पर अंक "2,000.00" और

(दो) अंक "500.00" के स्थान पर अंक "1,000.00"

स्थापित किये जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(के. एन. श्रीवास्तव)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bhopal, dated the 25the April, 1986

F. No. C-5/2/85/3/1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (conduct) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) in rule 14,—

(a) in sub rule (2),—

(i) in clause (i), for the figures "500.00", the figures "1500.00",

(ii) in clause (ii), for the figures "250.00", the figures "700.00", and

(iii) in clause (iii), for the figures "100.00" the figures "250.00", shall be substituted.

(b) in sub rule (3),—

(i) in clause (i), for the figures "200.00" the figures "500.00",

(ii) in clause (ii), for the figures "100.00" the figures "200.00 and

(iii) in clause (iii), for the figures "50.00" the figures "100.00", shall be substituted.

(c) in sub rule (4),—

(i) in clause (i), for the figures "75.00" the figures "200.00", and

(ii) in clause (ii), for the figures "25.00" the figures "50.00", shall be substituted.

(2) in rule 19, in sub rule (3),—

(i) for the figures "1000.00" the figures "2000.00", and
(ii) for the figures "500.00" the figures "1000.00", shall be substituted.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh
Sd./-
(K. N. SHRIVASTAVA),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

संशोधन क्र. 4

[मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 4 (ग) दिनांक 14 अक्टूबर 1988 में प्रकाशित]

भाग 4 (ग)

अन्तिम नियम

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1988

एफ. क्र. सी-4-1-87-3-उनन्चास.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 19 में,—

(1) उपनियम (2) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु, शासकीय सेवक द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी उस दशा में अभिप्राप्त की जायेगी, जबकि ऐसा कोई लेन-देन ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार है."

(2) उपनियम (3) में,—

(क) अंक "2000.00" के स्थान पर अंक "5000.00" और

(ख) अंक "1000.00" के स्थान पर अंक "2500.00" स्थापित किए जाए.

(3) उपनियम (3) में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु, शासकीय सेवक द्वारा विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी उस दशा में अभिप्राप्त की जायेगी, जबकि ऐसा कोई लेन-देन ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार है."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1988

एफ. क्र. सी-4-1-87-3-उनन्चास.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. सी-4-1-87-3-उनन्चास, दिनांक 19 सितम्बर 1988 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एन. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 19th September 1988

F. No. C-4-1-87-3-XLIX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 19,—

(1) In sub-rule (2), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the Government Servant is any such transaction is with a person having official dealings with him."

(2) In sub-rule (3),—

(a) for the figures "2000.00", the figures "5000.00"; and

(b) for the figures "1000.00", the figures "2500.00" shall be substituted.

(3) In sub-rule (3), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the Government Servant if any, such transaction is with a person having official dealings with him."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. N. SHRIVASTAVA, Dy.Secy.

[मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण) क्रमांक 335, दिनांक 25 मई 2000 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2000

एफ. क्र. सी-5-1-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 1 के उपनियम (3) के द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाए.

2. नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"3 (क) तत्परता तथा शिष्ट व्यवहार—

कोई भी शासकीय सेवक—

(क) अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करेगा,

(ख) जनता के साथ अपने पदीय संव्यवहार में या अन्यथा विलंबकारी कार्यनीति नहीं अपनाएगा और उसे सौंपे गए कार्य को निपटाने में जानबूझकर विलंब नहीं करेगा,

(ग) ऐसा कुछ नहीं करेगा जो अनुशासनहीनता का द्योतक हो,

(घ) शासकीय आवास को, जो उसे आवंटित किया गया है, उप भाड़े पर नहीं देगा, पट्टे पर नहीं देगा या किसी व्यक्ति द्वारा अधिलाभ के लिए अधिभोग या उपयोग को अन्यथा अनुज्ञात नहीं करेगा.

3 (ख) शासन की नीतियों का पालन—

प्रत्येक शासकीय सेवक, समस्त समय पर—

(क) विवाह की आयु, पर्यावरण के परिरक्षण, वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित शासन की नीतियों के अनुसार कार्य करेगा,

(ख) महिलाओं के विरुद्ध अपराध के निवारण से संबंधित शासन की नीतियों का पालन करेगा."

3. नियम 9 में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"प्रेस तथा अन्य मीडिया से संबंध"

(दो) उप-नियम (1) में शब्द "प्रकाशन" के स्थान पर शब्द "प्रकाशन तथा कोई अन्य मीडिया" स्थापित किया जाए;

(तीन) उप-नियम (2) में शब्द "रेडियों प्रसारण" के स्थान पर शब्द "कोई अन्य मीडिया प्रसारण" स्थापित किया जाए.

4. नियम-10 में शब्द "रेडियों प्रसारण (ब्राडकास्ट)" के स्थान पर शब्द "रेडियो प्रसारण (ब्राडकास्ट) या अन्य मीडिया प्रसारण" स्थापित किए जाएं.

5. नियम 12 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में जोड़ा जाए, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण.—किसी शासकीय सेवक द्वारा (किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के समक्ष या अन्यथा अपने अभ्यावेदन में) किसी पत्र, परिपत्र या कार्यालय ज्ञापन या किसी अन्य शासकीय दस्तावेज का या उससे या किसी ऐसी फाइल के टिप्पणों से उद्धरण देना, जिस तक पहुंच के लिए वह प्राधिकृत नहीं है या जिसे वह अपनी वैयक्ति अभिरक्षा में या वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए रखने हेतु प्राधिकृत नहीं है, इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत जानकारी की अप्राधिकृत संसूचना की कोटि में आएगा."

6. नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(16) प्राइवेट कारबार या नियोजन :—

(1) कोई शासकीय सेवक, उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना—

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह कोई कारबार या व्यापार नहीं करेगा; या

(ख) कोई अन्य सेवा नहीं करेगा; या

(ग) किसी निकाय में, चाहे वह निगमित निकाय या अनिगमित निकाय हो, कोई पद धारण नहीं करेगा या किसी निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी/किन्हीं अभ्यर्थियों के लिए प्रचार नहीं करेगा; या

(घ) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वामित्व की या उसके द्वारा प्रबंधित किसी बीमा कंपनी, कमीशन एजेन्सी आदि के किसी कारबार के समर्थन में प्रचार नहीं करेगा; या

(ङ) अपने पदीय कर्तव्यों के संबंध में के सिवाय, किसी बैंक या किसी अन्य कंपनी के, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए स्थापित किसी सहकारी सोसाइटी के संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग नहीं लेगा.

(2) कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किये बिना :—

(क) किन्हीं भी सामाजिक या खैराती (चेरिटेबिल) प्रकृति के क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ख) किन्हीं भी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के यदा-कदा होने वाले क्रियाकलापों में भाग ले सकेगा; या

(ग) खेल-कूद के क्रियाकलापों में अध्यवसायी के रूप में भाग ले सकेगा; या

(घ) साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्व सोसाइटी या क्लबों या उसी प्रकार के अन्य संगठनों के (जिसमें कि कोई निर्वाचन पद धारण करना अंतर्वलित न हो) रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में, जिनके कि लक्ष्य या उद्देश्य खेलों/क्रीड़ाओं से संबंधी क्रियाकलापों या सांस्कृतिक अथवा आमोद-प्रमोद की प्रकृति के ऐसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देने से

संबंधित हों, और जो कि मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये गये हों, भाग ले सकेगा; या

(ङ) किन्हीं ऐसी सहकारी सोसाइटियों के, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों और जो कि सारभूत रूप से शासकीय सेवकों के फायदे के लिए स्थापित की गई हों (जिसमें कोई निर्वाचन पद धारण करना अंतर्वलित न हो), रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्तन या प्रबंध में भाग ले सकेगा :

परन्तु—

(एक) वह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेना बंद कर देगा यदि शासन द्वारा उसे इस प्रकार निर्देशित किया गया हो; और

(दो) इस उपनियम के खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन आने वाले मामलों में, उसके पदीय कर्तव्य प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होंगे तथा वह ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने के पश्चात् एक मास के भीतर उसके भाग लेने की प्रकृति का ब्यौरा देते हुए, शासन को रिपोर्ट भेजेगा;

(3) यदि किसी शासकीय सेवक के कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी कारबार या व्यापार में लगा हुआ है या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी बीमा कंपनी या कमीशन एजेन्सी का स्वामित्व रखता है या उसका प्रबंध करता है तो वह शासन को रिपोर्ट देगा;

(4) शासन के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा, जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, कोई भी शासकीय सेवक किसी प्राइवेट संस्था या लोक निकाय या प्राइवेट व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए, प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना, कोई विहित फीस स्वीकार नहीं करेगा;

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शब्द "फीस" का वही अर्थ होगा जो कि मध्यप्रदेश फण्डामेण्टल रूल्स के नियम 46 (ए) में उसके लिए दिया गया है.

7. नियम 17 में, उपनियम (4) के खण्ड (एक) के विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"परन्तु यह ओर भी कि इस उपनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात शासन के पूर्व अनुमोदन से किसी शासकीय सेवक द्वारा किये गये किन्हीं संव्यवहारों को लागू नहीं होगी."

8. नियम 19 में,—

(एक) उपनियम (3) में शब्द तथा अंक "रु. 5000=00" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रु. 10,000=00" तथा शब्द तथा अंक "रु. 2500=00" के स्थान पर शब्द तथा अंक "रु. 5000=00" स्थापित किए जाएं.

(दो) उपनियम (5) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (1) में, उपखण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ङ) टेलिविजन सेट तथा अन्य विद्युत् और इलेक्ट्रानिक वस्तुएं."

9. नियम 22 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :—

"(3) कोई भी शासकीय सेवक ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जो कि महिला शासकीय सेवक के यौन उत्पीड़न की कोटि में आता हो. यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित अशिष्ट, कामुक क्रियाकलाप सम्मिलित हैं :—

(क) शारीरिक संपर्क तथा कामासक्त व्यवहार;

(ख) यौन सहमति की मांग या निवेदन;

(ग) कामासक्त फब्ती;

(घ) अश्लील साहित्य दिखाना;

(ङ) कामासक्त प्रकृति का कोई भी अन्य अशिष्ट, शारीरिक, शाब्दिक या सांकेतिक आचरण."

(4) प्रत्येक शासकीय सेवक भारत सरकार तथा राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करेगा.

स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को अवचार माना जायेगा यदि उनमें से एक का जन्म 26-1-2001 को या उसके पश्चात् हो.

10. नियम 23 के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण.**—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर (जिसमें कोई वाहन सम्मिलित है), जिसमें जनता का संदाय करने पर या अन्यथा प्रवेश है या प्रवेश के लिए अनुज्ञात है."

11. नियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"23-क. 14 वर्ष कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध.

कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. व्ही. ग्वालियरकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई, 2000

क्र. सी-5-1-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-5-1-1996-3-एक, दिनांक 25 मई 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. व्ही. ग्वालियरकर, उपसचिव.

Bhopal, the 25th May 2000

No. F-C-5-1-96-3-EK.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) The second proviso to sub-rule (3) of rule 1 shall be omitted.

(2) After rule 3, the following rules shall be inserted, namely :—

"3-A. Promptness and courteous behaviour:—

No Government servant shall,—

(a) act discourteously in the performance of his/her official functions;

(b) adopt deletory tactics in his/her official dealing with the public or otherwise and shall make deliberate delay in disposing of the work assigned to him;

(c) do nothing which denote indiscipline;

(d) sub-let, lease or otherwise allow occupation or use for gain by any person of Government accomodation which has been allotted to him.

3-B Observance of Government's Policies :—

Every Government Servant shall, at all times—

(a) act inaccordance with the Government's policies regarding age of marriage, preservation of environment, protection of wildlife and cultural heritage;

(b) observe the Government's policies regarding prevention of crime against women.".

3. In rule 9,—

(i) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely :—

"Connection with press and other media."

(ii) in sub-rule (1) for the word "publication" the words "publication and any other media" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (2) for the words "a radio broadcast" the words "any other media broadcast" shall be substituted.

4. In rule 10 for the words "radio broadcast" the words "radio broadcast or other media broadcast" shall be substituted.

5. In rule 12, the following explanation shall be added at the end, namely :—

"**Explanation.**—Quotation by a Government servant (in his representation before any Court or Tribunal or any authority or otherwise) of, or from any letter, circular or office memorandum or any other official document or from the notes of any file to which he is not authorised to have access, or which he is not authorised to keep in his personal custody or for personal purposes, shall amount to unauthorised communication of information within the meaning of this rule."

6. For rule 16, the following rule shall be substituted, namely :—

"16. Private business or employment—

(1) No Government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (2), without prior approval of the Government—

(a) engage himself/herself in any business or trade, directly or indirectly; or

(b) do any other service; or

(c) hold any post in any body, whether it be a corporate body or non-corporate body, or canvass for any candidate/candidates for any election; or

(d) canvass in support or any business of any insurance company, commission agency etc. owned or managed by any member of his/her family; or

(e), except in connection with his official duties, take part in promoting or managing any bank or any other company, which is registered under the companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) or under any other law for the time being in force or any co-operative society established for commercial purposes.

(2) Any Government servant may, without obtaining prior permission of the Government—

(a) take part in any activities of social or charitable nature; or

(b) take part in any occasional activities of literary, artistic or scientific nature; or

(c) take part in sports activities as an amateur; or

(d) take part in the registration, promotion, or management of any literary, scientific or charitable society or clubs or similar other organisations (wherein holding of any election post is not involved), whose aims or objects relate to promotion of any games/ sports activities or activities of cultural or recreational nature and which are registered under the Madhya Pradesh Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) or under any other law for the time being in force, or;

(e) take part in the registration, promotion or management of any co-operative societies which are registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) or under any other law for the time being in force and which are established substantially for the benefit of the Government servant (wherein holding of any election post is not involved).

provided that—

(i) he/she shall stop taking part in such activities, if he/she is directed to do so by the Government; and

(ii) in the cases coming under clause (d) and (e) of this sub-rule, his/her official duties shall not be affected adversely within one month after taking part in such activities he/she shall send a report to the Government giving the particulars of the nature of his/her participation;

(3) If any member of the family of any Government servant is engaged in any business or trade or if any member of his/her family owns or manages any insurance agency or commission agency, he/she shall report to the Government;

(4) Unless otherwise provided by any general or special orders of the Government, no Government servant shall accept any prescribed fee if for any work done by him/her in any private institution or public body or private person, without obtaining approval of the authority.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, the word "fee" shall have the same meaning as assigned to it in rule 48 (a) of the Madhya Pradesh Fundamental Rules."

7. In rule 17, after the existing proviso to clause (i) of sub-rule (4) the following proviso shall be inserted namely :—

"Provided further that nothing contained in this sub-rule shall apply to any transactions done by any Government servant with the prior approval of the Government."

8. In rule 19,—

(i) in sub-rule (3) for the words and figures "Rs. 5000.00" the words and figures "Rs. 10,000/-" and for the words and figures "Rs. 2500.00" the words and figures "Rs. 5000/-" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (5), in the explanation, in clause (1), after sub-clause (d), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(e) Television sets and other electrical and electronic items."

9. After sub-rule (2) of rule 22, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) No Government servant shall do anything which may amount to sexual harrassment of women Government sevant. Sexual harrassment include the following indecent erotic activities—

(a) physical contact and lecherous behaviour,

(b) demand or request of sexual consent;

(c) lecherous remarks,

(d) showing pornographic literature,

(e) any other indecent physical, verbal or gestural conduct of lecherous nature."

(4) Every Government servant shall observe the policies regarding family welfare of the Government of India and the State Government.

Explanation.—For the purpose of this sub-rule, government servant having more than two children shall be deemed to be misconduct, if one of them in born on or after 26-1-2001."

10. After clause (d) of rule 23 the following explanation shall be inserted, namely :—

"**Explanation.**—For the purpose of this rule "Public Place" means any place or premises (including a conveyance) to which the public have, or are permitted to have, access, whether on payment or otherwise."

11. After rule 23, the following rule shall be inserted, namely :—

"23-A **Prohibition regarding employment of children below 14 years of age.**

No Government servant shall employ to work any child below the age of 14 years."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. V. GWALIORKAR, Dy. Secy.

भाग-3

[मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अन्तर्गत समय-समय पर जारी निर्देश]

(दिनांक 27-9-2000 तक)

भाग-3
आचरण नियमों से संबंधित जारी किये गये निर्देश

स. क्र. (1)	ज्ञाप क्रमांक एवं दिनांक (2)	विषय (3)	पृष्ठ क्रमांक (4)
1.	No. 9019-5116-I, Dated 8-7-1957	Oppertunities for Government Servants to improve their educational qualifications.	40
2.	No. 4826-1540-I, Dated 12-6-1958	Prohibition of Government Servants from biding (Either privately or by proxy) at Government auctions.	41
3.	No. 7190-9221-I/57, Dated 8-9-1958	Public demonstrations in honour of Government Servants Clarification of provions contained in Government Servant's Conduct Rules.	42
4.	क्र. 6644/748/1(3)/9, दिनांक 16-4-1969	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन (अनावरण) शिलान्यास आदि.	43
5.	No. 1680-2375/I (iii), Dated 6-8-1959	Transfers and postings of Government Servants	44
6.	No. 1933-1505-I (iii) 60, Dated 27-8-1960	The M. P. Government Servants (conduct) Rules, 1959 Rule 18 (3)—Immovable property form of return Prescription of and instructions regarding.	45
7.	No. 413-268-I (iii)/60, Dated 9-2-1961	Dealings of a Government Servant with a registered Co-operative Society.	48
8.	No. 614-1131-I (iii)/60 Dated 27-2-1961	Purchase and disposal of immovable property by Government Servants.	49
9.	No. 1482-945-I (iii)/61, Dated 6-6-1961	Plural marriages Requests of Government Servants for permission to remarry while first wife is still living.	50
10.	No. 2412/1270-I (iii) 61, Dated 22-9-1961	Permission for attending classes in educational institution and taking higher examinations.	51
11.	No. 204/49/1 (iii), Dated 25-1-1962	Immovable property Transactions relating to	52
12.	No. 1568/1044/I (iii) Dated 18-7-1962	Government Servants role in the eradication of untouchability.	53
13.	No. 1857/CR-227/I (iii), 62 Dated 22-8-1962	Immovable property Transactions relating to	55
14.	No. 2351/1734-I (iii) 62, dated 9-11-1962	Immovable property returns prescribed under the Conduct Rules Maintenance of	56

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	No. 137/1988/I (iii) 64, Dated 15-1-1965	Recognition of Technical and Professional Qualifications.	57
16.	क्र. 1950/2521/1 (3)/ 85, दिनांक 15-9-1965	म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत मकान बनाने या उसका विस्तार करने के लिये जमीन व सामान खरीदने की सूचना विहित प्राधिकारी को देने के लिये फार्म.	59
17.	No. 279-272-I (iii) /65, Dated 5-2-1966	Transfers and postings of Government Servants	63
18.	No. 2093/3626/I (iii) /66, Dated 14-10-1966	Seeking redress in courts of law by Government Servants of grievances arising out of their employment or conditions of service.	64
19.	No. 2904/3763/I (iii)/ 66 Dated 23-12-1966	Association of Government Servants with the activities of R. S S. S./Jamaat-e-Islami.	65
20.	24930/2992/एक/3 22-11-1968	शासकीय सेवकों द्वारा जंगम और स्थावर संपत्ति खरीदी और बिक्री करने के लिये प्रक्रिया.	66
21.	6644/748/1(3)/69 16-4-1969	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि	67
22.	420/1019/1/(3) 9-6-1969	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत से जंगम संपत्ति के लेन-देन करने के संबंध में अनुदेश	68
23.	1575/1964/एक/(3) 27-9-1969	शासकीय कर्मचारियों द्वारा बिना अनुमति के मुख्य मंत्री जी से अपने सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में मुलाकात करने के बारे में अनुदेश.	69
24.	555/220/एक/(3) 20-2-1970	शासकीय सेवकों द्वारा अभ्यावेदनों की प्रतियां ऐसे अधिकारियों को भेजना जिनका उन पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण न हो.	70
25.	1272/प्रसको/70 12-11-1970	शासकीय सेवकों द्वारा राजनितिज्ञों द्वारा प्रभाव डालना	71
26.	460/सी. आर./396/एक/(3) 28-8-1971	विभागीय जांचों में गवाही के लिये शासकीय सेवकों की उपस्थिति.	72
27.	489/475/1/(3)/71 8-9-1971	शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय आवास गृहों को स्थानांतर के बाद खाली न करना.	73
28.	527/567/1/(3)/71 23-9-1997	शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ के कार्य कलापों में भाग लेने संबंधी.	74

(1)	(2)	(3)	(4)
29.	535/555/1/(3)/71 24-9-1971	मध्यप्रदेश वेतन आयोग को विभागों द्वारा जानकारी का तत्काल प्रदाय किया जाना.	75
30.	375/सी. आर./309/1/(3) 30-6-1972	निकट संबंधियों से प्राप्त उपहार की सूचना देना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965	76
31.	410/462-1/1/(3)/72 13-7-1972	शासकीय सेवकों द्वारा बिना शासन की अनुमति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधी.	77
32.	498/629/एक/(3)/72 23-8-1972	सरकारी कर्मचारियों का अखिल भारतीय मजदूर संघ के कार्य कलापों के साथ साहचर्य.	78
33.	542/सी. आर./353/एक/(3) 14-9-1972	शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक संस्थाओं से संबंध न रखने बाबत्.	79
34.	830/सी. आर.423/1/(3)/72 19-9-1972	शासकीय सेवकों का विदेशी मिशनों/विदेशी सांस्कृतिक संगठनों/विदेशी नागरिकों के संपर्क रखने के संबंध में अनुदेश.	80
35.	एम-15/147/73/4/1 7-8-1973	शासकीय कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिकाओं पर शासकीय अधिकारियों के नाम न लिखे जाने के संबंध में.	84
36.	सी/(13)-14/73/3/1 24-8-1973	सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में.	85
37.	अर्द्ध शा. प. क्र. 1796/मुस/73 7-12-1973	सार्वजनिक समारोह, उद्‌घाटन, शिलान्यास समारोह आदि में शासकीय कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के संबंध में.	86
38.	174/278/एक/(3)/74 7-3-1974	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेश का पालन करना.	87
39.	5-1/74/3/1 15-5-1974	शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ प्रांत संघ के कार्य कलापों में भाग लेने संबंधी आदेश को निरस्त करना.	88
40.	5-3/74/3/1 3-9-1974	शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में.	89
41.	5-3/74/3/1 30-4-1975	शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में.	90
42.	713/75 28-7-1975	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दूध बेचने का धंधा करने पर रोक लगाने के बारे में.	91
43.	576/1719/1/(3)/75 25-8-1975	शासकीय सेवकों द्वारा गैर कानूनी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में निर्देश.	92

(1)	(2)	(3)	(4)
44.	800/1267/1/(3) 5-11-1975	शासकीय सेवकों के प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल आदि पर प्रतिबंध.	95
45.	256/मुस/76 8-4-1976	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास बाबत्	96
46.	5-6/77/3/1 4-7-1977	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानांतर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना.	97
47.	5-6/77/3/1 29-7-1979	शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानांतर, पदस्थापना इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना.	99
48.	5-1/77/3/1 1-10-1977	अ. जा. तथा अ. ज. जा. के व्यक्तियों के साथ शासकीय सेवकों का व्यवहार.	101
49.	171/52/1/(3)/81 16-4-1981	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमाएत-ए-इस्लामी के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में.	102
50.	173/165/1/(3)/81 16-4-1981	शासकीय कर्मचारियों को "आनन्द मार्ग" के कार्यकलापों के साथ साहचर्य.	104
51.	2259/1665/1/(4)/81 23-4-1981	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि के संबंध में.	106
52.	एम-23-27/81/4/1 5-12-1981	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि के संबंध में.	107
53.	सी/5-1/83/3/एक 1-11-1983	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 नियम 19 (4) अचल संपत्ति का विशेष विवरण (Special Return) प्रस्तुत करने के संबंध में.	108
54.	सी/3-30/84/3/1 15-11-1984	शासकीय सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत्.	111
55.	एम-19-95/87/1/4- 23-4-1987	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.	112.
56.	एम. 19-69/88/1/(4) 7-4-1988	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार कराना.	113
57.	सी/3-16/88/3/49 22-8-1988	शासकीय कर्मचारियों को बहुजन समाज पार्टी बामसेफ डी. एफ-4 के कार्यकलापों के साथ साहचर्य.	114
58.	सी/4-1/90/3/49 9-8-1990	शासकीय सेवा में नियुक्ति कर्मचारियों से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अंतर्गत वचन-पत्र लेना.	115
59.	सी/12-24/91/3/1 21-1-1992	शासकीय सेवकों, परिवार के सदस्यों, उनके रिश्तेदारों द्वारा शासकीय आवास गृहों में व्यवसाय करने पर प्रतिबंध.	117

(1)	(2)	(3)	(4)
60.	एफ. सी/5-2/92/3/1 17-2-1992	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का अद्यतन संशोधित संस्करण निकाला जाना.	118
61.	एम. 19-58/92/1/4 30-7-1992	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.	119
62.	सी/5-5/92/3/1 20-8-1992	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा निजी व्यापार या नौकरी करने की सूचना देने के संबंध में.	120
63.	सी/5-2/93/3/1 29-4-1993	शासकीय कर्मचारियों का प्रतिबंधित संगठनों के साथ साहचर्य.	121
64.	सी-5-1/93/3/1 13-7-1993	स्वायत्त संस्थाओं में आचरण नियम लागू करने बाबत्.	122
65.	एफ 24-19/93/सी-1 20-8-1993	शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने संबंधी शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही.	123
66.	सी/5-1/94/3/1 5-1-1994	शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेशों का पालन करना.	125
67.	सी/5-2/94/3/1 27-8-1994	"कार सेवा" में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही.	126
68.	एम-19-44-95/1/4 29-5-1995	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.	127
69.	एम-19-58/92/1/4 23-5-1995	शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.	128
70.	एफ. सी-5-1/2000/3/एक 19-4-2000	शासकीय व्यय पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं/सुविधाओं पर प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली मुफ्त उपहार/सुविधा शासन के खाते में जमा करने बाबत्.	129
71.	सी-5-2/2000/3/एक 30-5-2000	शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में.	131
72.	सी/3-26/2000/3/एक 27-9-2000	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में.	133
73.	सी/5-1/96/3/1 27-9-2000	शासकीय कर्मियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से गृह कार्य न करवाने बाबत्.	135

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 9019-5116-I Bhopal, the 8th July 1957

To,

All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Deputy Commissioners/Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Opportunities for Government Servants to improve their educational qualifications.

Government have examined the orders in force in the integrating units governing grant of permission to Government servants to attend classes and/or to appear for higher examinations, in order to improve their educational qualifications and are pleased to issue the following orders, in supersession of those in force hitherto :—

(1) Permission to attend classes and/or appear for an examination, should be granted only in so far as it is consistent with public interest. It cannot be claimed as of right.

(2) Such permission should be granted only if the following conditions are fulfilled :—

(i) the Government servant concerned shold have put in at least a year's service; (this condition does not apply in the case of typewriting and shorthand examinations).

(ii) the amount of leave granted for prepration for or for appearing at an examination will not exceed the earned leave at the credit of the Government servant;

(iii) the Head of the Office should determine how many officials belonging to his office could be permitted to attend classes and/or appear for examinations without detriment to office work; as a rule the number should not exceed 10 per cent of the staff in his office; if the number of applicants exceeds this figure, preperence should be given to those who have put in longer service and to those who have secured 1st or 2nd division in previous examinations; and

(iv) the work and conduct of the official should have been satisfactory.

These instructions will come into force with immediate effect.

By order of the Governor, Madhya Pradesh
Sign./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government, Madhya Pradesh,
General Administration Department.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 4826-1540-I Bhopal, dated the 12th June 1958—Jyastha 22, 1880

To,

All Departments of Government,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors.

Subject.—Prohibition of Government servants from bidding (either privately or by proxy) at Govrnment quation.

A question has been raised whether a specific posotion should be added to the Govrnment servant's (Conduct) Rules regarding participation by Government servants in auctions of property owned or confiscated by Government. The State Government consider that it is indesirable for a Government servant to bid at Government auctions as inspite of all good inentions, the suspicion, that all is not above board is bound to arise in cases where the Government servant is declared as the successful bidden. They are, therefore, pleased to direct that to Government servant serving in the State (including the members of the All India Servvices), shall bid at any aution ordered by any department of Government or other Govemmental authority except with the previous permission of the authority competent to sanction or purchases of property exceeding the value prescribed under the Government Servants Conduct Rules. A Government servant, who bids at a Government auction without the various permission of the copetent authority would be regarded as indulging in conduct, becoming of a Government servant within the mearing of the Couduct Rules.

2. It is requested that these orders may be brought to the notice of all Government Servants serving under your control.

By order of the Governor, Madhya Pradesh
Sign./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 4826-1540-I Bhopal, dated the 12th June 1958—Jyastha 22, 1880

Copy forwaded to—

1. Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
2. Secretary to Governor, Madhya Pradesh.
3. Militrary Secretary to Governor, Madhya Pradesh.
4. President, Board of Revenue, Madhya Pradesh.
5. Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh.
6. Secretary, Vidhan Sabha Sachivalaya, Madhya Pradesh.
7. Registrar, Secretariat, Madhya Pradesh.
8. Establishment Officer, Secretariat, Madhya Pradesh.
9. Accounts Officer, Secretariat, Madhya Pradesh.
10. Estate Officer, Secretariat, Madhya Pradesh.

or information and guidance.

(L. B. SARJE),
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 7190-9221-I/57, Bhopal, dated the 8th September, 1958—17 Bhadra, 1880

To,

All Departments of Government,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors.

Subject.—Public demonstrations in honour of Government Servants Clarification of provisions contained in Government Servants' Conduct Rules.

The provisions contained in the Government Service Conduct Rules, as applicable to service personnel from different integrating Units, prohibit Government Servants, except with the previous sanction of Government and with certain minor exceptins, from receiving any complimentary or valedietory address or accepting any testimonial or attending any meeting or entertainment held in their honour or in honour of any other Government servant. The question has been raiseed whether it would be in consonance with the spirit of these provisions for Government servants to accept invitations to declare buildings etc. open or to lay the foundation stones of new buildings or to allow roads, bridges, buildings, parks or public institutions, such as hospitals, schools or colleges to be named after them. The State Government consider that it would not only be against the spirit of the servant provisions contained in Government Servants Conduct Rules for Government Servants to act in the manner set forth above but would indeed be inappropriate and inconsistent with the rols of detached impartiality legitimately excepted of Government Servants and that it would generally have an unwholesome effect.

2. While it is possible that there may be occasions when Government Servants may have to participate in such functions which have a cultural and sociological significance especially in remote areas, they should, as far as possible, refrain from associating themselves with such functions. In cases where they are in doubt, they would be well advised to take the prior permission of their superior officers.

3. The State Government are further pleased to direct that the above instructions will also be applicable to the members of the All India Services working under their control.

4. It is requested that these instruction may be brought to the notice of all Government Servants serving under your control.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government, Madhya Pradesh,
General Administration Department.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 6644/748/1 (3)/9, भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1969

प्रति,

राज्य शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन (अनावरण) शिलान्यास आदि.

राज्य शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 7190/9221/1/57, दिनांक 8 दिसम्बर, 1958 द्वारा यह अनुदेश प्रसारित किये थे कि शासकीय अधिकारियों को ऐसे कार्यक्रमों में उद्घाटन (अनावरण) शिलान्यास नहीं करना चाहिये जहां कि किसी भवन, मार्ग अथवा पुल आदि को उनका नाम दिया जाना प्रस्तावित हो, प्रतिलिपि संलग्न है :

2. इस विषय में पुन: विचार करने के पश्चात राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि केवल उनके नाम से संबंधित भवन, मार्ग अथवा पुल आदि के उद्घाटन (अनावरण) शिलान्यास ही नहीं अपितु शासकीय अधिकारियों को चाहिये कि वे समस्त सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपरोक्त दर्शित प्रकार के आमंत्रणों को स्वीकार न करें तथा उद्घाटन (अनावरण) शिलान्यास आदि कार्यों को अशासकीय कार्यकर्ताओं द्वारा ही सम्पादित करावें. साथ ही साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में विशेष अतिथि अथवा अध्यक्ष बनने के आमंत्रणों को भी स्वीकार न किया जावे. परन्तु शासकीय अधिकारी कार्यक्रम सभारम्भ में सम्मिलित अवश्य हो सकते हैं.

3. राज्य शासन चाहता है कि समस्त अधिकारी उपरोक्त अनुदेशों का दृढ़ता से पालन करें अन्यथा अनुशासन की कार्यवाही की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अरुण कुमार बन्द्या)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 6645/748/1 (3) भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1969

प्रतिलिपि :—

1. पंजीयक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,
2. सचिव, सैनिक सचिव राज्यपाल, मध्यप्रदेश,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
4. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,
5. पंजीयक, स्थापना अधिकारी म. प्र. सचिवालय,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

हस्ता./-
उपसचिव.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 1680-2375/I (iii), Bhopal, the 6th August, 1959—15 Sravana 1881.

To,

All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Transfers and postings of Government servants.

The instructions issued by Government reuire that a Government servant should apply for leave six weeks before the date, from which he wants to proceed on leave, so that adequate time may be available for verifying the title to leave and arranging for the relief of the Government servant, if the leave is proposed to be sanctioned. It must be a very exceptional case, in which leave has to be taken in such emergent circumstances that it is not iracticable to give this notice. Inspite of this, however, it has been noticed that the number of applications for leave after receiving orders of transfer is increasing. Obviously, in such cases the leave is applied for only to avoid the transfer or orsging. This amounts to indiscipline and Government propose to take serious notice of such action in future. When an order of transfer or posting is received by a Government servant, he should immediately comply with that order and it is only after it has been complied with that any request for leave will be considered by Government.

2. Instances have also come to the notice of Government where Government servants have approached non-official gentlemen to secure cancellation or modification of orders of posting or transfer passed by Government and authorities subordinate to Government. Such conduct is most objetionable and is liable to be treated as indiscipline. If there are special circumstances in any case, which may justify a request for the modification or cancellation of the orders of posting or transfer which have been issued, the correct procedure for the Government servant concerned is to bring them to the notice of his immediate superior officer for such action as the latter considers desirable.

3. These instructions should be brought to the notice of all Government servants serving under you and you should take effective steps to ensure their compliance with these instruction.

Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government, Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 1681-2375/I (iii), Bhopal, the 6th August, 1959—15 Sravana 1881.

Copy forwaded to—

1. All Departments of Government,
2. Secretary to he Governor, Madhya Pradesh,
3. Military Secretary to Governor, Madhya Pradesh,
4. Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
5. President, Board of Revenue, Madhya Pradesh,
6. Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh,
7. Secretary, Vidhan Sabha Sachivalaya, Madhya Pradesh,
8. Establishment Officer/Accounts Officer/Estate Officer/Registrar M. P. Secretariat, Bhopal.

for information.

Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 1933-1505/I (iii)/60

Bhopal, the 6th Bhdr, 1882
27th August, 1960

To,

The President, Board of Revenue,
All Departments of Government,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—The M. P. Government Servants (Conduct) Rules, 1959-Rule 18 (3) Immovable property Form of return Presoription of and instructions regarding.

Rule 18 (3) of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959, requires every member of Class I, Class II and Class III services, on his first appointment in the Government service and thereafter at intervals of every twelve months, to submit a return in such form as the Government may prescribe in this behalf, of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family, or in the name of any other person. In so far as Deputy Collectors are concerned, the return in question has already been prescribed *vide* General Administration Department Circular Memo No. 4356-2546-I (ii) dated the 29th July, 1960. The following insturctions are hereby issued for the guidance of all members of Class I, Class II (excluding Deputy Collectors) and Class III Services :—

(i) The State Government are pleased to prescribed the form of return of immovable property under rule 18 (3) of the Government Servants Conduct Rules, 1959 as per proforma enclosd herewith.

(ii) The return will be submitted in duplicate through proper channel to the "appointing authority."

(iii) The first return for the year ending the 31st December 1959, should be submitted by the Government servant to his immediate superior not later than the 30th September 1960, positively. All officers, through whom this return will pass, should see that it is forwarded without delay and, in any event, it should reach the "appointing authority" not later than the 31st October, 1960.

(iv) Subsequnt annual returns should be submitted by the Government servant to his immediate superior not later than 31st January of the year following the one to which it relates. All officers, throuth whom this return will pass, should see that it is forwarded without delay and, in any event, it should reach the "appointing authority" by the 28th February of the year to which it relates.

2. In order to ensure prompt submission of these returns and to avoid unnecessary correspondance in connection therewith, it is suggested that the returns may be collected by the officers concerned to whom they are required to be submitted in the first instance and transmitted onwards in a lot to the extent possible.

3. The contents of this memorandum may be brought to the notice of all members of Class I, Class II (excluding Deputy Collectors) and Class III services.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 1506-1505/I (iii)/60 Bhopal, the 27th August, 1960

Copy with necessary spare copies forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the President, Board of Revenue, M. P. Gwalior,
the Chairman, Public Service Commission, M. P. Indore,
the Secretary/Military Secretary to the Governor, M. P.
the Secretary, M P. Vidhan Sabha Secretariat,
for information/necessary action.

(ii) the Registrar, M. P. Secretariat, Bhopal,
the Establishment Officer, M. P. Secreriat, Bhopal,
the Accounts Officer, M. P. Secretariat, Bhopal,
for information and necessary action.

(iii) the Private Secretaries/Personal Assistants to the Chief Minister/Ministers/Deputy Ministers for information of the C. M./Ministers/Deputy Ministers.

Sd./-
(MAHESHWARI PRASAD),
Under Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

True copy
Sd./-
(M. P. SHRIVASTAVA),
Section Officer
General Administration Department.

FORM

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT FOR THE YEAR ....

1. Name of Officer (in full) and service to which the Officer belongs ....

2. Present post held ....

3. Present Pay .... Date of next incremet ....

Name of district sub-division Taluk & village in which property is situated	Name and details of property		*Present value	If not in own name, state in whose name held & his/her relatinship to the Govt. Servants	Now acquired whether by purchase, lease @mortage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition & name with details of persons from whom acquired	Annual income from the propety
	Housing & other buildings	Lands				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Signature ....

Date ....

In applicable case to be struck out

In case where it is not possible to asses the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.

@Includes short term lease also.

Note.—The declaration form is requised to be filled in and submitted by every member of Class I, Class II, Class III Services under rule 18 (3) of the M. P. Govet. Servant's (Conduct) Rules, 1959, on first appointment to the Service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 413-268/I (iii)/61 — Bhopal, dated the 20th Magh, 1882
9th Feby, 1961

To,

All Departments of Government,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors.
Madhya Pradesh.

Subject.—Dealings of a Government Servant with a registered Co-operative Society.

The State Government are pleased to order that provisions of sub-rule (5) or fule 16 of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959, shall not apply to the dealings of a Government Servant with a Co-operative Society of the kind of (i) Credit Seociety, (ii) Co-operative Consumers' Stores, (iii) Housing Society and (iv) Co-operative Farming Society, registered under the Co-operative Society Act, 1912 (II of 1912) or any other law for the time being in force.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh
Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 414-268/I (iii)/61 — Bhopal, dated the 9th Feby, 1961

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the President, Board of Revenue, Madhya Pradesh, Gwalior,
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore,
the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Praesh, Bhopal,
the Secretary, M P. Vidhan Sabha Sachivalaya, Bhopal,
for information/necessary action.

(ii) the Establishment Officer/Officer on Special Duty (Registrar)/Accounts Officer, M. P. Secretariat, Bh[illegible]
for information and guidence.

(iii) the Private Secretaries to the Chief Ministers and Other Ministers/Personal Assistants to the Deputy Ministers,
for information of the Chief Minister/Ministers/Deputy Ministers.

Sd./-
(MAHESHWARI PRASAD),
Under Secretary to Government.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 614-1131/I (iii)/60 Bhopal, dated the 8th Phgn. 1882
27th Feby, 1961

To,

The President, Board of Revenue,
All Departments of Government,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors.
Madhya Pradesh.

Subject.—Purchase and disposal of immovable property by Government Servants.

With the promulgation of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959 (vide G. D. Notification No. 2338-2645-I (iii) dated the 14th November, 1959, published in Part IV of the issue dated the 27th November, 1959, of the Gazette) wherein necessary provision has been made regarding purchase/sale etc., of movable or immovable and valuable property, the instructions contained in this department's memorandum No. 360-I (3) dated the 18th January 1958, stand automatically superseded.

2. With a view to have uniformity of procedure in all departments relating to matters falling under sub-rules (1) and (2) of rule 18 of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959, the following instructions are hereby issued :—

(i) Intimation regarding or application for grant of sanction to the acquisition or disposal of movable or immovable property shall be made by a Government Servant to the "prescribed authority" through proper channel.

(ii) Intimation from and application of a Class.II officer will be dealt with by his head of department and those of a Class III and Class IV Government servant by the head of office any head of department or head of office considers any particular transaction to be prima fac. . . . Shcy, he may refer it to the Collector of the district concerned for opinion whether the trânsaction is fair and reasonable; differences, if any, in this behalf between a Collector on the one hand/the "prescribed authority" on the other hand will be resolved according to the usual procedure in administrative matters. It may be noted that the orders on these applications shall be passed by the "perscribed authority" and not by the Collector.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 1482-945/I (iii)/61

Bhopal, dated the 16th Jyst. 1883
6th June, 1961

To,

All Departments of Government.

Subject.—Plural marriages-Requests of Government servants for permission to remarry while first wife is still living.

According to Rule 21 of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959, no Government servant who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the Government, notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to him. Such permission can be granted by the administrative departments concerned of Government. Before, however, such permission is granted, the adiministrative department concerned should cause an enquiry to be made on the following lines.

2. The first point to be scrutinised when an application for permission is received is whether such marriage is permissilbe under the personal law applicable to the applicant. If so, the question arises whether there are sufficient grounds for allowing an exception to Government's general policy. The alleged grounds given in support of the request should be scrutinised to see whether the allegations are true and well founded. In case the wife also joins the application, it should be asertained whether she has willingly consented and whether any letter etc. purporting to proceed from her is genuine and is the outcome of her own free will. For this purpose, higher officers in the department concerned may, if necessary, send for the applicant and his wife and make personal enquiries. Where the first wife's views have not been stated, they should, if possible, be ascertained. If permission is sought on grounds of alleged sickness of the wife, as much information as possible should be otbained in consultation with the medical authorities. The arrnagements made by the husband for the maintenance of the first wife should also be ascertained and it should also be examind whether they are satisfactory.

3. The procedure suggested above should be brought to the notice of all subordinate authorities who may have occasion to deal with such cases.

Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 1483-945/I (iii)/61

Bhopal, dated the 6th June, 1961

Copy forwarded for information/necessary action to:—

(i) all Commissioner of Divisions,
all Heads of Departments,
all Collectors.

(ii) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the President, Board of Revenue, Madhya Pradesh, Gwalior,
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

No. 2412-1270-I (iii)/61 Bhopal, dated the 22nd September 1961—Bhadra 31, 1883

To,

All Departments of Government,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors.
Madhya Pradesh.

Subject.—Permission for attending classes in educational institution and taking higher examinitions.

The following subsidiary insturctions are issued under rule 15 of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959 :—

Attending classes or taking higher examinations

Government servants are forbidden to attend any classes or to appear at higher examinations without the previous sanction of the head of the office or department in which they are working.

2. Instructions regarding grant of permission to Government servants to attend classes and/or to appear for higher examinations have been issued under this department's memo No. 9019-5116-I, dated the 8th Jyly 1957 (copy enclosed for ready reference).

By order and in the name of the
Governor, Madhya Pradesh
Sd./-
(L. B. SARJE),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 2412-1270-I (iii)/61 Bhopal, dated the 22nd September 1961—Bhadra 31, 1883

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the President, Board of Revenue, Madhya Pradesh, Gwalior,
the Chairman, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore,

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Praesh,
the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya,

(iv) the Registerar, Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal,
the Establishment Officer, Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal,
the Accounts Officer, Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal,

(iii) the Personal Assistants to Chief Minister/Ministers/Deputy Ministers,
for information.

Sd./-
(MAHESHWARI PRASAD),
Under Secretary

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 204/49/I (iii) Bhopal, the 25th January, 1962,—20 Magh, 1883

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments, and
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Immovable Property Transctions relating to -

Under rule 15 (1) of the All India Services (Conduct) Rules, 1954, no member of the service can, except with the previous knowledge of the Government, acquire or dispose of any immovable property by lease, morgage, purhase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family provided that any such transaction conducted otherwise than thorugh a regular or reputed dealer shall require the previous sanction of the Government.

2. A doubt was raised whether or not the expression 'regular and reputed dealer' covered Co-operative House Building Societies. It has been decieded that normally a Co-operative Society can be termed as 'regular and reputed dealer' for the purpose of rule 15 (1) of the rules ibid and hence the requirements of that rule will be met if transactions in movable property conducted through such societies are merely reported to the Government.

By order and in the name of the
Governor, Madhya Pradesh
Sd./-
(Maheshwari Prasad),
Under Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 205/49/I (iii) Bhopal, dated the 25th January 1962,—20 Magh, 1883

Copy forwarded to :—

(i) The Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
The Chairman, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore,

(ii) The Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Praesh,
The Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya.

(iii) The Registrar, Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal,
The Establishment Officer Madhya Pradesh. Secretariat, Bhopal.,
The Accounts Officer, Madhya Pradesh. Secretariat, Bhopal.

(iv) The Personal Assistants to Chief Minister/Ministers/Deputy Ministers,
for information.

Sd./-
(MAHESHWARI PRASAD),
Under Secretary to Government, Madhya Pradesh.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 1568/1044/I (iii), Bhopal, the 18th July, 1962 27 Asar. 84

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments, and
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Government Servant's role in the eradication of untouchability.

The State Government have accepted the following recommendations made by the Central Advisory Board for Harijan Welfare in its meating held on the 27th April, 1961 :—

(a) That severe notice shall be taken of the practice of untouchability in Government Offices and by Government Servants; and

(b) That the police and the magistracy have a special obligation to enforce the provisions of the Untouchability (Offences) Act, 1955 and it is the duty of all Government servants to help them in the enforcement of the Act and in creating the necessary climate to remove untouchability from the mind of the orthodox section of the community.

2. It is specifically brought to the notice of all the Government Servants that Art. 17 (Part III - Fundamental Rights) of the Constitution declares that "Untouchability" is abolished and forbids its practice in any form. The practice of untouchability has also been made an offence by the Untouchability (Offences) Act, 1955. If any Government servant is found Guilty of the practice of untouchability in any form, he will be liable to prosecution and such conduct on his part will constitute sufficient ground for imposing suitable penalty presribed under the relevant Classification, Control and Appeal Rules. The State Government further expects its employees not only to observe strictly the law in force but also to set an axample to others in the matter of complete elimination of the practice of untouchability in any form.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
Sd./-
(R. S. S. RAO),
Deputy Secretary to Government, Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 1569/1044/I (iii), Bhopal, the 18th July, 1962 27 Asar. 84

Copy forwarded to :—

(i) the Establishment Officer/Registrar/rAccounts Officer, Madhya Pradesh. Secretariat, Bhopal.

for information and guidance.

(ii) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh, Indore.
the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Pradesh,
the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya,

for information.

(iii) the Private Secretaries to the Chief Minister/Ministers/Personal Assistants to the Deputy Ministers, for information of the Ministers and Deputy Ministers.

Sd./-
(DEVENDRA KUMAR),
Under Secretary to Government, Madhya Pradesh

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 1857/CR-227/I (iii)/62 Bhopal, 22nd August, 1962 the 31st Srvn. 1884

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments and
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Immovable property - Transactions relating to.

It has already been decided that, for purposes of rule 15 (1) of the All India Services (Conduct) Rules, 1954, a Co-operative Society can normally be considered a 'regular and reputed dealer'; and hence the requirements of that rule will be met fi transactions in immovable property conducted through such societies are merely intimated to Government (**vide** G. A. D. Memorandum Nos. 204/49/I (iii) dated 25-1-1962 and 408-299-1 (iii) dated 15-2-1962).

2. The State Government are now pleased to decide that, for purposes of rule 18 (1) of the Madhya Pradesh Government Servants (Conduct) Rules, 1959, which is identical to rule 15 (1) of the All India Services (Conduct) Rules, 1954, a Co-operative Society can normally be considered a 'regular and reputed dealer' and hence the requirements of this rule will be met if transactions relating to immovable property conducted through such societies are merely reported to Government.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
Sd./-
(R. S. S. RAO),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 1858/CR-227/I (iii)/62 Bhopal, the 22nd August, 1962

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh, Indore,

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Pradesh,
the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya,

(iii) the Registrar/the Establishment Officer/the Accounts Officer, Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal.

Sd./-
(DEVENDRA KUMAR),
Under Secretary to Government Madhya Pradesh

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 2351/1734/I (iii)/62

Bhopal, dated the 18th Krtk. 1884
9th November, 1962

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments and
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Immovable property returns prescribed under the Conduct Rules - Maintenance of -

Reference.—G. A. D. Memorandum No. 1933-15-05-I (iii)/60 dated 27-8-1960.

If the above memo, Government have prescribed the form of the return of immovable property which has to be submitted by a Government servant belonging to Class I, Class II or Class III service under ruel 18 (3) of the Madhya Pradesh Government Servnats (Conduct) Ruels, 1959. A question was raised as to how the immovable property returns furnished by a Government servant should be kept. Government have decided as follows :—

(a) The return should be kept in a separate folder to be maintained for each Government servant.

(b) A check should be exercised every year to see that the Government servant concerned submits his return.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh
Sd./-
(DEVENDRA KUMAR),
Under Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 2352/1734/I (iii)/62

Bhopal, dated the 9th November, 1962

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh, Indore.

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Pradesh,
the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya.

(iii) the Registrar/Establishment Officer/the Accounts Officer, Madhya Pradesh. Secretariat, Bhopal.

Sd./-
(DEVENDRA KUMAR),
Under Secretary to Government Madhya Pradesh.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 137/19887/I (iii)/64

Bhopal, the 25th Paus. 1886
15th January, 1965

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments and
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Recognition of Technical and Professional Qualifications.

The State Government have decided to recognise **provisionally** a pass in the final examination for the undermentioned diplomas held by the State Board of Technical Education and Training, Andhra Pradesh, in respect of the students trained at the following institutions for purposes of recruitment to subordinate posts and services under the State Government in the appropriate fields :—

	Designation of the Award		Institutions
1.	Diploma of Licentiate in Civil Engineering.	(i)	Govt. Polytechnic, Anantpur
		(ii)	Govt. Polytechnic, Proddatur
		(iii)	Govt. Polytechnic,, Nizamabad
		(iv)	Shri Krishnadevaraya Polytechnic Wanaparthy
		(v)	Govt. Polytechnic, Nellora
		(vi)	E. S. C. Govt. Polytechni c, Nandyal
		(vii)	Govt. Polytechnic, Guntur
		(viii)	Govt. Polytechnic, Srikakulam
		(ix)	Govt. Polytechnic, Vijawada
		(x)	Girls Polytechnic, Hyderabad
		(xi)	Govt. Girls Polytechnic, Kakinada.
2.	Diploma of Licentiate in Mechanical Engineering.	(i)	Govt. Polytechnic, Amantapur
		(ii)	Govt. Polytechnic, Proddatur
		(iii)	Govt. Polytechnic, Nizamabad
		(iv)	Shri Krishnadevaraya Polytechnic, Wanaparthy
3.	Diploma of Licentiate in Electrical Engineering	(vi)	E.S. C. Govt. Polytechnic, Nandyal
		(vii)	Govt. Polytechnic, Guntur
		(viii)	Govt. Polytechnic, Srikakulam
		(ix)	Govt. Polytechnic, Vijawada.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh
Sd./-
(A. S. SIDDIQUI),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 138/19887/I (iii)/64

Bhopal, the 15th January, 1965

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore,
the Vigilance Commissioner, M. P., Bhopal.

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Pradesh;
the Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha Sachivalaya, Bhopal

(iii) the Establishment Officer/rAccounts Officer/Registrar Madhya Pradesh. Secretariat, Bhopal.

(iv) the PSS to Chief Minister/Ministers/Ministers of State,
for information.

Sd./-
(A. S. SIDDIQUI),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 1950/2521/1 (3)/85

भोपाल, दिनांक 24 भाद्र, 1887
15 सितम्बर, 1965

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
संभागीय आयुक्त,
सब विभागाध्यक्ष,
सब कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत मकान बनाने या उसका विस्तार करने के लिए जमीन व सामान खरीदने की सूचना विहित प्राधिकारी को देने के लिए फार्म.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 18 (2) के उपबन्धों के अनुसार कोई शासकीय सेवक, विहित प्राधिकारी को पूर्व जानकारी के बिना न तो स्वयं अपने नाम से और न अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक, क्रय, विक्रय, दान द्वारा या अन्यथा कोई भी स्थावर संपत्ति न तो अर्जित कर सकता है और न उसे हस्तांतरित ही कर सकता है. इसी प्रकार नियम 18 (3) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी जंगम संपत्ति से, जो उसके स्वामित्व की हो या जो उसके स्वयं के नाम से या कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से उसके द्वारा धारित हो, संबंधित प्रत्येक लेन-देन की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को करे, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 1000.00 रुपये से अधिक तथा तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 500.00 रुपये से अधिक हो. नियमों में ऐसी भी व्यवस्था है कि प्रत्येक स्थावर या जंगम संपत्ति के ऐसे लेन-देन के संबंध में जो —

(1) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका कि शासकीय सेवक के साथ पदीय संव्यवहार हो, या

(2) किसी नियमित या ख्यात व्यापारी की मार्फत न होकर अन्यथा हो, विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करली जानी चाहिए.

2. किसी शासकीय सेवक द्वारा मकान का बनाना या विस्तार करना स्थावर संपत्ति अर्जित करने के समान है, जिसके लिए नियम 18 के अधीन विहित प्राधिकारी को जानकारी देना या उसकी पूर्व स्वीकृति लेना भी लेखी भी सूरत हो आवश्यक है. एक प्रश्न यह उठाया गया है कि मकान बनाने या विस्तौर करने के लिए जिस जंगम संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है और उसका मूल्य प्रथम या द्वितीय श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 1000.00 रुपये से अधिक हो या तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का कोई पद धारण करने वाले शासकीय सेवक के मामले में 500.00 रुपये से अधिक हो, तो क्या ऐसे मामले भी इन नियमों के अधीन आते हैं जिनके अनुसार ऐसे लेन-देन की सूचना विहित प्राधिकारी को तुरन्त ही देना आवश्यक है. निश्चित ही मकान बनाने या उसका विस्तार करने के लिए सामान खरीदने की यथासमय सूचना देने का काम बड़ा कठिन तथा असुविधाजनक होगा. साथ ही यदि इस कारण कि मकान बनाने या उसका विस्तार करने की अनुमति पहले दे दी गई थी, इस प्रकार की सामान खरीदी पर रोक न लगाई गई, तो इस नियम के उद्देश्य ही विफल हो जायेंगे. अत: शासन ने यह निर्णय किया है कि जब भी कोई शासकीय सेवक मकान बनाना या उसका विस्तार करना चाहे तो उसे निम्नलिखित कार्यप्रणाली का अनुसरण करना चाहिए.

3. मकान बनाने को या उसमें विस्तार करने का काम शुरू करने के पहले प्रत्येक शासकीय सेवक फार्म 1 (संलग्न) के अनुसार इसकी जैसी भी स्थिति हो सुचना दे या स्वीकृति प्राप्त करे. जब निर्माण कार्य पूरा हो जाय तब विहित प्राधिकारी को फार्म 2 (संलग्न)के अनुसार ऐसी

सूचना दे. उसे और बातों के साथ-साथ फार्म-1 में यह भी बताना चाहिए कि क्या निर्माण कार्य किसी ठेकेदार द्वारा कराया जावेगा. यदि निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा होता है तो यह भी बताना चाहिए कि संबंधित ठेकेदार से उनके कोई पदीय संव्यवहार रहे हैं या है.

4. जहां संभव हो प्रोफार्मों में बताई गई तकसील दी जाना चाहिये. जहां ऐसा तकसील देना संभव न हो संबंधित व्यक्ति को यह बताना चाहिये कि कितने लेन देन में इमारत बनना है व उसकी अनुमानित लागत क्या होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अ. श. सिद्दकी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रसासन विभाग.

क्रमांक1951-2521-1-3-65 भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर, 1965

प्रतिलिपि :—

निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
आयुक्त, सतर्कता आयोग, भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव,
सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय.

स्थापना अधिकारी/पंजीयक/लेखा अधिकारी, म. प्र. सचिवालय को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(सु. चतुर्वेदी)
सहायक सचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रसासन विभाग.

फार्म-1

(मकान बनाने व उनमें विस्तार करने की सूचना देने का विहित प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने का फार्म)

महोदय,

मैं आपको यह सूचित करता हूं कि मैं मकान बनाना या उसमें ....

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे मकान बनाने या उसमें विस्तार करना चाहता हूं.

.... जमीन की अनुमानित विस्तार करन की मंजूरी देने का कष्ट करें.

कीमत व मकान बनाने या उसके विस्तार के लिये सामान की अनुमानित लागत नीचे दी हुई है :—

जमीन—

(1) स्थिति : सर्वे नम्बर, गांव, जिला, प्रांत
(2) क्षेत्रफल
(3) कीमत

निर्माण के लिये सामान—

(1) ईंट (दर/तादाद/कीमत)

(2) सीमेंट (दर/तादाद/कीमत)

(3) लोहा व इस्पात (दर/तादाद/कीमत)

(4) लकड़ी (दर/तादाद/कीमत)

(5) सेनीटरी फिटिंग (कीमत)

(6) बिजली फिटिंग (कीमत)

(7) और कोई विशेष फिटिंग (कीमत)

(8) मजदूरी

(9) दूसरी कोई लागत, यदि हो तो.

जमीन तथा इमारत की कुल लागत

भवदीय

फार्म-2

(विहित प्राधिकारी को मकान के निर्माण या उसके विस्तार का काम पूरा होने पर सूचना देने का फार्म)

महोदय,

मैं अपने पत्र क्रमांक .... दिनांक ....

मुझे आदेश क्रमांक .... दिनांक ....

के द्वारा सूचित किया था कि मैं मकान बनाना या उसका विस्तार द्वारा मकान बनाने/विस्तार करने की मंजूरी दी गई थी.

:/सिविल इंजीनियर की फर्म का ख्याति प्राप्त सिविल इंजीनियर

करना चाहता हूं. मकान का निर्माण या उसके विस्तार का काम अब पूरा हो चुका है. : / मैं .... द्वारा प्रमाणित मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न भेज रहा हूं.

दिनांक ....

भवदीय,
हस्ताक्षर/

मूल्यांकन रिपोर्ट

:यहां पर शासकीय सेवक का नान दिया जाना चाहिए (000) यहां पर मकान या उसके विस्तार की तफसील दी जावे.

मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने श्री/श्रीमती ...... द्वारा मकान निर्मित या उसके विस्तार 000 का मूल्यांकन किया है/और मैं /हमने मकान का या उसके विस्तार का जो मूल्य निर्धारित किया है उसका अनुमानित लागत निम्नलिखित शीर्षकों में नीचे दी गई है :—

शीर्षक	कीमत	
	रु.	पै.
(1) ईंट		
(2) सीमेंट		
(3) लोहा व इस्पात		
(4) लकड़ी		
(5) सेनीटरी फिटिंग		
(6) बिजली फिटिंग		
(7) और दूसरे विशेष फिटिंग		
(8) मजदूरी		
(9) अन्य कोई व्यय		

मकान या उसके विस्तार का कुल लागत ....

दिनांक ....

(मूल्यांकन प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 279/272/I (iii)/65 Bhopal, dated the 16th Magh, 1887
5th February, 1966

To,

All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Transfers and postings of Government servants.

Government have noticed a tendency among Government servants to approach Ministers, M. Ps, M. L. As. and other influential and prominent public agencies/personalities to obtain support for cancellation or modification of orders of posting or transfer or for remaining in a particular region of the State.

2. The canvassing of non-official or other outside influence is prohibited under Rule 20 of the M. P. Civil Services (Conduct) Rule, 1965 which reads as follows :—

" No. Government Servant shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Government."

The instructions contained in para 2 of this department's memo No. 1680-2375-I (iii) dated the 6th August 1959 are relevant in this connection.

3. All Government servants should be cautioned that in future resort to such practices will be taken serious notice of and proceedings under the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules 1965 may have to be started or a suitable note of such default made in the confidential personl file/character roll of the Government servant concerned. These instructions may please be brought to the notice of all Government servants serving under your control.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
Sd./-
(M. L. CHOPRA),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 280/272/I (iii)/65 Bhopal, dated the 5th February, 1966

Copy forwarded to :—

1. All Departments of Government,
2. Secretary to the Governor, Madhya Pradesh,
3. Military Secretary to the Governor, Madhya Praesh,
4. Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
5. President, Board of Revenue, Madhya Pradesh, Gwalior,
6. Secretary, M. P. Public Service Commission, Indore,
7. Secretary, Vidhan Sabha Sachivalaya,
8. Establishment Officer/Accounts Officer/Registrar Madhya Pradesh Secretariat.

for information.

Sd./-
Deputy Secretary.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 2093/3626/I (iii)/66 Bhopal, dated the 14th October, 1966,—22 Asvn, 88

To,

All Departments of Government,
All Heads of Departments,
All Commissioners of Divisions,
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Seeking redress in courts of law by Government servants of griavances arising out of their employment or conditions of service.

Attention is invited to this department's confidential memo No. 1141-1463-I-(iii), dated 28th May, 1959 on the above subject in which it is, *inter-alia,* stated that when a Government servant wants to sue the Government in a court of law for redress of grievances arising out of service matters, he may be informed that such permission is not necessary and that if he decides to sue the Government, he may do so on his own responsibility. On reconsideration, it has been decided that, in such cases, it would be enough if the Government servant is informed that permission to sue the Government is not necessary and it should not be added that if he decides to have recourse to a court of law, he may do so his own responsibility.

2. This department's memo dated 28th May 1959, referred to above, need not be treated as 'Confidential'.

Sd./-
(M. L. CHOPRA),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 2094/3626/I (iii)/66 Bhopal, dated the 14th October, 1966,

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore,
the Secretary, Vigilance Commission, Madhya Pradesh, Bhopal,

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Praesh, Bhopal,
the Secretary, Vidhan Sabha Sachivalaya, Bhopal,

(iii) the Establishment Officer/Accounts Officer/Registrar Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal,

---

(iv) the P. S. to Chief Ministers/Ministes/Ministers of States,
for information.

Sd./-
(V. R. SADASIVAN),
Asstt. Secretary to Government,
Madhya Pradesh.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Memorandum

No. 2904/3763/I (iii)/66 Bhopal, dated the 23rd December, 1966,—2 Pause, 88

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments,
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject.—Association of Government servants with the activities of R. S. S. S./Jamaat-e-Islami.

Attention is invited to provisions of rule 5 (1) of Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965 under which no Government servant shall be a member of or be otherwise associated with, any political party or any organisation which takes part in political nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist any other manner, any political movement or activty.

2. As certain doubts have been raised about Government's policy with respect to the membership of and participation in the activities of Rashtriya Swayam Sewak Sangh and the Jammat-e-Islami by Govenment servants, it is clarified that Government hold the activities of these two organisations to be of such nature that participation in them by Government servants would attract the provisions of rule 5 (1) of the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965. Any Government servant, who is a member of or is otherwise associated with the aforesaid organisations or with their activities is liable to disciplinary action.

3. The State Government desire that the above position be brought to the notice of Government employees working under your administrative control.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
Sd./-
(M. L. CHOPRA),
Deputy Secretary to Government Madhya Pradesh,
General Administration Department.

No. 2904/3763/I (iii)/66 Bhopal, dated the 23rd December, 1966

Copy forwarded to :—

(i) the Registrar, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
the Secretary, Public Service Commission, Madhya Pradesh. Indore,
the Secretary, Vigilance Commission, Madhya Pradesh, Bhopal,

(ii) the Secretary/Military Secretary to the Governor, Madhya Praesh, Bhopal,

the Secretary, M P. Vidhan Sabha Sachivalaya, Bhopal,

(iii) the Establishment Officer/Accounts Officer/Registrar Madhya Pradesh Secretariat, Bhopal,

---

(iv) the P. S. to the Chief Minister/Ministers/Ministers of State,
for information.

Sd./-
(V. R. SADASIVAN),
Asstt. Secretary to Government.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 24930/2992/एक (3) भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर, 1968

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र.,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा जंगम और स्थावर संपत्ति खरीदी और बिक्री करने के लिये प्रक्रिया.

सन्दर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्र. 615-1131-एक (3), दिनांक 27-2-1961.

यह प्रश्न उठाया गया है कि संदर्भित ज्ञापन में शासकीय सेवकों द्वारा जंगम तथा स्थावर संपत्ति के लेन देने के संबंध में मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (1) और 18 (2) के अधीन शासन द्वारा प्रक्रिया निहित की गई है वह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 18 (1) और 18 (2) के अधीन दी गई समझी जावेगी या नहीं, इस संबंध में स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 25 में यह स्वच्छ प्रावधान है कि इन नियमों के अनुरूप कोई भी नियम, जो कि इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत हो वे नियम निरस्त किये जाते हैं और उसके परन्तुक में यह निर्विवाद स्वरूप में निर्धारित किया गया है कि ऐसे निरस्ति नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानीय उपबन्धों के अधीन दिया गया या की गई समझी जावेगी. अत: यह स्पष्ट है कि इस विभाग के ज्ञापन क्र. 614-1131-एक (3), दिनांक 27 फरवरी 1961 में निहित आदेश सन् 1959 के नियमों के नियम 18 (1) व (2) के अंतर्गत दिया गया आदेश है और वह उपरोक्त "परन्तुक" के उपयोग में पाये गये शब्द "कोई भी आदेश के अंतर्गत आता है और इसीलिए 1965 के आचरण नियमों के तद्विषयक नियम 18 के अंतर्गत दिये गये व प्रचलित आदेश माने जावेंगे.

हस्ता./-
(के. सी. सी. राजा)
अपर सचिव

क्रमांक 24931/2992/एक (3) भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर, 1968

प्रतिलिपि :—

निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
सचिव, सतर्कता आयोग, म. प्र.,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
सचिव, विधान सभा सचिवालय,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सचिव,

स्थापना अधिकारी/पंजीयक, मध्यप्रदेश सचिवालय को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(नागेन्द्र मोहन व्यास)
अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 6644/748/1(3)/69 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1969

प्रति,

राज्य शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र.,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि.

राज्य शासन ने सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 7190/9221/1/57, दिनांक 8 सितम्बर, 1958, द्वारा यह अनुदेश प्रसारित किये थे कि शासकीय अधिकारियों को ऐसे कार्यक्रमों में उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास नही करना चाहिये जहां कि किसी भवन, मार्ग अथवा पुल आदि को उनका नाम दिया जाना प्रस्तावित हो.

2. इस विषय में पुनः विचार करने के पश्चात् राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि केवल उनके नाम से संबंधित भवन, मार्ग अथवा पुल आदि के उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास ही नही अपितु शासकीय अधिकारियों को चाहिये कि वे समस्त सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपरोक्त दर्शित प्रकार के आमंत्रणों को स्वीकार न करें तथा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि कार्यों को अशासकीय कार्यकर्ताओं द्वारा ही सम्पादित करावें. साथ ही साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों में विशेष अतिथि अथवा अध्यक्ष बनने के आमंत्रणों को भी स्वीकार न किया जावे. परन्तु शासकीय अधिकारी कार्यक्रम समारम्भ में सम्मिलित अवश्य हो सकते हैं.

3. राज्य शासन चाहता है कि समस्त अधिकारी उपरोक्त अनुदेशों का दृढ़ता से पालन करें, अन्यथा अनुशासन की कार्यवाही की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(अरुण कुमार पंड्या)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 6644/748/1(3)/69 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1969

प्रतिलिपि :—

1. पंजीयक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश,
2. सचिव/सैनिक सचिव राज्यपाल, मध्यप्रदेश,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
4. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,
5. पंजीयक/स्थापना अधिकारी म. प्र. सचिवालय,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 420/1019/1 (3) भोपाल, दिनांक 9 जून, 1969

प्रति,

शासन के सर्व विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र.,
सर्व संभागीय आयुक्त,
सर्व विभागाध्यक्ष,
सर्व कलेक्टर.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत से जंगम संपत्ति के लेन देन करने के संबंध में अनुदेश.

शासन के समक्ष कुछ प्रकरण इस प्रकार के आये हैं जिसमें राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के मार्फत जंगम (moveable) संपत्ति का लेन देन किया गया है. इस संबंध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को नियमित या ख्याती प्राप्त व्यापारी नहीं माना जा सकता. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 (3) के अनुसार यदि कोई शासकीय सेवक जंगम संपत्ति का लेन देन किसी ऐसे व्यक्ति से करता है जिसका कि शासकीय सेवक के साथ पदीय (official) संव्यवहार हो या वह नियमित या ख्याती प्राप्त व्यापारी न हो, तो उसे विहित अधिकारी की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी के मामले में 1000 रु. से अधिक हों और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले में 500 रु. से अधिक हो.

2. वैसे भी किसी अधिकारी के लिये अपने अधीनस्थ कर्मचारी अथवा अधिकारी के मार्फत किसी जंगम संपत्ति का लेन देन करना अच्छी बात नहीं है, चाहे उसका मूल्य कितना भी हो, क्योंकि इस प्रकार के लेन देन करने से शासकीय अधिकारी जनता की आलोचना का शिकार होता है कि उसने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग किया है. अतः शासन यह अनुदेश देता है कि कोई भी शासकीय सेवक अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले शासकीय सेवक के मार्फत किसी जंगम संपत्ति का लेन देन न करे. यदि किसी समय इस प्रकार का लेन देने करना जरूरी हो, तो उसे उक्त नियम की व्याख्या क्रमांक (दो) में उल्लिखित विहित प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति से लेनी चाहिये.

3. आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को इस अनुदेश का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिये निदेश जारी करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(म. श. सिंहदेव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 421/1019/1 (3) भोपाल, दिनांक 9 जून, 1969

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
सचिव, सतर्कता आयोग, भोपाल

2. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सचिव,
सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,

3. स्थापना अधिकारी, (पंजीयक) लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय,

4. विशेष आयुक्त, म. प्र. 2 कौटिल्य लेन, न्यू दिल्ली को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(नागेन्द्र मोहन व्यास)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

क्रमांक 1575/1964/एक (3) भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 1969

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय कर्मचारियों द्वारा बिना अनुमति के मुख्य मंत्री जी से अपने सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में मुलाकात करने के बारे में अनुदेश.

यह देखा गया है कि प्राय: प्रतिदिन सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी अपनी पदोन्नति, विभागीय जांच अथवा स्थानान्तर इत्यादि संबंधी प्रार्थना करने के लिये मुख्य मंत्रीजी से मिलते है. इस प्रकार का आचरण सरकारी कर्मचारियों के लिये न तो नियमानुकूल ही है और न शोभनीय ही है. शासन द्वारा यह आदेश दिये गये हैं कि भविष्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी मुख्य मंत्री जी से सीधे संपर्क न साधे. मुख्य मंत्रीजी से संपर्क साधने के पूर्व सरकारी कर्मचारी को अपनी शिकायत के निवारण के लिये उचित मार्ग द्वारा तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयत्न करना चाहिये. यदि भविष्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष के लिखित अनुमति के बिना मुख्य मंत्रीजी से संपर्क साधने का प्रयत्न करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

2. यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी पर अपने सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में प्रभाव डालने की कोशिश करेगा तो वह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 21 के उल्लंघन करने के आरोप में कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा.

3. आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त अनुदेशों की जानकारी अपने अधीन कार्य करने वाले सभी शासकीय सेवकों को दे दें जिससे कि वे इस अनुदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें.

हस्ता./-
(म. प्र. श्रीवास्तव)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

क्रमांक 1576/1964/एक (3) भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 1969

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
   सचिव, सतर्कता आयोग, भोपाल,
2. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय,
3. स्थापना अधिकारी, (पंजीयक) लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय,
4. विशेष आयुक्त, म. प्र. 2 कौटिल्य लेन, न्यू दिल्ली को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(नागेन्द्र मोहन व्यास)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 555/220/एक (3), भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 1970

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा अभ्यावेदनों की प्रतियां ऐसे अधिकारियों को भेजना जिनका उन पर कोई प्रशासकीय नियंत्रण न हो.

पुस्तक परिपत्र भाग दो क्रमांक 8 अ की कंडिका 6 (चार) में उल्लिखित आदेश की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार है :—

"कुछ शासकीय कर्मचारियों की यह आदत है कि वे अपने प्रतिवेदनों की प्रतियां, राज्य के बाहर के प्राधिकारियों को अर्थात् उन प्राधिकारियों को, जो उन पर करने के लिये सीधे संबंधित नहीं है (उदाहरणार्थ, अन्य मंत्रियों, सचिवों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों या भारत सरकार के अधिकारियों) भी भेजते है. यह एक बहुत ही आपत्तिजनक तरीका है जो शासकीय औचित्य के प्रतिकूल और अच्छे अनुशासन के लिये विनाशकारी है और सभी शासकीय कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे इसका सर्वथा परित्याग करें. ऐसा न करने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी.

ऐसा देखा जा रहा है कि उपर्युक्त अनुदेश का कुछ शासकीय सेवकों द्वारा . . . . नही किया जाता है. अत: आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों का ध्यान उपर्युक्त अनुदेश की ओर आकर्षित करें तथा भविष्य में इस अनुदेश के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें.

हस्ता./-
(हनुमन्त राव)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

क्रमांक 556/220/एक (3) भोपाल, दिनांक 20 फरवरी, 1970

प्रतिलिपि :—

मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों, उप मंत्रियों के सहायकों को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(नागेन्द्र मोहन व्यास)
अवप सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सतर्कता कोष्ठ)

क्रमांक 1272/प्रसको/70, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 1970

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र.,
समस्त कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डालना.

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्र. 279-272-एक (3)/65 दिनांक 5 फरवरी, 1966.

उपर्युक्त ज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से सभी शासकीय सेवकों को बता दिया गया था कि अपने निजी प्रकरणों के संबंध में किसी मंत्री अथवा संसद या विधान सभा के सदस्य या अन्य राजनीतिज्ञों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा प्रभाव डालना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 21 के अंतर्गत वर्जित है. इस प्रकार के आचरण करने वालों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अनुसार अनुशासन की कार्यवाही की जा सकती है.

2. इन अनुदेशों के बाद भी शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों की ये प्रवृत्तियां उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है और यदि समय रहते उन पर रोक न लगाई गई तो अनुशासन-हीनता के चरम सीमा पर पहुंच जाने की आशंका है.

3. अतः सभी सक्षम प्राधिकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि जब भी इस प्रकार का कोई प्रकरण उनके समक्ष (आयें) तो संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें. अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को उपर्युक्त निर्देश की कृपया जानकारी दें.

हस्ता./-
(रामाप्रसन्न नायक)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

क्रमांक 1273/प्रसको/70, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर, 1970

प्रतिलिपि :—

पंजीयक, मध्यप्रदेश सचिवालय को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(हनुमन्त राव)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 460/सी. आर./396/एक (3), भोपाल, तारीख 28 अगस्त, 1971

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांचों में गवाही के लिये शासकीय सेवकों की उपस्थिति.

शासन के समक्ष कुछ ऐसे उदाहरण आये है कि विभागीय जांच के सिलसिले में शासन एवं संबंधित शासकीय सेवक की ओर से जिन शासकीय सेवकों को गवाह देने के लिये बलाया जाता हैं वे जांच अधिकारी के समय निर्धारित तारीख को उपस्थित नही होते है. इससे जांच कार्रवाई में अनावश्यक विलम्ब होता है. शासन यह स्पष्ट कर देना चाहता है कि जब किसी शासकीय-सेवक को विभागीय जांच में गवाही देने के लिए बुलाया जाय तो उसे अनिवार्य रूप से जांच अधिकारी के समक्ष निश्चित तारीख को उपस्थित होना चाहिए. यदि कोई शासकीय सेवक बिना उचित कारणों के निश्चित तारीख को जांच अधिकारी के समक्ष गवाही देने के लिए उपस्थित नही होता है, तो उसका इस प्रकार का कृत्य अशोभनीय एवं दुराचरण माना जाएगा तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 (1) (तीन) के उपबंधों के उल्लंघन करने के आरोप पर उसके विरुद्ध विभागीय जांच की जा सकेगी.

2. कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि शासकीय सेवकों को विभागीय जांच में निर्धारित तारीखों को गवाही देने के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी नहीं छोड़ते हैं. जब किसी शासकीय सेवक को किसी अपरिहार्य शासकीय कार्य के कारण निश्चित तारीख को छोड़ना संभव न हो तो वरिष्ठ अधिकारी को चाहिए कि वह जांच अधिकारी को उसकी सूचना समय रहते दे दे तथा उन्हें कोई अन्य सुविधाजनक तारीख निश्चित करने को कहें.

3. शासन चाहता है कि भविष्य में उपर्युक्त अनुदेश का पालन दृढ़तापूर्वक किया जाय तथा जो शासकीय सेवक उपर्युक्त अनुदेशों की अवहेलना कर उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए.

हस्ता./-
(नि. ना. टण्डन)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 461/सी. आर./396/एक (3), भोपाल, तारीख 28 अगस्त, 1971

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, सतर्कता आयोग, म. प्र., भोपाल.
3. स्थापना अधिकारी/लेखाधिकारी/रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उपमंत्रियों एवं संसद सचिव के निजी सचिव/निजी सहायक

को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. मुकर्जी)
अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 489/475/1 (3)/71 भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 1971

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा शासकीय आवास गृहों को स्थानान्तर के बाद खाली न करना.

ऐसा देखने में आया है कि कई शासकीय सेवक, जो शासकीय आवास गृहों में रहते हैं, अपने स्थानान्तर की सूचना संबंधित अधिकारी को नहीं देते है और दूसरे स्थान पर चार्ज ग्रहण कर लेने पर भी पहले स्थान का शासकीय मकान अपने आधिपत्य में रखते है. कुछ मामलों में तो ऐसा भी पाया गया है कि स्थानान्तर के बाद, शासकीय आवास गृह रखने की प्रार्थना अस्वीकृत हो जाने पर भी, वे शासकीय आवास गृहों को खाली नही करते. इस प्रकार का आचरण शासकीय सेवकों के लिए शौभनीय नही है. अतः सभी शासकीय सेवकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के मामलों में न केवल उनसे मूलभूत नियम 45-ब के अन्तर्गत किराया वसूल किया जाएगा और उनसे आवास गृह खाली करवाने के लिए न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी बल्कि इस प्रकार के कार्य को शासकीय सेवकों के आचरण नियमों के तहत दुराचरण माना जाएगा और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

2. आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को शासन के उपर्युक्त अनुदेश से अवगत करा दें तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उपर्युक्त प्रकार की कार्रवाई अनिवार्य रूप से करें.

हस्ता./-
(हनुमन्त राव)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 490/475/1 (3)/71 भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर, 1971

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, विधान सभा मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, म. प्र., भोपाल,
3. स्थापना अधिकारी/लेखाधिकारी/रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सचिवालय,भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उपमंत्रियों एवं संसद सचिवों के निजी सचिव, निजी सहायक को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. मुकर्जी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 527/567/1 (3)/71 भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ के कार्य कलापों में भाग लेने संबंधी.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 (1) में राजनीति, निर्वाचनों आदि में भाग लेने संबंधी यह स्पष्ट उपबंध है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संघठन का जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा, न उससे अन्यथा संबंध रखेगा, न वह किसी राजनैतिक आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा और न उसको सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी अन्य रीति से उसकी सहायता करेगा.

2. उक्त उपबंध तथा छत्तीसगढ़ निवासियों द्वारा स्थापित "भ्रातृसंघ" के कार्यकलापों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक "छत्तीसगढ़ भ्रातृसंघ" का सदस्य नही बनेगा और न ही संघ के कार्यकलापों में किसी प्रकार से भाग लेगा. यदि कोई शासकीय सेवक ऐसा करें तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी.

3. अत: शासन चाहता है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को उपर्युक्त अनुदेशों से अवगत का दें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 528/567/1 (3)/71 भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 1969

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, विधान सभा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, सतर्कता आयोग, म. प्र.,
3. स्थापना अधिकारी/लेखाधिकारी/रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उपमंत्रियों एवं संसद सचिवों के निजी सचिव/निजी सहायक को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. मुकर्जी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 535/555/1 (3)/71 — भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 1971

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश वेतन आयोग को विभागों द्वारा जानकारी का तत्काल प्रदाय किया जाना.

उपर्युक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमाक 93/सी. आर. 91/1 (3), दिनांक 15 फरवरी 1971, की कंडिका 4 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें ऐसी सभी जानकारी, दस्तावेज तथा अन्य सहायता जिसकी वेतन आयोग मांग करें उसे प्रदान किये जाने का उल्लेख है. चूंकि आयोग को अपना कार्य यथाशीघ्र पूरा करके शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, अतः निवेदन है कि आयोग द्वारा विभागों से जिस निर्धारित अवधि में जानकारी मांगी जावे वह उस अवधि के भीतर निश्चित रूप से प्रदान की जावे, जिससे आयोग के कार्य में अनावश्यक विलंब न हो.

हस्ता./-
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 536/555/1 (3)/71 — भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 1971

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, विधान सभा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, म. प्र., भोपाल,
3. स्थापना अधिकारी/लेखाधिकारी/रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उपमंत्रियों एवं संसद सचिव के निजी सचिव/निजी सहायक को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 375/सी. आर. 309/1 (3) भोपाल, दिनांक 30 जून, 72

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—निकट संबंधियों से प्राप्त उपहार की सूचना देना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965.

राज्य सतर्कता आयोग ने शासन का ध्यान एक ऐसे मामले की ओर आकृष्ट किया है जिसमें कुछ शासकीय सेवकों को उनके निकटतम संबंधियों जैसे पिता, माता, भ्राता से एक बड़ी राशि उपहार के रूप में प्राप्त हुई किन्तु मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 14 के उपनियम (4) के अनुसार उपहार प्राप्त करने के पूर्व उन व्यक्तियों ने सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की. उन शासकीय सेवकों ने यह स्पष्टीकरण दिया कि आचरण नियम 14 की व्याख्या के अनुसार यदि शासकीय सेवक अपने निकटतम संबंधियों से उपहार के रूप में कितनी भी राशि प्राप्त करे तो वह नियम 14 (4) की परिधि में नहीं आता. शासकीय सेवकों का इस प्रकार का अनुमान सही नहीं है. सही स्थिति यह है कि नियम 14 की व्याख्या में "आर्थिक प्रलाभ" का जो वर्णन है उसकी सीमा उतनी ही होगी जितनी कि नियम 14 के उपनियम (4) में बताई गई है. उस सीमा से अधिक आर्थिक प्रलाभ प्राप्त करने के पहले उन्हें नियमानुसार अपने सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है.

आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को उपर्युक्त स्थिति से अवगत करा दें. भविष्य में उक्त नियम के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवक अनुशासानात्मक कार्रवाई के भागी होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(हनुमन्त राव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 376/सी. आर. 309/1 (3) भोपाल, दिनांक 30 जून, 72

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
सचिव, सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव,
सचिव, विधान सभा, सचिवालय भोपाल,
3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/उपमंत्रि के निजी सचिव/निजी सहायक को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

क्रमांक 410/462-1 (3)/72 भोपाल, दिनांक 13 जुलाई, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा बिना शासन की अनुमति से उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधी.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तारीख 22 सितम्बर, 1961 को जारी किये गये ज्ञापन क्रमांक 2412/1270/1 (3) में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 16 के अंतर्गत शासकीय सेवकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिये कॉलेज में प्रवेश पाने तथा उच्च परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवशक है.

2. उपर्युक्त आदेशों के बावजूद यह ध्यान में आया है कि शासकीय सेवक, बिना शासन की अनुमति के शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पा लेते हैं तथा उच्च उपाधि प्राप्त करने के लिये परीक्षाओं में भी सम्मिलित होते हैं. यह भी मालूम हुआ है कि ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि रोकने जैसा मामूली दंड भी दिया गया है. भामले में पूर्ण विचार करने बाद शासन द्वारा यह एक निर्णय लिया गया है कि भविष्य में शासकीय सेवकों द्वारा उपर्युक्त आदेशों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत कार्रवाई की जाकर कड़ा दंड दिया जावे. ऐसे मामलों में deterrent शास्ति देना आवश्यक है, जिससे उन व्यक्तियों पर भी इसका असर हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मु. वि. गर्दे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 498/629/एक (3)/72 भोपाल, दिनांक 23 अगस्त, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—सरकारी कर्मचारियों का अखिल भारतीय मजदूर संघ के कार्य कलापों के साथ साहचर्य.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 उप नियम के अधीन यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय सेवक द्वारा अखिल भारतीय मजदूर संघ या इससे संबद्ध किसी भी संगठन की सदस्यता या कार्यकलापों की गतिविधियों में भाग लेना उपर्युक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (1) के उपबंधों के विरुद्ध है. अत: कोई भी शासकीय सेवक, जो अखिल भारतीय मजदूर संघ या उससे संबंधित किसी भी संगठन का सदस्य है, या भविष्य में उसका सदस्य बनेगा अथवा किसी भी अन्य प्रकार से इसके कार्यकलापों से अपने को संबद्ध करेगा, अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होगा.

2. आप से निवेदन किया जाता है कि अपने अधीन कार्य करने वाले सभी शासकीय सेवकों को उपर्युक्त स्थिति से अवगत करा दें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन

क्रमांक 499/629/एक (3)/72 भोपाल, दिनांक 23 अगस्त, 1972

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर,
   सचिव, विधान सभा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/ समस्त उप मंत्रिगण निजी सचिव/निजी सहायक को सूचना के लिए एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 542/सी. आर. 353/एक (3) भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक संस्थाओं से संबंध न रखने बाबत.

राज्य शासन ने ऐसे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य संगठनों की, जिनका राजनीतिक संस्थाओं से संबंध होना प्रतीत होता है, गतिविधियों में शासकीय सेवकों के भाग न लेने के प्रश्न पर पुनः विचार किया गया है. इस संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 (1) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन का जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा न उससे अन्यथा संबंध रखेगा. वह किसी राजनैतिक आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग नहीं लेगा, न उसकी सहायतार्थ चन्दा देगा और न किसी अन्य रीति में उसकी सहायता करेगा.

2. शासकीय सेवकों को न केवल राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखना ही जरूरी है बल्कि व्यवहार में भी ऐसा दिखना चाहिए कि राजनीतिक गतिविधियों से उन्हें कोई लगाव नही है. इसलिये यदि किसी संस्था की गतिविधियां राजनीतिक होने की थोड़ी भी आशंका हो, तो ऐसी संस्था से शासकीय सेवक को दूर रहना चाहिए ताकि उसकी राजनैतिक निष्पक्षता (neutrality) के बारे में किसी को शंका न हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(हनुमन्त राव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 830/सी. आर. 423/1 (3) 72 भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों का विदेशी मिशनों/विदेश सांस्कृतिक संगठनों/विदेशी नागरिकों के संपर्क रखने के संबंध में अनुदेश.

शासकीय सेवकों को भारत स्थित विदेशी मिशनों/विदेशी संवाददाताओं/विदेशी सांस्कृतिक संगठनों तथा विदेशी नागरिकों से संपर्क स्थापित करते समय निम्नलिखित हिदायतों का पालन करना नितांत आवश्यक है. इन अनुदेशों के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. अत: आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को इससे अवगत कराने की कृपा करें :—

1. **सामान्य संपर्क**

अधिकारियों को विदेशी संवाददाताओं, विदेशी मिशनों/संगठनों के सदस्यों तथा भारत में स्थित अन्य विदेशी राष्ट्रिकों से संपर्क के संबंध में अत्यधिक विवेक तथा बुद्धि से काम लेना चाहिए. उन्हें सतर्कतापूर्वक ऐसी किसी भी बातचीत से बचना चाहिए, जिससे अनजाने में भी गोपनीय विषयों की जानकारी के प्रकट होने की संभावना हो. उन्हें, विदेशी राष्ट्रिको को या विदेशी मिशनों में नियोजित भीरतीय राष्ट्रिको को अधिक बढ़ावा नही देना चाहिए तथा उनका, विशेषत: अनौपचारिक स्वरूप का आतिथ्य अविचारपूर्ण ढंग से तथा बराबर स्वीकार नही करना चाहिए. इस प्रकार के अत्यधिक आतिथ्य से अतिथि, आतिथ्य के प्रति अनुग्रहीत हो सकता है और इससे अन्य लोगों की दृष्टि में उसके अपने कर्तव्यों के निष्पक्ष तैथा न्यायसम्मत निष्पादन के संबंध में संदेह उत्पन्न हो सकता है.

2. **निजी पत्र-व्यवहार**

विदेशी दूतावासों/मिशनों/हाई कमीशनों से निजी पत्र व्यवहार करने से बचना चाहिए. उसी प्रकार शासकीय स्वरूप के विषयों पर, भारत में स्थित विदेशी मिशनों से सीधे निजी या वैयक्तिक पत्र व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए.

3. **उपहार**

विदेशी राष्ट्रिको/विदेशी मिशनों के सदस्यों से उपहारों का आदान-प्रदान करते समय या उनसे विदेशी वस्तुएं लेते समय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के संगत उपबन्धों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जहां कहीं नियमों के आवश्यक हो वहां पूर्वानुमति से लेनी चाहिए. यह बात उल्लेखनीय है कि इस देश में, विदेशी मुद्रा विनियमों में यथा उपबंधित स्थिति को छोड़ अन्यथा विदेशी मुद्रा लाभ अवैध है.

4. **राष्ट्रीय दिवस स्वागत समारोहों में उपस्थिति**

अधिकारीगण विदेशी मिशनों के राष्ट्रीय दिवस स्वागत-समारोहों में शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद ही उपस्थित होंगे.

5. **आमंत्रण/आतिथ्य स्वीकार करना**

(एक) अधिकारियों को सामान्यत: केवल उसी स्थिति में विदेशी राजनयिकों के औपचारिक तथा अनौपचारिक आमंत्रण स्वीकार करने चाहिए, जबकि आमंत्रण उन्हें उन्हीं के दर्जे के या उनसे ऊंचे दर्जे के राजनयिक अधिकारी से प्राप्त हो.

(दो) अवर सचिव तथा उप सचिव की श्रेणी के तथा समतुल्य श्रेणी के अधिकारियों को किसी भी प्रकार का आमंत्रण संबंधित सचिव से पूर्व तथा विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्वीकार नही करना चाहिए.

6. शासकीय तथा सामाजिक भेंट

अधिकारीगण, अन्य देशों के मिशनों/वाणिज्य दुतावासों केप्रागमनों या उनके सदस्यों से शासकीय अथवा सामाजिक भेंट करने की पहल नही करेंगे.

(2) अधिकारियों को विशिष्ट रूप से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अन्य देशों के प्रतिनिधियों से उनका संपर्क उनके समुचित शासकीय स्तर तक ही सीमित है.

7. सामाजिक समारोहों में बातचीत की रिपोर्ट

ऐसे सभी अधिकारी, जो विदेशी राजनयिकों/विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक समारोहों में उपस्थित होने का आमंत्रण स्वीकार करते हैं या जिन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, ऐसे अवसरों पर शासन के हित तथा महत्व के विषयों पर राजनयिकों/विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई किसी बातचीत की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को देंगे.

8. विदेशी मिशनों/वाणिज्य दूतावासों से प्राप्त आतिथ्य के बदले आतिथ्य

यह तथ्य सर्वविदित है कि राजनयिकों को स्थानीय अधिकारियों का आदर सत्कार करने के लिए विशेष रूप से धन दिया जाता है किन्तु स्थनीय अधिकारी की उसके बदले में उनका आतिथ्य सत्कार करने की क्षमता सीमित होती है. अत: राजनयिकों और स्थानीय अधिकारियों के बीच आदर-सत्कार के मामले में बराबरी की कोशिश करने की आवश्यकता नही है.

9. मिशनों/वाणिज्य दूतावासों के सदस्यों तथा अन्य देशों के राष्ट्रिको को जानकारी देना

विदेशी मिशनों/वाणिज्य दूतावासों या उनके सदस्यों या विदेशी राष्ट्रिकों को जानकारी प्रदान करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है. यह कार्य प्रत्यक्ष या किसी अधिकारी द्वारा स्वयं होकर नहीं किया जाना चाहिए. कनिष्ठ अधिकारियों को विदेशी मिशनों/दूतावासों के वैयक्तिक सहायकों तथा सचिवों से संपर्क नही रखना चाहिए, किसी भी अधिकारी को किसी भी कारण से विदेशी मिशनों/वाणिज्य दूतावासों के कनिष्ठ राजनयिक कर्मचारियों से शासन के लिखित अनुमोदन के बिना, संपर्क नही रखना चाहिए.

10. विदेशी राष्ट्रिकों के साथ अतिथियों के रूप में रहना तथा ठहरना

(क) अधिकारियों को, भारत में स्थित विदेशी राजनयिकों या विदेशी राष्ट्रिकों के साथ अतिथि के रूप में नही ठहरना चाहिए. तथापि, के शासन की अनुमति से, विदेश में विदेशी राजनियकों या विदेशी राष्ट्रिकों के साथ ठहर सकते हैं.

(ख) अधिकारियों को भारत में विदेशी राजनयिकों को अतिथि के रूप में अपने साथ ठहरने का आमंत्रण नहीं देना चाहिए.

11. अधिकारियों की पत्नियों/आश्रितों का नियोजन

ऐसे अधिकारियों को, जिसकी पत्नी या जिसका आश्रित भारत में स्थित किसी विदेशी मिशन या किसी विदेशी संगठन (वाणिज्यिक उपक्रम सहित) के अधीन नौकरी प्राप्त करना चाहता हो, अनुमति के लिए शासन को आवेदन करना चाहिए.

12. भारत स्थित विदेशी दूतावास के या विदेशी शासन के वायुयान में अनुग्रह के रूप में स्थान (लिफ्ट) प्राप्त करना

किसी भी अधिकारी को विदेशी मिशन/शासन या संगठन से न तो यात्रा व्यय स्वीकार करना चाहिए और न ही नि:शुल्क हवाई यात्रा स्वीकार करना चाहिए और न ही अपनी पत्नी या आश्रितों को ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए. ऐसे आपवादिक मामलों को, जो मानवतावादी या अनुकंपामूलक परिस्थितियों पर आधारित हो, अनुमति के लिए शासन को रिफर किया जाना चाहिए.

इस नियम में केवल भारत सरकार और किसी विदेशी शासन या संगठनों के बीच हुए और अभी भी प्रवृत्त विशिष्ट करारों या समझौतों के अन्तर्गत आने वाले मामलों में ही छूट दी जा सकेगी. विदेश यात्राओं के आमंत्रणों के संबंध में, जो केवल परराष्ट्र मंत्रालय के परामर्श के बाद ही स्वीकार किये जा सकेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में परम्परा यह है कि विदेशी शासनों द्वारा किया जाने वाला स्थानीय आतिथ्य तो आतिथेय से स्वीकार किया जा सकेगा किन्तु यात्रा व्यय स्वीकार नही किया जा सकेगा और यह भी कि ऐसा आतिथ्य अशासकीय संस्थाओं, संगठनों, प्रायवेट पार्टियों आदि से स्वीकार नहीं किया जायेगा.

तथापि, ऐसे अधिकारियों के मामले में यात्रा व्यय स्वीकार करने के संबंध में कोई आपत्ति नही होगी, जिन्हें विदेशी शासनों तथा संगठनों द्वारा सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाये और ऐसा निमंत्रण किसी विशिष्ट अधिकारी को उसके नाम से तथा उसकी विशेषज्ञता से लाभ उठाने की दृष्टि से दिया जाये. ऐसे अन्य मामलों में, जिनमें सम्मेलनों आदि में भाग लेना सम्बन्धित अधिकारी या उसकी प्रतिनियुक्ति के प्रवर्तक विभाग के हित में वांछनीय समझा जाये, यात्रा व्यय प्रवर्तक विभाग द्वारा दिया जाता रहना चाहिए.

कोई अधिकारी विदेश के भीतर ही अपने शासकीय कार्यों के संबंध में निःशुल्क हवाई यात्रा स्वीकार कर सकता है. जब कोई अधिकारी तथा उसका परिवार विदेश में राजकीय अतिथि के रूप में हो तो उन्हें विदेशी शासन से निःशुल्क हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति होगी.

13. विदेशी राष्ट्रिकों को पट्टे द्वारा सम्पत्ति का व्ययन

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 (2) के अधीन, कोई भी अधिकारी, शासन की पूर्व जानकारी के बिना अपने स्वयं के नाम से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक, क्रय, विक्रय अथवा उपहार द्वारा या अन्यथा किसी भी अचल सम्पत्ति को न तो अर्जित करेगा और न ही उसका व्ययन करेगा, परन्तु यदि ऐसा लेनदेन उस अधिकारी से शासकीय संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति से हो या नियमित अथवा प्रतिष्ठित विक्रेता की मार्फत न होकर अन्यथा किया जाये तो अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जायेगी. इस नियम के अन्तर्गत आने वाले "पट्टा" शब्द के अंतर्गत लिखित अथवा मौखिक करार द्वारा अल्पावधि के लिए अथवा दीर्घावधि के लिए भाड़े पर आवास व्यवस्था प्रदान करना अन्तर्विष्ट है. यह स्पष्ट कर लिया गया है कि अचल सम्पत्तियों के लेन देनों के संबंध में, जिसमें विदेशी राष्ट्रिकों/विदेशी मिशनों के सदस्यों/विदेशी मिशन द्वारा नियंत्रित अथवा उनसे संबद्ध संगठनों के सदस्यों के साथ, उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार किया गया "पट्टा" सम्मिलित है, यथास्थिति, पूर्वानुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए.

14. विदेशी भाषा की कक्षाओं में प्रवेश लेना

ऐसे अधिकारियों को, जो भारत में स्थित विदेशी मिशनों तथा दूतावासों अथवा विदेशी मिशनों द्वारा नियंत्रित या उनसे संबद्ध संगठनों या भारतीय-विदेशीय सांस्कृतिक संगठनों द्वारा संचालित विदेशी भाषाओं की कक्षाओं में प्रवेश लेना चाहते है, शासन को पूर्वानुमति प्राप्त करना चाहिए.

15. भारतीय-विदेशीय सांस्कृतिक संगठनों के साथ अधिकारियों की संबद्धता

शासन की अनुमति के बिना अधिकारियों को भारतीय-विदेशीय सांस्कृतिक संगठनों का न तो सदस्य होना चाहिए और न ही उनकी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेना चाहिए.

2. प्रशासकीय विभाग अपने अधीन सभी राजपत्रित अधिकारियों से इस अनुदेश की प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजने को कहे.

हस्ता./-
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 831/सी. आर. 423/1(3) 72 भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 1972

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/समस्त उप मंत्रिगण के निजी सचिव/निजी सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजपित्रत अधिकारी संघ, 93/19 (1250 क्वाटर्स) भोपाल (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. प्रान्ताध्यक्ष, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, भोपाल (पन्द्रह अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. प्रान्ताध्यक्ष, लघुवेतन कर्मचारी संघ, भोपाल (चार अतिरिक्त प्रतियों सहित)
   की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(मृ. वि. गर्दे)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक एम/15/147/73/4/1 भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 1973

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिकाओं पर शासकीय अधिकारियों के नाम न लिखे जाने के संबंध में.

शासन के ध्यान में लाया गया है कि शासन द्वारा आयोजित समारोह यथा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि में प्रसारित निमंत्रण पत्र किसी विशिष्ठ अधिकारी के नाम से छापे जाते है. शासकीय कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम न हो कर शासन के विभाग का कार्यक्रम होता है. अतः शासन ने निर्णय लिया है कि किसी शासकीय कार्यक्रम के उपलक्ष में प्रसारित किए जाने वाले निमंत्रण पत्रों पर किसी शासकीय अधिकारी का नाम न छापते हुए केवल उस व्यक्ति का पदनाम ही छापा जाए जिनके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो. कार्यक्रम आयोजित करने वाले एक से अधिक अधिकारी हों तो क्रमवार उनके पदनाम लिखे जाए.

हस्ता./-
(जे. एल. अजवानी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एम/15/147/73/4/1 भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 1973

प्रतिलिपि :—

रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
को सूचनार्थ अग्रेषित.

राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल,
सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा, भोपाल,
को सूचनार्थ अग्रेषित.

अवर सचिव, स्थापना, अवर सचिव, अधीक्षण तथा लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय,
को सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

एफ क्रमांक सी/13-14/73/3/1 भोपाल, दिनांक 24 अगस्त, 1973

प्रति,

शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में.

शासकीय सेवकों के स्थानान्तरण के संबंध में शासनादेश सामान्य पुस्तक परिपत्र क्रमांक 1, अनुक्रमांक 6 में दर्शाए गये हैं. इसके अनुसार किसी एक स्थान पर शासकीय सेवक को सेवाओं की आवश्यकताओं के अधीन 3 से 5 वर्ष तक रखे जाने का प्रावधान है.

2. शासकीय सेवकों के प्रतिनिधियों से चर्चा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को स्वच्छ एवं निष्पक्ष प्रशासन की दृष्टि से 3 वर्ष के बाद निश्चित रूप से स्थानान्तरित कर दिया जाय.

3. अत: इस शासनादेश को कार्यान्वित कर इसकी सूचना इस विभाग को शीघ्र भेजी जाय.

हस्ता./-
(बल्देव सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ क्रमांक सी/3-14/73/3/1 भोपाल, दिनांक 24 अगस्त, 1973

प्रतिलिपि :—

1. निम्बधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2. राज्यपाल के सचिव
   सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा सचिवालय भोपाल,
3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/उप मंत्रिगण के निज सचिव/निज सहायक को सूचनार्थ अग्रेषित.
5. प्रान्ताध्यक्ष, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, भोपाल (15 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजपित्रत अधिकारी संघ, 93/19 (1250 क्वाटर्स) भोपाल (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. प्रान्ताध्यक्ष, लघुवेतन कर्मचारी संघ, भोपाल (4 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
   की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव

रो. पी. नरोना
मुख्य सचिव

अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 1796/मुस/73,
भोपाल 462004

तारीख 7 दिसम्बर 1973.

विषय.—सार्वजनिक समारोह, उद्‌घाटन, शिलान्यास समारोह आदि में शासकीय कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के संबंध में.

प्रिय मैं . . . .

सामान्य प्रशासन विभाग के तारीख 16 अप्रैल 1969 के ज्ञाप (क्रमांक 6644/748/1 (3)/69) (तत्काल संदर्भ के लिये प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा अनुदेश दिए गए थे कि शासकीय कर्मचारियों को सार्वजनिक समारोहों उद्‌घाटन, अनाचरण समारोह या शिलान्यास समारोह आदि में मुख्य अतिथि बनने का आमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए. ऐसा प्रतीत होता है कि इन अनुदेशों का उतनी कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है जितना कि अभिप्रेत था. परिपत्र का अभिप्राय यह था कि अशासकीय सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा जनता के प्रतिनिधियों को ही इस प्रकार के समारोहों के मुख्य अतिथि बनने के लिये आमंत्रित किया जाए.

2. अत: पुन: कहना चाहता हूं कि शासन चाहता है कि इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए. जैसा कि उपर्युक्त परिपत्र में आदेशित है, इन अनुदेशों का पालन न किए जाने पर शासन द्वारा गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.

संलग्न–1

भवदीय
हस्ता./–
(रो. पी. नरोना

समस्त सचिव/ ....
समस्त आयुक्त/ ....
समस्त विभागाध्यक्ष/ ....
समस्त जिलाध्यक्ष. ....

क्रमांक 1797/मुस/73, भोपाल, तारीख 7 दिसम्बर, 1973/16 अग्रहायण 1895.

श्री . . . . विधायक एवं सदस्य, परामर्शदात्री समिति को सूचना के लिये.

हस्ता./–
(रो. पी. नरोना
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

डी. क्रमांक 174/278/एक (तीन)/74 भोपाल, दिनांक 7 मार्च, 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गए आदेश का पालन करना.

राज्य सतर्कता आयोग द्वारा शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि शासकीय सेवकों द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 (1) के अनुसार अपने अचल संपत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में इस विभाग द्वारा दिनांक 27 अगस्त 1960 के ज्ञापन क्रमांक 1933-1505-एक (3)/60 में उल्लिखित अनुदेश का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है.

2. इस संबंध में शासन पुन: सभी शासकीय सेवकों का ध्यान उपर्युक्त अनुदेश की ओर आकृष्ट करता है तथा अपेक्षा करता है कि उपर्युक्त अनुदेश के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक अपने अचल संपत्ति का विवरण विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी के पूर्व प्रस्तुत करेगा. किसी शासकीय सेवक द्वारा समय पर अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत न किये जाने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा.

3. आपसे निवेदन है कि अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को इस आदेश से अवगत करा दें.

हस्ता./-
(कान्त स्वरूप भटनागर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

डी. क्रमांक 175/278/एक (तीन)/74 भोपाल, दिनांक 7 मार्च, 1974

प्रतिलिपि :—

1. निम्बधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. अवर सचिव (अधीक्षण)/अवर सचिव (स्थापना)/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/समस्त उप मंत्रिगण के निजी सचिव/निजी सहायक

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

एफ. क्रमांक 5–1/74/3/1 भोपाल, दिनांक 15 मई, 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा छत्तीसगढ़ प्रान्त संघ के कार्य–कलापों में भाग लेने संबंधी आदेश को निरस्त करना.
संदर्भ.—इस विभाग का दिनांक 23 सितम्बर, 1971 का ज्ञापन क्रमांक 527/567/1 (3)/71.

इस विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन में शासकीय सेवकों पर छत्तीसगढ़ प्रान्त संघ के कार्यकलापों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस संबंध में पुन: विचार करने के उपरांत शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त संस्था कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, अत: उसके कार्य–कलापों में भाग लेने के लिये शासकीय सेवकों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, और न उससे मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 (1) के उपबंधों का उल्लंघन होना माना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./–
(कान्त स्वरूप भटनागर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ. क्रमांक 5–1/74/3/1 भोपाल, दिनांक 15 मई, 1974

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, सचिवालय, भोपाल.
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/समस्त उप मंत्रिगण के निजी सहायक निजी सचिव
की सूचना के लिये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./–
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ. क्रमांक 5-3/74/3/1 भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर, 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में.

1. आल इंडिया स्टुडेंट्स फेशरेशन.
2. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्.
3. समाजादी युवजन सभा.
4. स्टूडेंट्स कांग्रेस.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह स्पष्ट किया जाता है कि पार्श्व में उल्लेखित चारों छात्र संगठन राजनीति में भाग लेते हैं. अतएव शासकीय सेवकों द्वारा इनमें से किसी भी संगठन की सदस्यता ग्रहण करना या उनके कार्य-कलापों में भाग लेना उपर्युक्त नियम के नियम 5 (1) के उपबंधों के विरुद्ध होगा. आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों का ध्यान इस निर्देश की ओर दिला दें कि उपर्युक्त छात्र संगठनों का कोई भी शासकीय सेवक न तो सदस्य बनेगा और न किसी भी अन्य प्रकार से इनके कार्यकलापों से अपने को संबंध करेगा तथा इस आदेश के उल्लंघन करने वाला शासकीय सेवक अपने को आनुशासिक कार्यवाही का भागी बनाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भवदीय
हस्ता./-
(आनन्द मोहन)
उपसचिव.
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग..

एफ. क्रमांक 5-3/74/3/1 भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर, 1974

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. अवर सचिव (स्थापना) अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/उप मंत्रिगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ. क्रमांक 5-3/74/3/1 भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 1975

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टरर्स
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवकों द्वारा राजनीतिक विद्यार्थी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में.

संदर्भ.—इस विभाग का दिनांक 3 सितम्बर, 1974 का ज्ञापन क्रमांक 3 सितम्बर, 1974.

इस विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन के अनुवृत्त में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की गतिविधियां भी राजनीति से अलग नहीं होने के कारण शासकीय सेवकों द्वारा इसकी सदस्यता ग्रहण करना या उसके कार्यकलापों में भाग लेना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5(1) के उपबंधों के विरुद्ध होगा. आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों का ध्यान इस निदेश की ओर आकृष्ट कर उन्हें आगाह कर दें कि यदि कोई शासकीय सेवक इस निदेश का उल्लघंन करता है तो वह आनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(आनन्द मोहन)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ. क्रमांक 5-3/74/3/1 भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 1975

प्रतिलिपि :—

1. निम्बधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव,
सचिव, विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. अवर सचिव (अधीक्षण)/अवर सचिव (स्थापना)/लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, सचिवालय, भोपाल,
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/समस्त उप मंत्रिगण के निजी सचिव/निजी सहायक
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 713/75 भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 1975, 6 श्रावण 1897

प्रति,

समस्त सचिव/विशेष सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश शासन.

विषय.—शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दूध बेचने का धंधा करने पर रोक लगाने के बारे में.

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ अधिकारियों, विशेषकर उच्च-वर्ग के, दूध बेचने का धंधा कर रहे हैं. शासकीय आवास गृहों में गाएँ/भैंसे पाली जा रही हैं, मातहत शासकीय कर्मचारियों को पशुओं की देख-रेख में लगाया जा रहा है और दूध बेचने का धंधा किया जा रहा है. यह भी पता चला है कि चारा, चूनी-भूसी आदि जो प्राप्त किया जाता है, उसकी कीमत नहीं चुकाई जाती और यहां तक कि अपने मातहतों को दूध खरीदने के लिये भी बाध्य किया जाता है. शासकीय कर्मचारियों के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वे अपने आचरण को इस प्रकार रखे कि कोई उनके ऊपर ऊंगली न उठा सके. शासकीय कर्मचारियों को इस बात की छूट नहीं है कि वे अपने किसी निजी धंधे में लग जाएं. किसी भी शासकीय कर्मचारी के मन में ऐसा कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए कि वह आचरण नियमों के विरुद्ध कार्य करे और उसकी जानकारी दूसरों को न मिले या दूसरे लोग उसके बारे में टीका-टिप्पणी न करें. गाएँ/भैंसें पालने और दूध बेचने का जो काम हो रहा है उसकी जानकारी छोटे-बड़े सभी को है. उच्चाधिकारियों को विशेष रूप से आलोचना की जा रही है. जब उनका आचरण स्वच्छ नहीं है और जब वे स्वयं आचरण नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तब छोटे कर्मचारियों से आचरण अरखने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है.

2. शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दूध का धंधा करना शासकीय सेवक आचरण नियमों के विपरीत है और इस स्थिति को किसी भी हालत में जारी नहीं रहने दिया जा सकता. इसलिये संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आगाह किया जाता है कि वे दूध का धंधा फौरन ही समाप्त कर दें. यदि ऐसा नहीं किया गया तब शासकीय सेवक आचरण नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा.

हस्ता./-
(बल्देवसिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

डी. क्रमांक 576/1719/1(3)/75 भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 1975

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों द्वारा गैर कानूनी संगठनों में भाग न लेने के संबंध में निर्देश.

भारत सरकार ने भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 33 के प्रयोजनों के लिये 26 संगठनों को गैर कानूनी संगठन अधिसूचित किया है. उक्त संगठनों के नाम गृह विभाग द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 1975 की अधिसूचना फा. क्रमांक 26-3-/75-क्ष-एक में दर्शाए गए हैं. उसकी प्रति संदर्भ के लिये संलग्न है.

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 8 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी ऐसी संस्था में न तो सम्मिलित होगा और न उसका सदस्य रहेगा जिसके कि उद्देश्य तथा कार्यकलाप भारत के प्रभुत्व तथा अखण्डता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हों. चूंकि भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 33 के अन्तर्गत उक्त संगठनों को अन्य कारणों के साथ-साथ सावर्जनिक व्यवस्था की दृष्टि से भी अहितकर माना गया है, अतः जो भी शासकीय सेवक इन संगठनों से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध होना पाया जाएगा या उससे साहचर्य रहेगा उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर उसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 में उल्लेखित कोई भी दण्ड दिया जा सकता है तथा इसके अतिरिक्त वह भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 33 में उल्लिखित दण्ड भुगतने का भी भागी होगा.

3. अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को इस अनुदेश से कृपया अवगत करा दें.

हस्ता./-
(बल्देव सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
("क्ष" अनुविभाग)

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 1975

फा. क्र. 26-3-75-क्ष-एक.—चूंकि, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक एस. ओ. 304 (ई), एस. ओ. 30, एस. ओ-306 (ई) तथा एस. ओ. 307 (ई), दिनांक 3 जुलाई, 1975 द्वारा भारत रक्षा नियम, 1971 का नियम 33 नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित संस्थाओं को लागू कर दिया गया है.

और चूंकि, इण्डियन क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट, 1908 (क्रमांक 14 सन् 1908) की धारा 17-ए से 17-ई तक के उपबन्ध उक्त नियम के उप-नियम (4) द्वारा उक्त संस्थाओं को लागू होते है:

और चूंकि, ाज्य शासन की यह राय है कि उक्त संस्थाओं के राज्य में, के कार्यालयों का उपयोग ऐसी संस्थाओं के प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है:

अतएव, इण्डियन क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट, 1908 (क्रमांक 14 सन् 1908) की धारा 17-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त कार्यालयों को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिये अधिसूचित करता है:—

अनुसूची

1. आनंद मार्ग
2. प्राउटिस्ट फोरम आफ इण्डिया
3. प्राउटिस्ट ब्लाक आफ इण्डिया
4. विश्वसंक्राति सेवा उर्फ वालिन्टिअर सर्विस
5. सेवा धर्म मिशन
6. एजुकेशन रिलीफ एण्ड वेलफेअर सेक्शन
7. प्रगितिशील भोजपुरी समाज
8. अंगिका समाज
9. वघेल खण्ड समाज
10. यूनिवर्सल प्राउटिस्ट लेबर फेडरेशन
11. यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टुडेन्टस फेडरेशन
12. रिनायसा यूनिवर्सल क्लब
13. रिनायसा आर्टिस्ट एण्ड रायडर्स एसोसियेशन
14. आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीप
15. कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट लेनिनिस्ट) चार मुजुमदार ग्रुप प्रोलिन पिआउफेक्शन.
16. कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट सबनिनिस्ट) (चार मुजुमदार ग्रुप एण्टीलिन पिआउ फेक्शन)
17. यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट लेनिनिस्ट) एस. एम. सिंह चन्द्र पुल्ला रेड्डी ग्रुप

18. दी आध्रप्रेदश कम्युनिस्ट कमेटी (रिवूलेशिनरी) (टी. नागरिड्डी ग्रुप)
19. कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट लेनिनिस्ट) सुनीति घोष शर्मा फेक्शन)
20. ईस्टर्न इण्डिया जोनल कन्सालिडेशन आफ कमेटी दी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्किस्ट लेनिनिस्ट)
21. दी माउइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर
22. दी मुक्ति युद्ध ग्रुप
23. युनिटी सेन्टर आफ कम्युनिस्ट रियूलेशिनरी आफ इण्डिया (मार्किस्ट लेनिनिस्ट)
24. सेन्टर आफ इण्यिन कम्युनिस्ट
25. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ.
26. जमाल-ए-इस्लामी-ए-हिन्द.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
एम. एम. खार,
सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 800-1267-1 (3) भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर, 1975

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों के प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल आदि पर प्रतिबंध.

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी भविष्य में किसी भी प्रदर्शन, जुलूस, हड़ताल आदि की कार्यवाही में भाग न लें. इस आदेश के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी.

2. शासन के इन आदेशों की सूचना सभी कर्मचारियों को कृपया दी जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(बल्देव सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

डी. क्र. 801/1267/1 (3), भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 1975

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सकर्तता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षण)/लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
4. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण/समस्त उप-मंत्रिगण के निजी सचिव/निजी सचिव/निजी सहायक

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 256/मुस/76 भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल, 1976-19 चैत्र 1898

प्रति,

राज्य शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र.
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास बाबत्.

शासन ने यह निर्णय लिया है कि कोई भी शासकीय अधिकारी किसी प्रकार का उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं करेंगे. यदि इन कार्यों के लिये किसी शासकीय अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है तब उसे चाहिए कि वह आमंत्रण को स्वीकार न करे. उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि कार्यों को अशासकीय कार्यकर्ता द्वारा ही संपादित करना है. इसी प्रकार सार्वजनिक कार्यक्रमों में विशेष अथवा अध्यक्ष बनने के आमंत्रणों को भी शासकीय अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं करना है. इस प्रकार के कार्यक्रमों में अधिकारी केवल सम्मिलित हो सकते हैं. जो अतिथि शासकीय कर्मचारियों के लिये दर्शाया गया है वह उनकी पत्नियों के लिये भी लागू होता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(सुशीलचन्द्र वर्मा)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 5-6/77/3/1, भोपाल, दिनांक 4 जुलाई, 1977 13 आषाढ़ 1899

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना, इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना.

शासन द्वारा यह महसूस किया जा रहा है शासकीय सेवकों अपने सेवा संबंधी निजी मामलों जैसे पदोन्नतियां, स्थानान्तरण, पदस्थापना इत्यादि को अपने हित में निपटवाने के लिये अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर राजनीतिज्ञों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा प्रभाव डलवाने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती चली जा रही है. यदि समय रहते इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गई तो इसमें संदेह नहीं है कि शासकीय सेवकों में अनुशासन कायम रखना कठिन हो जाएगा. अतः, शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि शासकीय सेवक अपने स्थानान्तर, नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा संबंधी अन्य मामलों के विषय में विधायकों, संसद सदस्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण गैर-सरकारी व्यक्तियों की मदद लेते हैं या उनके माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रभाव डलवाने का प्रयत्न करते हैं, तो इस प्रकार की कार्यवाही को कदाचरण माना जाएगा और संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे.

2. आपसे निवेदन है कि अपने अधीन सभी शासकीय सेवकों को शासन के उपुर्यक्त निर्णय से अवगत कराएं एवं इस आदेश के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(व्ही. जी. निगम)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ. क्र. 5-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 4 जुलाई, 1977 13 आषाढ़ 1899

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./–
(के. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 5-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 29 जुलाई, 1979

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों द्वारा अपने स्थानान्तर, पदस्थापना, इत्यादि के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा प्रभाव डलवाना.

संदर्भ :— इस विभाग का दिनांक 4 जुलाई, 1977 का ज्ञापन एफ. क्रमांक 5-6/77/3/1.

उपर्युक्त ज्ञापन में शासकीय सेवकों को अपने स्वयं के सेवा संबंधी मामलों को अपने इच्छानुसार निपटवाने के लिये राजनीतिक प्रभाव डलवाने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का निदेश दिया गया है. शासन के ध्यान में एक ऐसा प्रकरण लाया गया है कि उपर्युक्त ज्ञापन का गलत अर्थ लगाकर व्यथित शासकीय सेवक को दंडित करने की कार्यवाही की जा रही है. प्रकरण इस प्रकार का है कि एक पटवारी की सेवाएं समाप्त की गई थी. उस पटवारी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय ने उसकी सेवा समाप्ति के आदेश को अवैध घोषित कर उसे सेवा में वापस लेने का निर्णय दिया. इस निर्णय के फलस्वरूप जिलाध्यक्ष द्वारा न्यायालय के निर्णय अनुसार उस पटवारी को पुनः सेवा में वापस लेने के आदेश निकाले गये. तहसीलदार द्वारा इस आदेश को महत्व नहीं देते हुए उस पटवारी को सूचित किया गया कि उसका मामला शासन के समक्ष विचाराधीन है अतः उसे कर्त्तव्य पर नहीं माना जा सकता एवं उसे नियुक्त करने का तब तक प्रश्न नहीं उठता जब तक शासन द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया जाता. इस प्रकार उसे तीन चार माह तक प्रतीक्षा करने पर भी नियुक्ति नहीं देने पर उसने अपने क्षेत्र के संसद सदस्य को अपनी सेवा का वृतांत लिखकर सहायता करने का निवेदन किया. संसद सदस्य द्वारा जिलाध्यक्ष को इस मामले की जांच कर उसके परिणाम से उन्हें अवगत कराने का निवेदन पत्र द्वारा किया गया गया. इस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन में उल्लिखित अनुदेश के उल्लंघन करने के आरोप पर उस पटवारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ कर दी गई.

2. उपुर्यक्त प्रकार की कार्यवाही इस विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन में निहित भावना के अनुकूल नहीं है. उस पटवारी ने अपने स्थानान्तर, पदोन्नति के लिये संसद सदस्य की सहायता नहीं मांगी थी. उसकी पुनः पदस्थाना के आदेश जारी होने के तीन चार माह व्यतीत होने के बाद भी ड्यटी पर नहीं लेने के कारण उसे संसद सदस्य को शरण लेनी पड़ी, जबकि वह करीबन 10 वर्षो से सेवा से अलग कर दिया गया था. उसकी स्थिति में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कार्यवाही करता, जबकि उसे अपने मामले में संबंधित अधिकारियों से कोई सहायता मिलने की आशा नहीं थी. अतः, शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रकार के मामलों में यदि किसी शासकीय सेवक के बारे में कोई संसद सदस्य या विधायक संबंधित अधिकारी से जांच करने का निवेदन करता है तो उसे उस शासकीय सेवक का कदाचरण नहीं माना जा सकता. शासन चाहता है कि विभाग द्वारा निकाले गये अनुदेश को उसकी भावना के अनुसार शासकीय सेवकों पर लागू किया जाए.

हस्ता./-
(व्ही. जी निगम)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्र. एफ. 5-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 1977

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिंव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 5-1/77/3/1

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 1977
9 आश्विन 1899

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ शासकीय सेवकों का व्यवहार.

शासन के ध्यान में यह आया है कि यद्यपि कानून के द्वारा के समाज से अस्पृश्यता समाप्त की जा चुकी है फिर भी प्रायः यह देखा जाता है कि व्यवहारिक रूप में अभी भी पिछड़े जाति के व्यक्तियों के साथ पूर्ण रूप से समानता का व्यवहार नहीं होता है? इस प्रकार के भेदभाव को दूर करने में शासकीय सेवक महत्वूर्ण भूमिका निभा सकते है. यदि शासकीय सेवक अपने व्यवहार में पिछड़े जातियों के व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करें तो अन्य व्यक्तियों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और इस सामाजिक बुराई को जल्दी समाप्त किया जा सकेगा.

2. जब भी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी, जिनके कार्य का संबंध हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों के साथ किसी न किसी रूप में आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय दौरे पर जाते है. तो उनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य यह होगा कि उन्हें हरिजन तथा पिछड़ी जाति के व्यक्तियों की बस्तियों में जाकर मौके पर ही उनसे मिल कर उनकी समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए और उनके निवारण के लिये तुरन्त आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए.

3. शासकीय सेवकों को शासकीय दौरे में जब भी जनता से किसी जन कार्य के संबंध में विचार विमर्श या चर्चा करना पड़े, या जब भी वहां की जनता उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर सहायतार्थ आएं तब उन्हें इस बात को और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हरिजनों एवं पिछड़ी जाति के जो व्यक्ति आते है उनके साथ वे समानता का व्यवहार करें तथा उन्हें भी अन्य नागरिकों के साथ समानता से बैठने के लिये प्रोत्साहित करें जिससे वहां उनके विरुद्ध किसी प्रकार की हीन भावना परिलक्षित न हो.

4. शासन सभी शासकीय सेवकों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने व्यवहार से अस्पृश्यता के सामाजिक कलंक को समाप्त करने के लिये किसी प्रकार की कोई कसर उठा नहीं रखेंगे तथा इस विषय पर शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त अनुदेशों का उनकी भावना के अनुरूप कड़ाई से पालन करते रहेंगे.

हस्ता./-
(शशांक मुकर्जी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ. क्र. 5-1/77/3/1

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 1977
9 आश्विन 1899

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सकर्तता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 171/52/1(3)/81 — भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 1981

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमाएत-ए-इस्लामी के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) में यह व्यवस्था है कि कोई भी शासकीय सेवक, किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन का, जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा, न उससे अन्यथा संबंध रखेगा और न वह किसी राजनैतिक आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा न उसकी सहायतार्थ चन्दा और न किसी अन्य रीति से उसकी सहायता करेगा. इस संबंध में आपका ध्यान इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2904/3763/1(3)66, दिनांक 23 दिसम्बर 1966 में दिये गये निर्देशों की ओर आकृष्ठ किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि शासकीय सेवकों द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जमाएत-ए-इस्लामी जैसी संस्था के कार्यकलापों में भाग लेना या उससे किसी रूप में सहयोग करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उक्त प्रावधान का उल्लंघन माना जाएगा तथा वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिये भागी होगा.

2. राष्ट्र में अभी जो परिस्थितियां विद्यमान है, उसके संदर्भ में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि शासकीय सेवकों का दृष्टिकोण धर्म निरपेक्ष हो. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद की ओर झुकाव की प्रवृत्ति को समाप्त करने की आवश्यकता आज कितनी अधिक है.

3. शासन तथा उसके अधिकारी, स्थानीय संस्थाएं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा साम्प्रदायिकता के आधार पर प्राप्त याचिकाओं अथवा अभ्यावेदनों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए तथा किसी भी साम्प्रदायकि संगठन को किसी प्रकार का प्रश्रय नहीं देना चाहिए.

4. आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ शासकीय कर्मचारियों को विशेष तौर पर कंडिका 1 में दिये गये अनुदेश से पुनः अवगत करा दें. इनके साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि उक्त हिदायतों के उल्लंघन को शासकीय सेवक द्वारा गंभीर अनुशासनहीनता की कार्यवाही मानते हुए उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एस. के. चतुर्वेदी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्र. 172/52/1(3)/81 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 1981

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सकर्तता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 173/165/1(3) 81 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल, 1981

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय कर्मचारियों को "आनन्द मार्ग" के कार्यकलापों के साथ साहचर्य.

आपका ध्यान मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अधीन कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य होगा और न उससे कोई संबंध ही रखेगा और न वह किसी राजनीतिक आन्दोलन या कार्य में भाग लेगा और न उसकी सहायतार्थ चन्दा और न किसी अन्य रीति में उसे सहायता देना. उक्त नियम के नियम 5 (3) के अधीन, यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठे कि कोई दल राजनीतिक दल है या ऐसा कोई संगठन है जो राजनीति में भाग लेता है, इस नियम के अंतर्गत राज्य शासन ही इस वाद-विषय का निर्णय कर सकता है. इस नियम के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई शासकीय सेवक "आनन्द मार्ग" या इससे किसी भी संबंधित संगठन की सदस्यता या कार्यकलापों की गतिविधियों में भाग लेता है तो वह अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा. "आनन्द मार्ग" में संबंधित संगठनों की सूची संलग्न है.

2. आपसे निवेदन है कि शासन के उपर्युक्त अनुदेश से आप अपने अधीन समस्त शासकीय सेवकों को अवगत कराने का कष्ट करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(बी. जे. हीरजी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्र. 174/165/1(31)/81 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 1981

प्रतिलिपि :

1. रजिस्टार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सकर्तता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव

सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल

3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

अनुलग्नक

1. व्ही. एस. एस. (व्हालंटियर सोसियल सर्विस)
2. अमरा बंगाली
3. दि प्रोग्रेसिव फेडरेशन आफ इंडिया
4. दि प्राउटिस्ट फोरम आफ इंडिया
5. अंगिका समाज
6. प्रगतिशील मगही समाज
7. नागपुरी समाज
8. मैथिली समाज
9. प्रगतिशील भोजपुरी समाज
10. अवधी समाज
11. ब्रज समाज
12. बुंदेली समाज
13. गढ़वाली समाज
14. कुमायुनो समाज
15. प्रगतिशील हरयाणा समाज
16. असी पंजाबी
17. प्राउटिस्ट लीग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 2259/1665/1(4)/81 भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 1981

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि के संबंध में.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक—

(1) क्रमांक 6644/748/1(5) 69, दिनांक 16 अप्रैल, 1969.

(2) मुख्य सचिव का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 1796/मुस/73, दिनांक 7 दिसम्बर, 1973.

(3) ज्ञापन क्र. 256/मु.स./76, दिनांक 8 अप्रैल, 1976.

(4) क्रमांक 2851-1(4) 79, दिनांक 5 मई, 1979.

शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि कतिपय अधिकारी अभी भी उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करने के निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा ये कार्य किये जाते हैं. उपर्युक्त संदर्भ में दर्शाये गये ज्ञापन एवं मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र द्वारा स्पष्ट अनुदेश जारी किये गये हैं कि यदि कोई भी शासकीय अधिकारी किसी प्रकार के उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं करेंगें और इस प्रकार के कार्यक्रमों में विशेष अतिथि या अध्यक्ष भी नहीं बनेंगे. वे केवल ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं, ये अनुदेश शासकीय अधिकारियों की पत्नियों पर भी लागू होते हैं. शासन इन अनुदेशों को पुनः दोहराना चाहता है और समस्त अधिकारियों को सूचित करना चाहता है कि यदि इन अनुदेशों की कोई अवहेलना हो तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

हस्ता./-
(वी. जे. हीरजी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एम. 23-27/81/4/1 भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 1981

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्‍घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि के संबंध में.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक—

(1) क्रमांक 6644/748/1(3) 69, दिनांक 16 अप्रैल, 1969.

(2) मुख्य सचिव का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 1796/मुस/73, दिनांक 7 दिसम्बर, 1973.

(3) ज्ञापन क्र. 256/मु.स./76, दिनांक 8 अप्रैल, 1976.

(4) क्रमांक 2851-1(4) 79, दिनांक 5 मई, 1979.

(5) क्रमांक 2259/1665/1(4)/81, दिनांक 23 अप्रैल, 1981.

शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि कतिपय अधिकारी एवं उनकी पत्नियां सार्वजनिक समारोहों में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण स्वीकार कर लेते है और उनके द्वारा उद्‍घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि के कार्य किये जा रहे हैं जबकि इस संबंध में, संदर्भ में दर्शाये गये ज्ञापनों में स्पष्ट अनुदेश जारी किये गये है कि कोई भी शासकीय अधिकारी या उसकी पत्नी किसी प्रकार का उद्‍घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि नहीं करेंगें. शासन इन अनुदेशों को पुन: दोहराना चाहता है और समस्त अधिकारियों को सूचित करना चाहता है कि यदि इन अनुदेशों की कोई अवहेलना होगी तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

हस्ता./-
(एस. के. चतुर्वेदी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्र. सी-5-1-83-3-एक भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 1983

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965—नियम 19(4)—अचल सम्पत्ति का विशेष विवरण (Special Return) प्रस्तुत करने के संबंध में.

यह सामान्य धारणा है कि कुछ शासकीय सेवक अपनी ज्ञात आय के अनुपात से अधिक सम्पत्ति अर्जित कर लेते है. यह स्थिति बिलकुल असंतोषजनक है. क्योंकि इससे शासकीय सेवाओं के प्रति यह धारणा बनती है कि उनमें काफी मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में प्रावधान है कि शासकीय सेवकों को प्रतिवर्ष अचल सम्पत्ति के संबंध में पूर्ण विवरण (Return) प्रस्तुत करना चाहिए. वरिष्ठ शासकीय सेवकों को छोड़कर, अधिकतर शासकीय सेवक इन विवरणों (Returns) को नहीं भरते हैं और न ही इनकों नियमित रूप से प्राप्त करने तथा जांच करने के लिये कोई युक्तियुक्त प्रथा ही है. इन्हीं परिस्थितियों को दृष्यिगत रखते हुए शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :—

(1) उपरोक्त नियमों के नियम 19(4) के अनुसरण में राज्य शासन यह निर्देश देता है कि अध्यापकगण (Teachers), लिपिकीय सेवाओं में संलग्न तृतीय श्रेणी के कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर समस्त शासकीय सेवक उनके द्वारा 31 मार्च, 1983 को धारित अचल सम्पत्ति के संबंध में एक विशेष विवरण (Special Return) प्रस्तुत करेंगे. उक्त नियम के अधीन तैयार किया गया विशेष विवरण का प्रपत्र संलग्न है. यह विवरण दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 तक निश्चित रूप से, कर्मचारियों द्वारा उनके लिये निर्दिष्ट नीचे दर्शाये गये अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाये :—

(क) जिला स्तरीय एवं इससे निम्न स्तर के कार्यालयों/स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा विवरण अपने कार्यालय/स्थापना प्रमुख को प्रस्तुत किया जायेगा, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि प्रस्तुत विवरण जिले के जिलाध्यक्ष को निर्धारित तिथि के पूर्व प्राप्त हो जाएं.

(ख) संभागीय स्तर के कार्यालयों/स्थापनाओं में कार्यरत शासकीय सेवक अपने विवरण, कार्यालय/स्थापना प्रमुख के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे जो कि आयुक्त को निर्धारित तिथि के पूर्व निश्चित रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए.

(ग) विभागाध्यक्ष अथवा राज्य शासन के कार्यालयों/स्थापनाओं में कार्यरत शासकीय सेवक अपने विवरण कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेंगे जिससे कि वे संबंधित सचिव/विभागाध्यक्ष को निश्चित रूप से निर्धारित तिथि के पूर्व प्राप्त हो जाएं.

(2) इन विशेष विवरणों (Special Returns) पर जो कार्यवाही की जाना है उसके संबंध में निर्देश अतिशीघ्र अलग से प्रसारित किये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(नन्हे सिंह)
विशेष सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ. क्र. सी-5-1-83-3-एक

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर, 1983

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   लोकायुक्तत, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण/समस्त उप-मंत्रिगण के निज सचिव/निजी सहायक,
4. सचिव/विशेष सचिव/उपसचिव (समस्त), सामान्य प्रशासन विभाग

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

फार्म

दिनांक 31-3-83 को धारित अचल सम्पत्ति का विशेष विवरण

1. अधिकारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ....

2. वर्तमान धारित पद .... 3. प्रथम नियुक्ति का पद एवं दिनांक ....

3. प्रथम नियुक्ति के समय कुल वेतन .... 5. वर्तमान पद का कुल वेतन ....

उस जिले, उपसंभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो.	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		संपत्ति अर्जित करने का दिनांक व उसका उस समय मूल्य	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा.
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय प्लाट एवं कृषि भूमि)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

यदि विरासत में नहीं है तो शासन को सूचना देने/अनुमति प्राप्त करने का दिनांक	यदि विरासत या भेंट नहीं है तो उसके लिये लगाए गए वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण (जिनसे नगद ऋण या भेंट ली है उनका पूरा पता दिया जाए)	यदि संपत्ति में कोई सुधार/विस्तार किया गया है तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार/विस्तार के लिये शासन को नियमानुसार सूचित किया गया था अनुमति ली गई	संपत्ति से वार्षिक आय	यदि संपत्ति को बेचा या हस्तांतरित किया गया है तो उसके पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

** ऐसे मामले में, जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए.

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-3-30/84/3/1 भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत्.

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 9019-5116-1(3), दिनांक 8-7-1957 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय कर्मचारियों को शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिये पूर्व में जो 10 प्रतिशत कर्मचारियों को अनुमति दिये जाने का प्रावधान था उसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाय. अन्य निर्धारित शर्तें पूर्ववत ही रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-3-30/84/(3) 1 भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर, 1984

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   सचिव, लोकायुक्त, म. प्र., भोपाल,
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण/समस्त उप-मंत्रिगण के निज सचिव/निज सहायक.
4. सचिव/विशेष सचिव/उपसचिव (समस्त), सामान्य प्रशासन विभाग,
   अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्यलेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल.
5. अध्यक्ष, राजपत्रित अधिकारी संघ/म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ/लघु वेतन कर्मचारी संघ.

हस्ता./-
(आर. सी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एम.-19-95/87/1/4 भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल, 1987

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार कराना.

शासन के निर्देशों के अनुसार कोई भी शासकीय अधिकारी किसी प्रकार का उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं करेंगे, किसी कार्यक्रम में विशेष अतिथि या अध्यक्ष नहीं बनेंगे तथा व्यक्तिगत प्रशंसा के प्रचार से दूर रहेंगे.

2. उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिये जौर दिया जाता है. शासन अपने पूर्व के अनुदेशों को पुनः दोहराते हुए, अपने अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे उक्त निर्देशों का पूर्ण कठोरता से पालन करें.

3. उक्त अनुदेश शासकीय अधिकारियों की पत्नियों पर लागू होते हैं.

हस्ता./-
(रघुनाथ प्रसाद)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एम.-19-69/88/1/(4) भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.

उपरोक्त विषय पर शासन द्वारा अनेकों बार आदेश प्रसारित किये गये हैं व अंतिम आदेश क्रमांक एम.-19-95/87/1/4, दिनांक 23 अप्रैल, 1987 जारी किया गया है. जिसकी प्रति संलग्न है.

2. इसके बावजूद ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जहां इन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है. मुख्यमंत्रीजी ने इन आदेशों के उल्लंघन को गंभीर रूप से लिया है व आदेशित किया है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने हेतु समस्त अधिकारियों को आदेश दिये जावें.

3. अतः स्पष्ट किया जाता है कि इन आदेशों का उल्लंघन होने पर शासन कड़ा रूख अपनायेगा.

हस्ता./-
(विनय शंकर)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक सी-3-16/88/3/49 भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 1988

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय कर्मचारियों को बहुजन समाज पार्टी बामसेफ डी. एफ-4 के कार्यकलापों के साथ साहचर्य.

आपका ध्यान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अधीन कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य होगा और न उससे कोई संबंध ही रहेगा और न वह राजनीति आन्दौलन या कार्य में भाग लेगा और न उसकी सहायतार्थ चन्दा और न किसी अन्य रीति में उसे सहायता देगा. उक्त नियम के नियम 5(3) के अधीन, यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठे कि कोई दछु राजनीतिक दल है या ऐसा कोई संगठन है जो राजनीति में भाग लेता है, इस नियम के अंतर्गत राज्य शासन ही इस विषय पर निर्णय ले सकता है. इस नियम के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई शासकीय सेवक बहुजन समाज पार्टी बामसेफ डी. एफ-4 या इससे संबंधित किसी भी संगठन की सदस्यता, कार्यक्रम या कार्यकलापों की गतिविधियों में भाग लेता है तो वह अनुशासमिक कार्यवाही का भागी होगा.

2. आपसे निवेदन है कि शासन के उपर्युक्त अनुदेश से आप अपने अधीन समस्त शासकीय सेवकों को अवगत कराने का कष्ट करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

पृष्ठांकन क्र. सी-3-16/88/3/49 भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 1988

प्रतिलिपि :

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर,
   सचिव, राज्य सकर्तता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रीगण/समस्त राज्य मंत्रीगण के निज सचिव.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

एफ. क्रमांक सी-4-1/90/3/49 भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 1990

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवा में नियुक्ति-कर्मचारियों से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-23 के अंतर्गत वचन-पत्र लेना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का मादक पेयों तथा औषधियों के उपयोग के निषेध संबंधी नियम-23 निम्नानुसार है :—

(क) मादक पेयों या औषधियों संबंधी किसी विधि की, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त हो, जिसमें कि वह तत्समय हो, सम्यक रूपेण पालन करेगा;

(ख) अपने कर्तव्यों का पालन करते समय कोई मादक पेय या औषधि नहीं पियेगा, और न उसके प्रभाव में रहेगा;

(ग) किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं होगा;

(घ) किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासतः भी उपयोग नहीं करेगा.

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपर्युक्त नियम की भावना के अनुरूप राज्य शासन द्वारा अब यह और निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन की विभिन्न सेवाओं के (जिन पर ये आचरण नियम लागू हैं) विभिन्न पदों पर नियुक्ति के पश्चात् संबंधित शासकीय सेवकों से संबंधित विहित प्राधिकारियों द्वारा इस आशय का घोषणा-पत्र (संलग्न प्रपत्र के अनुसार) लिया जाए कि वे सार्वजनिक रूप से एवं अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन की अवधि में मद्यपान नहीं करेंगे.

3. उपर्युक्त निर्देशों से आप अपने अधीनस्थ कार्मिकों को अवगत करायें तथा घोषणा पत्र प्राप्त कर, उनकी गोपनीय चरित्रावलियों में संलग्न करें.

4. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की रसीद मेरे नाम से, इस पत्र का संदर्भ देते हुए मुझे भेजें और इन निर्देशों का पालन सम्पूर्ण हो जाने पर एक सम्पूर्ण पालन प्रतिवेदन भी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(इकबाल अहमद)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

पृष्ठांकन एफ. क्र. सी–4–1/90/3/49 भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 1990

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश, राजभवन, भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ.
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर.
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./–
(ओ. एन. शर्मा)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.

घोषणा-पत्र

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, सार्वजनिक रूप से एवं अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन की अवधि में मद्यपान नहीं करूंगा.

हस्ताक्षर ....

नाम ....

स्थान .... पद ....

दिनांक .... विभाग ....

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-12-24/91/3/1 भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :— शासकीय सेवकों, परिवार के सदस्यों, उनके रिश्तेदारों द्वारा शासकीय आवास गृहों में व्यवसाय करने पर प्रतिबंध.

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय शासकीय अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य शासकीय सेवक को आवंटित शासकीय आवास गृहों में वाणिज्यिक कार्य संचालित कर रहे हैं. यह अत्यन्त आपत्तिजनक है तथा आलोचना का विषय बनता है. शासकीय आवास शासकीय सेवक और उनके परिवार के रहने के लिये है न कि वाणिज्य के प्रयोजन के लिये. शासकीय आवास गृह आवंटित करने के पीछे शासन का यह उद्देश्य रहता है कि शासकीय सेवकों को यथासमय उचित सुविधाजनक शासकीय आवास गृह आवंटित होने पर उनकी कार्यक्षमता बढ़ सके. शासकीय आवास गृहों में वाणिज्यिक कार्य का संचालन करना आवंटित किये गये आवास गृह का दुरूपयोग है.

अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि अगर कोई शासकीय सेवक परिवार के सदस्य अथवा उनके रिश्तेदार शासकीय सेवक को आवंटित शासकीय आवास गृहों में वाणिज्यिक कार्य का संचालन करते हैं तो इस कृत्य को संबंधित शासकीय सेवक द्वारा आचरण नियम का किया गया उल्लंघन माना जाएगा. ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

हस्ता./-
(ओम प्रकाश मेहरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-12-24-91/3/1 भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 1992

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश, सचिवालय
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ. सी-5-2/92/3/1 भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का अद्यतन संशोधित संस्करण निकाला जाना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 की अद्यतन संशोधित प्रति उपलब्ध न होने के कारण प्रकरणों के निराकरण में अनुभव की गई कठिनाईयों को देखते हुए उक्त नियमों की अद्यतन संशोधित प्रति आपके कार्यालय के उपयोग हेतु भेजी जा रही है.

संलग्न.—उपरोक्तानुसार-1

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ. सी-3/92/3/1 भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 1992

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   लोकायुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, राज्य सकर्तता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण महाधिवक्ता, जबलपुर, मध्यप्रदेश,
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एम. 19-58/92/1/4 भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन—

(1) क्रमांक एम-19-95/87/1/4, दिनांक 23 अप्रैल, 1987 एवं
(2) क्रमांक एम-19-69/88/1/4, दिनांक 7 अप्रैल, 1988.

शासन के उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कोई भी शासकीय अधिकारी किसी प्रकार का उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं कर सकते, किसी कार्यक्रम में विशेष अतिथि या अध्यक्ष नहीं बन सकते. यह अपेक्षित है कि वे व्यक्तिगत प्रशंसा के प्रचार से दूर रहेंगे.

2. उपरोक्त निर्देशों के बावजूद, शासन के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि इन आदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा है.

3. शासन पूर्व के अनुदेशों को दोहराते हुए, सभी शासकीय सेवकों को निर्देशित करता है कि उक्त निर्देशों का पूर्ण कठोरता से पालन किया जाए.

4. इन आदेशों का उल्लंघन होने पर शासन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ा रूख अपनाएगा.

हस्ता./-
(सुषमा नाथ)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-5-5/92/3/1 भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा निजी व्यापार या नौकरी करने की सूचना देने के संबंध में.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 16(2) में यह प्रावधान है कि "प्रत्येक शासकीय सेवक शासन को रिपोर्ट करेगा, यदि उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य व्यापार या कारोबार में लगा हो या किसी इन्स्यूरेन्श एजेन्सी या आढ़त कमीशन का स्वामित्व रखता हो या प्रबंध करता हो". इस नियम के उप नियम "1" की व्याख्या में यह भी "स्पष्ट किया गया है कि शासकीय सेवक द्वारा, उसकी पत्नी या उसके कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के स्वामित्व की या उसके द्वारा प्रबंधित बीमा एजेन्सी आढ़त (कमीशन एजेन्सी) आदि के कारोबार के समर्थन में किया गया प्रचार इस उप नियम का उल्लंघन होगा".

2. शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय शासकीय सेवक पत्नी या अपने पुत्र/पुत्री के नाम से स्वयं व्यापार या व्यवसाय जिसमें बीमा एजेन्सी भी शामिल है, करते हैं. यह कृत्य आपत्तिजनक है. अतः आचरण नियमों के उपयुक्त प्रावधानों की ओर पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार नियमों के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध "म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत दण्ड देने की कार्यवाही की जाए.

3. शासन अपेक्षा करता है कि उपर्युक्त निर्देशानुसार कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाय.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृं. क्र. सी-5-5/92/3/1 भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 1992.

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. मुख्य मंत्रीजी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक
4. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-5-2/93/3/1 भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 1993

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय कर्मचारियों का प्रतिबंधित संगठनों के साथ साहचर्य.

आपका ध्यान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-5 के उप नियम (1) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अधीन कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य होगा और न उससे कोई संबंध ही रखेगा और न वह किसी राजनीतिक आन्दोलन या कार्य में भाग लेगा और न उसकी सहायतार्थ चंदा और न किसी अन्य रीति से उसे सहायता देगा. उक्त नियम के नियम 5(3) के अधीन, यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उठे कि कोई दल राजनीतिक दल है या ऐसा कोई संगठन है जो राजनीति में भाग लेता है, इस नियम के अंतर्गत राज्य शासन ही इस विषय पर निर्णय ले सकता है.

2. उपर्युक्त उल्लेखित नियम के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित विधि विरुद्ध संगम जमात-ए-इस्लामी हिन्द, विश्व हिन्दू परिषद, इस्लामिक सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं बजरंग दल या इससे संबंधित किसी भी संगठन की सदस्यता, कार्यक्रम या कार्यकलापों की गतिविधियों में भाग लेता है तो वह अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा.

3. आपसे निवेदन है कि कृपया शासन के उपर्युक्त निर्देशों से आप अपने अधीन समस्त शासकीय सेवकों को अवगत करायें एवं उनका कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-5-2/93/3/1 भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 1993.

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
   राज्यपाल के सलाहकार के निज सचिव
3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
4. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल
5. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ, अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. एस. सिन्हा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-5-1/93/3/1 भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 1993.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग.

विषय.—स्वायत्त संस्थाओं में आचरण नियम लागू करने बाबत्.

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्र. 28/511/49/3/89, दिनांक 1 मई, 89 एवं ज्ञाप क्र. सी-3-1/93/3/1, दिनांक 29 जनवरी 93.

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संदर्भित पत्रों द्वारा अपसे निवेदन किया गया था कि, ''मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965'' के प्रावधानों को आपके विभाग के अधीन आने वाले निगम, मंडल, विश्वविद्यालय आदि के कर्मचारियों को भी लागू करने के लिये विचार करें.

2. उपर्युक्त सन्दर्भ में शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि इस विभाग के उपर्युक्त उल्लेखित निर्देशों के बावजूद भी विभागों द्वारा उनके अधीन आने वाले निगम/मंडल/स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में निहित प्रावधानों को लागू करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है. विभागों का इस उदासीनता को शासन ने गंभीरता से लिया है.

3. अत: आदेशानुसार विभागों से निवेदन है कि उनके अधीन आने वाले निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के लिये आचरण नियम लागू करने हेतु हरसंभव कारगर उपाय किये जाये एवं समय-समय पर इसकी समीक्षा करना भी विभागों का दायित्व है.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

गोपनीय

मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग

क्रमांक एफ-24-19/93/सी/1 भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 1993.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने संबंधी शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही.

जैसा कि आप अवगत हैं, 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में विवादास्पद राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराये जाने की घटना के बाद भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने अनलॉफुल एक्टिविटी (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 10 दिसम्बर, 1992 को अधिसूचनाएं जारी कर राष्ट्रीय स्वयं संघ, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल, जमायते इस्लामी हिन्द एवं इस्लामिक सेवक संघ को अनलॉफुल (विधि-विरुद्ध) संगठन घोषित किया था. तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा उक्त एक्ट की धारा 5(1) के अन्तर्गत नियुक्त न्यायाधिकरण ने विश्व हिन्दू परिषद एवं इस्लामिक सेवक संघ को विधि विरुद्ध घोषित करने संबंधी अधिसूचनाओं की पुष्टि कर दी. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं बजरंग दल को विधि-विरुद्ध संगठन घोषित करने संबंधी भारत सरकार की अधिसूचनाओं की पुष्टि नहीं की गई. इस प्रकार अब विश्व हिन्दू परिषद एवं इस्लामिक सेवक संघ विधि विरुद्ध संगठन है. इसी प्रकार यद्यपि जमायते इस्लामी हिन्द को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करने संबंधी अधिसूचना के बारे में न्यायाधिकरण का निर्णय/आदेश अपेक्षित है. तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका प्रकरण में दिये गये स्थगन आदेश के परिप्रेक्ष्य में जमायते इस्लामी हिन्द पर लगाया गया प्रतिबंध भी प्रभावशील है.

2. राज्य शासन को निरन्तर शासकीय सेवकों द्वारा उक्त प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखे जाने अथवा उनकी गतिविधियों में भाग लेने संबंधी शिकायतें प्राप्त होती रहती है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में पृथकशः निर्देश प्रसारित कर यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई शासकीय सेवक उक्त किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य रहता है, अथवा उनके कार्यक्रमों/कार्यकलापों/गतिविधियों में भाग लेता है तो यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 के उप नियम-1 का उल्लंघन माना जायेगा तथा ऐसा शासकीय सेवक अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों का ऐसे किसी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना अथवा उसकी बैठकों में भाग लेना या उसे चंदा देना या उसकी ओर से चंदा प्राप्त करना या चंदा मांगना अथवा उसके कार्यकलापों में अन्यथा सहायता करना अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 की धारा 10 के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध भी है. अतः आप सुनिश्चित करें कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कोई शासकीय सेवक उक्त प्रतिबंधित संगठनों अथवा उनके कार्यक्रमों/कार्यकलापों आदि से कोई संबंध नहीं रखेगा. यदि कोई शासकीय सेवक किसी प्रतिबंधित संगठन के कार्यक्रमों/कार्यकलापों में संलग्न पाया जाता है तो उनके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाये.

3. शासकीय सेवकों द्वारा किसी प्रतिबंधित संगठन से संबंध रखने अथवा उनके कार्यक्रमों/कार्यकलापों में भाग लेने/संलग्न रहने संबंधी जो शिकायतें शासन के विभागों, विभागाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों को प्राप्त होती हैं उन पर कार्यवाही करने के लिये निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

(1) इस संबंध में प्राप्त शिकायतें संबंधित विभागों/विभागाध्यक्षों एवं अन्य कार्यालय प्रमुखों/अधिकारियों द्वारा जांच करने हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी.

(2) कलेक्टर, प्राप्त ऐसी शिकायत/शिकायतों की गोपनीय जांच पड़ताल के लिये जिले के पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे.

(3) पुलिस अधीक्षक जिला विशेष शाखा के माध्यम से अथवा अन्य तरीके से प्राप्त शिकायतों की गोपनीय जांच पड़ताल करायेंगे तथा गोपनीय जांच प्रतिवेदन के साथ शिकायत कलेक्टर को लौटायेंगे.

(4) कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक से जांच-प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका परीक्षण करेंगे. यदि उनका मत यह हो कि शासकीय

सेवक का किसी प्रतिबंधित संगठन से संबंध अथवा वह उसके कार्यक्रमों/कार्यकलापों में भाग लेता है या संलग्न है तो ऐसे मामले में जांच प्रतिवेदन की एक प्रति संबधित शासकीय सेवक के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही हेतु उसके विभाग के सक्षम अधिकारी को देंगे. प्रशासनिक विभाग के संबंधित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे संबंधि शासकीय सेवक के विरुद्ध कार्यवाही करें और की गई कार्यवाही की जानकारी कलेक्टर को भेंजे. कलेक्टर स्वयं भी अपने कार्यालय में इस प्रकार के प्रकरणों में की गई कार्यवाही पर बराबर नजर रखने के लिये ''मानीटरिंग'' की समुचित व्यवस्था करेंगे.

(5) प्रत्येक कलेक्टर द्वारा गृह विभाग को प्रतिमाह इस आशय का प्रतिवेदन भेजा जायेगा कि किस-किस विभाग के किस-किस शासकीय सेवक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई कितनी शिकायतों की जांच कराई गई तथा कितने मामले विभागों की शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु भेजे गये और कितने शासकीय सेवकों के विरुद्ध विभागों द्वारा कार्यवाही की गई.

हस्ता./-
(न. ब. लोहानी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

क्रमांक एफ-24-19/93/सी/1

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 1993

प्रतिलिपि :

(1) . . . . .

(2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल को उनके ज्ञापन क्रमांक सी/5-2/93/3/1, दिनांक 21 जून 93 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(न. ब. लोहानी)
प्रमुख सचिव,
गृह विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी-5-1/94/3/एक — भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति का विवरण भेजने के संबंध में जारी किये गये आदेशों का पालन करना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के अनुसार शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है. इस संबंध में, इस विभाग द्वारा दिनांक 27-8-60 [क्रमांक 1933-1505-एक(3)/60] एवं दिनांक 7-3-74 के ज्ञापन (क्रमांक 174/278/एक/तीन) द्वारा भी उल्लिखित अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं.

2. शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि शासकीय सेवकों द्वारा उपरोक्त नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है. यह आपत्तिजनक है. अत: इस संबंध में पुन: सभी शासकीय सेवकों का ध्यान उपर्युक्त अनुदेश की ओर आकृष्ट किया जाता है तथा अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त अनुदेश के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक अपने अचल सम्पत्ति का विवरण, विहित प्रपत्र में, सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवर्ष 31 जनवरी, के पूर्व प्रस्तुत करेगा. किसी शासकीय सेवक द्वारा समय पर अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत न किये जाने पर उसे गंभीरता से लिया जायेगा. विभागाध्यक्ष एवं नियंत्रण रखने वाले अधिकारियों की भी यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह यह देखें कि उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारी अपना सम्पत्ति विवरण यथासमय प्रस्तुत करें.

3. कृपया आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को इस आदेश से अवगत कराएं एवं शासन के उल्लिखित आदेशों/निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(एन. एस. सेठी)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

पृ. क्र. सी-5-1/94/3/एक — भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1994

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
4. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर.
5. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर
6. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी-5-2/94/3/1 — भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—''कार सेवा'' में भाग लेने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3, 6 एवं 8 शासकीय सेवकों से पूर्ण रूप से संनिष्ठ रहने, कर्तव्य परायण रहने एवं उत्तरदायित्वों के समुचित निर्वहन की अपेक्षा करते हैं. शासकीय सेवक द्वारा किये गए ऐसे कार्य, अशोभनीय कृत्य की परिधि में माने जायेंगे. जो भारत की सम्प्रभुता तथा अखण्डता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हों.

2. शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रश्न का गहराई से विवेचन करने पर यह स्थिति सामने आई है कि ''कार सेवा'' के रूप में ऐसा कोई कार्य यदि किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा किया जाता है. जिससे दूसरे धर्मों के व्यक्तियों को ठेस पहुंचती है तो वह आचरण नियमों का उल्लंघन होगा और ऐसी कार सेवा में भाग लेने वाला शासकीय सेवक अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा. यह भी स्पष्ट है कि प्रमाणित करने का भार, कि शासकीय कर्मचारी न . . . ''कार सेवा'' में भाग लेने का कृत्य किया है, अनुशासनिक प्राधिकारी पर होगा.

3. शासन चाहता है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-
(एन. एस. सेठी)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

पृ. क्र. सी-5-2-94/3/1 — भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 1994

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
   सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
4. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर
5. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर
6. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश सचिवालय, भोपाल
8. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(एस. सी. पण्डया)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एम. 19-44/1995/1/4 भोपाल, दिनांक 29 मई 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन—

(1) क्रमांक एम-19-95/87/1/4, दिनांक 23 अप्रैल, 1987 एवं
(2) क्रमांक एम-19-69/88/1/4, दिनांक 7 अप्रैल, 1988 तथा
(3) क्रमांक एम-19-58/92/1/4, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 1992 और
(4) क्रमांक एम-19-146/1992/1/4, दिनांक 25 जनवरी, 1994.

शासन द्वारा समय-समय पर यह निर्देश जारी किये गये हैं कि कोई भी शासकीय अधिकारी किसी प्रकार का उद्घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं करेंगे, किसी कार्यक्रम में विशेष अतिथि या अध्यक्ष नहीं बनेंगे तथा व्यक्तिगत प्रशंसा के प्रचार से दूर रहेंगे.

2. उपरोक्त निर्देशों के बावजूद, शासन के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि इन आदेशों को नजरअंदाज करते हुए इनका पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है.

3. अतः शासन पूर्व के अनुदेशों को दोहराते हुए, सभी शासकीय सेवकों को निर्देशित करता है कि उक्त निर्देशों का पूर्ण कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे.

हस्ता./-
(होशियार सिंह)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एम. 19-58/1992/1/4 भोपाल, दिनांक 23 मई 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय अधिकारियों द्वारा उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास आदि करना तथा स्वयं का प्रचार करना.

संदर्भ.—इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक—

(1) एम-19-95/87/1/4, दिनांक 23 अप्रैल, 1987
(2) एम-19-69/88/1/4, दिनांक 7 अप्रैल, 1988
(3) एम-19-58/92/1/4, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई, 1992.

उपर्युक्त विषय में शासन के संदर्भित निर्देशों द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि शासकीय अधिकारी किसी प्रकार का उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास नहीं कर सकते. किसी कार्यक्रम में विशेष अतिथि या अध्यक्ष नहीं बन सकते तथा व्यक्तिगत प्रशंसा के प्रचार से दूर रहेंगे. शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि इन निर्देशों का कहीं-कहीं उल्लंघन किया जा रहा है.

2. अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासकीय अधिकारी/कर्मचारी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में विशेष अतिथि अथवा अध्यक्ष के रूप में उपस्थित होकर उद्‌घाटन/अनावरण/शिलान्यास न करें.

3. कृपया शासन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(अजय सिंह यादव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. सी-5-1/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 19-4-2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय व्यय पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं/सुविधाओं पर प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली मुफ्त उपहार/सुविधा शासन के खाते में जमा करने बाबत्.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 14 में यह प्रावधान है कि "इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर कोई भी शासकीय सेवक कोई भी उपहार न तो स्वीकार करेगा और न उसे करने के लिये अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को अनुज्ञा देगा.

2. शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासकीय व्यय पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं पर मिलने वाले मुफ्त उपहार शासन के पास जमा किये जावें. साथ ही, उपहार/सुविधा यदि राशि के रूप में प्राप्त होती है तो उसे भी शासकीय कोष में जमा किया जाये. ऐसा न करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे.

3. शासन चाहता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-5-1/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2000

प्रतिलिपि :

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
   सचिव, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
   सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
2. महानिदेशक प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.

3. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल
4. निज सचिव/निज सहायक/मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री, मध्यप्रदेश शासन.
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल,
   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल,
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/रायपुर.
8. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म. प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर/इन्दौर/रायपुर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
10. अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्यलेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय.
11. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, म. प्र. भोपाल.
13. वित्तीय आयुक्त एवं महानियंत्रक आय-व्यय, मंत्रालय, भोपाल.

हस्ता./-
(आर. पी. वर्मा)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-5-2/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 30 मई 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

विषय :—शासकीय सेवकों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकलापों में भाग लेने के संबंध में.
संदर्भ:—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-5-2/93/3/एक, दिनांक 29-4-93.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) में यह व्यवस्था है कि कोई भी शासकीय सेवक, किसी राजनैतिक दल या किसी ऐसे संगठन का, जो राजनीति में भाग लेता हो, न तो सदस्य होगा, न उससे अन्यथा संबंध रखेगा और न वह किसी राजनैतिक आन्दोलन या कार्यकलाप में भाग लेना न उसकी सहायतार्थ चन्दा और न किसी अन्य रीति से उसकी सहायता करेगा.

2. इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 29-4-93 द्वारा स्पष्ट किया गया था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं अन्य ऐसी संस्थाओं के कार्यकलापों में भाग लेना या उससे किसी रूप में सहयोग करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उक्त प्रावधान का उल्लंघन माना जावेगा.

3. कृपया उपरोक्त स्थिति, अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को स्पष्ट कर दें. साथ ही, इन निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-5-2/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 30 मई 2000

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
3. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,

5. सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
6. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन.
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल,
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल,
9. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
11. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर/भोपाल.
12. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
15. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय.
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल.
17. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
18. अध्यक्ष, शासन से समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./–
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक सी-3-26/2000/3/एक

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :—प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों द्वारा वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में.

संदर्भ :—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 1933-1505-1 (3)60, दिनांक 27-8-60 एवं क्रमांक सी-5-1/94/3/एक दिनांक 5-1-94.

म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19 में प्रावधान है कि शासकीय सेवकों को प्रतिवर्ष अचल संपत्ति के संबंध में पूर्ण विवरण (रिटर्न) प्रस्तुत करना चाहिये. इन नियमों के परिपालन में प्रतिवर्ष शासकीय सेवकों द्वारा अपनी अचल संपत्ति के संबंध में विहित प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाते है.

2. शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि उपर्युक्त उल्लेखित नियमों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में कोई व्यवस्था न होने के कारण प्रतिनियुक्त शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल संपत्ति पर अपने पैतृक विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे हैं. इस कारण ऐसे कर्मियों का वर्तमान विभाग उनकी अचल संपत्ति की जानकारी से वंचित रहता है.

3. अतएव विचारोपरांत शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवक अपने अचल संपत्ति पत्रक 2 प्रतियों में प्रतिनियुक्ति वाले विभाग को इस निवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे कि उसकी एक प्रति उनके मूल विभाग को अग्रेषित कर दी जाये. साथ ही शासकीय सेवक स्वयं एक अग्रिम प्रति पृथक् से अपने मूल विभाग को भी भेजेंगे.

4. शासन चाहता है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-3-26-2000-3-एक

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2000

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. सचिव, म. प्र. विधान सभा, भोपाल.
3. सचिव मुख्यमंत्री, सचिवालय,
4. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
6. सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
7. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री, म. प्र. शासन,
8. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल,
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल,
11. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
12. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर/भोपाल,
14. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल,
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल.
17. वित्तीय आयुक्त एवं महानियंत्रक मंत्रालय, भोपाल,
18. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय,
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल,
20. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल,
21. अध्यक्ष, शासन से समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(के. एल. दीक्षित)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-5-1/96/3/एक भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :—शासकीय कर्मियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से गृह कार्य न करवाने बाबत्.
संदर्भ :—सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 संशोधन क्रमांक सी-5-1/96/3/एक, दिनांक 25-5-2000.

उपरोक्त विषय के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अनुशंसा के आधार पर संदर्भित अधिसूचना दिनांक 25-5-2000 द्वारा म. प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में राज्य सरकार द्वारा नियम 23-क निम्नानुसार जोड़ा गया है:—

"नियम 23 "क" 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने पर प्रतिबंध-
कोई भी शासकीय सेवक 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को रोजगार पर नहीं लगायेगा."

2. कृपया आचरण नियम के उपरोक्त प्रावधानों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करावें तथा इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करावें.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-5-1/96/3/एक भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2000

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल,
2. सचिव, म. प्र. विधान सभा, भोपाल,
3. सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय,
4. रजिस्टार जनरल, उच्च न्यायालय, जबलपुर,
5. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
6. सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर,

7. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री, म. प्र. शासन,
8. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश, शासन,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल,
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल,
11. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/रायपुर,
12. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर/भोपाल,
14. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल,
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म. प्र. भोपाल,
17. वित्तीय आयुक्त एवं महानियंत्रक मंत्रालय, भोपाल,
18. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. मंत्रालय,
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल.
20. अध्यक्ष, म. प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल,
21. अध्यक्ष, शासन से समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

शाकेमुभो—1993—असमाप्रवि—26-12-2000—दो हजार.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा

(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

तथा

उसके तहत् जारी निर्देश

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
1999

मध्यप्रदेश सिविल सेवा

(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

तथा

उसके तहत् जारी निर्देश

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
1999

भाग–1

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

(मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त, 1961 के भाग 4 में प्रकाशित)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 1961—आषाढ़ 22, 1883.
(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

क्रमांक 1783-1585-एक (तीन)-60.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भरती तथा सेवा शर्तों को विनियमन करने के लिये निम्नलिखित सामान्य नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) ये नियम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 कहलायेंगे.

(2) ये नियम इनके "मध्यप्रदेश राजपत्र" सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1783-1585-एक (तीन) 60, दिनांक 13 जुलाई, 1961 में अधिसूचित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) किसी सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य शासन या ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्त करने की शक्ति शासन द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाए.

(ख) "आयोग" से तात्पर्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है.

(ग) "शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है.

(घ) "राज्यपाल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है.

(ङ) "पद" से तात्पर्य शासन के अधीन पूर्णकालिक नियोजन से है किन्तु इसमें कोई नियोजन सम्मिलित नहीं है, जिसमें कर्मचारी को भुगतान "आकस्मिकता निधि" से किया जाता हो.

(च) विहित से तात्पर्य राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं के संबंध में भारत के संविधान के अधीन बनाये गये अन्य नियमों द्वारा या शासन द्वारा उस संबंध में जारी किये गये सामान्य या विशेष कार्यकारी अनुदेशों द्वारा विहित से है.

(छ) "सेवा" से तात्पर्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को छोड़, राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सेवा या पदों के समूहों से है, जो शासन द्वारा उस रूप में संगठित और पदांकित हो.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Bhopal, the 13th July 1961, Asadha 22, 1883
(As amended upto 2-4-1998)

(Published in State Gazette dt. 4-8-1961).

No. 1783-1585-I (iii)-60.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following general rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the State of Madhya Pradesh, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961.

(2) These rules shall come into force on the date they are notified in the State Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires;—

(a) "Appointing authority" in respect of a service or post means the Government or such authority to whom the power of appointment to that service or post has been or may hereafter be, delegated by Government;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(e) A "Post" means a whole time employment under Government but does not include any employment where the employee is [redacted] paid from contingencies;

(f) "Prescribed" means prescribed by other rules framed under the Constitution of India relating to the service in connection with the affairs of the State, or by general or special executive instructions issued by the Government in that behalf;

(g) A "Service" means a service of group of posts in connection with the affairs of the State other than the Indian Adminstrative Service and the Indian Police Service, organized and designated as such by Government;

(ज) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.**—ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जो राज्य में कोई पद धारण कर रहा हो या किसी सेवा का सदस्य हो किन्तु ये निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति और नियोजन की शर्तें, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के विशेष उपबंधों द्वारा विनियमित हों,

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति और सेवा की शर्तों के संबंध में विशेष उपबंध बनाये गए हों या इसके पश्चात् करार द्वारा बनाये जायें,

(ग) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति.

परन्तु उनसे किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो उनकी सेवाओं से या उनके पदों से संबंधित विशेष उपबंधों के अंतर्गत न आता हो, ये नियम उपर्युक्त खंड (क), (ख), (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे.

4. **वर्गीकरण.**—(1) राज्य की लोक सेवाएं निम्नानुसार वर्गीकृत की जायेंगी:—

(एक) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, प्रथम श्रेणी.
(दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, द्वितीय श्रेणी.
(तीन) (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)
(ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)
(चार) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, चतुर्थ श्रेणी.

(2) किसी विद्यमान सेवा या पद का और किसी नई सेवा या पद का वर्गीकरण शासन द्वारा अवधारित किये गये अनुसार होगा:

परन्तु इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी किये गये आदेशों के अधीन किया गया किसी विद्यमान सेवा या पद का वर्गीकरण तब तक इन नियमों के अधीन जारी किया गया इसका वर्गीकरण समझा जायगा जब तक कि इस संबंध में जारी किये गये विशेष या सामान्य आदेशों द्वारा उसे उपांतरित न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि किसी सेवा या पद के वर्गीकरण में प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी से तृतीय या तृतीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के रूप में किया गया परिवर्तन प्रभावित व्यक्ति की पदावनति नहीं समझा जायेगा.

5. **नियुक्ति के लिये पात्रता.**—किसी सेवा या पद पर नियुक्त होने के लिये उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिये, या
(ख) सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या
(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान

(h) The "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application.**—The rules shall apply to every person who holds a post or is a member of a service in the State, except :—

(a) persons whose appointment and conditions of employment are regulated by the special provisions of any law for the time being in force;

(b) persons in respect of whose appointment and conditions of service special provisions have been made, or may be made hereafter by agreement;

(c) persons appointed to the Madhya Pradesh Judicial Service :

Provided that in respect of any matter not covered by the special provisions relating to them, their services or their posts, these rules shall apply to the persons mentioned in clauses (a), (b) and (c) above.

4. **Classification.**—(1) The public services of the state shall be classified as follows :—

(i) The Madhya Pradesh Civil Services, Class-I.

(ii) The Madhya Pradesh Civil Services, Class-II.

(iii) (a) The Madhya Pradesh Civil Services, Class-III (Non-Ministerial);

(b) The Madhya Pradesh Civil Services, Class III (Ministerial); and

(iv) The Madhya Pradesh Civil Services, Class IV.

(2) The classification of an existing service or post and of a new service or post shall be as determined by the Government :

Provided that the classification of an existing service or post under the orders that may have been issued before the coming into force of these rules shall be deemed to be its classification under these rules unless modified by special or general orders issued in this behalf;

Provided further that a change in classification of a service or post from class I to class II or from class II to class III or from class III to class IV shall not be deemed to be a reduction in rank of the person affected.

5. **Eligibility for appointment.**—A candidate for appointment to a service or post must be either—

(a) a citizen of India; or
(b) a subject of Sikkim; or
(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan with the intention of

से आया हो, या

(घ) नेपाल की या भारत स्थित किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी प्रदेश की प्रजा होना चाहिये.

टिप्पणी.—1. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) में निर्दिष्ट उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष मे राज्य शासन द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन होगी. उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के संबंध में पात्रता का प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष की अवधि के लिये ही वैध होगा और उसके पश्चात् उसे सेवा में केवल उस स्थिति में ही रखा जा सकेगा, यदि वह भारत का नागरिक बन जाए. तथापि पात्रता के प्रमाण-पत्र निम्नलिखित किसी एक प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के मामले मे आवश्यक नहीं होंगे.

(एक) ऐसे व्यक्ति, जो 19 जुलाई 1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आ गये थे और तब से भारत में मामूली तौर से, निवास कर रहे हैं.

(दो) ऐसे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के पश्चात् पाकिस्तान से भारत आये थे और जिन्होंने स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीयत करा लिया है.

(तीन) उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) और (घ) के अंतर्गत आने वाले गैर नागरिक जो संविधान के प्रारंभ होने अर्थात् दिनांक 26 जनवरी, 1950 के पूर्व शासन की सेवा में प्रविष्ट हुए थे और जो उस समय से अभी तक ऐसी सेवा में हैं.

टिप्पणी.—2. किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो इस बात के अध्यधीन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण-पत्र अंततः जारी कर दिया जाए.

6. **अनर्हताएं.**—(1) कोई भी पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी :

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधन हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा.

(2) किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी उम्मीदवार को, उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्यधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी.

(3) कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसी कि आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है.

permanently settling in India; or

(d) a subject of Nepal or of a Portugese or French territory of India.

Note.—The appointment of candidates in categories (c) and (d) above will be subject to the issue of a certificate of eligibility by the State Government in their favour. The certificate of eligibility in respect of a candidate belonging to category (c) above will be valid only for a period of one year from the date of his appointment beyond which he can be retained in service only if he has become a citizen of India. Certificates of eligibility will not, however, be necessary in the cases of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) persons who migrated to India from Pakistan before the 19th July, 1948 and have ordinarily been residing in India since then;

(ii) persons who migrated to India from Pakistan after the 18th July, 1948 and have got themselves registered as citizens;

(iii) non-citizens in categories (c) and (d) above who entered service under the Government before the commencement the Constitution, namely, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then.

Note. 2—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be appointed provisionally subject to the necessary certificate being eventually issued in his favour by the State Government.

6. **Disqualifications.**—(1) No male candidate who has more than one wife living and no female candidate who has married a person having already a wife living shall be eligible for appointment to any service or post :

Provided that the Government may, if satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any such candidate from the operation of this rule.

(2) No candidate shall be appointed to a service or post unless he has been found, after such medical examination as may be prescribed, to be in good mental and bodily health and free from any mental or bodily defect likely to interfere with the discharge of the duties of the service or post:

Provided that in exceptional cases a candidate may be appointed provisionally to a service or post before his medical examination, subject to the condition that the appointment is liable to be terminated forthwith if he is found medically unfit.

(3) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post if, after such enquiry as may be considered necessary, the appointing authority is satisfied that he is not suitable in any respect for the service or post.

*(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध **दोष ठहराया गया हो**, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायगा.

7. **भरती का तरीका.**—किसी उम्मीदवार का किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये चयन यथाविहित निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक तरीकों से किया जायेगा, अर्थात् :—

(एक) सीधी भरती द्वारा,
(दो) पदोन्नति द्वारा,
(तीन) किसी अन्य सेवा या पद पर पहले से ही नियोजित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा:

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी सेवा या पद पर नियुक्त करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा यदि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) विनियम, 1957 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के अधीन ऐसा परामर्श आवश्यक हो.

8. **परिवीक्षा.**—(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को साधारणत: ऐसी अवधि के लिये, जैसी कि विहित की जाये, परिवीक्षा पर रखा जाएगा.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से, परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि तक और बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

**टिप्पणी विलोपित :

(3) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी जो विहित की जाये.

(4) परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं परिवीक्षा की अवधि के दौरान उस स्थिति में समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह मत हो कि वह एक उपयुक्त शासकीय कर्मचारी सिद्ध नहीं हो सकेगा.

(5) जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न की हो या जिसे सेवा या पद के अनुपयुक्त पाया जाये, उसकी सेवाएं परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर समाप्त की जा सकेगी.

---

* सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-17-96-3-एक, दिनांक 25 अक्टूबर, 1996 द्वारा जोड़ा गया है जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-10-96 में प्रकाशित हुआ है.

**टिप्पणी :—(सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्र. 3-15/74/3/1, दिनांक 9-12-74 द्वारा विलोपित की गई है).

उपनियम (2) की टिप्पणी निम्नानुसार थी :—

टिप्पणी.—ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसकी परिवीक्षा अवधि इस उप नियम के अधीन बढ़ाई न गई हो, किन्तु जिसे परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् न तो सेवा में स्थायी ही किया गया हो और न ही सेवा मुक्त किया गया हो, इस शर्त के अध्यधीन सेवा में रखा गया समझा जायेगा कि उसकी सेवा किसी भी पक्ष द्वारा दी गई एक अंग्रेजी माह की लिखित सूचना की अवधि व्यतीत होने पर समाप्त की जा सकेगी.

*(4) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence against women :

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case.

7. **Methods of Recruitment.**—Candidates shall be selected for appointment to a service or post by one or more of the following methods as may be prescribed, namely :—

(i) direct recuitment;
(ii) promotion;
(iii) transfer of person or persons already employed in another service or post :

Provided that the commission shall be consulted before a person is appointed to a service or post if such consultation is necessary under Article 320 of the Constitution read with the Madhya Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1957.

8. **Probation.**—(1) A person appointed to a service or post by direct recruitment shall ordinarily be placed on probation for such period as may be prescribed.

(2) The appointing authority may, for sufficient reasons, extend the period of probation by a further period not exceeding one year.

****Note.**—(Omitted).

(3) A probationer shall undergo such training and pass such departmental examination during the period of his probation as may be prescribed.

(4) The services of a probationer may be terminated during the period of probation if in the opinion of the appointing authority he is not likely to shape into a suitable Government Servant.

(5) The services of a probationer who has not passed the departmental examinations or who is found unsuitable for the service or post may be terminated at the end of the period of his probation.

---

* In rule 6 subrule (4) added vide GAD Notification No. FN-C-3-17-96-3-1, dated 25-10-96, published in "Madhya Pradesh Gazette, dated 25-10-96.

** Note omitted vide GAD Notification No. C-3-15-74-3-1, dated 09-12-74, published in "Madhya Pradesh Gazette" dated 20-12-74.

*(6) सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध हो, उसी सेवा या पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है अन्यथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थाई पद उपलब्ध हो जाते ही उसे स्थायी कर दिया जायेगा.

**(7) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थायी किया गया है और जिसके पक्ष में न ही उप नियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या जिससे उप-नियम (4) के अधीन सेवा से उन्मोचित्त न किया गया हो, परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्तें "मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट (टेम्परेरी एण्ड क्वासी परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होगी."

9. **स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिये परीक्षण.**—(1) कोई व्यक्ति जो पहले से ही, स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाये, उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिये सामान्यत: दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु शासन यह घोषित कर सकेगा कि ऐसी सेवा या पद पर पूर्विक स्थानापन्नता की कालावधि को उस सीमा तक, जो कि किसी विशिष्ट मामले में विनिर्दिष्ट की जाये परीक्षण की कालावधि के प्रति गिना जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर, नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती भी की जाती हैं तो स्थानापन्नता की कालावधि उस परिवीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति के लिये विहित है.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा:

परन्तु यदि शासकीय सेवक उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर कि ऐसे पदों पर नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी नियुक्तियां की जाती हैं और नियमों में परिवीक्षा की कालावधि के विस्तार का उपबंध है तो वह कालावधि, जिस तक के लिये स्थानापन्नता की कालावधि और विस्तारित की जा सकेगी, उस कालावधि के बराबर होगी जिस तक के लिये नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती किये गये व्यक्ति की परिवीक्षा कालावधि विस्तारित की जाने योग्य है.

---

* यह उप नियम सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक सी-3-15/74/3/1, दिनांक 9-12-74 पूर्व के उप नियम के स्थान पर स्थापित किया गया है जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 4(ग), दिनांक 20-12-74 में प्रकाशित हुआ है.

पूर्व का उप-नियम 6 निम्नानुसार है :—

(6) परिवीक्षा के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उस सेवा या पद पर जिस पर वह नियुक्त किया गया हो, स्थायी कर दिया जायगा.

** उपनियम (7) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-15-74-3-एक, दिनांक 9-12-74 द्वारा जोड़ा गया जो म. प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 20-12-74 में प्रकाशित किया गया.

*(6) On the successful completion of probation and passing of the prescribed departmental examination, if any, the probationer shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been a appointed, otherwise, a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the probationer would have been confirmed but for the not availability of the permanent post and they as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.

*(7) A probationer, who has neither been confirmed, nor a certificate issued in his favour under sub-rule (6), nor discharged from service under sub-rule (4), shall be deemed to have been appointed as a temporary Government servant with effect from the date of expiry of probation and his conditions of service shall be governed by the Madhya Pradesh Government Servant (Temporary and Quasi-permanent Service) Rules, 1960.

9. **Trial for suitability of officiating Government Servants.**—(1) A person already in permanent government service appointed to another service or post by direct recruitment, promotion or transfer shall ordinarily be appointed in an officiating capacity for the period of two years to as certain his suitability for the service or post;

Provided that the Government may declare that any previous officiation in such a service or post may be counted towards the period of trial to such extent as may be specified in the particulars case :

Provided further that if the Government servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the recruitment rules governing appointments to such post then the period of officiation shall be equal to the period of probation prescribed for a person appointed by direct recruitment to the said post under the rules.

(2) The appointing authority may for sufficient reasons extend the period of officiation by further period not exceeding one year :

Provided that if the Government servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the Recruitment rules governing appointments to such posts and the rules provide for extension of the period of probation then the period by which the period of officiation may be further extended shall be equal to the period by which the period of probation is extendable for a person appointed by direct recruitment to the said post under the rules.

---

* Sub rule (6) substituted and sub-rule (7) inserted vide GAD Notification No. C-3-15-74-3-1, dated 9-12.74. published in 'Madhya Pradesh Gazette' dated 9-12-74.

(3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये अनुपयुक्त पाया जाये, जिस पर कि उसे नियुक्त किया गया है तो उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा.

टिप्पणी:—विहित विभागीय परीक्षायें, यदि कोई हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो उस प्रयोजन के लिये अनुज्ञात की जाये, उत्तीर्ण न करने पर शासकीय कर्मचारी को, उस सेवा या पद हेतु जिस पर कि वह स्थापनापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित करने में असफल समझा जायेगा.

(4) यदि परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उस सेवा या पद के लिये जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाये तो यदि स्थाई पद उपलब्ध है तो उसे उस सेवा या पद पर जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, स्थाई कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र उसके पक्ष में जारी किया जायेगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थाई पद उपलब्ध नहीं है और जैसी ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उसे स्थायी कर दिया जायेगा.

(5) ऐसा कोई शासकीय कर्मचारी जिसे उपनियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है, न उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और न ही उसे उप नियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा का पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है, उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेश पर्यन्त सेवा में बना रहा समझा जायेगा और ऐसी कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा.

10. **पदक्रम सूची.**—प्रत्येक सेवा के लिये एक पदक्रम सूची रखी जायेगी जिसमें उस सेवा में सम्मिलित पद धारण करने वाले शासकीय कर्मचारियों के नाम उनकी वरिष्ठता के क्रम से लिखे जायेंगे:

परन्तु यदि सेवा में पदों की दो या अधिक भिन्न-भिन्न शाखायें या समूह हो और साधारणत: एक शाखा से दूसरी शाखा में या एक पद समूह से दूसरे पद समूह में स्थानान्तरण न किया जाता हो, तो ऐसी सेवा की शाखा या पद समूह के लिये एक पृथक् पदक्रम सूची रखी जायेगी.

11. **राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में तैयार की गई पदक्रम सूचियां.**—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का प्रभाव यह नहीं होगा कि उसके कारण राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसरण में तैयार की गई शासकीय सेवक की सेवा से संबंधित पदक्रम सूची में उसकी वरिष्ठता परिवर्तित हो जायेगी.

*12. **वरिष्ठता.**—किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जायेगी, अर्थात्:—

(1) **सीधी भरती किये गये तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता.**—

(क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यता क्रम के आधार पर अवधारित की जायेगी जिसमें नियुक्ति के लिये उनकी सिफारिश की गई है. पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे.

---

* नियम 12 सा.प्र.वि. की अधिसूचना क्रमांक एफ सी-3-84-92-3-एक, दिनांक 2-4-98 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2-4-98 में प्रकाशित हुआ. पूर्व नियम पृष्ठ 47 पर हैं.

(3) If during or at the end of the period of officiation or extended period of officiation, the government servant is found unsuitable for the service or post to which he has been appointed he shall be reverted to his former substantive service or post.

Note.—The failure to pass prescribed departmental examination, if any, within such period as may be allowed for the purpose may be construed as failure to show fitness for the service or post in which the Government Servant is officiating.

(4) If at the end of the period of the trial the officiating Government Servant is considered suitable for the service or post to which he has been appointed he shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been appointed, otherwise a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the officiating Government Servant would have been confirmed but for the non availability of the permanent post and that as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.

(5) An officiating Government servant who has neither been confirmed, nor a certificate has been issued in his favour under sub-rule (4) nor reverted to his former substantive service or post under sub-rule (3) shall, notwithstanding anything contained in sub-rule (2), be deemed to have been continued in officiating capacity till further orders and during such period he shall at any time be liable to be reverted to his substantive service or post.

10. **Gradation List.**—A gradation list shall maintained for each service in which shall be arranged in order of seniority the names of the Government servants holding the posts included in that service :

Provided that when a service consists of two or more distinct brances or groupes of posts and transfers are not ordinarily made from one branch or group of posts to another, a separate gradation list shall be maintained for each branch or group of posts of such service.

11. **Gradation lists prepared in connection with State Re-organisation.**—Nothing in these rules shall have the effect of altering the seniority of a Government Servant in the gradation list relating to his service prepared in pursuance of the provisions of the State Re-organisation Act, 1956.

*12. **Seniority.**—The seniority of the members of a service or a distinct branch or group of posts of that service shall be determined in accordance with the following principles, viz—

(1) **Seniority of Direct Recruits and Promotees.**—(a) The Seniority of persons directly appointed to a post according to rules shall be determined on the basis of the order of merit in which they are recommended for appointment irrespective the date of joining. Persons appointed as a result of an earlier selection shall be senior to those appointed as a result of a subsequent selection.

---

* Rule 12 substituted vide GAD Notification No. C-3-84/92/3/1 dated 02-04-98 published in "M. P. Gazette" (Extraordinary) dated 02-04-98.

(ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिये उनकी सिफारिश की जाती है.

(ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती है तो उसी समय पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति की पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था.

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जायेगी.

(ङ) सीधे भरती किये गये तथा पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किये जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जायेगी:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी.

(च) यदि किसी सीधी भरती की परिवीक्षा की कालवधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिये जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिये.

(छ) यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लाक) सीधी भरती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे.

2. **स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता.**—(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिये उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भरती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानान्तरण के लिये उपबंधित भरती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानान्तरित व्यक्ति यथा स्थिति, सीधी भरती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा तथा उसे यथा स्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भरती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जावेगा.

(b) Where promotions are made on the basis of selection by a Departmental Promotion Committee, the seniority of such promotees shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the Committee.

(c) Where promotions are made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, the seniority of persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted. Where however a person is considered as unfit for promotion and is superseded by a junior, such person shall not, if subsequently found suitable and promoted, take seniority in the Higher grade over the junior persons who had superseded him.

(d) The seniority of a person, whose case was deferred by the Departmental Promotion Committee for lack of Annual Character Rolls or for any other reasons but subsequently found fit to be promoted from the date on which his junior was promoted, shall be counted from the date of promotion of his immediate junior in the select list of from the date on which he is found fit to be promoted by the Departmental Promotion Committee.

(e) The relative seniority between direct recruits and promotees shall be determined according to the date of issue of appointment/promotion order :

Provided that if a person is appointed/promoted on the basis of roster earlier than his senior, seniority of such person shall be determined according to the merit/select/ fit list prepared by the appropriate authority.

(f) If the period of probation of any direct recruit or the testing period of any promotee is extended, the appointing authority shall determine whether he should be assigned the same seniority as would have been assigned to him if he had completed the normal period of probation/testing period successfully, or whether he should be assigned a lower seniority.

(g) If orders of direct recruitment and promotion are issued on the same date, promotee persons enblock shall be treated as senior to the direct recruitees.

2. **Seniority of Transferees.**—(a) The realtive seniority of persons appointed by transfer from one department to another department of the State Government shall be determined in accordance with the order of their selection for such transfer.

(b) Where a person is appointed by transfer in accordance with the provisions in the Recruitment Rules, providing for such transfer in the event of non availability of suitable candidates by direct recruitment or promotion, such transferee shall be grouped with direct recruits or promotees, as the case may be, and he shall be ranked below all direct recruits or promotees, as the case may be, selected on the same occasion.

(ग) व्यक्तियों के मामले में जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भरती नियमों में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियत किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यत: उसे संविलियन की तारीख से की जावेगी. तथापि यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यधीन ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको कि वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद हो, नियुक्त किया गया था.

स्पष्टीकरण.—तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे सविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा.

3. **विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता.**—(क) ऐसे मामलों में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद या कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो तथा यह भावी वेतन वृद्धियों को स्थगित करने के लिये लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी जैसी की उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती.

(ख) ऐसे मामलों में जहां कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिये की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश के शर्त अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी.

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे.

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिये अलग अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि:—

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो तथा,

(दो) इन तारीखों में इन संवर्ग में किसी पदोन्नन व्यक्ति का नियुक्ति के लिये अनुमोदन न किया गया हो.

4. **तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता.**—(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं के नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जाएगी.

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलत: अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति नियमों के अनुसार, सेवा में में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिये स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी.

(c) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later (i.e. where the relevant recruitment rules provide for "transfer on deputation/transfer") his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has however been holding already (on the date of absorption) the same or equivalent grade on regular basis, in his parent department, such regular service in the grade shall also be taken into account in fixing his seniority, subject to the condition that he will be given seniority, from the date he has been holding the post on deputation or the date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent grade in his present department whichever is later.

Explanation.—The fixation of seniority of a transferee in accordance with the above rule will not however affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption. In other words it will be operative only in filling up of vacancies in higher grade taking place after such absorption.

2. **Seniority in special types of cases.**—(a) In case where a penalty of reduction to a lower service, grade or post is imposed on a Government servant and such reduction is for a specified period and is not to operate to postpone future increments, the Seniority of the Government servant may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed in the higher service, grade or post or the higher time scale at what it would have been but for his reduction.

(b) Where the reduction is for a specified period and is to operate to postpone future increments, the seniority of the Government servant on repromotion may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed by giving credit for the periodof service rendered by him in the higher service, grade or post or higher time scale.

(c) The surplus employees shall not be entitled for the benefit of the past service rendered in the previous office for the purpose of their seniority in the new office and such employees shall be treated as fresh entrants in the matter of their seniority.

(d) When two or more surplus employees of a particular grade in an office are selected on different dates for absorption in a grade in another office their inter-se-seniority in the later office shall be the same as in their previous office provided that :—

(i) no direct recruits has been selected for appointment to that grade in between these dates, and

(ii) no promotee has been approved for appointment to that grade in between these dates.

4. **Seniority of Adhoc employees.**—(a) A person appointed on adhoc basis shall not get any seniority till the regularisation of his services.

(b) If a person is appointed on adhoc basis by substantially following the procedure laid down by the Recruitment Rules and the appointee continues in the post uniterruptedly till the regularisation of his service in accordance with the rules, the period of officiating service shall be counted for seniority.

13. **पदोन्नति.**—शासन प्रत्येक ग्रेड या सेवा के संबंध में, जिसमें पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जा सकती हो, ऐसा ग्रेड या सेवा, जिससे ऐसी पदोन्नति की जा सकेगी तथा वह ऐसे प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विशेष रूप से यह अवधारित करेगा कि क्या ऐसी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर इस शर्त के अध्यधीन की जायेगी कि पदोन्नति के अयोग्य समझे गये व्यक्तियों को अस्वीकृत कर दिया जायगा या क्या पदोन्नति के लिये चयन ऐसे व्यक्तियों में से योग्यता के आधार पर किया जायेगा जो निम्न ग्रेड या सेवा में ऐसी न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर चुके हों, जो कि विहित की जाये.

14. **प्रत्यावर्तन तथा पुनर्नियुक्ति.**—उच्च ग्रेड या सेवा में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे स्थायी शासकीय कर्मचारी उस निम्न ग्रेड या सेवा में जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया था, उस स्थिति में प्रत्यावर्तित किये जा सकते हैं जब उच्च ग्रेड या सेवा में कोई रिक्त स्थान न हो और ऐसा प्रत्यावर्तन पदावनति नहीं समझी जाएगी:

परन्तु वह आदेश जिसमें ऐसा प्रत्यावर्तन किया जाएगा, उस आदेश का उलटा होगा जिससे स्थानापन्न पदोन्नति की गई हो, किन्तु केवल उस स्थिति को छोड़ जिसमें प्रशासनिक सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किसी स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को इस परन्तुक के अनुसार नहीं किन्तु अन्यथा प्रत्यावर्तित करना आवश्यक हो जाये:

परन्तु यह और कि कोई स्थान रिक्त होने पर उच्च ग्रेड या सेवा में पुनर्नियुक्ति सामान्यत: प्रत्यावर्तित शासकीय कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठताक्रम के अनुसार की जाएगी.

15. **रक्षोपाय.**—इन नियमों या इनके अधीन जारी किये गये किसी भी आदेश में दी गई किसी बात के प्रभावस्वरूप कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अधिकार या सुविधाधिकार से वंचित नहीं होगा जिसका वह—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन, अथवा

(ख) इन नियमों के प्रारंभ होने के समय ऐसे व्यक्ति और शासन के बीच विद्यमान किसी संविदा या करार के निर्बन्धनों द्वारा हकदार हो:

16. **छूट.**—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्य के कार्यों से संबंधित सेवा में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के मामले में राज्यपाल द्वारा ऐसी रीति से, जो उसे न्यायपूर्ण और सामयिक प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु जब किसी व्यक्ति के मामले में किसी नियम को शिथिल किया जाये, तो मामले पर ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जाएगी जो उस व्यक्ति के लिये उस नियम में उपबंधित रीति से कम हितकर हो.

17. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा:

18. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी सभी नियम, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पहले प्रवृत्त हो, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

13. **Promotion.**—The Government shall determine in respect of each grade or service to which appointment may be made by promotion, the grade or service from which such promotion may be made and the procedure to be followed for the purpose, and in particular whether such promotion shall be on the basis of seniority subject to the rejection of the persons considered unfit for promotion or whether the selection for promotion shall be determined on the basis of merit from among persons who had completed in the lower grade or service such minimum period of service as may be prescribed.

14. **Reversion and re-appointment.**—Permanent Government servants officiating in a higher grade or service may be reverted to the lower grade or service from which they were promoted if there are no vacancies in the former grade or service, and such reversion shall not be construed to be a reduction in rank :

Provided that the order in which such reversion shall be made will be the reverse of the order in which officiating promotion was made, except when administrative convenience renders it necessary to revert and officiating Government servant otherwise than in accordance with this proviso :

Provided further that on the occurance of a fresh vacancy the re-appointment to the higher grade or service shall ordinarily be in the order of relative seniority of the reverted Government Servants.

15. **Safeguards.**—Nothing in these rules or in any order issued under them shall have the effect of depriving any person of any right or previlege to which he is entitled—

(a) By or under any law for the time being in force, or

(b) By the terms of any contract or agreement subsisting between such person and the Government at the commencement of these rules.

16. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person serving in a connection with the affairs of the State in such manner as may appear to him to be just and equitable :

Provided that where any rules is relaxed in the case of any person, the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him then that provided by that rule.

17. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision there on shall be final.

18. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एच. एस. कामथ)
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन.

[मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 1974 के भाग 4 (ग) में प्रकाशित]

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

Sd./-
(H. S. KAMATH)
Chief Secretary to
Government of Madhya Pradesh.

भाग-2

मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

में

समय-समय पर किये गये

संशोधन

तथा

उसके तहत् जारी निर्देश

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

एफ. क्र. 3-15-74-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (जनरल कण्डिशन्स ऑफ सर्विस) रूल्स, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 8 में,—

(1) उपनियम (2) के नीचे दिये गये टिप्पण का लोप किया जाय,

(2) उपनियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(6) सफलता पूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि कोई स्थायी पद उपलब्ध हो, उसी सेवा या पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है अन्यथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका और यह कि स्थायी पद उपलब्ध हो जाते ही उसे स्थायी कर दिया जायेगा.".

(3) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(7) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थायी किया गया है और जिसके पक्ष में न ही उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो या जिसे उपनियम (4) के अधीन सेवा से उन्मोचित न किया गया हो, परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थायी शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंटस् (टेंपररी एण्ड क्वासी परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होंगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द मोहन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

एफ. क्र. 3-15-74-3-एक.—भारत के संविधान से अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्र. 3-15-74-3-एक, दिनांक 9 दिसम्बर 1974 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द मोहन, उपसचिव.

(Published in "Madhya Pradesh Gazette Part-4" dated 20th December 1974)

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

General Administration Department

Bhopal the 9th December, 1974

F. No. 3-15-74-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 8—

(1) the note below sub-rule (2) shall be omitted;

(2) for sub-rule (6) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(6) On the successful completion of probation and passing of the prescribed departmental examination, if any, the probationer shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been appointed, otherwise a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the probationer would have been confirmed but for the non-availability of the permanent post and that as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.".

(3) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted namely :—

"(7) A probationer, who has neither been confirmed, nor a certificate issued in his favour under sub-rule (6), nor discharged from service under sub-rule (1), shall be deemed to have been appointed as a temporary Government servant with effect from the date of expiry of probation and his conditions of service shall be governed by the Madhya Pradesh Government Servants (Temporary and Quasi-permanent Service) Rules, 1960."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANAND MOHAN, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

एफ क्रमांक 3-15/74/3/1

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:—शासकीय सेवकों को अन्य पदों में सीधी भरती से नियुक्त करने की कार्य प्रणाली तथा वेतन निर्धारण.

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब कोई शासकीय सेवक चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, किसी अन्य सेवा या पद में सीधी भरती से नियुक्त किया जाता है तो उसे परिवीक्षा पर ही नियुक्त किया जाए. यह आवश्यक नहीं है कि जब स्थायी पद रिक्त हो तभी सीधी भरती से नियुक्त व्यक्तियों को परिवीक्षा पर रखा जाए. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(6) को अब इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को, यदि परिवीक्षावधि समाप्त होने पर स्थायी पद उपलब्ध न हो तो, भविष्य में जब कभी भी स्थायी पद उपलब्ध होगा, तब स्थायी किया जाएगा, तथा इस प्रकार का प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कर दिया जावेगा.

2. परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाने पर स्थायी शासकीय सेवक का वेतन निम्नलिखित अनुसार संरक्षित रहेगा:—

(1) स्थायी शासकीय सेवक का स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन यदि नये पद के, निम्नतम वेतन से अधिक रहता है तो उसके द्वारा धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा.

(2) उनकी वार्षिक वेतन वृद्धियां मूलभूत नियम 22 (सी) के उपबंधों के अनुसार शासित होगी, अर्थात् उनके स्थायी पद के वेतन के साथ वेतन वृद्धियां भी संरक्षित रहेगी.

(3) अस्थायी शासकीय सेवक जब किसी अन्य सेवा या पद में सीधी भरती नियुक्त किया जाता है तो उसकी नियुक्ति उसी प्रकार परिवीक्षा पर ही की जाये जिस प्रकार बाहर के व्यक्तियों को सीधी भरती से नियुक्तियां की जाती हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(आनन्द मोहन)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

एफ क्रमांक 3-15/74/3/1 भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1974

प्रतिलिपि:—

1.	निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर. सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2.	राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3.	अवर सचिव (स्थापना)/अवर सचिव (अधीक्षक)/लेखाधिकारी सचिवालय, भोपाल.
4.	मुख्य मंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण/समस्त उपसचिव के निजी सचिव/निजी सहायक.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 3-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 30 मई, 1977, 9 ज्येष्ठ, 1899

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश.

विषयः—परिवीक्षा काल पर नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में.

संदर्भः—इस विभाग का दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 का ज्ञापन एफ. क्रमांक 3/15/74/3/1.

उपर्युक्त ज्ञापन के द्वारा यह सूचित किया गया था कि सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्तियां परिवीक्षा पर की जाएं एवं उनका वेतननिर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार किया जाय. इस आदेश के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कई विभागों में कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया है, अतः परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के स्थाईकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिये जारी किया जाता है:—

(1) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा काल की अवधि पूरी होने पर स्थाई करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए. परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाए जाने पर उसे परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से, यदि स्थाई पद उपलब्ध हो, तो स्थाई करने के आदेश निकालना चाहिए. यदि उनको स्थाई करने के लिए स्थाई पद उपलब्ध न हों, तो उनके पक्ष में यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है और उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण ही परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके. भविष्य में जैसे ही उनके लिए स्थाई पद उपलब्ध होंगे, वैसे ही उन्हें स्थाई कर दिया जाएगा. इस प्रकार प्रमाण-पत्र देने का उद्देश्य यह है कि जिन व्यक्तियों को परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है. उन्हें स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लेने पर भी स्थाई करने के आदेश नहीं निकाले जा सके, तो उसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान न हो. अर्थात् प्रमाण-पत्र के आधार पर ही उन्हें परिवीक्षाकाल में रुकी हुई वार्षिक वेतनवृद्धियां, बकाया राशि के साथ दे दी जायें तथा भविष्य में भी उन्हें नियमित रूप से वार्षिक वेतनवृद्धियां मिलती रहें.

(2) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर स्थाई पद के अभाव में उपयुक्त नियम के

अनुसार प्रमाण-पत्र दिया जाता है, उन्हें भविष्य में स्थाई करने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में पुन: विचार करने की आवश्यकता नहीं है. जब भी स्थाई पद उपलब्ध होते हैं, तब ऐसे सभी व्यक्तियों को, उनकी आपसी वरिष्ठताक्रम के अनुसार स्थाई करने के औपचारिक आदेश निकाल देना चाहिए. इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि परिवीक्षा पर नियुक्त करने के आदेश जारी होने के पहले यदि उसी पद पर अस्थाई रूप से नियुक्तियां की गई हों, तो स्थाईकरण करते समय पूर्व में अस्थाई रूप से नियुक्त शासकीय सेवकों एवं परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्तियों को, जिन्हें स्थाईकरण के लिए उपयुक्त पाया गया हो, उनकी आपसी वरिष्ठताक्रम से, जो नियमानुसार निर्धारित की गई है, स्थाई करना चाहिए. जो व्यक्ति स्थाईकरण के लिए प्रथम अवसर पर उपयुक्त नहीं पाए जाते, उन्हें बाद में उपयुक्त पाए जाने पर स्थाई किया जाता है, तो वे उनसे पहले स्थाई किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ माने जायेंगे.

(3) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, नियुक्ति अधिकारी प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार परिवीक्षाकाल में एक वर्ष की वृद्धि कर सकता है. यदि किसी व्यक्ति को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर या परिवीक्षा काल में वृद्धि करने के पश्चात् भी स्थाईकरण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता, तो उसकी सेवाएं उक्त नियम के नियम 8(5) के अनुसार परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से समाप्त करनी चाहिए.

(4) यदि किसी कारणवश उपर्युक्त पैरा (3) में उल्लिखित व्यक्ति की सेवाएं समाप्त करने के आदेश नहीं निकाले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (7) का प्रावधान लागू होगा. यह उपनियम अपवाद स्वरूप ही किसी विशेष प्रकरण में लागू किया जाना चाहिए न कि सभी ऐसे व्यक्तियों के मामलों में, जिन्होंने परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया हो. इस श्रेणी के शासकीय सेवक उस पद पर परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से अस्थाई रूप से नया नियुक्त शासकीय सेवक माने जायेंगे तथा उन्हें वेतन निर्धारण एवं वरिष्ठता के लिए परिवीक्षा काल में व्यतीत की गई पूर्व सेवा का लाभ नहीं मिलेगा.

2. सभी विभागों से निवेदन है कि आपके विभाग के अधीन सेवाओं में परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के मामले उपयुक्त अनुदेश के अनुसार निपटायें जायें, जहां तक संभव हो, परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थाई करने के लिए मामला परिवीक्षाकाल समाप्त होने के दो माह पूर्व ही विचार में लिया जाए, ताकि उनके सम्बन्ध में निर्णय परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि तक लिया जा सके.

3. जहां तक परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थाई पद के अभाव में उपर्युक्त नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतनवृद्धियां देने के निर्णय का सम्बन्ध है, यह आदेश वित्त विभाग से परामर्श लेकर निकाला गया है.

हस्ता./-
(जी. बैंकन्ना)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 3-6/77/3/1 भोपाल, दिनांक 30 मई 1977, 9 ज्येष्ठ, 1899

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, राज्य सर्तकता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

3. महालेखापाल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

डी. क्रमांक 288/636/1(3) 79 भोपाल, दिनांक 6 जून, 1979

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण.

इस विभाग को दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना एफ. क्रमांक 3-15/74/3/1, के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन करके एक नया उपनियम (7) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से न तो स्थाई किया गया और न उसके पक्ष में उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया या उपनियम (4) के अधीन उसे सेवा से उन्मोचित नहीं किया गया, तो वह व्यक्ति परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस् (टेम्परारी एण्ड क्वासी परमानेंट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होगी.

2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ने शासन को सूचित किया है कि उनके पास कुछ व्यक्तियों के वेतन निर्धारण के मामलों में यह पाया गया कि परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति को, परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर उसे उपर्युक्त उप नियम (7) के अंतर्गत अस्थाई शासकीय सेवक मानकर उसे उसको परिवीक्षाकाल में नियुक्ति की तारीख से वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ देकर वेतन निश्चित किया गया है. महालेखाकार ने इस प्रकार के मामले में शासन से यह स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया कि:—

(1) क्या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना के द्वारा किया गया संशोधन उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दिनांक 9 दिसम्बर 1974 के पूर्व अपनी परिवीक्षा पूर्ण कर चुके थे किन्तु जिन्हें स्थाई नहीं किया है और न ही सेवा से पृथक् करने के आदेश प्रसारित किये है और न परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र किया गया है.

(2) जो शासकीय सेवक उपर्युक्त नियम के उपनियम (7) के अंतर्गत अस्थाई शासकीय सेवक माने गए है उनके संबंध में यह है कि उनकी परिवीक्षाकाल की अवधि वेतनवृद्धि के लिये गिनी जाएगी तथा वह परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख अपने वेतन के न्यूनतम वेतन से अपनी अस्थाई सेवा आरंभ करेंगे.

3. महालेखाकार द्वारा पुछे गए स्पष्टीकरण के संबंध में उन्हें यह सूचित किया गया है कि:—

(1) इस विभाग की दिनांक 9 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना होने के पूर्व जिन व्यक्तियों का परिवीक्षाकाल समाप्त हो गया उनके मामले पर उपर्युक्त संशोधन लागू नहीं होगा. ऐसे उस समय विद्यमान नियमों के अनुसार ही निपटाये जाएंगे. उपर्युक्त अधिसूचना को भुतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन उन सभी परिवीक्षाधीन व्यक्तियों पर लागू होगा जो उक्त संशोधन के जारी होने की तारीख को निर्धारित किया गया परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं किये या जो उक्त संशोधन जारी होने के बाद परिवीक्षा पर नियुक्त किये गए है.

(2) जिन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की उक्त नियम के उप नियम ( ) के अंतर्गत परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई रूप से नियुक्त माना जाएगा उनको परिवीक्षाकाल में की गई सेवाओं का लाभ वेतनवद्धि की पात्रता के लिए नहीं मिलेगा. परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से ही उसकी अस्थाई रूप से नियुक्ति होगी और उसके बाद एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही पहली वेतन वृद्धि की पात्रता मिलेगी.

4. सभी विभागों से निवेदन है कि वे शासन के उपर्युक्त स्पष्टीकरण अनुसार परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के मामलों का निराकरण करें.

हस्ता./-
(एल. एन. मीणा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

डी. क्रमांक 289/636/1(3)79 — भोपाल, दिनांक 6 जून, 1979

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, राज्य सर्तकता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव/सैनिक सचिव
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रिगण/समस्त राज्य मंत्रिगण
   के निजी सचिव/निजी सहायक.
4. प्रतिलिपि महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को उनके द्वारा विशेष सचिव वित्त विभाग को संबोधित अर्ध-शासकीय पत्र क्रमांक टी. एम. 1/तीन/1(3), दिनांक 30-3-1979 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
अवर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 147/380-1(3)80 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1980

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः—मूलभूत नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 (6) के अंतर्गत परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति के पक्ष में प्रमाण-पत्र के आधार पर स्थायी मानना.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक द्वारा सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो, तो स्थायी किया जाएगा अन्यथा उस व्यक्ति के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि उसे स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थायी नहीं किया जा सकता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध होते ही उसे स्थायी कर दिया जाएगा. शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि जिस शासकीय सेवक के पक्ष में उपर्युक्त प्रकार प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, वह यदि किसी अन्य पद पर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किया जाए तो उसका मूलभूत नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण करने के लिये क्या उसे स्थाई माना जायगा या नहीं?

2. इस संबंध में शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी ऐसे शासकीय सेवक को, जिसके पक्ष में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, के नियम 8 के उप नियम (6) के अनुसार इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है कि उसे स्थायी पद उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जाएगा तो किसी अन्य पद पर सीधी भरती के द्वारा नियुक्त किये जाने पर उसे मूल नियम 22 (सी) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए स्थायी शासकीय सेवक माना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एल. एन. मीणा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक 148/380-1(3)80

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1980

प्रतिलिपि:—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
   सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

2. राज्यपाल के सचिव,
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

हस्ता./-
(कें. एन. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 7 मई, 1987

एफ. क्रमांक सी/3-4/87/3/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"9. स्थानापन्न शासकीय कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिए परीक्षण":—

(1) कोई व्यक्ति, जो पहले से ही स्थायी शासकीय सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा किसी अन्य सेवा या पद पर नियुक्त किया जाय, उन सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यत: दो वर्ष की कालावधि के लिए स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु शासन यह घोषित कर सेकगा कि ऐसी सेवा या पद पर पूर्विक स्थानापन्नता की कालावधि को उस सीमा तक, जो कि किसी विशिष्ठ मामले में विनिर्दिष्ट की जाय, परीक्षण की कालावधि के प्रति गिना जा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि शासकीय कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर, नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती भी की जाती है, तो स्थानापन्नता की कालावधि उस परिवीक्षा की कालावधि के बराबर होगी जो कि नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के लिए विहित है.

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, स्थानापन्नता की कालावधि को पर्याप्त कारणों से और एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा:

परन्तु यदि शासकीय सेवक उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिस पर कि ऐसे पदों पर नियुक्तियां विनियमित करने वाले भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी नियुक्तियां की जाती है और नियमों में परिवीक्षा की कालावधि के विस्तार का उपबंध है तो वह कालावधि, जिस तक के लिये स्थानापन्नता की कालावधि और विस्तारित की जा सकेगी, उस कालावधि के बराबर होगी जिस तक के लिये नियमों के अधीन उक्त पद पर सीधी भरती किये गये व्यक्ति की परिवीक्षा कालावधि विस्तारित की जाने योग्य है.

(3) यदि स्थानापन्नता की कालावधि या बढ़ाई गई स्थानापन्नता की कालवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर शासकीय सेवक उस सेवा या पद के लिये अनुपयुक्त पाया जाए, जिस पर कि उसे नियुक्त किया गया है तो

उसे उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा.

टिप्पणी.—विहित विभागीय परीक्षाएं, यदि कोई हों, ऐसी कालावधि के भीतर जो उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञात की जाय, उत्तीर्ण न करने पर शासकीय कर्मचारी को, उस सेवा या पद हेतु जिस पर कि वह स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, उसकी उपयुक्तता प्रदर्शित करने में असफल समझा जाएगा.

(4) यदि परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर, स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उस सेवा या पद के लिए जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाय तो यदि स्थायी पद उपलब्ध है तो उसे उस सेवा या पद पर जिसमें उसे नियुक्त किया गया है स्थायी कर दिया जायेगा अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र उसके पक्ष में जारी किया जायेगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है उसे स्थायी कर दिया जायेगा.

(5) ऐसा कोई शासकीय कर्मचारी जिसे उपनियम (4) के अधीन न तो स्थायी किया गया है, न उसके पक्ष में प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और न ही उसे उपनियम (3) के अधीन उसकी पूर्व की मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किया गया है, उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेश पर्यन्त सेवा में बना रहा समझा जाएगा और ऐसी कालावधि के दौरान वह किसी भी समय अपनी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTITICATION

Bhopal, the 7th May 1987

F. No. C-3-4/87/3/1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 9 the following rule shall be substituted, namely :—

"9. Trial For suitability of Officiating Government Servants.

(1) A person already in permanent Government service appointed to another service or post by direct recruitment, promotion or transfer shall ordinarily be appointed in an officiating capacity for a period of two years to as certain his suitability for the service or post:

Provided that the Government may declare that any previous officiation in such a service or post may be counted towards the period of trial to such extent as may be specified in the particular case:

Provided further that if the Government servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the recruitment rules governing appointments to such post then the period of officiation shall be equal to the period of probation prescribed for a person appointed by direct recruitment to the said post under the rules.

(2) The appointing authority may for sufficient reasons extend the period of officiation by a further period not exceeding one year:

Provided that if the Government Servant is appointed to a post to which direct recruitment is also made in accordance with the Recruitment Rules governing appointments to such posts and the Rules provide for extension of the period of probation then the period by which the period of officiation may be further extended shall be equal to the period by which the period of probation is extendable for a person appointed by direct recruitment to the said post under the Rules.

(3) If during or at the end of the period of officiation or extended period of officiation, the Government Servant is found unsuitable for the serivce or post to which he has been appointed he shall be reverted to his former substantive service or post.

Note:—The failure to pass the prescribed departmental examinations, if any, within such period as may be allowed for the purpose may be construed as failure to show fitness for the service or post in which the Government servant is officiating.

(4) If at the end of the period of the trial the officiating Government servant is considered suitable for the service or post to which he has been appointed he shall, if there is a permanent post available, be confirmed in the service or post to which he has been appointed; otherwise a certificate shall be issued in his favour by the appointing authority to the effect that the officiating Government Servant would have been confirmed but for the non-availability of the permanent post and that as soon as a permanent post becomes available he will be confirmed.

(5) An officiating Government servant, who has neither been confirmed, nor a certificate has been issued in his favour under sub-rule (4) nor reverted to his former substantive service or post under sub-rule (3) shall, notwithstanding anything contained in sub-rule (2), be deemed to have been continued in officiating capacity till further orders and during such period he shall at any time be liable to be reverted to his substantive service or post."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
Sd./-
(K. N. SHRIVASTAVA)
Deputy Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
General Administration Department.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ. क्र. सी-3-4/87/3/1 भोपाल, दिनांक 10 जून, 1987

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 9 में किसी पद पर पदोन्नति या स्थानान्तर से नियुक्त किए गए व्यक्तियों को परीक्षण पर रखने तथा परीक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर स्थायी करने की व्यवस्था थी, परन्तु उक्त नियम में परीक्षण की अवधि कितनी होनी चाहिए, स्थानापन्नता की अवधि को आवश्यक होने पर कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा और परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्तियों को स्थायी करने के लिए स्थायी पद उपलब्ध न होने की स्थिति में कोई प्रमाण-पत्र देने का प्रावधान नहीं था. इस प्रकार का प्रावधान न होने से नियमों के निर्वचन में एकरूपता नहीं थी एवं कई प्रशासनिक कठिनाईयां आती थीं. अत: उक्त नियमों में उपरोक्त व्यवस्था का प्रावधान करने हेतु दिनांक 7 मई 1987 के असाधारण राजपत्र द्वारा आवश्यक संशोधन किए गए हैं. उपर्युक्तानुसार किए गए संशोधन के फलस्वरूप अब पदोन्नति अथवा स्थानांतर से नियुक्त किए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नानुसार कार्यवाही आवश्यक होगी:—

(i) इस प्रकार नियुक्त किए गए शासकीय सेवक को सामान्यत: दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षण पर नियुक्त किया जाएगा. यदि सम्बन्धित पद को प्रौढ़ सेवा भरती नियमों के अनुसार सीधी भरती से भी भरा जाता है तो स्थानापन्नता (परीक्षण) की अवधि उस परिवीक्षा की अवधि के बराबर होगी जो नियमों के अनुसार सीधी भरती से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित है;

(ii) स्थानापन्नता (परीक्षण) की कालावधि आवश्यक होने पर पर्याप्त कारणों से अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी;

(iii) परीक्षण की अवधि समाप्त होने पर एवं संबंधित शासकीय सेवक के उपयुक्त पाए जाने पर उसे स्थायी किया जाएगा किन्तु यदि स्थायी पद उपलब्ध न हों तो संबंधित शासकीय सेवक के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा कि "स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होगा उसे स्थायी कर दिया जाएगा."

2. उपर्युक्तानुसार दिनांक 7 मई, 1987 को राजपत्र में अधिसूचित, संशोधन की अधिसूचना संलग्न करते हुए निवेदन है कि इसमें उल्लिखित प्रावधानों को ठीक से पढ़कर समझ लिया जाये और इनके अनुसार कार्यवाही का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. एफ. क्र. सी-3-4-8-3-1 — भोपाल, दिनांक 10 जून, 1987.

प्रतिलिपि:—

1. निबन्धक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
   लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल, म. प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
3. मुख्यमंत्री जी/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/
   निज सहायक की ओर सूचनार्थ.
4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/उप सचिव (समस्त) सा. प्र. वि.
5. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र. सचिवालय, भोपाल.

हस्ता./-
(आर. सी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

[मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण) दिनांक 25 अक्टूबर 1996 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 1996

एफ. क्र. सी-3-17-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-6 के उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जायेगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्डया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 1996

क्र. सी-3-17-96-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-17-96-3-एक, दिनांक 25 अक्टूबर 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्डया, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th October 1996

F. No. C-3-17-96-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following an amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (3) of rule-6, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence against women :

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. C. PANDYA, Addl. Secy.

[मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण), दिनांक 2 अप्रैल 1998 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998

क्र. एफ. सी-3-84-92-3-एक.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

12. **वरिष्ठता.**—किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जावेगी, अर्थात्:—

1. **सीधी भर्ती किए गए तथा पदोन्नत हुए व्यक्तियों की वरिष्ठता.**—(क) नियमों के अनुसार किसी पद पर सीधे नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता पदग्रहण की तारीख का विचार किये बिना उस योग्यताक्रम के आधार पर अवधारित की जाएगी जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई है, पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे.

(ख) जहां पदोन्नतियां किसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन के आधार पर की जाती हैं तो इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में समिति द्वारा इस प्रकार पदोन्नत करने के लिए उनकी सिफारिश की जाती है.

(ग) जहां पदोन्नतियां अनुपयुक्त व्यक्तियों की अस्वीकृति (रिजेक्शन) के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं तो उसी समय पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस निम्न संवर्ग में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है तथापि जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तथा किसी कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा अधिक्रमित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, यदि बाद में उपयुक्त पाया जाता है तथा पदोन्नत किया जाता है, उन कनिष्ठ व्यक्तियों पर उच्चतर संवर्ग में अवधारित नहीं की जायेगी, जिन्होंने उसे अधिक्रमित किया था.

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता, जिसका मामला विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वार्षिक चरित्रावलियों के अभाव में या अन्य कारणों से रोका गया किन्तु बाद में उस तारीख से पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाये, जिस तारीख को उससे कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नत किया गया था, चयन सूची में उससे तत्काल कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से या उस तारीख, से जिस तारीख को वह विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया हो, अवधारित की जाएगी.

(ङ) सीधे भर्ती किए गए तथा पदोन्नति किए गए व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी किए जाने की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति उससे वरिष्ठ व्यक्ति के पूर्व रोस्टर के आधार पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता समुचित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता/चयन/उपयुक्त सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(च) यदि किसी सीधी भर्ती की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदोन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि विस्तारित की गई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिए जैसी कि उनको प्रदान की गई होती, यदि उसने परिवीक्षा/परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली होती या क्या उसे, निम्न वरिष्ठता दी जानी चाहिए.

(छ) यदि सीधी भरती और पदोन्नति के आदेश एक ही तारीख को जारी होते हैं तो प्रोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से (इनब्लॉक) सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाएंगे.

2. **स्थानान्तरित व्यक्ति की वरिष्ठता.**—(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की सापेक्ष वरिष्ठता ऐसे स्थानान्तरणों के लिए उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी.

(ख) जहां कोई व्यक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता होने पर ऐसे स्थानान्तरण के लिए उपबंधित भर्ती नियमों में उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया हो, वहां ऐसा स्थानान्तरित व्यक्ति यथास्थिति सीधी भर्ती वाले व्यक्ति या पदोन्नत व्यक्ति के साथ समूहित किया जायेगा, तथा उसे यथास्थिति, एक ही अवसर पर चयनित सभी सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों या पदोन्नत व्यक्तियों से नीचे की श्रेणी में रखा जाएगा.

(ग) ऐसे व्यक्तियों के मामले में, जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन (अर्थात् जहां संगत भर्ती नियमों में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण" की व्यवस्था हो) किया गया हो, ऐसे संवर्ग में जिसमें वह संविलियत किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना सामान्यत: उसके संविलियन की तारीख से की जावेगी. तथापि, यदि वह उसके मूल विभाग में नियमित आधार पर उसी या समकक्ष संवर्ग में पहले से ही (संविलियन की तारीख को) पद धारण कर रहा हो तो संवर्ग में ऐसी नियमित सेवा को भी उसकी वरिष्ठता का निर्धारण करते समय इस शर्त के अध्यधीन ध्यान में रखा जायेगा कि उसे उस तारीख से वरिष्ठता दी जायेगी, जिसको वह प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा था या उस तारीख को जिसको वह उसके वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर, जो भी बाद में हो, नियुक्त किया गया था.

स्पष्टीकरण.—तथापि उपर्युक्त नियम के अनुसार स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता के निर्धारण का ऐसे संविलियन की तारीख से पूर्व किए गए अगले उच्च संवर्ग (ग्रेड) में किन्हीं नियमित पदोन्नतियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे शब्दों में यह केवल ऐसे संविलियन के पश्चात् उच्च संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने पर लागू होगा.

(3) **विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता.**—(क) ऐसे मामलों में, जहां निम्न सेवा, संवर्ग या पद में कटौती की शास्ति शासकीय सेवक पर अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो तथा यह

भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए लागू न की जानी हो, तो शासकीय सेवी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा, संवर्ग या पद अथवा उच्च समय मान में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेंगी, जैसी कि उसकी कटौती न किये जाने की स्थिति में की गई होती.

(ख) ऐसे मामलों में जहां कटौती, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जानी है तथा भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने के लिए की जानी हो, वहां पुनर्पदोन्नति के संबंध में शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि शास्ति के आदेश की शर्तें अन्यथा उपबंधित न करती हों, उच्च सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्च समयमान वेतन में या उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्धारित की जा सकेगी.

(ग) नये कार्यालय में अतिशेष कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे.

(घ) जब किसी कार्यालय में, विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक अतिशेष कर्मचारियों को, किसी दूसरे कार्यालय में किसी संवर्ग में संविलियन के लिए अलग-अलग तारीखों में चयन किया जाता है तो दूसरे कार्यालय में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु यह कि—

(एक) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो तथा;

(दो) इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी पदोन्नत व्यक्ति का नियुक्ति के लिए अनुमोदन न किया गया हो.

4. **तदर्थ कर्मचारियों की वरिष्ठता.**—(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं को नियमित किये जाने तक, कोई वरिष्ठता नहीं दी जाएगी:

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भरती नियमों में दी गई प्रक्रिया का मूलतः अनुसरण करते हुए तदर्थ नियुक्ति दी जाती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियमों के अनुसार सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 1998

क्र. सी-3-84-92-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-3-84-92-3-एक, दिनांक 2 अप्रैल, 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd April 1998

No. F. 8-C-3-84-92-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Condition of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, for rule 12 the following rule shall be substituted namely :—

12. **Seniority.**—The seniority of the members of a service or a distinct branch or group of posts of that service shall be determined in accordance with the following principles, *viz*—

(1) **Seniority of Direct Recruits and Promotees.**—(a) The Seniority of persons directly appointed to a post according to rules shall be determined on the basis of the order of merit in which they are recommended for appointment irrespective the date of joining. Persons appointed as a result of an earlier selection shall be senior to those appointed as a result of a subsequent selection.

(b) Where promotions are made on the basis of selection by a Departmental Promotion Committee, the seniority of such promotees shall be in the order in which they are recommended for such promotion by the Committee.

(c) Where promotions are made on the basis of seniority subject to rejection of the unfit, the seniority of persons considered fit for promotion at the same time shall be the same as the relative seniority in the lower grade from which they are promoted. Where however a person is considered as unfit for promotion and is superseded by a junior, such person shall not, if subsequently found suitable and promoted, take seniority in the Higher grade over the junior persons who had superseded him.

(d) The seniority of a person whose case was deferred by the Departmental Promotion Committee for lack of Annual Character Rolls or for any other reasons but subsequently found fit to be promoted from the date on which his junior was promoted. Shall be counted from the date of promotion of his immediate junior in the select list or from the date on which he is found fit to be promoted by the Departmental Promotion Committee.

(e) The relative seniority between direct recruits and promotees shall be determined according to the date of issue of appointment/promotion order :

Provided that if a person is appointed/promoted on the basis of roster earlier than his senior, seniority of such person shall be determined according to the merit/select/fit list prepared by the appropriate authority.

(f) If the period of probation of any direct recruit or the testing period of any promotee is extended, the appointing authority shall determine whether he should be assigned

the same seniority as would have been assigned to him if he had completed the normal period of probation/testing period successfully, or whether he should be assigned a lower seniority.

(g) If orders of direct recruitment and promotion are issued on the same date, promotee persons enblock shall be treated as senior to the direct recruitees.

(2) **Seniority of Transferees.**—(a) The relative seniority of persons appointed by transfer form one department of another department of the State Government shall be determined in accordance with the order of their selection for such transfer.

(b) Where a person is appointed by transfer in accordance with the provisions in the Recruitment Rules, providing for such transfer in the envent of non availability of suitable candidates by direct recruitment or promotion, such transferee shall be grouped with direct recruits or promotees, as the case may be, and he shall be ranked below all direct recruits or promotees, as the case may be, selected on the same occasion.

(c) In the case of a person who is initially taken on deputation and absorbed later (i.e. where the relevant recruitment rules provide for "transfer on deputation/transfer") his seniority in the grade in which he is absorbed will normally be counted from the date of absorption. If he has however been holding already (on the date or absorption) the same or equivalent grade on regular basis, in his parent department, such regular service in the grade shall also be taken into account in fixing his seniority, subject to the condition that he will be given seniority, from the date he has been holding the post on deputation or the date from which he has been appointed on a regular basis to the same or equivalent grade in his present department whichever is later.

Explanation.—The fixation of seniority of a transferee in accordance with the above rule will not however affect any regular promotions to the next higher grade made prior to the date of such absorption. In other words it will be operative only in filling up of vacancies in higher grade taking place after such absorption.

(3) **Seniority in special types of cases.**—(a) In case where a penalty of reduction to a lower service, grade or post is imposed on a Government servant and such reduction is for a specified period and is not to operate to postpone future increments, the Seniority of the Government servant may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed in the higher service, grade or post or the higher time scale at what it would have been but for his reduction.

(b) Where the reduction is for a specified period and is to operate to postpone future increments, the seniority of the Government servant on repromotion may, unless the terms of the order of punishment provide otherwise, be fixed by giving credit for the period of service rendered by him in the higher service, grade or post or higher time scale.

(c) The surplus employees shall not be entitled for the benefit of the past service rendered in the previous office for the purpose of their seniority in the new office and such employees shall be treated as fresh entrants in the matter of their seniority.

(d) When two or more surplus employees of a particular grade in an office are selected on different dates for absorption in a grade in another, office their *inter-se-seniority* in the latter office shall be the same as in their previous office provided that,—

(i) no direct recruit has been selected for appointment to that grade in between these dates, and

(ii) no promotee has been approved for appointment to that grade in between these dates.

4. **Seniority of Adhoc employees.**—(a) A person appointed on adhoc basis shall not get any seniority till the regularisation of his services.

(b) If a person is appointed on adhoc basis by substantially following the procedure laid down by the Recruitment Rules and the appointee continues in the post uninterruptedly till the regularisation of his service in accordance with the rules, the period of officiating service shall be counted for seniority.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. M. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा [सेवा की सामान्य शर्तें] नियम, 1961 का पूर्व नियम 12

12. **वरिष्ठता.**—किसी सेवा या उस सेवा के पदों की विशिष्ट शाखा या पद समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) सीधे भरती किए गये व्यक्ति

(एक) सीधी भरती द्वारा परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता, उसकी परिवीक्षा के दौरान, उसकी नियुक्ति की तारीख से मानी जाएगी:

परन्तु यदि एक से अधिक व्यक्तियों का परिवीक्षा पर नियुक्ति के लिये चयन एक ही समय किया गया हो तो इस प्रकार चयन किये गये व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता उन मामलों में, जिनमें आयोग से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्तियां की जाती हों, उस योग्यता-क्रम के अनुसार होगी जिस क्रम के अनुसार आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु उनकी सिफारिश की गई हो, तथा अन्य मामलों में चयन के समय नियुक्ति प्राधिकृत द्वारा अवधारित योग्यता-क्रम के अनुसार होगी.

(दो) सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये गये ऐसे व्यक्तियों के स्थायी किये जाने पर भी पारस्परिक वरिष्ठता का यही क्रम रखा जाएगा यदि उनके स्थायीकरण का आदेश परिवीक्षा की सामान्य अवधि की समाप्ति पर दिया जाए. तथापि, यदि सीधी भरती द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो नियुक्ति प्राधिकारी यह बात अवधारित करेगा कि उसे वही वरिष्ठता प्रदान की जाए जो उसे परिवीक्षा की सामान्य अवधि की समाप्ति पर स्थायी किये जाने पर प्रदान की जाती अथवा उसे कोई निम्न वरिष्ठता प्रदान की जाए.

(ख) पदोन्नत शासकीय कर्मचारी

''पदोन्नत शासकीय कर्मचारी अपनी वरिष्ठता की गणना, जिस सेवा में उसे पदोन्नत किया गया हो, उसमें उसके स्थायीकरण की तारीख से करेगा तथा पदक्रम-सूची में उसका नाम उस सेवा के अन्तिम स्थायी सदस्य के नाम के ठीक नीचे, किन्तु समस्त परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के नामों के ऊपर लिखा जाएगा:

परन्तु जब दो या दो से अधिक पदोन्नत शासकीय कर्मचारी एक ही तारीख से स्थायी किये गये हों, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस सेवा में जिसमें उन्हें स्थायी किया गया हो, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता, एक तो उस क्रम का, जिसमें उनके नाम ऐसी योग्यता सूची में, यदि कोई हो, लिखे हों, जो उनकी पदोन्नति हेतु उपयुक्तता अवधारित करने के लिये तैयार की गई हो और दूसरे उस निम्न सेवा में, जिससे वे पदोन्नत किये गये हों, उनकी सापेक्ष वरिष्ठता का यथोचित ध्यान रखते हुए निश्चित करेगा.''

(ग) स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी

(किसी उच्च सेवा में या पदों के किसी उच्च प्रवर्ग में स्थानापन्न के रूप में कार्य करने के लिये पदोन्नत शासकीय कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी स्थानापन्नता की अवधि के दौरान वही रहेगी, जो कि उनकी मूल सेवा या ग्रेड में रही

हो चाहे उच्च सेवा या ग्रेड में उन्होंने स्थानापन्न के रूप में किन्हीं भी तारीखों से कार्य रंभ किया हो—

परन्तु ;

(एक) यदि स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये उनका चयन किसी ऐसी सूची से किया गया हो, जिसमें उच्च सेवा या ग्रेड में परीक्षण के बतौर कार्य करने के लिये या पदोन्नत के लिये उपयुक्त समझे गये शासकीय कर्मचारियों के नाम योग्यता-क्रम से दिये गये हों तो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता ऐसी सूची में दिये गये उनके योग्यता-क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी;

(दो) किसी ऐसे स्थायी शासकीय कर्मचारी की वरिष्ठता, जिसे अन्य सेवा या पद पर स्थानान्तरण द्वारा स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तदर्थ रूप से अवधारित की जाएगी:

परन्तु ऐसे शासकीय कर्मचारी को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित वरिष्ठता अवधारित की जाएगी और विमुक्ति के आदेश में उसे सूचित की जायगी;

(तीन) जब किसी स्थायी शासकीय कर्मचारी को किसी निम्न सेवा, ग्रेड या पद-प्रवर्ग में पदावनत कर दिया जाए तो उसका नाम बाद की सेवा, ग्रेड या पद-प्रवर्ग की पदक्रम सूची में दिये गये सभी व्यक्तियों के नामों के ऊपर तब तक रखा जाएगा जब तक कि ऐसी अवनति का आदेश देने वाला प्राधिकारी किसी विशेष आदेश द्वारा ऐसे पदावनत शासकीय कर्मचारी के लिये पदक्रम सूची में कोई भिन्न स्थान सूचित न करें;

(चार) जब किसी स्थानापन्न शासकीय कर्मचारी को उसकी मूल सेवा या पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाए तो वह, उसकी मूल नियुक्ति, जिस पर वह अन्य सेवा या पद पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाने के पहले रहा हो, से संबंधित पदक्रम सूची में उसका जो स्थान रहा हो उस स्थान पर प्रत्यावर्तित हो जाएगा.

GCPB—1029—DSGAD—3-8-99—1,000

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र.भोपाल-एम.पी.-2
डब्ल्यू. पी./505/2000.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2000—फाल्गुन 20, शक 1921

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र. एफ. सी. 3-3-2000-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 के उप नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(5) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.

(6) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2000

क्र. सी-3-3-2000-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-3-2000-3-एक, दिनांक 10 मार्च 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 10th March 2000

No. F. C. 3-3-2000-3-EK.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (4) of rule 6 the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(5) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has married before the minimum age fixed for marriage.

(6) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VERMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2000.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 फरवरी 2005—माघ 27, शक 1926

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2005

क्र. सी-3-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ग) में,—

(1) शब्द "वर्तमान विभाग" के स्थान पर, "मूल विभाग" स्थापित किए जाएं.

यह संशोधन 2 अप्रैल, 1998 से प्रवृत्त हुआ, समझा जाएगा.

(2) शब्द "जो भी बाद में हो" के स्थान पर, शब्द "जो भी पूर्वतर हो" स्थापित किए जाएं.

यह संशोधन 14 दिसम्बर, 1999 से प्रवृत्त हुआ, समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2005

क्र. सी-3-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-सी-3-1-2004-3-एक, दिनांक 16 फरवरी, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एस. भटनागर, अपर सचिव.

Bhopal, the 16th February, 2005

No. C-3-1-2004-3-Ek.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in clause (c) of sub-rule (2) of rule 12,—

(1) for the words "present department" the words "parent department" shall be substituted.

This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 2nd April, 1998.

(2) for the words "whichever is later" the words "whichever is earlier" shall be substituted.

This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 14th December, 1999.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
N. S. BHATNAGAR, Addl. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म.प्र. बि.पू.भु. भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339] भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 जुलाई 2006—आषाढ़ 14, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्र. सी-3-8-2006-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्र. सी-3-8-2006-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-8-2006-3-एक, दिनांक 5 जुलाई 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 5th July 2006

No. C-3-8-2006-3-One.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Artical 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, after sub-rule (6), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th day of January 2001, in which two or more than two children are born.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJENDRA SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 मई 2013—ज्येष्ठ 3, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2013

क्र. सी. 3-3-2013-एक-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में नियम 6 में, उपनियम (5) का लोप किया जाए.

No. C-3-3-2013-1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, sub-rule (5) Shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

Report

of

The Task Force

on

Code of Professional Ethics

for

University & College Teachers

Considered and as adopted by the Commission in its meeting held on 27th Dec. 1988

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NEW DELHI

1989

Yash Pal
CHAIRMAN

PHONE : 331-7143
GRAMS : UNIGRANTS
TELEX : 3165913
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली-११० ००२
UNIVERSITY GRANTS COMMISSIC
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI - 110 002

D.O.No.F.1-4/87(PS-CELL) 17th February, 1989

Dear Vice-Chancellor/Principal,

You will recall that on November 12, 1988 I had sent you a report of the Task Force on performance appraisal of college and university teachers. The other part of the Task Force was to prepare a Code of Ethics for University and College teachers.

The Task Force with participation of AIFUCTO (All India Federation of University and College Teachers Organisation) has also now prepared a code of Professional Ethics of University and College Teachers. The report of the Task Force has been adopted by the Commission in its meeting on 27th December, 1988 and the same is sent herewith for your perusal and action as you deem fit.

With regards,

Yours sincerely,

(Yash Pal)

List of Members of the Task Force on Code of Professional Ethics for University and College Teachers

1. Shri Kireet Joshi
10, Talkatora Road
New Delhi.

2. Prof. G. Padmanabhan
Department of Bio-Chemisty
Indian Institute of Science
Bangalore.

3. Prof. V.G. Bhide
Vice-chancellor
Poona University
Poona.

4. Dr. A. Gnanam
Vice-Chancellor
Madras University
Madras-600005.

5. Shri Devendra Kumar
Vice-Chancellor
Gandhigram Rural Institute
Gandhigram
Madurai - 624302.

6. Prof. Irfan Habib
Chairman
Indian Council of Historical Research
35, Feroz Shah Road
New Delhi.

7. Dr. Sudhir Roy
President
AIFUCTO
Khalbil Para Lane
P.O. & Distt. Burdwan
(West Bengal)

8. Dr. Mrinmoy Bhattacharya
General Secretary
AIFUCTO
15, Brindaban Mallik Lane
Calcutta - 700 009.

9. Prof. P.S. Madan
AIFUCTO, NLC
8/76, R Block Patna
Bihar.

10. Shah Kanubahi Anbalani Shah
Secretary, AIFUCTO
80/979, Vijay Nagar
Maran Pura
Ahmedabad - 380 013.

11. Prof. B. Parthasarathy
Vice-President
AIFUCTO
11, West Perumal Maistry Street
Madurai - 625001.
Tamil Nadu

12. Sister K.M. Braganza
C/O Fr. Jopseph Mina
St. Joseph's College
Torpa
Ranchi Distt.
Pin 835227.
Bihar.

13. Sh. J.D. Gupta
Joint Sexretary
Ministry of Human Resource Development
Department of Education
New Delhi.

14. Prof. S.K. Khanna
Secretary
UGC.

Report of the Task Force

CODE OF PROFESSIONAL ETHICS FOR UNIVERSITY AND COLLEGE TEACHERS

PREAMBLE

I. GOAL OF HIGHER EDUCATION IN OUR COUNTRY:

The basic purpose of education is to create skill and knowledge and awareness of our glorious national heritage and the achievements of human civilisation, possessing a basic scientific outlook and commitment to the ideals of patriotism, democracy, secularism, socialism and peace, and the principles enunciated in the Preamble to our constitution.

Higher education has to produce leaders of society and economy in all areas of manifold activities with a commitment to the aforesaid ideals.

Higher education should strive for academic excellence, and progress of arts and science. Education, research and extension should be conducted in conformity with our national needs and priorities and ensure that our best talents make befitting contributions to international endeavour on societal needs.

II. TEACHERS AND THEIR RIGHTS:

Teachers should enjoy full civic and political rights of our democratic country. Teachers have a right to adequate emoluments, social position, just conditions of service, professional independence and adequate social insurance.

THE CODE OF PROFESSIONAL ETHICS

I. TEACHERS AND THEIR RESPONSIBILITIES:

Whoever adopts teaching as a profession assumes the obligation to conduct himself in accordance with the ideals

of the profession. A teacher is constantly under the scrutiny of his students and the society at large. Therefore, every teacher should see that there is no incompatibility between his precepts and practice. The national ideals of education which have already been set forth and which he/she should seek to inculcate among students must be his/her own ideals. The profession further requires that the teachers should be calm, patient and communicative by temperament and amiable in disposition.

Teachers should :

(i) adhere to a responsible pattern of conduct and demeanour expected of them by the community;

(ii) manage their private affairs in a manner consistent with the dignity of the profession;

(iii) seek to make professional growth continuous through study and research;

(iv) express free and frank opinion by participation at professional meetings, seminars, conferences etc. towards the contribution of knowledge;

(v) maintain active membership of professional organisations and strive to improve education and profession through them;

(vi) perform their duties in the form of teaching, tutorial, practical and seminar work conscientiously and with dedication;

(vii) co-operate and assist in carrying out functions relating to the educational responsibilities of the college and the university such as: assisting in appraising applications for admission, advising and counselling students as well as assisting in the

conduct of university and college examinations, including supervision, invigilation and evaluation; and

(viii) participate in extension, co-curricular and extra - curricular activities including community service.

II. TEACHERS AND THE STUDENTS

Teachers should

(i) respect the right and dignity of the student in expressing his/her opinion;

(ii) deal justly and impartially with students regardless of their religion, caste, political, economic, social and physical characteristics;

(iii) recognise the difference in aptitude and capabilities among students and strive to meet their individual needs;

(iv) encourage students to improve their attainments, develop their personalities and at the same time contribute to community welfare;

(v) inculcate among students scientific outlook and respect for physical labour and ideals of democracy, patriotism and peace;

(vi) be affectionate to the students and not behave in a vindictive manner towards any of them for any reason;

(vii) pay attention to only the attainment of the student in the assessment of merit;

(viii) make themselves available to the students even beyond their class hours and help and guide students without any remuneration or reward;

(ix) aid students to develop an understanding of our national heritage and national goals and

(x) refrain from inciting students against other students, colleagues or administration.

III. TEACHERS AND COLLEAGUES

Teachers should

(i) treat other members of the profession in the same manner as they themselves wish to be treated;

(ii) speak respectfully of other teachers and render assistance for professional betterment;

(iii) refrain from lodging unsubstantiated allegations against colleagues to higher authorities;

(iv) refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race or sex in their professional endeavour.

IV. TEACHERS AND AUTHORITIES:

Teachers should

(i) discharge their professional responsibilities according to the existing rules and adhere to procedures and methods consistent with their profession in initiating steps through their own institutional bodies and/or professional organisa-tions for change of any such rule deterimental to the professional interest;

(ii) refrain from undertaking any other employment and commitment including private tuitions and coaching classes which are likely to interfere with their professional responsibilities;

(iii) co-operate in the formulation of policies of the institution by accepting various offices and discharge responsibilities which such offices may demand;

(iv) co-operate through their organisations in the formulation of policies of the other institutions and acept offices;

(v) co-operate with the authorities for the betterment of the institutions keeping in view the interest and in conformity with dignity of the profession;

(vi) should adhere to the conditions of contract;

(vii) give and expect due notice before a change of position is made and

(viii) refrain from availing themselves of leave except on unavoidable grounds and as far as practicable with prior intimation, keeping in view their particular responsibility for completion of academic schedule.

V. TEACHERS AND NON-TEACHING STAFF:

(i) Teachers should treat the non-teaching staff as colleagues and equal partners in a cooperative undertaking, within every educational institution;

(ii) Teachers should help in the function of joint staff-councils covering both teachers and the non-teaching staff.

VI. TEACHERS AND GUARDIANS

Teachers Should

try to see through teachers' bodies and organisations that institutions maintain contact with the guardians of their

students, send reports of their performance to the guardians whenever necessary and meet the guardians in meetings convened for the purpose for mutual exchange of ideas and for the benefit of the institution.

VII. TEACHERS AND SOCIETY

Teachers Should

(i) recognise that education is a public service and strive to keep the public informed of the educational programmes which are being provided;

(ii) work to improve education in the community and strengthen the community's moral and intellectual life ;

(iii) be aware of social problems and take part in such activities as would be conducive to the progress of society and hence the country as a whole;

(iv) perform the duties of citizenship, participate in community activities and shoulder responsibilities of public offices;

(v) refrain from taking part in or subscribing to or assisting in any way activities which tend to promote feeling of hatred or enemity among different communities, religions or linguistic groups but actively work for National Integration.

© University Grants Commission
UGC (P) $\frac{92/1989}{10,000}$
ISBN 81-85025-52-5

February 1989

Published by Prof. S.K. Khanna, Secretary, University Grants Commission, New Delhi 110002. Editor: V. Appa Rao; Assistant Editor: Prem Varma, Production Assistance: R.K. Saigal and Printed by Computer Prints Combine 10402/5 Multani Dhanda Pahar Ganj New Delhi 110055

15.1. The workload of the teachers in full employment should not be less than 40 hours a week for 30 working weeks (180 teaching days) in an academic year. It should be necessary for the teacher to be available for at least 5 hours daily in the University/College for which necessary space and infrastructure should be provided by the University/College. Direct teaching-learning process hours should be as follows:

Assistant Professor	16 hours
Associate Professor and Professor	14 hours

15.2 A relaxation of two hours in the workload may, however, be given to Professors who are actively involved in extension activities and administration. A minimum of 6 hours per week may have to be allocated for research activities of a teacher.

16.0 SERVICE AGREEMENT AND FIXING OF SENIORITY

16.1. At the time of recruitment in Universities and Colleges, a service agreement should be executed between the University/College and the teacher concerned and a copy of the same should be deposited with the Registrar/Principal. Such service agreement shall be duly stamped as per the rates applicable.

16.2. The self-appraisal or linked Performance Based Appraisal System (PBAS) methodology shall form part of the service agreement/Record.

16.3. Inter-se seniority between the direct recruited and teachers promoted under CAS

The inter-se seniority of a direct recruit shall be determined with reference to the date of joining and for the teachers promoted under CAS with reference to the date of eligibility as indicated in the recommendations of the selection committee of the respective candidates. The rules and regulations of the respective Central/State Government shall apply, for all other matters of seniority.

17.0. CODE OF PROFESSIONAL ETHICS

I. TEACHERS AND THEIR RESPONSIBILITIES:

Whoever adopts teaching as a profession assumes the obligation to conduct himself / herself in accordance with the ideal of the profession. A teacher is constantly under the scrutiny of his students and the society at large. Therefore, every teacher should see that there is no incompatibility between his precepts and practice. The national ideals of education which have already been set forth and which he/she should seek to inculcate among students must be his/her own ideals. The profession further requires that the teachers should be calm, patient and communicative by temperament and amiable in disposition.

Teachers should:

(i) Adhere to a responsible pattern of conduct and demeanour expected of them by the community;

(ii) Manage their private affairs in a manner consistent with the dignity of the profession;

(iii) Seek to make professional growth continuous through study and research;

(iv) Express free and frank opinion by participation at professional meetings, seminars, conferences etc. towards the contribution of knowledge;

(v) Maintain active membership of professional organizations and strive to improve education and profession through them;

(vi) Perform their duties in the form of teaching, tutorial, practical, seminar and research work conscientiously and with dedication;

(vii) Co-operate and assist in carrying out functions relating to the educational responsibilities of the college and the university such as: assisting in appraising applications for admission, advising and counseling students as well as assisting the conduct of university and college examinations, including supervision, invigilation and evaluation; and

(viii) Participate in extension, co-curricular and extra-curricular activities including community service.

II. TEACHERS AND THE STUDENTS

Teachers should:

(i) Respect the right and dignity of the student in expressing his/her opinion;

(ii) Deal justly and impartially with students regardless of their religion, caste, political, economic, social and physical characteristics;

(ii) Recognize the difference in aptitude and capabilities among students and strive to meet their individual needs;

(iv) Encourage students to improve their attainments, develop their personalities and at the same time contribute to community welfare;

(v) Inculcate among students scientific outlook and respect for physical labour and ideals of democracy, patriotism and peace;

(vi) Be affectionate to the students and not behave in a vindictive manner towards any of them for any reason;

(vii) Pay attention to only the attainment of the student in the assessment of merit;

(viii) Make themselves available to the students even beyond their class hours and help and guide students without any remuneration or reward;

(ix) Aid students to develop an understanding of our national heritage and national goals; and

(x) Refrain from inciting students against other students, colleagues or administration.

III. TEACHERS AND COLLEAGUES

Teachers should:

(i) Treat other members of the profession in the same manner as they themselves wish to be treated;

(ii) Speak respectfully of other teachers and render assistance for professional betterment;

(iii) Refrain from lodging unsubstantiated allegations against colleagues to higher authorities; and

(iv) Refrain from allowing considerations of caste, creed, religion, race or sex in their professional endeavour.

IV. TEACHERS AND AUTHORITIES:

Teachers should:

(i) Discharge their professional responsibilities according to the existing rules and adhere to procedures and methods consistent with their profession in initiating steps through their own institutional bodies and/or professional organizations for change of any such rule detrimental to the professional interest;

(ii) Refrain from undertaking any other employment and commitment including private tuitions and coaching classes which are likely to interfere with their professional responsibilities;

(iii) Co-operate in the formulation of policies of the institution by accepting various offices and discharge responsibilities which such offices may demand;

(iv) Co-operate through their organizations in the formulation of policies of the other institutions and accept offices;

(v) Co-operate with the authorities for the betterment of the institutions keeping in view the interest and in conformity with dignity of the profession;

(vi) Should adhere to the conditions of contract;

(vii) Give and expect due notice before a change of position is made; and

(viii) Refrain from availing themselves of leave except on unavoidable grounds and as far as practicable with prior intimation, keeping in view their particular responsibility for completion of academic schedule.

V. TEACHERS AND NON-TEACHING STAFF:

(i) Teachers should treat the non-teaching staff as colleagues and equal partners in a cooperative undertaking, within every educational institution; and

(ii) Teachers should help in the function of joint staff-councils covering both teachers and the non-teaching staff.

VI. TEACHERS AND GUARDIANS

Teachers should:

(i) Try to see through teachers' bodies and organizations, that institutions maintain contact with the guardians, their students, send reports of their performance to the guardians whenever necessary and meet the guardians in meetings convened for the purpose for mutual exchange of ideas and for the benefit of the institution.

VII. TEACHERS AND SOCIETY

Teachers should:

(i) Recognize that education is a public service and strive to keep the public informed of the educational programmes which are being provided;

(ii) Work to improve education in the community and strengthen the community's moral and intellectual life ;

(iii) Be aware of social problems and take part in such activities as would be conducive to the progress of society and hence the country as a whole;

(iv) Perform the duties of citizenship, participate in community activities and shoulder responsibilities of public offices;

(v) Refrain from taking part in or subscribing to or assisting in any way activities which tend to promote feeling of hatred or enmity among different communities, religions or linguistic groups but actively work for National Integration.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018

सं. एफ. 1–2/2017 (ईसी/पीएस).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (झ) के खंड (ड.) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2010'' (विनियम सं. एफ 3–1/2009 दिनांक 30 जून, 2010) तथा समय– समय पर इनमें किए गए सभी संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों को तैयार करता है, नामतः –

1. **लघु शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन:**

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (झ) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय संस्थान पर लागू होंगे।

1.3 यह विनियम अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

2. उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के एक उपाय के रूप में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों, पुस्तकाध्यक्षों और निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों की न्यूनतम अर्हताएं इन विनियमों के अनुबंध में दी जाएंगी।

3. यदि कोई विश्वविद्यालय इन विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ऐसे उल्लंघन किए जाने अथवा इस प्रकार उपबंधों का पालन करने में असफल रहने पर उक्त विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कारण, यदि कोई हो, पर विचार करते हुए आयोग, अपनी निधियों में से विश्वविद्यालय को प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित अनुदानों को रोक सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय संबंधी विनियम, 2018

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य, आचार्यों और शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं और ऐसे पदों से संबंधित वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का पुनरीक्षण।

1.0 व्याप्ति

इन विनियमों को उच्चतर शिक्षा में मानकों को बनाए रखने और वेतनमान की पुनरीक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों और पुस्तकाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद निदेशकों के संवर्गों में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों हेतु न्यूनतम अर्हताओं के लिए जारी किया गया है।

1.1 विश्वविद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा के संबंध में विधाओं अन्य बातों के साथ– साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा, विशेष शिक्षा, कृषि, पशु चिकित्सा और संबद्ध क्षेत्रों, तकनीकी शिक्षा, अध्यापक शिक्षा में शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संसद के संगत अधिनियम द्वारा स्थापित प्राधिकरणों द्वारा उच्चतर शिक्षा अथवा अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं के लिए समन्वय और मानकों का निर्धारण करने के लिए निर्धारित किए गए मानदंड अथवा मानक प्रचलित होंगे,

i. बशर्ते कि, उस स्थिति में जहां किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई मानदंड या मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं, उस स्थिति में उपर्युक्त वि0अ0आ0 विनियम उस समय तक लागू होंगे जब तक कि उपर्युक्त विनियामक प्राधिकारी द्वारा कोई मानक या मानदंड निर्धारित नहीं किए जाएं।

ii. बशर्ते आगे कि, उन विधाओं, जिनमें सहायक आचार्य और समतुल्य पदों पर नियुक्ति, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) के माध्यम से की गई हो, जिसका आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया गया हो अथवा राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एसएलईटी) अथवा राज्य पात्रता परीक्षा (एसईटी), जिन्हें उक्त प्रयोजनार्थ वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित निकायों द्वारा आयोजित किया गया हो उनमें एनईटी/एसईएलटी/एसईटी में अर्हता प्राप्त करना एक अतिरिक्त अपेक्षा होगी।

1.2 प्रत्येक विश्वविद्यालय अथवा सम विश्वविद्यालय संस्थान, जैसा भी मामला हो, यथाशीघ्र किंतु इन विनियमों के लागू होने के छह महीने के भीतर, इन्हें अभिशासित करने वाली संविधियों, अध्यादेश अथवा अन्य सांविधिक उपबंधों में संशोधन के लिए प्रभावी कदम उठाएगा, ताकि इन्हें उपर्युक्त विनियमों के अनुरूप लाया जा सके।

2.0 वेतनमान, वेतन निर्धारण और अधिवर्षिता की आयु भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित वेतनमान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंगीकार किया जाएगा।

2.1 रिक्त पदों की उपलब्धता और स्वास्थ्य के अध्यधीन सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य और वरिष्ठ आचार्य जैसे शिक्षकों को संबंधित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों में यथा लागू अधिवर्षिता की आयु के उपरांत भी संविदा आधार पर सत्तर वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है।

बशर्ते आगे कि ऐसी सभी पुनर्नियुक्तियां समय–समय पर वि0अ0आ0 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए की जाएंगी।

2.2 वेतनमान की पुनरीक्षा को लागू करने की तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2016 होगी।

3.0 नियुक्ति और अर्हताएं

3.1 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य के पदों और विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य के पदों पर सीधी भर्ती अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से गुणावगुण के आधार पर इन विनियमों के तहत किए गए उपबंधों के अंतर्गत विधिवत रूप से गठित चयन समिति द्वारा चयन के आधार पर किया जाएगा। इन उपबंधों को संबंधित विश्वविद्यालय की संविधियों/ अध्यादेशों में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसी समिति की संरचना इन विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अनुसार होगी।

3.2 सहायक आचार्य, सह आचार्य, आचार्य, वरिष्ठ आचार्य, प्राचार्य, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, उप पुस्तकाध्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद उप निदेशक तथा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक के पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं वि0अ0आ0 द्वारा इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

3.3

I. जहां कहीं भी इन विनियमों में यह उपबंधित हो, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा प्रत्यायित परीक्षा (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा एसएलईटी/एसईटी) सहायक आचार्य और समकक्ष पदों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम पात्रता बनी रहेगी, इसके अतिरिक्त, एसएलईटी/एसईटी केवल संबंधित राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता के रूप में मान्य होगा:

बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, को किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा संस्थान में सहायक आचार्य या समकक्ष पद पर भर्ती या नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की न्यूनतम पात्रता शर्त अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी।

बशर्ते आगे कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना, उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों/उपनियमों/ विनियिमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होगा। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्रदान की जाएगी:

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा प्रदान किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य को दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड.) अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ आईसीएसएसआर/ सीएसआईआर अथवा ऐसी की किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए।

II. ऐसे विषयों में एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी को उत्तीर्ण करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक नहीं होगा जिनके लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी आयोजित नहीं की गई हो।

3.4 किसी भी स्तर पर शिक्षकों और अन्य समान संवर्गों की सीधी भर्ती के लिए निष्णात स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) अनिवार्य योग्यताएं होंगी।

I. सीधी भर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) (असंपन्न वर्ग)/ निशक्त {(क) दृष्टिहीनता अथवा निम्न दृश्यता; (ख) बधिर और कम सुनाई देना; (ग) लोकोमोटर निशक्ता साथ ही सेरेब्रल पालसी, कुष्ठ उपचारित, नाटापन, अम्लीय हमले के पीड़ित और मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी; (घ) विचार भ्रम (आटिज्म), बौद्धिक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ड.) गूंगापन– अंधापन सहित (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहु निशक्तता) से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) और रियायत अंक प्रक्रिया सहित, यदि कोई हो तो, के आधार पर अर्हता अंक में उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमेय है।

3.5 उन पीएचडी उपाधि धारक अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत अंक से कम करके 50 प्रतिशत अंक तक) की छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व निष्णात उपाधि प्राप्त की है।

3.6 एक संगत ग्रेड जिसे निष्णात स्तर पर 55 प्रतिशत के समरूप माना जाता है, जहां कहीं भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, को भी वैध माना जाएगा।

3.7 आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

3.8 सह आचार्य के पद पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पीएचडी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

3.9 विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य (चयन ग्रेड/ शैक्षणिक स्तर 12) के पद पर पदोन्नति के लिए पीएचडी की उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

3.10 दिनांक 01 जुलाई, 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी।

3.11 शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए दावे हेतु एमफिल और/ अथवा पीएचडी उपाधि प्राप्त करने में अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए समय पर शिक्षण/ अनुसंधान अनुभव के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कोई अवकाश लिए बिना शिक्षण कार्य के साथ अनुसंधान उपाधि प्राप्त करने में व्यतीत की गई सक्रिय सेवा अवधि को सीधी भर्ती/ पदोन्नति के उद्देश्य के लिए शिक्षण अनुभव माना जाएगा। कुल संकाय संख्या (चिकित्सा/ मातृत्व छुट्टी पर गए संकाय सदस्यों के अलावा) के बीस प्रतिशत तक नियमित

आधार पर कार्यरत संकाय सदस्यों को अपनी संस्थाओं में पीएचडी की उपाधि के लिए अध्ययन छुट्टी लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

3.12 **अर्हताएं:**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालयों सहित कोई विश्वविद्यालय अथवा कोई संस्थान अथवा उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत सम विश्वविद्यालय संस्थान में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक, पुस्तकाध्यक्ष अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नही होगी जबतक कि व्यक्ति इन विनियमों की अनुसूची 1 में उपर्युक्त पद के लिए यथा उपबंधित अर्हताओं के रूप में अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो।

4.0 सीधी भर्ती

4.1 कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, विधि, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और पत्रकारिता तथा जन संपर्क विधाओं के लिए

I. सहायक आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख):

क.

i) किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित /संगत/ संबद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंक के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य उपाधि।

ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ–साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी /एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएचडी उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी से छूट प्रदान की जाएगी:

बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/ उपनियमों/ विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी :-

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड.) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0/ आईसीएसएसआर/ सीएसआईआर अथवा ऐसी की किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा सत्यापित किया जाए।

नोट: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी/एसएलईटी/ एसईटी अर्हता अपेक्षित नहीं होगी जिनमें वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा जैसे एनईटी/ एसएलईटी आदि आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. (i) क्वैक्वेरेली सायमंड (क्यूएस) (ii) दि टाइम्स हॉयर एजूकेशन (टीएचई) अथवा (iii) शंघाई जियाओ टॉग यूनिवर्सिटी (शंघाई) के विश्व के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक रैंकिंग (एआरडब्ल्यू) द्वारा संपूर्ण विश्व में विश्वविद्यालय रैंकिग में विश्व के शीर्षतम 500

रैंक वाले विदेशी विश्वविद्यालय/ संस्थान (किसी भी समय) से पीएचडी की उपाधि निम्नलिखित में से किसी एक से प्राप्त की गई हो।

नोट: विश्वविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका 3क) और महाविद्यालयों के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका 3ख) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांकों पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने हेतु विचार किया जाएगा और चयन इस साक्षात्कार में किये गए प्रदर्शन पर आधारित होगा।

II. सह आचार्य:

अर्हता:

i) संबंधित/ संबद्ध/ संगत विधाओं में पीएचडी की उपाधि के साथ बेहतरीन शैक्षणिक रिकार्ड।

ii) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां, प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

iii) किसी भी शैक्षणिक/ अनुसंधान पद पर शिक्षण और/ अथवा अनुसंधान में न्यूनतम आठ वर्षों का अनुभव जो किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/ उद्योग में सहायक आचार्य के समान हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम सात प्रकाशनों का अनुभव और परिशिष्ट दो, तालिका 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार अनुसंधान में कुल पचहत्तर (75) अंकों के अनुसंधान प्राप्तांक।

III. आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख) :

क.

i) प्रतिष्ठित विद्वान जिसे संबंधित/ संबद्ध/ संगत विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो तथा प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ– साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हो तथा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम दस वर्षों का प्रकाशन अनुभव एवं परिशिष्ट– II, तालिका दो में दिए गए मानदंडों के अनुसार कुल 120 शोध प्राप्तांक अर्जित किए हों।

ii) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सहायक आचार्य/ सह आचार्य/ आचार्य स्तर पर न्यूनतम दस वर्ष का शैक्षणिक अनुभव और/ अथवा विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डाक्टोरल अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो।

अथवा

ख. उपर्युक्त– क/ उद्योग में शामिल नहीं किए गए किसी भी संस्थान से संगत/ संबद्ध/ अनुप्रयुक्त विधाओं में पीएचडी की उपाधि प्राप्त तथा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित उत्कृष्ट पेशेवर जिन्होंने संबंधित/ संबद्ध/ संगत विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, बशर्ते कि उसे दस वर्षों के अनुभव हो।

IV. विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य

विश्वविद्यालय में आचार्यों की विद्यमान संस्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत संख्या तक सीधी भर्ती के माध्यम से विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ आचार्य के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है।

पात्रता:

i) कोई प्रतिष्ठित विद्वान जिसका समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान प्रकाशन का बेहतर निष्पादन रिकार्ड हो तथा इन विधाओं में महत्वपूर्ण अनुसंधान योगदान और अनुसंधान पर्यवेक्षण किया हो।

ii) किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा राष्ट्रीय स्तर की किसी संस्थान में आचार्य के रूप में अथवा समतुल्य ग्रेड में शिक्षण/ अनुसंधान का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो।

iii) यह चयन शैक्षणिक उपलब्धियों, तीन प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ, जो वरिष्ठ आचार्य के पद से कम न हों, अथवा कम से कम दस वर्ष के अनुभव वाले आचार्य की अनुकूल समीक्षा पर आधारित होगा।

iv) यह चयन, समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 के सूचीबद्ध जर्नलों में सर्वोत्तम दस प्रकाशनों और वि0अ0आ0 विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति के साथ सहक्रिया के साथ– साथ पिछले 10 वर्षों के दौरान उनकी पर्यवेक्षण में कम से कम दो अभ्यर्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदत्त किए जाने पर आधारित होगा।

V. **महाविद्यालय प्राचार्य और आचार्य (प्राचार्य का ग्रेड)**

क. पात्रताः

i.) पीएचडी की उपाधि।

ii.) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कम से कम पंद्रह वर्षों के शिक्षण/ अनुसंधान की सेवा/ अनुभव के साथ कोई आचार्य/ सह आचार्य।

iii.) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 अनुसंधान प्रकाशन।

iv.) परिशिष्ट II, तालिका 2 के अनुसार न्यूनतम 110 अनुसंधान प्राप्तांक।

ख. अवधि

(i) किसी महाविद्यालय प्राचार्य को पांच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जिसका कार्यकाल इन विनियमों के अनुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के आधार पर पांच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(ii) प्राचार्य के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात्, पदधारी, आचार्य के ग्रेड में आचार्य के पदनाम के साथ अपने मूल कार्यालय में पुनः कार्यभार ग्रहण करेगा।

VI. उप प्राचार्य

किसी मौजूदा वरिष्ठ संकाय सदस्य को दो वर्षों की अवधि के लिए प्राचार्य की सिफारिश पर महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा उप प्राचार्य के रूप में पदनामित किया जा सकता है जिन्हें उनके मौजूदा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त विशिष्ट कार्य सौंपे जा सकते हैं। किसी भी कारण से, प्राचार्य के अनुपस्थित होने पर उप प्राचार्य, प्राचार्य के शक्तियों का प्रयोग करेगा।

4.2. संगीत, परफार्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और अन्य परंपरागत भारतीय कला स्वरूपों यथा शिल्पकला आदि।

I. सहायक आचार्यः

पात्रता (क अथवा ख):

क.

i) किसी भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ–साथ अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0 अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी/ एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो।

बशर्ते आगे कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल/ पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों/ उपनियमों/ विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/एसएलईटी/एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी :-

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ङ.) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0/ एआईसीटीई/ आईसीएसएसआर/ सीएसआईआर अथवा ऐसी की किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों;

नोट 1: *इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अनुप्रमाणित किया जाए।*

नोट 2: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी/एसएलईटी/ एसईटी उत्तीर्ण किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा (जैसे एसईएलटी/ एसईटी) आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विधा में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो और जिन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, जिन्होंने:

i) प्रसिद्ध परंपरागत उस्ताद(दों)/ कलाकार(रों) के अधीन अध्ययन किया हो।

ii) वह आकाशवाणी/ दूरदर्शन में 'क' श्रेणी का कलाकार रहा हो;

iii) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो; और

iv) संबंधित विधा में सदोहारण सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

II. सह आचार्य :

पात्रता (क अथवा ख):

क.

i) डोक्टोरल उपाधि के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड।

ii) उच्च पेशेवर मानक के साथ कार्यनिष्पादन क्षमता।

iii) किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में शिक्षण कार्य में आठ वर्ष का अनुभव और/ अथवा किसी विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव जोकि किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में सहायक आचार्य के समतुल्य हो।

iv) उन्होंने गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन द्वारा यथा प्रमाणित संबंधित विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

अथवा

ख. एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि हो और जिन्हें संबंधित विषय में निष्णात उपाधि प्राप्त की हो, जो:

i) आकाशवाणी / दूरदर्शन में 'क' श्रेणी का कलाकार रहा हो;

ii) विशेषज्ञता के क्षेत्र में आठ वर्ष की उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन उपलब्धि रही हो;

iii) नए पाठ्यक्रम और/ अथवा पाठ्यचर्या का तैयार करने का अनुभव रहा हो;

iv) प्रसिद्ध संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों /संगीतगोष्ठियों में भाग लिया हो; और

v) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो और उक्त विधा में सदोहारण सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

III. आचार्य :

पात्रता (क अथवा ख):

क.

i) डॉक्टोरल उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान।

ii) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षण और/ अथवा विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में अनुसंधान में कम से कम दस वर्ष के अनुभव के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हों।

iii) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में न्यूनतम 6 अनुसंधान प्रकाशित हुए हों।

iv) परिशिष्ट– II, तालिका– दो के अनुसार अनुसंधान में कुल 120 प्रप्तांक हों।

अथवा

ख. एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो,

i) संबंधित विषय में निष्णात उपाधि धारक हो;

ii) आकाशवाणी / दूरदर्शन का 'क' श्रेणी का कलाकार रहा हो;

iii) विशेषज्ञता के क्षेत्र में दस वर्ष का उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन की उपलब्धि रही हो;

iv) विशेषज्ञता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो और अनुसंधान में मार्गदर्शन करने की क्षमता हो;

v) राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठियों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं / संगीतगोष्ठियों में भागीदारी की हो और राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार / अध्येतावृत्तियां प्राप्त की हों;

vi) संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो; और

vii) उक्त विधा में सदोहारण सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

4.3 नाट्य विधाः

I. सहायक आचार्य

पात्रता (क अथवा ख)

क.

i) भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

ii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ– साथ अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0 अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण की हो अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित इसी प्रकार की परीक्षा यथा एसएलईटी / एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल / पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो।

बशर्ते आगे कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एमफिल / पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के तत्कालीन विद्यमान अध्यादेशों / उपनियमों / विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे। ऐसे सभी पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी / एसएलईटी / एसईटी की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाएगी :-

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का मूल्यांकन कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड.) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0 / सीएसआईआर / आईसीएसएसआर अथवा ऐसी की किसी एजेंसी द्वारा प्रायोजित / वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों / विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो;

नोट 1: *इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अधिप्रमाणित किया जाए।*

नोट 2: ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों के लिए एनईटी / एसएलईटी / एसईटी उत्तीर्ण किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा एनईटी / एसएलईटी / एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा (जैसे एसईएलटी / एसईटी) आयोजित नहीं की जाती है।

अथवा

ख. संबंधित विषय में उच्च उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रखने वाला कोई परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसके पासः

i) भारतीय नाट्य विद्यालय अथवा भारत या विदेश में किसी अन्य ऐसी ही संस्थान से 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड की उपाधि) के साथ तीन वर्षीय स्नातक की उपाधि/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा की उपाधि के साथ पेशेवर कलाकार रहा हो;

ii) साक्ष्य सहित क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पांच वर्ष का नियमित रूप से प्रशंसनीय कार्यनिष्पादन रहा हो; और

iii) संबंधित विषय की तार्किक रूप से व्याख्या करने की क्षमता हो और संबंधित विधा में सदोहारण सिद्धांत पक्ष को पढ़ाने की पर्याप्त जानकारी हो।

II. सह आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख) :

क.

i) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा अनुप्रमाणित उच्च पेशेवर मानकों के कार्यनिष्पादन की क्षमता के साथ पीएचडी की उपाधि सहित उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड रहा हो।

ii) किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षण कार्य में आठ वर्ष का अनुभव और/ अथवा किसी विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में शोध कार्य में आठ वर्ष का अनुभव रहा हो जोकि किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के सहायक आचार्य के समतुल्य हो।

iii) गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन द्वारा यथा प्रमाणित, संबंधित विषय में ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

अथवा

ख. एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो और जिन्हें संबंधित विषय में निष्णात उपाधि प्राप्त की हो, जोः

i) रंगमंच/ रेडियो/ टेलीविजन में जाना– माना कलाकार रहा हो;

ii) विशेषज्ञता के क्षेत्र में आठ वर्ष की उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन उपलब्धि रहा हो;

iii) नए पाठ्यक्रम और/ अथवा पाठ्यचर्या का तैयार करने का अनुभव रहा हो;

iv) प्रख्यात संस्थाओं में संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में भाग लिया हो; और

v) वह संबंधित विषय में तार्किक तर्कशक्ति के साथ व्याख्या करने की क्षमता रखता हो और उक्त विधा में सदोहारण सिद्धांत पढ़ाने के लिए पर्याप्त ज्ञान से सम्पन्न हो।

III. आचार्य

पात्रता (क अथवा ख) :

क. डॉक्टरेट की उपाधि सहित अनुसंधान कार्य से सक्रिय रूप से जुड़े प्रख्यात विद्वान हो और विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन उपलब्धियों के साथ डॉक्टरेट स्तर पर अनुसंधान मार्गदर्शन प्रदान करने में अनुभव सहित विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में शिक्षण और/ अथवा अनुसंधान में दस वर्ष का अनुभव हो साथ ही समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 6 अनुसंधान प्रकाशन एवं परिशिष्ट– II, तालिका– दो में दिए गए मानदंडों के अनुसार शोध में कुल 120 अंक प्राप्त किए हों।

अथवा

ख. एक परंपरागत अथवा पेशेवर कलाकार जिसकी संबंधित विषय में अत्यंत उल्लेखनीय पेशेवर उपलब्धि रही हो और जिनके पासः

i) संगत विषय में निष्णात उपाधि हो;

ii) विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में दस वर्ष की उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन उपलब्धि रही हो;

iii) उत्कृष्टता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया हो ;

iv) अनुसंधान में मार्गदर्शन प्रदान किया हो;

v) राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं में भागीदारी की हो और/ अथवा राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार/ अध्येतावृत्तियां प्राप्त की हों;

vi) संबंधित विषय को तार्किक रूप से स्पष्ट करने की क्षमता हो;

vii) उक्त विषय में उदाहरणों सहित सिद्धांत को पढ़ाने हेतु पर्याप्त ज्ञान हो।

4.4 योग विधा

I. सहायक आचार्य:

पात्रता (क अथवा ख) :

क. भारतीय/ विदेशी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय अथवा किसी समतुल्य उपाधि में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ योग अथवा अन्य संगत विषय में निष्णात उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो उस स्थिति में प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) सहित अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड हो।

इसके साथ–साथ, उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0 अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही परीक्षा यथा एसएलईटी/ एसईटी उत्तीर्ण की हो अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें बाद में किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो।

अथवा

ख. किसी भी विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात उपाधि धारक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, उस स्थिति में प्वॉइंट स्केल में समान ग्रेड) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/ पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 और समय–समय पर इनमें किए गए संशोधन, जैसा भी मामला हो, के अनुरूप योग* में पीएचडी की उपाधि धारक हो।

* नोट: योग के इस नए उभरते क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए यह विकल्प दिया गया है और यह इन विनियमों के अधिसूचना की तिथि से केवल पांच वर्षों के लिए ही मान्य होगा।

II. सह आचार्य

i) संबंधित विषय अथवा संगत विषय में पीएचडी उपाधि के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड।

ii) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, उस स्थिति में प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) प्राप्त की हो।

iii) किसी शैक्षणिक/ अनुसंधान पद जो, किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित अनुसंधान संस्थान/ उद्योग में सहायक आचार्य के समतुल्य हो, में प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित न्यूनतम आठ वर्ष का शिक्षण कार्य और/ अथवा अनुसंधान का अनुभव हो और पुस्तकों के रूप में और/ अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अनुसंधान/ नीतिगत पत्रों अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम सात प्रकाशन किए हों और परिशिष्ट–II, तालिका– 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार कम से कम पचहत्तर (75) कुल अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

III. आचार्य

पात्रता (क और ख) :

क.

i) संबद्ध/ संगत विषय में पीएचडी की उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान हो और उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो, प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ अनुसंधान में सक्रिय रूप से जुड़े हों, और प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित पुस्तकों के रूप में और/ अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अनुसंधान/ नीतिगत पत्रों अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस प्रकाशन किए हों और परिशिष्ट– II, तालिका– 2 में दिए गए मानदंडों के अनुसार कम से कम 120 कुल अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों।

ii) किसी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में न्यूनतम दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर की संस्थानों/ उद्योगों में अनुसंधान का अनुभव हो और डॉक्टोरल अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।

अथवा

ख. संगत क्षेत्र में प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त उत्कृष्ट पेशेवर जिन्होंने प्रत्यायन द्वारा अभिपुष्टि किए जाने वाले संबंधित /संबद्ध / संगत विषय में ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

4.5 पेशे से जुड़े रोगोपचार के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी अपेक्षाएं

I. सहायक आचार्य:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां प्वॉइट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पेशे से जुड़े रोगोपचारों में स्नातक उपाधि (बी.ओ.टी./ बी.टीएच.ओ./ बी.ओ.टीएच.), पेशे से जुड़े रोगोपचारों में निष्णात उपाधि (एम.ओ.टीएच./ एम.टीएच.ओ./एम.एससी. ओ.टी./ एम.ओ.टी.)।

II. सह आचार्य:

i) अनिवार्यः सहायक आचार्य के रूप में आठ वर्ष के अनुभव के साथ पेशे से जुड़े रोगोपचारों में निष्णात उपाधि (एम.ओ.टी/एम.ओ.टीएच./एम.ओ.टीएच./एम.एससी.ओ.टी.)।

ii) वांछनीयः वि0अ0आ0 द्वारा मान्यता प्राप्त पेशे से जुड़े रोगोपचारों की किसी भी विधा में पीएचडी की उपाधि सहित उच्च योग्यता और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानकों का प्रकाशन कार्य।

III. आचार्य:

i) अनिवार्यः पेशे से जुड़े रोगोपचारों में कुल दस वर्ष के अनुभव के साथ पेशे से जुड़े रोगोपचारों में निष्णात उपाधि (एम.ओ.टीएच./एम.टीएच.ओ /एम. एससी. ओ.टी.)।

ii) वांछनीय: वि0अ0आ0 द्वारा मान्यता प्राप्त पेशे से जुड़े रोगोपचारों की किसी विधा में पीएचडी की उपाधि जैसी उच्च योग्यता और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानकों का प्रकाशन कार्य।

IV. प्राचार्य/ निदेशक/संकाय अध्यक्ष:

अनिवार्यः पंद्रह वर्षों के अनुभव के साथ पेशे से जुड़े रोगोपचारों में निष्णात उपाधि (एमओटी/ एम.टीएच.ओ./ एम.ओटीएच./ एम. एससी.ओ.टी.) जिसमें आचार्य (पेशे से जुड़े रोगोपचारों) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव शामिल होगा।

नोट:

(i) संस्थान के वरिष्ठतम आचार्य को प्राचार्य/ निदेशक/ संकाय अध्यक्ष के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(ii) वांछनीयः वि0अ0आ0 द्वारा मान्यता प्राप्त पेशे से जुड़े रोगोपचारों की किसी विधा में पीएचडी की उपाधि जैसी उच्च अर्हता और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानक वाले प्रकाशन कार्य।

4.6 भौतिक चिकित्सा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, अनुभव और अन्य पात्रता संबंधी अपेक्षाएं।

I. सहायक आचार्य:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिग प्रणाली लागू है, वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बीपी/टी./बी. टीएच./ बी.पी.टीएच.), भौतिक चिकित्सा में निष्णात उपाधि (एम. एंड पी. टीएच/एम.टीएच. पीटी/एम. पी.टी.)।

II. सह आचार्य:

i) अनिवार्य: सहायक आचार्य के रूप में आठ वर्षों के अनुभव के साथ भौतिक चिकित्सा में निष्णात उपाधि (एम.पी.टी./एम.पी. टीएच./एम.टीएच.पी./एम.एससी.पी.टी.)।

ii) वांछनीयः वि0अ0आ0 द्वारा मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सा की किसी विधा में पीएचडी की उपाधि के रूप में उच्च अर्हता एवं समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानक वाला प्रकाशन कार्य।

III. आचार्य:

अनिवार्य: दस वर्ष के अनुभव के साथ भौतिक चिकित्सा में निष्णात उपाधि (एम.पी.टी./ एम.पी.टीएच./एम.टीएच.पी./ एम.एससी.पी. टी.)।

वांछनीय:

(i) वि0अ0आ0 द्वारा किसी मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सा विधा में पीएचडी जैसी उच्चतर शिक्षा, और

(ii) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानक वाला प्रकाशन कार्य।

IV. प्राचार्य/ निदेशक/ संकाय अध्यक्ष:

अनिवार्यः प्राचार्य (भौतिक चिकित्सा) के रूप में पांच वर्षों के अनुभव के साथ पंद्रह वर्षों के कुल अनुभव सहित भौतिक चिकित्सा में निष्णात उपाधि (एम. पी. टी./ एम. टीएच. पी./ एमपी.टीएच./ एम.एससी.पी.टी.)।

नोट:

(i) वरिष्ठतम आचार्य को प्राचार्य/ निदेशक/ संकाय अध्यक्ष के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाएगा।

(ii) वांछनीयः वि0अ0आ0 द्वारा मान्यता प्राप्त भौतिक चिकित्सा की किसी विधा में पीएचडी जैसी उच्च अर्हता और समकक्ष व्यक्ति समीक्षित तथा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में उच्च मानक वाला प्रकाशन कार्य।

4.7 विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष, विश्वविद्यालय उप पुस्तकाध्यक्ष और विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं।

I. विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष

i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां ग्रेडिग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखन विज्ञान में निष्णात उपाधि अथवा समतुल्य पेशेवर उपाधि ।

ii) पुस्तकालय में कंप्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ सतत् रूप से बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड।

iii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय– समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो:

बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएचडी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/ उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएचडी अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगीः–

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हों जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड.) अभ्यर्थी ने वि0अ0आ0/ आईसीएसएसआर/ सीएसआईआर अथवा इसी प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित/ वित्तपोषित / सहायता प्राप्त सम्मेलनों/ विचार गोष्ठियों में अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किए हों।

नोट

i. इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

ii .ऐसे निष्णात कार्यक्रमों में एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा एसएलईटी/ एसईटी जैसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हो।

II. विश्वविद्यालय उप पुस्तकाध्यक्ष

i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखन विज्ञान में निष्णात उपाधि अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू है वहां प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड प्राप्त किया हो।

ii) सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष के रूप में आठ वर्षों का अनुभव।

iii) पुस्तकालय में आईसीटी के समेकन के साथ नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं का साक्ष्य।

iv) पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखन विज्ञान/ अभिलेख और पुस्तकालय की पांडुलिपियों का रखरखाव/ कंप्यूटरीकरण करने में पीएचडी की उपाधि।

III. विश्वविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष

i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू है वहां प्वाइंट स्केल में समान ग्रेड के साथ पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखन विज्ञान में निष्णात उपाधि।

ii) विश्वविद्यालय पुस्तकालय में किसी भी स्तर पर पुस्तकाध्यक्ष के रूप में कम से कम दस वर्षों का अनुभव अथवा पुस्तकालय विज्ञान में सहायक/ सह आचार्य के रूप में दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा किसी महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष के रूप में दस वर्षों का अनुभव।

iii) किसी पुस्तकालय में आईसीटी के समेकन के साथ नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं का साक्ष्य।

iv) पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखन/ अभिलेख और पांडुलिपि के रखरखाव में पीएचडी की उपाधि।

4.8 शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के सहायक निदेशकों एवं शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के उपनिदेशक तथा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के निदेशक (डीपीईएस) के पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएं।

I. विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के सहायक निदेशक तथा महाविद्यालय में शारीरिक और खेलकूद के निदेशक

पात्रता (क अथवा ख):

क.

i) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान में 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ निष्णात उपाधि ।

ii) अंतर्विश्वविद्यालयी/ अंतर्महाविद्यालयी प्रतिस्पर्धाओं अथवा राज्य और/ अथवा राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड।

iii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को वि0अ0आ0 अथवा सीएसआईआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा वि0अ0आ0 द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/ एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय– समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेल विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो:

बशर्ते कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएचडी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/ उपविधियों/विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएचडी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी:

(क) अभ्यर्थी को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो;

(ख) पीएचडी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्रय परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

(ग) पीएचडी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

(घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हो जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

(ड.) अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी कार्यों के आधार पर सम्मेलन/ विचार गोष्ठियों में कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।

नोटः (क) से (ड.) में दी गई इन शर्तों पर खरा उतरने के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष (शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना होता है।

iv) ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों में एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए वि0अ0आ0, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अथवा वि0अ0आ0 द्वारा एसएलईटी/ एसईटी जैसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हो।

v) इन विनियमों के अनुसार आयोजित की गई शारीरिक फिटनेस परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अथवा

ख. एशियाई खेल अथवा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता, जिनके पास कम से कम स्नात्कोत्तर स्तर की उपाधि हो।

II. विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद उप निदेशक

पात्रता (क अथवा ख) :

क.

i) शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद विज्ञान में पीएचडी की उपाधि। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय प्रणाली से इतर अभ्यर्थी जिनके पास संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्नात्कोत्तर उपाधि स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक हो (अथवा जहां ग्रेडिग प्रणाली लागू हो, वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

ii) विश्वविद्यालय सहायक डीपीईएस/ महाविद्यालय डीपीईएस के रूप में आठ वर्ष का अनुभव हो।

iii) कम से कम दो सप्ताह की अवधि की प्रतिस्पर्धाएं और अनुशिक्षण शिविर के आयोजन संबंधी साक्ष्य।

iv) राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतर्विश्वविद्यालयी/ संयुक्त विश्वविद्यालय आदि जैसी प्रतिस्पर्धाओं के लिए दलों/एथलिटों द्वारा बेहतर निष्पादन कराने के साक्ष्य आदि।

v) इन विनियमों के अनुसार शारीरिक स्वस्थता जांच परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अथवा

ख. ओलंपिक खेलों/ विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता, जिन्होंने कम से कम स्नात्कोत्तर स्तर की उपाधि प्राप्त की हो।

III. विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक

i) शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद विज्ञान में पीएचडी धारक।

ii) विश्वविद्यालय सहायक/ उप डीपीईएस के रूप में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में कम से कम दस वर्ष का अनुभव अथवा महाविद्यालय डीपीइएस के रूप में दस वर्ष का अनुभव अथवा सहायक/ सह आचार्य के रूप में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद विज्ञान में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।

iii) कम से कम दो सप्ताह की अवधि की प्रतियोगिता और अनुशिक्षण कैम्पों को आयोजित किए जाने का साक्ष्य।

iv) राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतर्विश्वविद्यालय/ संयुक्त विश्वविद्यालय आदि जैसी प्रतियोगिताओं के लिए दलों/ खिलाड़ियों द्वारा बेहतर निष्पादन कराए जाने संबंधी साक्ष्य।

IV. शारीरिक स्वस्थता जांच संबंधी मानदंड

(क) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन सभी अभ्यर्थी जिनके लिए शारीरिक स्वस्थता जांच कराना अपेक्षित है, उन्हें ऐसी जांच करवाने से पूर्व एक चिकित्सा प्रमाणपत्र देना होगा कि वह ऐसी जांच करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य हैं।

(ख) उपरोक्त उपखंड (क) में वर्णित ऐसे प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को निम्न मानक के अनुसार शारीरिक परीक्षा में भाग लेना अपेक्षित होगा:

पुरूषों के लिए मानक			
12 मिनट की दौड़/ चलने की परीक्षा			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

महिलाओं के लिए मानक			
8 मिनट की दौड़/ चलने की परीक्षा			
30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

5.0 चयन समिति का गठन और चयन प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देश

5.1 चयन समिति की संरचना

I. विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य :

(क) विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :

i) कुलपति या उनका नामिती, जिनके पास कम से कम दस वर्ष का आचार्य के रूप में अनुभव हो, समिति के अध्यक्ष होंगे ।

ii) कुलाध्यक्ष/ कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले अकादमिक सदस्य, जहां कहीं प्रयोज्य हो, आचार्य के रैंक से नीचे नहीं होंगे।

iii) संबंधित विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय/ क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन किया जाएगा।

iv) संबंधित संकाय का संकाय अध्यक्ष, जहां कहीं प्रयोज्य हो ।

v) संबंधित विभाग/ विद्यालय का प्रमुख/ अध्यक्ष ।

vi) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो उसे कुलपति द्वारा नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित चार सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

II. विश्वविद्यालय में सह आचार्य

(क) विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद के लिए चयन समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :

i) कुलपति या उनका नामिती, जिनके पास आचार्य के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो, समिति के अध्यक्ष होंगे ।

ii) कुलाध्यक्ष/ कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले अकादमिक सदस्य, जहां कहीं प्रयोज्य हो, आचार्य के रैंक से नीचे नहीं होगा।

iii) संबंधित विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय/ क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन किया जाएगा।

iv) संकाय का संकाय अध्यक्ष, जहां कहीं प्रयोज्य हो ।

v) संबंधित विभाग/ विद्यालय का प्रमुख/ अध्यक्ष।

vi) यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, कुलपति द्वारा को इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

III. विश्वविद्यालय में आचार्य

(क) विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :

i) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा।

ii) कुलाध्यक्ष/ कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले अकादमिक सदस्य, जहां कहीं प्रयोज्य हो, आचार्य के रैंक से नीचे नहीं होगा।

iii) संबंधित विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय/ क्षेत्र में में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन किया जाएगा।

iv) संकाय का संकाय अध्यक्ष, जहां कहीं प्रयोज्य हो ।

v) संबंधित विभाग/ विद्यालय का प्रमुख/ अध्यक्ष ।

vi) यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, कुलपति द्वारा को इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

IV. वरिष्ठ आचार्य

(क) विश्वविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य के पद के लिए चयन समिति मे निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :

i) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा।

ii) शिक्षाविद् जिसके पास न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो और वह वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य के पद से नीचे का नहीं हो, कुलाध्यक्ष/ कुलपति का नामिती होगा।

iii) विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय/ क्षेत्र में तीन विशेषज्ञ का नामनिर्देशन, जो वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य के रैंक से नीचे के नहीं होंगे और उसके पास न्यूनतम दस वर्षो को अनुभव होगा।

iv) जहां कहीं भी प्रयोज्य हो, संकाय का संकाय अध्यक्ष (वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य के रैंक से नीचे का नहीं होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षो को अनुभव होगा)।

v) विभाग/ विद्यालय का प्रमुख/ अध्यक्ष (वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य के पद से नीचे का नहीं होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षो को अनुभव होगा) अथवा वरिष्ठतम आचार्य (वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य के पद से नीचे का नहीं होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षो को अनुभव होगा)

vi) शिक्षाविद् (वरिष्ठ आचार्य/ आचार्य के रैंक से नीचे का नहीं होगा और उसके पास न्यूनतम दस वर्षो को अनुभव होगा) जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता हो, यदि इन श्रेणियों से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो तो, और यदि चयन समिति में कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, उसे कुलपति द्वारा नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित चार सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

V. निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सहायक आचार्य :

(क) निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे

i) महाविद्यालय के शासी निकाय का अध्यक्ष या शासी निकाय के सदस्यों में से उसका नामिती जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

ii) महाविद्यालय का प्राचार्य।

iii) महाविद्यालय में संबंधित विषय के विभाग का प्रमुख/ प्रभारी शिक्षक।

iv) संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति के दो नामिती जिसमें से एक नामिती को विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। महाविद्यालय के अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित होने की स्थिति में महाविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा सुझाए गए विशेषज्ञों की सूची से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय दो नामिती जो कि अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से हो, का नामनिर्देशन करेंगे जिसमें से एक व्यक्ति विषय विशेषज्ञ होना चाहिए ।

v) संबंधित महाविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष महोदय दो विषय विशेषज्ञों का नामनिर्देशन करेंगे जो महाविद्यालय से संबंधित न हो। महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित किए जाने की स्थिति में महाविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय– विशेषज्ञों की सूची से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो विषय– विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होंगे और जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, को नामनिर्देशित किया जाएगा।

vi) यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, कुलपति द्वारा को इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

VI. निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सह आचार्य :

(क) निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सह आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :

i) शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा शासी निकाय के सदस्यों में से उसका नामिती जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

ii) महाविद्यालय का प्राचार्य ।

iii) महाविद्यालय में संबंधित विषय के विभाग का प्रमुख/ प्रभारी शिक्षक।

iv) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि, जिसमें से एक प्रतिनिधि, महाविद्यालय विकास परिषद् का संकाय अध्यक्ष या विश्वविद्यालय में समकक्ष पद पर हो, और दूसरा प्रतिनिधि संबंधित विषय में विशेषज्ञ होना चाहिए। महाविद्यालय के अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित होने की स्थिति में महाविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा सुझाए गए विशेषज्ञों की सूची से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय दो नामिती जो कि अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, का नामनिर्देशन करेंगे जिसमें से एक व्यक्ति विषय विशेषज्ञ होना चाहिए ।

v) संबंधित महाविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष दो विषय विशेषज्ञों का नामनिर्देशन करेगा जो महाविद्यालय से संबंधित न हो। महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित किए जाने की स्थिति में महाविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय– विशेषज्ञों की सूची से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो विषय– विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होंगे और जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, को नामनिर्देशित किया जाएगा।

vi) यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, कुलपति द्वारा को इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

VII. निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में आचार्य :

(क) निजी और संघटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में आचार्य के पद के लिए चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :

i) शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा शासी निकाय के सदस्यों में से उसका नामिती जो चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

ii) महाविद्यालय का प्राचार्य ।

iii) महाविद्यालय में संबंधित विषय के विभाग का प्रमुख/ शिक्षक प्रभारी जो आचार्य के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए।

iv) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि जोकि आचार्य के रैंक से नीचे नहीं होंगे, जिसमें से एक प्रतिनिधि महाविद्यालय विकास परिषद् का संकाय अध्यक्ष या विश्वविद्यालय में समकक्ष पद पर हो, और दूसरा प्रतिनिधि संबंधित विषय में विशेषज्ञ होना चाहिए। महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित किए जाने की स्थिति में महाविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय– विशेषज्ञों की सूची से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो नामिति, जो आचार्य के पद से कम न हों, जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होंगे और जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे को नामनिर्देशित किया जाएगा।

v) संबंधित महाविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय का अध्यक्ष दो विषय विशेषज्ञों का नामनिर्देशन करेगा जो महाविद्यालय से संबंधित न हो। महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित किए जाने की स्थिति में महाविद्यालय के संबंधित सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय– विशेषज्ञों की सूची से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो विषय– विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होंगे और जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे को नामनिर्देशित किया जाएगा।

vi) यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, कुलपति द्वारा को इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित जाएगा।

(ख) दो विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

VIII. महाविद्यालय प्राचार्य और आचार्य

क. चयन समिति

(क) महाविद्यालय के प्राचार्य और आचार्य के पद के लिए चयन समिति की संरचना निम्नवत होगी :

i) शासी निकाय का सभापति, चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

ii) शासी निकाय के दो सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा जिसमें से एक सदस्य अकादमिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा।

iii) कुलपति के दो नामिती, जो संबंधित विषय/ संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे, जिसमें से कम से कम एक नामिती संबद्ध विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होगा। महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के रूप में अधिसूचित/ घोषित किए जाने की स्थिति में पांच नामों के पेनल में से महाविद्यालय के सभापति का एक नामिति जो कि अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से होगा, जिसे संबद्ध महाविद्यालय के कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिनमें से एक विषय– विशेषज्ञ होना चाहिए।

iv) तीन उच्चतर शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञ होंगे, जिसमें एक महाविद्यालय का प्राचार्य, आचार्य और प्रतिष्ठित शिक्षाविद् होगा, जो आचार्य के रैंक से कम नहीं होंगे (संबंधित महाविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमादित छह विशेषज्ञ पैनलों में से शासी निकाय द्वारा नामनिर्देशित किया जाए) ।

v) यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ निशक्त श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो, कुलपति द्वारा इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद को नामनिर्देशित जाएगा।

vi) संबंधित विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पेनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के सभापति द्वारा ऐसे दो विषय विशेषज्ञों के नाम की सिफारिश की जाएगी जो की महाविद्यालय से संबंद्ध नहीं हों। यदि महाविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान अधिसूचित/ घोषित किया गया हो तो, संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा संस्तुत पांच नामों के पेनल में से, जो कि अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध हों, महाविद्यालय के शासी निकाय के सभापति द्वारा ऐसे दो विषय विशेषज्ञों के नाम की सिफारिश की जाएगी, जो की महाविद्यालय से संबंद्ध नहीं हों।

(ख) दो विषय विशेषज्ञों सहित पांच सदस्यगणों द्वारा गणपूर्ति होगी।

ग) चयन समिति की सभी चयन प्रक्रियाएं, चयन समिति की बैठक के दिन/ अंतिम दिन ही पूरी की जाएंगी, जिसमें प्राप्तांक प्ररूप सहित कार्यवृत का रिकार्ड रखा जाएगा तथा चयनित और प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों/ गुणावगुण के अनुसार नामों के पैनल सहित मेरिट के आधार पर की गई अनुशंसा पर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

घ) महाविद्यालय प्राचार्य की नियुक्ति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा, वह 5.1(VIII)के उपखंड (ख) में दी गई संरचना के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के मूल्यांकन के बाद ही एक और कार्यकाल हेतु पुनः नियुक्त के लिए अर्हक होगा।

ङ) प्राचार्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरांत पदधारी, आचार्य के ग्रेड में आचार्य के पदनाम के साथ अपने मूल संगठन में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

ख. महाविद्यालय प्राचार्य और आचार्य के द्वितीय कार्यकाल के लिए मूल्यांकन हेतु समिति

महाविद्यालय प्राचार्य और आचार्य के द्वितीय कार्यकाल के लिए मूल्यांकन हेतु समिति की संरचना निम्नवत होगी :

i) संबद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति का नामिती।

ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष महोदय का नामिती।

नामितियों को उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय/ उत्कृष्टता की संभावना वाले महाविद्यालय/ स्वायत्त महाविद्यालय/ एनएएसी ग्रेड 'क' प्रत्यायित महाविद्यालयों के प्राचार्यों से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

IX. **शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के निदेशकों, उप–निदेशकों, सहायक निदेशकों, पुस्तकाध्यक्षों, उप– पुस्तकाध्यक्षों और सहायक पुस्तकाध्यक्षों के पद के लिए चयन समितियां** क्रमशः आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य के समान ही होगी, और क्रमशः पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद प्रशासन में कार्यरत पुस्तकाध्यक्ष/ निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, जैसा भी मामला हो, चयन समिति में एक विषय विशेषज्ञ के रूप में सम्बद्ध होंगे।

X. **पुस्तकाध्यक्षों/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में सहायक आचार्यों/ समकक्ष संवर्गों में एक स्तर से उच्चतर स्तर में सीएएस प्रोन्नति के लिए "छानबीन–सह–मूल्यांकन समिति" निम्नानुसार होगी :**

क. विश्वविद्यालय शिक्षकों हेतु :

i) कुलपति या उनका नामिती समिति का अध्यक्ष होगा;

ii) संबंधित संकाय का संकाय अध्यक्ष;

iii) विभाग का प्रमुख/ विद्यालय का अध्यक्ष; और

iv) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ के पैनलों में से संबंधित विषय में एक विषय विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

ख. महाविद्यालय शिक्षक हेतुः

i) महाविद्यालय का प्राचार्य;

ii) महाविद्यालय से संबंधित विभाग का प्रमुख/ प्रभारी शिक्षक;

iii) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ के पैनलों में से संबंधित विषय में दो विषय विशेषज्ञों को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

ग. विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष हेतु :

i) कुलपति समिति का अध्यक्ष होगा;

ii) संबंधित सकाय का संकाय अध्यक्ष;

iii) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष, और

iv) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पैनल से नामनिर्देशित एक विशेषज्ञ जो पुस्तकाध्य़क्ष के रूप में कार्यरत हो ।

घ. महाविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष हेतु :

i) प्राचार्य समिति का अध्यक्ष होगा;

ii) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष, और

iii) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पैनल से नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ जो पुस्तकाध्य़क्ष के रूप में कार्यरत हों ।

ङ. विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सहायक निदेशक हेतुः

i) कुलपति समिति का अध्यक्ष होगा;

ii) संबंधित संकाय का संकाय अध्यक्ष;

iii) विश्वविद्यालय का शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक; और

iv) विश्वविद्यालयी प्रणाली से शारीरिक शिक्षा और खेलकूद प्रशासन में एक विशेषज्ञ जिसे कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पैनल से नामनिर्देशित किया जाएगा।

च. महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक :

i) प्राचार्य, समिति का अध्यक्ष होगा;

ii) विश्वविद्यालय का शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक; और

iii) विश्वविद्यालयी प्रणाली से शारीरिक शिक्षा और खेलकूद में दो विशेषज्ञ जिसे कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पैनल से नामनिर्देशित किया जाएगा।

टिप्पणी : सभी श्रेणियों में इन समितियों के लिए तीन सदस्यों द्वारा गणपूर्ति होगी, जिसमें एक विषय विशेषज्ञ/ विश्वविद्यालय नामिती शामिल होंगे।

5.2 छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति, इन विनियमों के आधार पर विनिर्दिष्ट न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन मानदंड और पद्धति प्ररूप के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेडों का सत्यापन/ मूल्यांकन कर :

(क) सहायक आचार्य के प्रत्येक संवर्ग के लिए परिशिष्ट II, तालिका 1 में ;

(ख) पुस्तकाध्यक्ष के प्रत्येक संवर्ग के लिए परिशिष्ट II, तालिका 4 में ; और

(ग) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के प्रत्येक संवर्ग के लिए परिशिष्ट II, तालिका 5 में ;

विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के सिंडिकेट/ कार्यकारी परिषद/ प्रबंधन बोर्ड को कार्यान्वयन हेतु सीएएस के तहत अभ्यर्थियों की प्रोन्नति की उपर्युक्तता के बारे में सिफारिश करेगी।

5.3 चयन प्रक्रिया को चयन समिति की बैठक के दिन/ अंतिम दिन ही पूरा किया जाएगा, जहां कार्यवृत का रिकार्ड रखा जाएगा और साक्षात्कार में किए गए निष्पादन के आधार पर अनुशंसा की जाएगी जिस पर चयन समिति के सभी सदस्यगणों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5.4 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी चयन समितियों के लिए विभागाध्यक्ष/ प्रभारी शिक्षक को साक्षात्कार के रैंक/ पद के समकक्ष अथवा उच्चतर रैंक/ पद में होना चाहिए।

6.0 **चयन प्रक्रिया :**

I. समग्र चयन प्रक्रिया में आवेदकों के गुणावगुण और प्रत्ययपत्रों के विश्लेषण की पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय प्रद्धति शामिल होगी जो विभिन्न संगत मानदंडों में अभ्यर्थी के निष्पादन को दिए गए महत्व और परिशिष्ट II , तालिका 1, 2, 3क, 3ख, 4 और 5 के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली प्रोफार्मा में उनके निष्पादन पर आधारित होगा।

प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए विश्वविद्यालय साक्षात्कार के स्तर पर शिक्षण और/ अथवा शोध में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में संगोष्ठियों अथवा कक्षा की स्थिति में व्याख्यान के माध्यम से शिक्षण की योग्यता और/ अथवा अनुसंधान करने की योग्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। जहां कहीं इन विनियमों में चयन समितियां निर्धारित की गई हैं, वहां यह प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष भर्ती और सीएएस प्रोन्नति, दोनों के लिए अपनाई जा सकती हैं।

II. विश्वविद्यालय विभागों और उनके संघटक महाविद्यालयों/ सम्बद्ध महाविद्यालयों (सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त/ स्वायत्त/ निजी महाविद्यालयों) के लिए संस्थानागत स्तर पर परिशिष्ट II, तालिका 1, 2, 3क, 3ख, 4 और 5 को समाहित करते हुए विश्वविद्यालय अपने संबंधित सांविधिक निकायों के माध्यम से चयन समितियों और चयन प्रक्रिया के लिए इन विनियमों को अपनाएगा ताकि सभी चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई जा सके। विश्वविद्यालय इन विनियमों में विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II, तालिका 1, 2, 3क, 3ख, 4 और 5 का कड़ाई से अनुपालन करते हुए शिक्षकों के लिए अपना स्व–मूल्यांकन– सह– निष्पादन समीक्षा प्ररूप तैयार कर सकती है।

III. यदि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए सभी चयन समितियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिलाओं/ निशक्त श्रेणियों से संबंधित कोई अभ्यर्थी आवेदक है और यदि चयन समिति का कोई सदस्य उस श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो कुलपति द्वारा उक्त श्रेणियों से संबंध रखने वाले से शिक्षाविद् को नामनिर्देशित किया जाएगा और महाविद्यालय की स्थिति में उस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध है। इस प्रयोजन हेतु इस प्रकार नामनिर्देशित शिक्षाविद् आवेदक के संवर्ग के स्तर से एक स्तर उपर होगा और ऐसा नामिती सुनिश्चित करेगा कि चयन प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त श्रेणियों के संबंध में केन्द्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार के मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

IV. आचार्य के चयन की प्रक्रिया में इन विनियमों के परिशिष्ट II, तालिका 1 और 2 में विनिर्दिष्ट मूल्यांकन मानदंड और पद्धति संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा आवेदन आमंत्रित करना तथा अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण प्रकाशनों का पुनर्मुद्रण करना शामिल है।

बशर्ते कि अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए प्रकाशन को अर्हक अवधि के दौरान प्रकाशित किया गया हो।

बशर्ते आगे कि साक्षात्कार किए जाने से पूर्व ऐसे प्रकाशनों को मूल्यांकन हेतु विषय विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रकाशनों के मूल्यांकन को चयन के निष्कर्षों को अंतिमरूप देते समय ध्यान में रखा जाएगा।

V. ऐसे संकाय सदस्यों के चयन के मामले में जो शैक्षणिक क्षेत्र के इतर हों उन्हें इन विनियमों के खंड 4.1 (III.ख), 4.2 (I.ख, II.ख, III.ख), 4.3 (I.ख, II.ख, III.ख) और 4.4 (III.ख) के तहत विचार किया जाएगा, विश्वविद्यालय के सांविधिक निकायों द्वारा स्पष्ट तथा पारदर्शी मानदंड तथा प्रक्रियाएं निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उत्कृष्ट पेशेवर, जो विश्वविद्यालयी ज्ञान प्रणाली में पर्याप्त योगदान दे सकते हैं, उनका चयन किया जा सके।

VI. कतिपय विधाओं/ क्षेत्रों यथा संगीत तथा ललित कला, विजुअल आर्ट्स तथा परफार्मिंग आर्ट्स, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद और पुस्तकालय जिनमें भिन्न स्वरूप के उत्तरदायित्व होते हैं, वहां इन विनियमों में प्रत्येक पद के समक्ष उल्लिखित दायित्वों के स्वरूप पर बल दिया जाना चाहिए, जिस पर सीधी भर्ती तथा सीएएस प्रोन्नति, दोनों के लिए प्ररूप को विकसित करते हुए संस्थान द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

VII. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) दिशानिर्देशों के अनुसार कुलपति की अध्यक्षता (विश्वविद्यालय के मामले में), प्राचार्य की अध्यक्षता में (महाविद्यालय के मामले में) सभी विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की स्थापना की जाएगी। आईक्यूएसी, संस्थान के लिए प्रलेखन तथा अभिलेखों का रखरखाव करने वाले प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करेगा जिसमें इन विनियमों के आधार पर मूल्यांकन मानदंड और पद्धति प्ररूप विकसित करने में सहायता प्रदान करना शमिल है। जहां कहीं भी संभव हो आईक्यूएसी संस्थागत मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन मानदंड और पद्धति प्ररूप में प्रत्येक शिक्षक के संबंध में छात्र के मूल्यांकन के घटक को सम्मिलित नहीं करते हुए एनएएसी दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित कर सकता है।

क. सीएएस प्रोन्नति हेतु महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के निष्पादन का मूल्यांकन निम्नवत मानदंडों पर आधारित है।

i. **शिक्षण— ज्ञान—अर्जन और मूल्यांकनः** कक्षा में नियमित रूप से आने, समय पर आने, कक्षा के समय में या उसके बाद सुधारात्मक शिक्षण और संशय मिटाने, परामर्श और मार्गदर्शन, जब आवश्यकता हो तो महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में सहायता हेतु अतिरिक्त अध्यापन इत्यादि जैसे ध्यान देने योग्य संकेतकों पर आधारित शिक्षण की वचनबद्धता। परीक्षा और मूल्यांकन कार्यकलाप जैसे परीक्षा पर्यवेक्षण संबंधी कार्य करना, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र बनाना, परीक्षा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में भाग लेना, प्रत्येक शिक्षा सत्र से पहले घोषित अनुसूची के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं संचालित करना और वापस आकर कक्षा में उत्तर पर चर्चा करना।

ii. **शिक्षण और शोध कार्यकलापो से संबंधित व्यक्तिगत विकास:** प्रबोधन/ पुनश्चर्या/ कार्यविधि पाठ्यक्रम में भाग लेना, ई— विषयवस्तु और एमओओसी का विकास, संगोष्ठियों/ सम्मलेनों/ कार्यशालाओं का आयोजन/ पत्र प्रस्तुत करना और सत्रों की अध्यक्षता करना/ शोध परियोजनाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में शोध निष्कर्षों का प्रकाशन इत्यादि।

iii. प्रशासनिक सहायता और छात्र सह— पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर कार्यकलापों में भागीदारी

ख. **मूल्यांकन प्रक्रिया**

सभी स्तरों पर सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित **त्री स्तरीय** प्रक्रिया की सिफारिश की जाती है:

पहला स्तर: विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षक विनिर्दिष्ट प्रपत्र में वार्षिक स्व—मूल्यांकन रिपोर्ट विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय को भेजेंगे जिसे परिशिष्ट 2 की तालिका 1 से 5 के आधार पर बनाया जाएगा। यह रिपोर्ट विनिर्दिष्ट समय में प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अंत में भेजी जानी चाहिए। शिक्षक, वार्षिक स्व—मूल्यांकन रिपोर्ट में किए गए दावों के लिए साक्ष्यों के दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा, जिसकी विभागाध्यक्ष/ प्रभारी शिक्षक द्वारा पुष्टि की जाएगी। इसे विभागाध्यक्ष (एचओडी)/ प्रभारी शिक्षक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

दूसरा स्तर: सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु आवश्यक वर्षों के अनुभव को पूर्ण किए जाने और नीचे दी गई अन्य अपेक्षाओं को पूरा किए जाने के उपरांत शिक्षक सीएएस के अंतर्गत आवेदन भेजेगा।

तीसरा स्तर: सीएएस प्रोन्नति, इन विनियमों के खण्ड 6.4 में दी गई पद्धति के अनुसार प्रदान की जाएगी।

6.1 मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि:

(क) परिशिष्ट II की तालिका 1 से 3, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में सहायक आचार्य /सह आचार्य/ आचार्य/वरिष्ठ आचार्य के चयन के लिए लागू है।

(ख) परिशिष्ट II की तालिका 4, कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष और उप पुस्तकाध्यक्ष के लिए लागू है; और

(ग) परिशिष्ट II की तालिका 5, कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक/ महाविद्यालय निदेशक और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के उपनिदेशक/निदेशकों पर लागू है।

6.2 उक्त संवर्गों के लिए चयन समिति का गठन और चयन कार्यविधि तथा मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि चाहे वह सीधी भर्ती के लिए हो या कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत हो, इन विनियमों के अनुसार होंगी।

6.3 इन विनियमों के तहत कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत प्रोन्नतियों के लिए बनाए गए मानदण्ड, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे। तथापि, विद्यमान विनियमों के अंतर्गत पहले से योग्य अथवा संभावित योग्यता प्राप्त करने वाले संकाय के सदस्यों की कठिनाई कम करने के लिए उन्हें विद्यमान विनियमों के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए विकल्प दिया जा सकता है। यह विकल्प इन विनियमों की तिथि से केवल तीन वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है।

I. सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति हेतु विचार किए जाने के इच्छुक शिक्षक को अंतिम तिथि से तीन माह के भीतर विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय को लिखित में यह भेजना होगा कि वह सीएएस के अंतर्गत सभी अर्हताओं को पूरा करता है/ करती है और विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय को इन विनियमों में निर्धारित किए गए मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि दिशानिर्देशों के अनुसार सभी जानकारियों सहित संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि प्रपत्र में भेजेगा। सीएएस के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए चयन समिति की बैठकों के आयोजन में किसी विलंब से बचने के लिए विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय जांच/ चयन की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है और आवेदन प्राप्ति से 6 माह के भीतर प्रक्रिया को पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त, इन विनियमों के अधिसूचित होने की तिथि को इन विनियमों में दिए गए सभी अन्य मानदण्डों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए उन पर इन योग्यताओं को पूरा करने की तिथि के बाद से अथवा उस तिथि से प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकता है।

II. खण्ड 5.1 से 5.4 में यथा अंतर्विष्ट चयन समिति संबंधी विनिर्दिष्टताएं, संकाय पदों अथवा समकक्ष संवर्गों और सहायक आचार्य से सह आचार्य, सह आचार्य से आचार्य, आचार्य से वरिष्ठ आचार्य (विश्वविद्यालय में) और समकक्ष संवर्गों के लिए सभी सीधी भर्ती तथा कॅरियर उन्नति योजना के लिए लागू होंगे।

III. एक निचले स्तर से सहायक आचार्य के ऊंचे स्तर तक सीएएस प्रोन्नति, परिशिष्ट– II की तालिका 1 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पालन करते हुए एक 'जाचं एवं मूल्यांकन समिति' के माध्यम से संचालित की जाएगी।

IV. सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति, स्थायी संस्वीकृत पदधारक शिक्षक की वैयक्तिक प्रोन्नति है, उसकी सेवानिृत्ति पर उक्त पद मूल संवर्ग में वापस चला जाएगा।

V. सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए आवेदक शिक्षक, चयन समिति द्वारा विचार किए जाने वाली तिथि को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की सक्रिय सेवा और भूमिका में होना चाहिए।

VI. यदि अभ्यर्थी संगत मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि तालिकाओं में विनिर्दिष्ट न्यूनतम ग्रेडिंग को पूरा करता है/ करती है तो वह आवेदन तथा अपेक्षित मूल्यांकन मानदण्ड और कार्यविधि प्रपत्र भेज कर प्रोन्नति हेतु मूल्यांकन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा। वह ऐसा अंतिम तिथि से तीन माह पूर्व कर सकता है। विश्वविद्यालय योग्य अभ्यर्थी से सीएएस प्रोन्नति हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए वर्ष में दो बार एक सामान्य परिपत्र निकालेगा।

i) यदि एक अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यता अवधि की पूर्ति पर प्रोन्नति के लिए आवेदन करता है और सफल हो जाता है तो प्रोन्नति की तिथि, योग्यता की न्यूनतम अवधि को पूरा करने की तिथि होगी।

ii) तथापि, यदि अभ्यर्थी को पता चलता है कि वह परिशिष्ट– II की तालिकाओं 1 , 2, 4, और 5 में यथा विनिर्दिष्ट सीएएस प्रोन्नति मानदण्डों को बाद की तिथि में पूरा करेगा और वह उसी तिथि को आवेदन करता है तथा सफल हो जाता है तो उसकी प्रोन्नति उसके द्वारा योग्यता मानदण्ड पूरा करने की तिथि से प्रभावी होगी।

iii) ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम मूल्यांकन में सफल नहीं हो पाते हैं उनका पुनर्मूल्यांकन एक वर्ष के बाद ही किया जाएगा। जब ऐसे अभ्यर्थी बाद में किए गए मूल्यांकन में सफल हो जाते हैं तो उनकी प्रोन्नति अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष मानी जाएगी।

VII. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 और इसमें बाद में किए गए संशोधनों के तहत कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत एक अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन से दूसरे अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन में

प्रोन्नतियों के लंबित मामलों के संबंध में शिक्षक को एक अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन से दूसरे अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन में प्रोन्नति पर विचार किए जाने हेतु निम्नानुसार विकल्प दिया जाएगा:

(क) इन विनियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर एक अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु सीएएस के अनुसार विचार किया जाएगा।

अथवा

(ख) एक अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु संकाय के सदस्यों पर सीएएस के अनुसार विचार किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 तथा इसमें बाद में किए गए संशोधनों के तहत होगा जिसमें इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि तक अकादमिक निष्पादन संकेतकों (एपीआई) पर आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन पद्धति (पीबीएएस) की अर्हताओं में छूट प्रदान की जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 और इसमें किए गए संशोधनों में यथा उपबंधित सीएएस के अंतर्गत एक अकादमिक स्तर/ ग्रेड वेतन से दूसरे में प्रोन्नति हेतु इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि तक अकादमिक निष्पादन संकेतक (एपीआई) आधारित निष्पादन आधारित मूल्यांकन पद्धति (पीबीएएस) की अर्हताओं में छूट को नीचे परिभाषित किया गया है:

i. उपर्युक्त उल्लिखित परिशिष्ट– III में यथा परिभाषित श्रेणी– I के तहत प्राप्तांक से छूट के लिए उपर्युक्त उल्लिखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 सहित संकाय और अन्य समतुल्य संवर्ग के पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) (चौथा संशोधन) संबंधी विनियम, 2016।

ii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2010 में यथा उपबंधानुसार संकाय और अन्य समतुल्य संवर्ग के पदों के लिए श्रेणी– II तथा श्रेणी– III के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे जिसमें श्रेणी– II तथा श्रेणी– III पर एक साथ विचार कर निम्नवत समेकित न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक अपेक्षाएं निम्नानुसार होंगी:

नोटः श्रेणी– II और श्रेणी– III के लिए पृथक रूप से कोई न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक की अपेक्षाएं नहीं होंगी।

तालिका– क (विश्वविद्यालय विभागों में सीएएस के अंतर्गत शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं)

क्रम संख्या		सहायक आचार्य (चरण 1/ एजीपी 6000/– रुपए से चरण 2/एजीपी 7000/– रुपए)	सहायक आचार्य (चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए) से चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए)	सहायक आचार्य (चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए) से सह आचार्य (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए)	सह आचार्य (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए से आचार्य (चरण 5/एजीपी 10000/– रुपए)
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी– III)	40/ मूल्यांकन अवधि	100/ मूल्यांकन अवधि	90/ मूल्यांकन अवधि	120/ मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति

तालिका– ख (महाविद्यालयों में सीएएस के अंतर्गत शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं (स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर) :

क्र. सं.		सहायक आचार्य (चरण 1/ एजीपी 6000/– रुपए से चरण 2/एजीपी 7000/– रुपए)	सहायक आचार्य (चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए से चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए)	सहायक आचार्य (चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए) से सह आचार्य (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए)	सह आचार्य (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए) से आचार्य (चरण 5/ एजीपी 10000/– रुपए)
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी–III)	20/ मूल्यांकन अवधि	50/ मूल्यांकन अवधि	45/ मूल्यांकन अवधि	60/ मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति

तालिका– ग (विश्वविद्यालयों में सीएएस के अंतर्गत पुस्तकालय स्टॉफ की प्रोन्नति हेतु एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं) :

क्र.सं.		सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चरण 1/ एजीपी 6000/– रुपए से चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए)	सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए से चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए)	सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चयन ग्रेड/ उप पुस्तकाध्यक्ष) (चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए) से उप पुस्तकाध्यक्ष (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए)	उप पुस्तकाध्यक्ष (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए) से उप पुस्तकाध्यक्ष (चरण 5 एजीपी 10000/– रुपए)
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी–III)	40/ मूल्यांकन अवधि	100/ मूल्यांकन अवधि	90/ मूल्यांकन अवधि	120 प्रति मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति

तालिका– घ (महाविद्यालयों में सीएएस के अंतर्गत पुस्तकालय स्टॉफ की प्रोन्नति हेतु एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं) :

क्र.सं.		सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चरण 1/ एजीपी 6000/– रुपए से चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए)	सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चरण 2/ एजीपी 7000/– रुपए से चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए)	सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चयन ग्रेड / उप पुस्तकाध्यक्ष) (चरण 3/ एजीपी 8000/– रुपए) से उप पुस्तकाध्यक्ष (चरण 4/ एजीपी 9000/– रुपए)
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी–III)	20/ मूल्यांकन अवधि	50/ मूल्यांकन अवधि	45/ मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति

तालिका— ङ (विश्वविद्यालय निदेशक/ उप निदेशक/ सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की प्रोन्नति हेतु एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं) :

क्र.सं.		**सहायक निदेशक (चरण 1/ एजीपी 6000/— रुपए से चरण 2/ एजीपी 7000/— रुपए)**	**सहायक निदेशक (चरण 2/ एजीपी 7000/— रुपए) से सहायक निदेशक (चयन ग्रेड)/ उप निदेशक (चरण 3/ एजीपी 8000/— रुपए)**	**सहायक निदेशक (चयन ग्रेड)/ उप निदेशक (चरण 3/ एजीपी 8000/— रुपए) से उप निदेशक (चरण 4/ एजीपी 9000/— रुपए)**	**उप निदेशक (चरण 4/ एजीपी 9000/— रुपए) से उप निदेशक (चरण 5 एजीपी 10000/— रुपए)**
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी—III)	40/ मूल्यांकन अवधि	100/ मूल्यांकन अवधि	90/ मूल्यांकन अवधि	120 प्रति मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति	चयन समिति

तालिका— च (महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की प्रोन्नति हेतु एपीआई संबंधी न्यूनतम अपेक्षाएं) :

क्र.सं.		**सहायक निदेशक (चरण 1/ एजीपी 6000/— रुपए से चरण 2/ एजीपी 7000/— रुपए)**	**सहायक निदेशक (चरण 2/ एजीपी 7000/— रुपए) से सहायक निदेशक (चयन ग्रेड)/ उप निदेशक (चरण 3/ एजीपी 8000/— रुपए)**	**सहायक निदेशक (चयन ग्रेड)/ उप निदेशक (चरण 3/ एजीपी 8000/— रुपए) से उप निदेशक (चरण 4/ एजीपी 9000/— रुपए)**
1	शोध और अकादमिक योगदान (श्रेणी—III)	20/ मूल्यांकन अवधि	50/ मूल्यांकन अवधि	45/ मूल्यांकन अवधि
2	विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति	छानबीन समिति	छानबीन समिति	चयन समिति

VIII . सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नतियों के लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की अपेक्षा दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक अनिवार्य नहीं होगी।

6.4 कॅरियर उन्नति योजना के अंतर्गत पदधारी और नव—नियुक्त सहायक आचार्य/ सह आचार्य/ आचार्यों की प्रोन्नति के चरण

क. प्रवेश—स्तर पर सहायक आचार्य, कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए दो क्रमिक स्तरों (स्तर 11 और स्तर 12) के माध्यम से पात्र होंगें बशर्ते वे इन विनियमों के खण्ड 6.3 में विनिर्दिष्ट योग्यता और निष्पादन मानदण्ड को पूरा करते हों।

ख. महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस)

I. सहायक आचार्य (अकादमिक स्तर 10) से सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11)

योग्यता : ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने सेवा में चार वर्ष पूरे कर लिए हों और पीएचडी की उपाधि धारक हों अथवा सेवा में पांच वर्ष पूरे कर लिए हों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एमफिल/स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों जैसे एलएलएम, एम. टेक, एम. वी. एससी, एम.डी. अथवा जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पीएचडी/ एम.फिल/ स्नातकोत्तर की उपाधि धारक नहीं हों और जिन्होंने सेवा में छह वर्ष पूरे कर लिए हों।

(i). शिक्षण कार्यविधि पर 21 दिन की अवधि के एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो; और

(ii). निम्नलिखित में से किसी एक कार्यक्रम में भाग लिया हो : एक पुनश्चर्या / शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम पूरा किया हो।

अथवा

निम्नलिखित में से किसी एक कार्यक्रम में भाग लिया हो : कार्यशाला, पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला, प्रशिक्षण शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन, प्रोद्यौगिकी कार्यक्रम और कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि का संकाय विकास कार्यक्रम।

अथवा

मूल्यांकन अवधि के दौरान एक एमओओसी पाठ्यक्रम (ई– प्रमाणन के साथ) पूरा किया हो अथवा चार–चतुर्थांश में ई–विषयवस्तु का विकास / एमओओसी पाठ्यक्रम पूरा किया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विनिर्दिष्ट है, मूल्यांकन अवधि के पिछले चार / पाँच / छह वर्षों में से कम से कम तीन / चार / पाँच, इनमें से जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों।

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

II. सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान / अकादमिक स्तर 11) से सहायक आचार्य (वरिष्ठ ग्रेड / अकादमिक स्तर 12)

योग्यताः

1) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने वेतनमान अकादमिक स्तर 11 / वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2) अकादमिक स्तर–11 / वरिष्ठ वेतनमान के पिछले पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई दो किए हों: मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम / कार्यशालाओं / पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला / शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन / प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / संकाय विकास कार्यक्रम / पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों; अथवा संगत विषय में (ई– प्रमाणन) सहित एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई–विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो / एमओओसी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) मूल्यांकन अवधि के पिछले पाँच वर्षों में से कम से कम चार, इनमें से जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों (जैसा कि परिशिष्ट– II **तालिका** 1 में विहित किया गया है)।

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

III. सहायक आचार्य (चयन ग्रेड / अकादमिक स्तर 12) से सह आचार्य (अकादमिक स्तर 13 क)

योग्यताः

1) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने अकादमिक स्तर 12 / चयन ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।

2) संगत / संबद्ध / संगत विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।

3) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई एक कार्यक्रम / पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों : मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम / कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम / कार्यविधि कार्यशाला / पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला / शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन / प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / संकाय विकास कार्यक्रम श्रेणी के कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों में से कम से कम एक कार्यक्रम / पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; अथवा संगत विषय में (ई– प्रमाणन) सहित एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई–विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो / एमओओसी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विहित है, मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों; और

(ii) सह आचार्य के पद पर प्रोन्नति की सिफारिश इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की गई हो।

IV. सह आचार्य (अकादमिक स्तर 13क) से आचार्य (अकादमिक स्तर 14)

योग्यताः

1. ऐसे सह आचार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 13क में सेवा के तीन वर्ष पूर्ण किए हों

2. संगत/ संबद्ध विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।

3. समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम 10 शोध प्रकाशन किए हों जिनमें से तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों।

4. परिशिष्ट– II तालिका 2 के अनुसार कम से कम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विहित है, शिक्षक को मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों; और जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विहित है, कम से कम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों।

(ii) इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा आचार्य के पद पर प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।

ग. विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस)

I. सहायक आचार्य (अकादमिक स्तर 10) से सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11)

योग्यताः

(i) एक सहायक आचार्य जिसने पीएचडी की उपाधि के साथ सेवा में चार वर्ष पूरे किए हों अथवा पेशेवर पाठ्यक्रम जैसे एलएलएम, एम. टेक, एम.वी.एससी, और एम.डी. में एम.फिल/ स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ सेवा में पाँच वर्ष अथवा पेशेवर पाठ्यक्रम में पीएचडी/एम.फिल/स्नातकोत्तर की उपाधि के बिना सेवा में छह वर्ष पूरे किए हों और निम्नलिखित शर्तें पूरी करता होः

(ii) शिक्षण कार्यविधि पर 21 दिन की अवधि के एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो;

(iii) इनमें से कोई एक किया होः मूल्यांकन अवधि के दौरान कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम /शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम/ कार्यशाला/ पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला/ प्रशिक्षण शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम पूरा किया हो अथवा एक एमओओसी पाठ्यक्रम (ई–प्रमाणन के साथ) पूरा किया हो अथवा चार चतुर्थांश में ई– विषयवस्तु के विकास/ एमओओसी पाठ्यक्रम पूरा किया हो; और

(iv) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में एक शोध प्रकाशन प्रकाशित हुआ हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विनिर्दिष्ट है, मूल्यांकन अवधि के पिछले चार/ पाँच/ छह वर्षों में से कम से कम तीन/ चार/ पाँच, इनमें से जो भी लागू हो, वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों।

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

II. सहायक आचार्य (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11) से सहायक आचार्य (वरिष्ठ ग्रेड / अकादमिक स्तर 12)

योग्यताः

(i) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने अकादमिक स्तर 11/ वरिष्ठ वेतनमान में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ii) संगत/ संबद्ध विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।

(iii) अकादमिक स्तर–11/ वरिष्ठ वेतनमान के पिछले पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई दो किए हों: मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम/ कार्यशालाओं/ पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला/ शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन/ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों; अथवा संगत विषय में (ई– प्रमाणन) सहित एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई–विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो/ एमओओसी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

(iv) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में तीन शोध पत्र हुए हों।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड:

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) मूल्यांकन अवधि के दौरान पिछले पाँच वर्षों में से कम से कम चार वर्षों के दौरान शिक्षक को वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों (जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विनिर्दिष्ट है); और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

III. सहायक आचार्य (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12) से सह आचार्य (अकादमिक स्तर 13क)

1) ऐसे सहायक आचार्य जिन्होने अकादमिक स्तर 12/ चयन ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।

2) संगत/ संबद्ध विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।

3) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से कोई एक कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों : मूल्यांकन की अवधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह (10 दिन) की अवधि (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिनों) की अवधि के प्रत्येक एकल पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (पांच दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों) के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यविधि कार्यशाला / पाठ्यचर्या उन्नयन कार्यशाला/ शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन/ प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम श्रेणी के कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों में से कम से कम एक कार्यक्रम/ पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; अथवा संगत विषय में (ई– प्रमाणन) सहित एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो; एक पाठ्यक्रम के कम से कम 10 मॉड्यूल के 4 चतुर्थांश (कम से कम एक चतुर्थांश) में ई–विषयवस्तु के विकास में योगदान दिया हो/ एमओओसी पाठ्यक्रम संचालित करने में योगदान दिया हो।

4) मूल्यांकन अवधि के दौरान समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम सात प्रकाशन प्रकाशित हुए हों जिसमें से तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों।

5) कम से कम एक पीएच.डी अभ्यर्थी का मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड:

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 1 में विहित है, मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों; और जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 2 में विहित है, कम से कम 70 शोध अंक प्राप्त किए हों।

(ii) इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।

IV. सह आचार्य (अकादमिक स्तर 13क) से आचार्य (अकादमिक स्तर 14)

योग्यता:

1. ऐसे सह आचार्य जिन्होंने अकादमिक स्तर 13क में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2. संबंधित/ संबद्ध/ संगत विषय में पीएच.डी की उपाधि प्राप्त की हो।

3. समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस शोध प्रकाशन किए हों जिनमें से तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों।

4. पीएच.डी अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के साक्ष्य हो।

5. परिशिष्ट– II तालिका 2 के अनुसार कम से कम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्ड:

किसी शिक्षक को प्रोन्नत किया जा सकता है यदि;

(i) यदि उसे परिशिष्ट– II तालिका 1 में यथा विहित मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से दो वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों तथा परिशिष्ट– II तालिका 2 में यथा विहित है, कम से कम 110 शोध अंक प्राप्त किए हों;

(ii) इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश की गई हो।

V. आचार्य (अकादमिक स्तर 14) से वरिष्ठ आचार्य (अकादमिक स्तर 15)

सीएएस के अंतर्गत् एक आचार्य की वरिष्ठ आचार्य के पद पर प्रोन्नति की जा सकती है। प्रोन्नति शैक्षिक उपलब्धियों, ऐसे तीन प्रख्यात विषय विशेषज्ञों, जो कम से कम 10 वर्ष के अनुभव रखने वाले वरिष्ठ आचार्य अथवा आचार्य के पद के समकक्ष हों, द्वारा की गई अनुकूल समीक्षा के आधार पर होगी। चयन पिछले 10 वर्षों के दौरान 10 सर्वोत्तम प्रकाशनों और इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति के साथ विचार–विमर्श के आधार पर होगा।

योग्यताः

(i) आचार्य के पद पर दस वर्ष का अनुभव।

(ii) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा वि0अ0आ0 सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस प्रकाशन किए हों तथा मूल्यांकन अवधि के दौरान उनके पर्यवेक्षण में दो अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो।

घ. पुस्तकाध्यक्षों के लिए कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस)

नोटः

i. निम्नलिखित उपबंध केवल उन व्यक्तियों पर लागू हैं जो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षण से नहीं जुड़े हों। जिन संस्थानों में पुस्तकालय विज्ञान एक शिक्षण विभाग है वहां के शिक्षक महाविद्यालयों/ संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए क्रमशः इन विनियमों के खण्ड 6.4 (ख) और 6.4 (ग) के अंतर्गत शामिल होगें।

ii. विश्वविद्यालयों में उप पुस्तकाध्यक्ष के दो स्तर होंगे अर्थात् अकादमिक स्तर 13क और अकादमिक स्तर 14 जबकि महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष के पांच स्तर होंगे अर्थात अकादमिक स्तर 10, अकादमिक स्तर 11, अकादमिक स्तर 12, अकादमिक स्तर 13क और अकादमिक स्तर 14 ।

I. विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 10)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 10) से विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11):

योग्यता :

एक सहायक पुस्तकाध्यक्ष जो कि अकादमिक स्तर 10 में हो और पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखीकरण विज्ञान में पीएच.डी की उपाधि धारक हो अथवा समकक्ष उपाधि धारक हो अथवा पांच वर्ष का अनुभव हो, कम से कम एम.फिल. की उपाधि के साथ पांच वर्ष का अनुभवधारी हो, अथवा जो अभ्यर्थी एम.फिल अथवा पीएच.डी की उपाधि नहीं हो उनका छह वर्षों का सेवाकाल हो।

(i) उसने 21 दिन की अवधि के कम से कम एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो; और

(ii) परिशिष्ट– II तालिका 4 में यथा विहित, कम से कम 5 दिन का स्वचालन और डिजिटलीकरण, रख–रखाव और संबद्ध क्रियाकलापों पर प्रशिक्षण, संगोष्ठि अथवा कार्यशाला में भाग लिया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

एक सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष को प्रोन्नति दी जा सकती है यदि उसनेः

(i) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले चार/ पांच/ छह वर्षों में से कम से कम तीन/ चार/ पांच/ वर्षों, जैसा भी मामला हो, की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका– 4 में विनिर्दिष्ट है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

II. विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11) से विश्वविद्यालय सहायक पुस्ताकध्यक्ष (चयन ग्रेड / अकादमिक स्तर 12/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12)

योग्यताः

1) उन्होने उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2) उन्होने पिछले पाचं वर्षों के दौरान निम्निलिखित में से किन्हीं दो कार्यक्रमों में भाग लिया हो :

(i) स्वचालन और डिजिटलीकरण के संबंध में प्रशिक्षण/ संगोष्ठि/ कार्यशाला/ पाठ्यक्रम;

(ii) परिशिष्ट– II तालिका 4 के अनुसार कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) की अवधि तक के रख–रखाव और अन्य अन्य संबद्ध कार्यकलाप (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों), (iii) संगत विषय में (ई– प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम किया हो/ विकसित किया हो; अथवा (iv) पुस्ताकालय उन्नयन पाठ्यक्रम किया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले पांच वर्षों में से कम से कम चार वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 4 में विनिर्दिष्ट है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई हो।

III. विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकाध्यक्ष (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (चयन ग्रेड /अकादमिक स्तर 12) से विश्वविद्यालय उप पुस्तकाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 13क)/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 13क)

1) उन्होने उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2) उन्होने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्निलिखित में से किन्हीं एक कार्यक्रम में भाग लिया हो :

(i) स्वचालन और डिजिटलीकरण के संबंध में प्रशिक्षण/ संगोष्ठि/ कार्यशाला/ पाठ्यक्रम

(ii) परिशिष्ट– II तालिका 4 के अनुसार कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) की अवधि की रख–रखाव और अन्य संबद्ध कार्यकलाप (iii) अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों (iv) संगत विषय में (ई– प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम किया हो/ विकसित किया हो, और (v) अथवा पुस्ताकालय उन्नयन पाठ्यक्रम किया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 4 में विनिर्दिष्ट है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

IV. विश्वविद्यालय उप पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 13क) से विश्वविद्यालय उप पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष (अकादमिक स्तर 14) में सीएएस प्रोन्नति के लिए निम्नलिखित मानदण्ड होंगेः

1) उन्होने उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2) उन्होने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्निलिखित में से किन्हीं एक कार्यक्रम में भाग लिया हो :

(i) स्वचालन और डिजिटलीकरण के संबंध में प्रशिक्षण/ संगोष्ठि/ कार्यशाला/ पाठ्यक्रम;

(ii) परिशिष्ट– II तालिका 4 के अनुसार कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) की अवधि की रख–रखाव और अन्य संबद्ध कार्यकलाप (iii) अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों (iv) संगत विषय में (ई– प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम किया हो/ विकसित किया हो, और (v) अथवा पुस्ताकालय उन्नयन पाठ्यक्रम किया हो।

3) पुस्तकालय आईसीटी समेकन सहित नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं के साक्ष्य हों।

4) पुस्तकालय विज्ञान/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखीकरण/ अभिलेख और पाण्डुलिपि संरक्षण में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 4 में विनिर्दिष्ट है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

ङ. निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के लिए कॅरियर उन्नति योजना (सीएएस)

नोटः

(i) निम्नलिखित उपबंध केवल उन कार्मिकों पर लागू हैं जो शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के शिक्षण से जुड़े न हों। जिन संस्थानों में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद एक शिक्षण विभाग है वहां के शिक्षक, महाविद्यालयों/ संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए क्रमशः इन विनियमों के खण्ड 6.4 (ख) और 6.4 (ग) के अंतर्गत शामिल होगें।

(ii) विश्वविद्यालयों में उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, के दो स्तर होंगे अर्थात् अकादमिक स्तर 13क और अकादमिक स्तर 14, जबकि महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के पांच स्तर होंगे अर्थात् अकादमिक स्तर 10, अकादमिक स्तर 11, अकादमिक स्तर 12, अकादमिक स्तर 13क और अकादमिक स्तर 14 ।

I. सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (अकादमिक स्तर 10)/ महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (अकादमिक स्तर 10) से सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (वरिष्ठ वेतनमान /अकादमिक स्तर 11) / महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (वरिष्ठ वेतनमान /अकादमिक स्तर 11)

योग्यताः

(i) उन्होंने शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेलकूद विज्ञान में पीएचडी की उपाधि के साथ चार वर्ष की सेवा पूर्ण की हो अथवा एम.फिल. की उपाधि के साथ पांच वर्ष की सेवा ,अथवा एम.फिल, या पीएचडी की उपाधि के बिना छह वर्ष की सेवा पूर्ण की हो।

(ii) उन्होंने 21 दिन की अवधि के एक प्रबोधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो; और

(iii) उन्होंने निम्नलिखित में से किसी एक को पूर्ण किया होः (क) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/ शोध कार्यविधि पाठ्यक्रम/कार्यशाला; (ख) कम से कम 5 दिन की अवधि का प्रशिक्षण शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम / संकाय विकास कार्यक्रम; (ग) एक एमओओसी पाठ्यक्रम (ई–प्रमाणन के साथ) को पूर्ण किया हो/ विकसित किया हो ।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले चार/ पांच/ छह वर्षों में से कम से कम तीन/ चार/ पांच/ वर्षों, जैसा भी मामला हो, की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 5 में विनिर्दिष्ट है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी।

II. सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (वरिष्ठ वेतनमान/ अकादमिक स्तर 11)/ महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (वरिष्ठ वेतनमान / अकादमिक स्तर 11) से विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12)/ महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12)

1) उन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2) उन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किसी दो को पूर्ण किया होः (i) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, शोध कार्यविधि कार्यशालाओं की श्रेणी में से एक पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम पूर्ण किया हो। (ii) कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) की अवधि का शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम पूर्ण किया हो, अथवा (iii) कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों, और (iv) संगत विषय में (ई– प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो/ विकसित किया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) यदि उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले पांच वर्षों में से कम से कम चार वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 5 में विनिर्दिष्ट किया गया है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश छानबीन– सह– मूल्यांकन समिति द्वारा की गई जाएगी।

III. विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12)/ महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (चयन ग्रेड/ अकादमिक स्तर 12) से विश्वविद्यालय उप निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (अकादमिक स्तर 13क)/ महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (अकादमिक स्तर 13क) में प्रोन्नति हेतु

1) उन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;

2) उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किसी दो को पूर्ण किया हो: (i) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, शोध कार्यविधि कार्यशालाओं की श्रेणी में से एक पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम पूर्ण किया हो। (ii) कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) की अवधि का शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम पूर्ण किया हो, (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों), और (iii) संगत विषय में (ई– प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो/ विकसित किया हो।

सीएएस प्रोन्नति मानदण्डः

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) उसे मूल्यांकन अवधि के पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के दौरान वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'संतोषजनक' अथवा 'अच्छे' ग्रेड प्राप्त हुए हों, जैसा कि परिशिष्ट– II तालिका 5 में विनिर्दिष्ट किया गया है; और

(ii) प्रोन्नति की सिफारिश साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर इन विनियमों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

IV. विश्वविद्यालय उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद/ महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (अकादमिक स्तर 13क) से विश्वविद्यालय उप निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद/ महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद (अकादमिक स्तर 14) में सीएएस प्रोन्नति के लिए मानदण्ड निम्नलिखित होगें:

1) उन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो;

2) उन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किसी एक को पूर्ण किया हो:

(i) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, शोध कार्यविधि कार्यशालाओं की श्रेणी में से एक पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम पूर्ण किया हो। (ii) कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) की अवधि का शिक्षण– ज्ञान अर्जन– मूल्यांकन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/ संकाय विकास कार्यक्रम पूर्ण किया हो, (अथवा कम से कम दो सप्ताह (दस दिन) के प्रत्येक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के स्थान पर कम से कम एक सप्ताह (5 दिन) की अवधि के दो पाठ्यक्रम पूर्ण किए हों), और (iii) संगत विषय में (ई– प्रमाणन के साथ) एमओओसी पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो/ विकसित किया हो।

3) कम से कम दो सप्ताह की अवधि की प्रतिस्पर्धाओं और अनुशिक्षण कैम्पों के आयोजन का साक्ष्य।

4) राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतर्विश्वविद्यालयी/ संयुक्त विश्वविद्यालयी आदि जैसी प्रतिस्पर्धाओं के लिए दलों/ एथलिटों द्वारा बेहतर निष्पादन कराने के साक्ष्य आदि।

5) शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद और खेलकूद विज्ञान में पीएचडी उपाधि धारक हो।

सीएएस प्रोन्नति मानक :

किसी व्यक्ति विशेष को प्रोन्नत किया जा सकता है, यदि;

(i) वह गत 3 वर्षों की समीक्षा अवधि में से कम से कम दो वर्षों में 'संतुष्ट' या 'बेहतर' ग्रेड की निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करता है जैसा की के परिशिष्ट II, तालिका 5 में विनिर्दिष्ट है, और;

(ii) प्रोन्नति की संस्तुति इन नियमों के अनुसार गठित एक चयन समिति की सिफारिशों पर साक्षात्कार में किए गए प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी।

6.5 इस व्यवसाय में आने वाले उच्च मैरिट, उच्च गुणवत्ता के अनुसंधान प्रकाशनों की अधिक संख्या और उपयुक्त स्तर पर अनुभव वाले सह– आचार्य अथवा आचार्य का अग्रिम वेतन वृद्धि का विवेकपूर्ण पुरस्कार, संकाय में अन्य शिक्षकों के वेतन ढांचे और मेरिट– विशिष्ट कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले की मैरिट के संदर्भ में व्यक्तिगत अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करते समय चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय अथवा भर्ती करने वाली संस्था के उपयुक्त प्राधिकारी की सक्षमता पर आधारित होगा। अग्रिम वेतन वृद्धि का

यह विवेकपूर्ण पुरस्कार उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो सहायक आचार्य/ सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के रूप में इस पेशे में आते हैं और जो पीएचडी, एमफिल अथवा एमटेक और एलएलएम की उपाधि प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि, चयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय और रिकॉर्ड के अनुसार सेवा में आने वाले ऐसे सहायक आचार्य/ सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अग्रिम वेतनवृद्धि के विवेकपूर्ण पुरस्कार के पात्र हो सकते हैं जिनके पास पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् पोस्ट डॉक्टोरल शिक्षा शोध अनुभव और सिद्ध पूर्ववृत्त हों।

7.0 विश्वविद्यालयों के सम कुलपति/कुलपति का चयन :

7.1 सम कुलपति :

सम कुलपति की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा कुलपति की सिफारिशों के आधार की जाएगी।

7.2 यह कुलपति का विशेषाधिकार होगा कि वह एक व्यक्ति की कार्यकारी परिषद् में सम कुलपति के रुप में सिफारिश करे। सम कुलपति, कुलपति की कार्यालय अवधि समाप्त होने तक ही कार्यालय में बना रहेगा।

7.3 कुलपति

(i) सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठता, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जाएगा। कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति एक विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए आचार्य के रूप में अनुभव या एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन मैं शैक्षणिक नेतृत्व के साक्ष्य के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ एक विशिष्ट शिक्षाविद् होना चाहिए ।

(ii) कुलपति के पद हेतु चयन एक खोज सह चयन समिति के माध्यम से एक सार्वजनिक अधिसूचना या नामांकन या प्रतिभा खोज प्रक्रिया या इनके संयोजन से 3 से 5 लोगों के एक पैनल द्वारा उचित पहचान के माध्यम से की जानी चाहिए। ऐसी खोज सह चयन समिति के सदस्य उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए और किसी भी प्रकार से संबंधित विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों से नहीं जुड़े होने चाहिए। पैनल तैयार करते समय खोज सह चयन समिति को शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश और विदेश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली से अवगत होने के अतिरिक्त शैक्षणिक और प्रशासनिक अभिशासन में पर्याप्त अनुभव को लिखित रूप में पेनल सहित कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति को देना चाहिए। राज्यों, निजी और सम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चुनाव हेतु खोज सह चयन समिति के एक सदस्य का नामांकन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति द्वारा किया जाना चाहिए ।

(iii) कुलपति की नियुक्ति खोज सह चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल के नामों में से कुलाध्यक्ष/ कुलाधिपति द्वारा की जाएगी।

(iv) कुलपति का कार्यकाल उसकी मौजूदा सेवा अवधि का भाग बन जाएगा, जो उसे सेवा से जुड़े सभी लाभों हेतु पात्र बनाएगी।

8.0 इतर कार्यार्थ छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, सबैटिकल छुट्टी

8.1 इतर कार्यार्थ छुट्टी

(i) एक शैक्षणिक वर्ष में 30 दिन तक की इतर कार्यार्थ छुट्टी निम्नलिखित प्रयोजनार्थ प्रदान की जा सकती है :

(क) विश्वविद्यालय द्वारा नामित प्रतिनिधि के रूप में या विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय की अनुमति के साथ अभिविन्यास कार्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, शोध पद्धति कार्यशाला, संकाय अधिष्ठापन कार्यक्रम, सम्मेलन, संगोष्ठी या विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए ;

(ख) विश्वविद्यालय को संस्थानों और विश्वविद्यालयों से ऐसे संस्थानों और महाविद्यालयों में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रण मिलने और उसे उपकुलपति/ महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्वीकृत करने की स्थिति में;

(ग) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय, अन्य किसी एजेंसी, संस्था, या संगठन में काम करने हेतु;

(घ) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सहयोगी विश्वविद्यालय या अन्य किसी समान शैक्षणिक निकाय द्वारा नियुक्त समिति के शिष्टमंडल में भाग लेने या काम करने पर; और

(ङ) विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा उसे दिया गया अन्य कोई कार्य करने के लिए।

(ii) प्रत्येक अवसर पर छुट्टी की अवधि इस प्रकार होनी चाहिए जिसे स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा अनिवार्य समझा जाए।

(iii) पूर्ण वेतन के साथ छुट्टी दी जा सकती है बशर्ते यदि शिक्षक एक अध्येतावृत्ति या मानदेय या उसके सामान्य खर्च हेतु आवश्यक राशि से इतर कोई और वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है तो कम वेतन और भत्तों के साथ इतर कार्यार्थ छुट्टी को स्वीकृति दी जा सकती है।

(iv) इतर कार्यार्थ छुट्टी को अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी या वेतन रहित छुट्टी या असाधारण छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

(v) इतर कार्यार्थ छुट्टी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डीएसटी इत्यादि की बैठकों में भाग लेने हेतु भी प्रदान की जा सकती है, जहां एक शिक्षक को एक शैक्षणिक निकाय, सरकारी एजेंसी या गैर– सरकारी संगठन के साथ उसकी विशेषज्ञता को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया हो।

8.2 अध्ययन छुट्टी :

(i) अध्ययन अवकाश की योजना उन संकायों को छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है जो नव– ज्ञान अर्जित करने और अपने विश्लेषणात्मक कौशल को सुधारना चाहते हैं। जब किसी शिक्षक को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टोरल अहर्ता या विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान में एक शोध परियोजना हेतु छात्रवृत्ति या वजीफा (चाहे किसी भी नाम से कहा जाए) मिलता है तो छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति की राशि को उसके मूल संस्थान द्वारा उसे दिए जा रहे वेतन से नहीं जोड़ना चाहिए। पुरस्कृत व्यक्ति को छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति की संपूर्ण अवधि के लिए वेतन दिया जाना चाहिए बशर्ते कि वह मेजबान देश में शिक्षण जैसी कोई अन्य लाभकारी नौकरियां नहीं करता हो।

(ii) अध्ययन छुट्टी पर गए एक शिक्षक को उस छुट्टी अवधि के दौरान भारत या विदेश में किसी संगठन के अंतर्गत नियमित या अंशकालिक नियुक्ति के अंतर्गत कोई कार्य नहीं करेगा। हालांकि, उसे भारत या विदेश में किसी भी संस्थान में नियमित रोजगार के अतिरिक्त एक मानदेय या किसी और प्रकार की सहायता के साथ एक अध्येतावृत्ति या एक शोध छात्रवृत्ति या एक तदर्थ शिक्षण और शोध कार्य स्वीकृत करने की अनुमति है। यदि उसका/उसकी प्रधान संस्था की कार्यकारिणी परिषद्/ सिंडिकेट चाहे तो इस संबंध में प्राप्त किसी पावती के आधार पर उसके शिक्षण इत्यादि जो कि उसके नियोजक द्वारा निर्धारित किया जाएगा, के स्थान पर कम वेतन और भत्तों पर अध्ययन छुट्टी दे सकती है।

(iii) अध्ययन छुट्टी प्रवेश स्तर पर नियुक्त किए गए व्यक्ति जैसे सहायक आचार्य/ सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सहायक निदेशक/ महाविद्यालय डीपीईएंडएस (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के सहायक आचार्य या आचार्य जो अन्यथा सबैटिकल छुट्टी के लिए पात्र हैं के अतिरिक्त) को कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात् एक विशिष्ट क्षेत्र में अध्ययन करने या उसके विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान में उसके कार्य से सीधे संबंधित शोध या विश्वविद्यालय संगठन के विभिन्न पहलुओं और शिक्षा की पद्धतियों के विशेष अध्ययन हेतु पूर्ण योजना देने के पश्चात् प्रदान की जानी चाहिए।

(iv) अध्ययन छुट्टी संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष की सिफारिशों पर कार्यकारिणी परिषद/ सिंडिकेट द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। अपवाद स्वरूप मामलों जिसमें कार्यकारिणी परिषद्/ सिंडिकेट संतुष्ट हो कि इस प्रकार छुट्टी को बढ़ाया जाना शैक्षणिक आधार पर अपरिहार्य है और विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के हित में है, को छोड़कर छुट्टी एक बार में 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं दी जानी चाहिए।

(v) अध्ययन छुट्टी समाप्त होने के पश्चात् कार्य पर लौटने की संभावित तिथि के 5 वर्ष के अंदर उस शिक्षक के सेवानिवृत्त होने की स्थिति में उसे अध्ययन छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी।

(vi) किसी को भी उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अध्ययन छुट्टी दो बार से अधिक प्रदान नहीं की जाएगी। अपितु, संपूर्ण सेवाकाल के दौरान ग्राह्य अध्ययन छुट्टी की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vii) अध्ययन छुट्टी एक बार से अधिक दी जा सकती है बशर्ते कि अध्ययन छुट्टी की पहले वाली अवधि पूर्ण होने पर शिक्षक के वापस आने के पश्चात् पांच वर्ष से कम का समय नहीं हुआ हो। आगामी अध्ययन छुट्टी की अवधि हेतु शिक्षक को पूर्व में ली गई छुट्टी की अवधि के दौरान किए गए कार्य के बारे में सूचित करना होगा और संभावित अध्ययन छुट्टी की अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्य का विवरण भी देना होगा।

(viii) कोई भी शिक्षक जिसे अध्ययन छुट्टी प्रदान की गई है, को कार्यकारिणी परिषद्/ सिंडिकेट की अनुमति के बिना अध्ययन पाठ्यक्रम या शोध कार्यक्रम को पर्याप्त रूप से बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि अध्ययन पाठ्यक्रम स्वीकृत अध्ययन छुट्टी की तुलना में कम पड़ता है, तो शिक्षक को अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति के पश्चात सेवा में वापस आना होगा, जब तक की कार्यकारिणी परिषद/ सिंडिकेट की अग्रिम मंजूरी से कम हुई अवधि में प्राप्त की असाधारण छुट्टी नहीं माना जाता है।

(ix) ड्यूटी से अनुपस्थिति रहने की अधिकतम अवधि जो कि तीन वर्ष से अधिक नहीं हो, के अध्यधीन, अध्ययन छुट्टी में अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी, असाधारण छुट्टी जोडी जा सकती है बशर्ते कि शिक्षक के खाते में पड़ी अर्जित छुट्टियों को शिक्षक के स्वविवेक के अनुसार उपयोग किया जाए। जब अध्ययन छुट्टी, छुट्टियों से लगातार ली गई हो तब अध्ययन छुट्टी की अवधि, छुट्टियों के समाप्त होने के पश्चात् आरंभ हुई मानी जानी चाहिए। एक शिक्षक जो कि अध्ययन छुट्टी के दौरान उच्चतर पद पर चयनित हुआ हो, उसे पद ग्रहण करने के पश्चात् उस पद पर रखा जाएगा और उच्चतर वेतनमान प्रदान किया जाएगा।

(x) अध्ययन छुट्टी की अवधि को सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन/ अंशदायी भविष्य निधि) के प्रयोजनार्थ सेवा में जोड़ा जाना चाहिए, बशर्ते शिक्षक अपनी अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान में पुनः कार्यग्रहण करता है और जिस अवधि के लिए बंधपत्र निष्पादित किया गया है, उस अवधि तक संस्थान की सेवा करता है।

(xi) एक शिक्षक को प्रदान की गई अध्ययन छुट्टी निरस्त मानी जाएगी यदि मंजूरी के बारह माह के भीतर वह प्राप्त नहीं की जाती है बशर्ते कि जब प्रदान की गई अध्ययन छुट्टी को निरस्त कर दिया गया हो, शिक्षक उक्त छुट्टी के लिए पुनः आवेदन कर सकता है ।

(xii) अध्ययन छुट्टी लेने वाले शिक्षक को यह वचन देना होगा कि वह अध्ययन छुट्टी समाप्त होने के पश्चात सेवा में वापस आने पर सेवा में शामिल होने की तिथि से लेकर लगातार कम से कम 3 वर्षों तक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय/ संस्थान की सेवा करेगा।

(xiii) एक शिक्षक–

(क) जो उसे प्रदान की गई अध्ययन छुट्टी की अवधि के भीतर अपना अध्ययन पूरा करने में असमर्थ रहता है, अथवा

(ख) जो अपनी अध्ययन छुट्टी समाप्त होने के पश्चात विश्वविद्यालय की सेवाओं को पुनः शामिल होने में असफल रहता है, अथवा

(ग) जो विश्वविद्यालय की सेवा में पुनः शामिल होता है लेकिन सेवा में शामिल होने के पश्चात निर्धारित सेवा अवधि को पूरा किए बिना सेवा छोड़ देता है, अथवा

(घ) जिसे उक्त अवधि के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा सेवा से निष्कासित किया जाता है अथवा हटाया जाता है तो वह शिक्षक छुट्टी वेतन में दी गई राशि और उस पर दिए गए भत्तों और अन्य खर्चों अथवा उसको या उसकी ओर से अध्ययन पाठ्यक्रम से संबंधित भुगतान की राशि के प्रतिदाय के लिए बाध्य है।

स्पष्टीकरणः

यदि एक शिक्षक छुट्टी अवकाश को बढ़ाने की मांग करता है और उसकी छुट्टी नहीं बढ़ाई जाती है लेकिन वह मूलतः मंजूर की गई छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् सेवा में वापस नहीं आता है तो इन्हीं विनियमों के अंतर्गत वसूली के प्रयोजनार्थ यह माना जाएगा कि वह छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात सेवा में पुनः वापस आने में असफल रहा है।

उपरोक्त उपबंध के बावजूद, कार्यकारिणी परिषद/ सिंडिकेट आदेश दे सकता है कि इन विनियमों में से कुछ भी उस शिक्षक पर लागू नहीं होगा, जिसे अध्ययन छुट्टी से वापस आने के बाद 3 वर्ष के भीतर चिकित्सा आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान की गई है। बशर्ते आगे, यदि कार्यकारिणी परिषद/ सिंडिकेट इन विनियमों के अंतर्गत शिक्षक द्वारा प्रतिदाय राशि को किसी अन्य अपवादस्वरूप मामले में माफ करता है या कम करता है तो इसके कारण का रिकॉर्ड रखा जाए।

(xiv) छुट्टी की मंजूरी के पश्चात् शिक्षक को छुट्टी पर जाने से पहले विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के पक्ष में एक बंधपत्र निष्पादित करना होगा जिससे वह उपर्युक्त पैरा (x) से (xiii) में दी गई शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा और उपर्युक्त पैरा (x) से (xiii) के अनुरूप विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान को प्रतिदाय हो सकने वाली राशि वित्त अधिकारी/कोषाध्यक्ष की संतुष्टि के अनुरूप अचल संपत्ति को धरोहर राशि या एक बीमा कंपनी के एक निष्ठा बंधपत्र या एक अनुसूचित बैंक की प्रतिभूति अथवा दो स्थाई अध्यापकों की प्रतिभूति देनी होगी।

(xv) अध्ययन छुट्टी पर गए शिक्षक को अपने मूल विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के कुलसचिव/ प्राचार्य के समक्ष उसके पर्यवेक्षक अथवा संस्थान के प्रमुख से उसकी प्रगति की छमाही रिपोर्ट जमा करानी होगी। ऐसी रिपोर्ट अध्ययन छुट्टी की अवधि के प्रत्येक 6 माह की समाप्ति से 1 माह पूर्व कुलसचिव/ प्राचार्य के पास पहुच जानी चाहिए। यदि रिपोर्ट कुलसचिव/ प्राचार्य के पास विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं पहुंचती है तो छुट्टी हेतु वेतन का भुगतान को ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति तक आस्थगित रखा जा सकता है।

(xvi) छुट्टी पर गए शिक्षक को अध्ययन छुट्टी अवधि के पूरा होने पर एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करनी होगी। अध्ययन छुट्टी की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए शोध दस्तावेज/ विनिबंध/ शैक्षणिक पत्रों की एक प्रति प्राथमिक रूप से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जानी चाहिए।

(xvii) संकाय सदस्य, विशेषरूप से सहायक आचार्य के स्तर पर कनिष्ठ संकाय के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों और उनके अधीनस्थ विभागों के प्रमुखों को संकाय सुधार के हित को ध्यान में रखते हुए अध्ययन छुट्टी प्रदान करने में उदार होना चाहिए ताकि दीर्घावधि में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के शैक्षणिक मानक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सके।

8.3 सबैटिकल छुट्टी :

(i) विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्थायी, पूर्णकालिक शिक्षक जिन्होंने उपाचार्य/ सह आचार्य या आचार्य के रूप में 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, को विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अपनी कुशलता और उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से अध्ययन अथवा शोध अथवा अन्य कोई शैक्षणिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबैटिकल छुट्टियां प्रदान की जाएं। इन छुट्टियों की अवधि, एक बार में, एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और शिक्षक के संपूर्ण कॅरियर में दो वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) एक शिक्षक जिसने अध्ययन छुट्टी ली हैं, वह तब तक सबैटिकल छुट्टी का हकदार नहीं होगा जब तक कि शिक्षक पहले वाली अध्ययन छुट्टी से वापस आने की तिथि के पांच वर्ष की अवधि पूर्ण न की गई हो, अथवा एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के किसी अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा न कर ले ।

(iii) एक शिक्षक को सबैटिकल छुट्टी के दौरान उसके सबैटिकल छुट्टी पर जाने से तुरंत पहले वाली उपर्युक्त दरों पर वेतन और भत्ते (विहित शर्तें पूरी की जाने के अध्यधीन) मिलने चाहिए।

(iv) सबैटिकल छुट्टी पर गए एक शिक्षक को उस छुट्टी अवधि के दौरान भारत में या विदेश में किसी संगठन के अंतर्गत नियमित या अंशकालिक नियुक्ति के अंतर्गत कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि, उसे भारत या विदेश में किसी भी संस्थान में नियमित रोजगार के अतिरिक्त एक मानदेय या किसी और प्रकार की सहायता के साथ एक अध्येतावृत्ति या एक शोध छात्रवृत्ति या एक तदर्थ शिक्षण और शोध कार्य स्वीकृत करने की अनुमति है बशर्ते कि ऐसे मामले में कार्यकारिणी परिषद्/ सिंडिकेट, यदि चाहे तो, नियोजक द्वारा निर्धारित कम वेतन और भत्तों पर सबैटिकल छुट्टी प्रदान की जा सकती है।

(v) सबैटिकल छुट्टी की अवधि के दौरान शिक्षक को नियत तिथि पर वेतन वृद्धि प्राप्त करने की अनुमति होगी। छुट्टी की अवधि को पेंशन/ अंशदायी भविष्य निधि के प्रयोजनार्थ हेतु सेवा में जोड़ा जाना चाहिए, *बशर्ते कि* शिक्षक अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय संस्थान में पुनः कार्यग्रहण करे।

8.4 विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षकों हेतु अन्य प्रकार की छुट्टी के नियम

स्थायी अध्यापकों के लिए निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियां स्वीकार्य होगी :

(i) छुट्टी जैसे आकस्मिक छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी और इतर कार्यार्थ छुट्टी को ड्यूटी समझा जाए;

(ii) सेवा द्वारा अर्जित की गई छुट्टियां जैसे अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी ;

(iii) ड्यूटी के बिना अर्जित की गई छुट्टियां जैसे असाधारण छुट्टी और अर्जन शोध्य छुट्टी ;

(iv) छुट्टी खाते से नहीं काटी गई छुट्टी;

(v) शैक्षणिक उत्कृष्टता हेतु प्राप्त की गई छुट्टी जैसे अध्ययन छुट्टी, सबैटिकल छुट्टी और शैक्षणिक छुट्टी;

(vi) स्वास्थ्य के आधार पर प्राप्त की गई छुट्टी जैसे प्रसूति छुट्टी और संगरोध छुट्टी;

(ख) कार्यकारिणी परिषद/सिंडिकेट *अपवादस्वरूप मामलों में* किसी भी प्रकार की शर्तें और निबंधन के अध्यधीन जैसा वह उचित समझे कोई भी अन्य छुट्टी दे सकती है, जिसके लिए कारण दर्ज किया जाना चाहिए।

I. आकस्मिक छुट्टी

(i) किसी शिक्षक को दी जाने वाली आकस्मिक छुट्टी की संख्या एक शैक्षणिक वर्ष में आठ दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) आकस्मिक छुट्टी को विशेष आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तथापि, ऐसी आकस्मिक छुट्टी को रविवार सहित अन्य अवकाशों के साथ जोड़ा जा सकता है। आकस्मिक छुट्टी की अवधि के दौरान आने वाले अवकाश या रविवार को आकस्मिक छुट्टी के रूप में नहीं गिना जाएगा।

II. विशेष आकस्मिक छुट्टी

(i) किसी शिक्षक को एक शैक्षणिक वर्ष में दस से अधिक विशेष आकस्मिक छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए;

(क) विश्वविद्यालय/ लोक सेवा आयोग/ परीक्षा बोर्ड या अन्य इसी प्रकार के निकायों/ संस्थानों की परीक्षा आयोजित कराने के लिए; और

(ख) किसी सांविधिक बोर्ड से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों के निरीक्षण के लिए।

(ii) दस दिनों की ग्राह्रय छुट्टी की गणना में की गई वास्तविक यात्रा के दिन, यदि कोई हो, उन स्थानों से वहां तक जहां उपर्युक्त विनिर्दिष्ट कार्यकलाप हुए है, को इससे बाहर रखा जाएगा।

(iii) इसके अतिरिक्त, नीचे बताए गए स्तर तक विशेष आकस्मिक छुट्टी भी प्रदान की जाए;

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी ऑपरेशन, (पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी) के मामले में छुट्टियां छह कार्य दिवसों तक सीमित रहेगी; और

(ख) एक महिला शिक्षक जो 'नॉन–पयूरपूरल' नसबंदी कराती है। इस मामले में छुट्टी 14 दिन तक सीमित होगी।

(iv) विशेष आकस्मिक छुट्टी जमा नहीं की जा सकती और ना ही इसे आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी और प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक मौके पर स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी द्वारा इसे छुट्टियों के साथ प्रदान किया जा सकता है।

I. अर्जित छुट्टियां

(i) एक शिक्षक के लिए ग्राहय अर्जित छुट्टियां :

(क) प्रावकाश सहित वास्तविक सेवा का 1/30 ; *सहित*

(ख) उस अवधि का एक तिहाई, यदि कोई हो तो, जिसके दौरान उसे प्रावकाश के दौरान ड्यूटी करनी होगी।

वास्तविक सेवा की अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ, आकस्मिक, विशेष आकस्मिक और इतर कार्यार्थ छुट्टी को छोड़कर सभी छुट्टी अवधि को हटाया जाना चाहिए।

(ii) किसी शिक्षक के पास 300 दिनों से अधिक की अर्जित छुट्टी जमा नहीं होनी चाहिए। एक बार में अर्जित छुट्टी मंजूर करने की अधिकतम अवधि 60 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, उच्चतर शिक्षा प्राप्ति या प्रशिक्षण या चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ छुट्टी या जब पूरी छुट्टी या छुट्टी का एक भाग भारत से बाहर बिताया गया हो तो इन मामलों मे 60 दिन से अधिक की अर्जित छुट्टी मंजूर की जा सकती है।

संदेह दूर करने हेतु यह स्पष्ट किया जाता है :

1. जब एक शिक्षक अर्जित छुट्टियों के साथ प्रावकाश को जोड़ता है तो औसत वेतन पर अधिकतम छुट्टी की गणना में प्रावकाश की अवधि को छुट्टी माना जाएगा जिसे विशिष्ट अवधि की छुट्टी में शामिल किया जा सकता है।

2. यदि भारत से बाहर छुट्टी का एक केवल एक हिस्सा बिताया गया हो तो 120 दिन से अधिक की छुट्टी केवल उस स्थिति में दी जाएगी, जबकि भारत में बिताई गई छुट्टियों का भाग कुल मिलाकर 120 दिन से अधिक नहीं हो।

3. शिक्षण स्टॉफ के सदस्यों के लिए अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण की अनुमति केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति लागू होनी चाहिए ।

IV. अर्ध–वेतन छुट्टी

किसी स्थायी शिक्षक के लिए सेवा का प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 20 दिन की अवधि की अर्ध–वेतन छुट्टी स्वीकृत की सकती है। ऐसी छुट्टी को किसी पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त कर, किसी निजी मामले या किसी शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए।

स्पष्टीकरण :

''एक वर्ष की सेवा पूर्ण की'' का अभिप्राय है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लगातार की गई सेवा जिसमें असाधारण छुट्टी सहित छुट्टी के साथ–साथ सेवा से अनुपस्थिति की अवधि भी शामिल है।

नोट : सेवानिवृत्ति के समय छुट्टियों के नगदीकरण के प्रयोजनार्थ यदि अर्जित छुट्टियों की संख्या 300 से कम है तो अर्जित छुट्टियों की संख्या की गणना हेतु अर्ध–वेतन छुट्टियों को अर्जित छुट्टियों के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए जैसा कि भारत सरकार/ राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में लागू होता है।

V. परिवर्तित छुट्टी

निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन एक स्थायी शिक्षक को एक पंजीकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर परिवर्तित छुट्टी, जो देय अर्ध–वेतन छुट्टी के आधे से अधिक न हो, प्रदान की जा सकती है :

(i) संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान परिवर्तित छुट्टी की अवधि की अधिकतम सीमा 240 दिन होगी;

(ii) परिवर्तित छुट्टी प्रदान किए जाने की स्थिति मे, अर्ध–वेतन छुट्टी के खाते से दोगनी छुट्टी काटी जाएगी; और

(iii) एक साथ ली गई अर्जित छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी की कुल अवधि एक समय में 240 दिनों से अधिक नहीं होगी;

बशर्ते कि इन विनियमों के अधीन कोई परिवर्तित छुट्टी नहीं दी जाएगी, जब तक छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास ना हो कि शिक्षक इस अवधि के समाप्त होने पर अपने कार्य पर वापस लौटेगा।

VI. असाधारण छुट्टी

(i) किसी स्थायी शिक्षक को असाधारण छुट्टी दी जा सकती है जबकि –

(क) कोई अन्य छुट्टी स्वीकार्य ना हो; अथवा

(ख) अन्य छुट्टी ग्राहय हो और शिक्षक असाधारण छुट्टी हेतु लिखित में आवेदन करें।

(ii) असाधारण छुट्टी सदैव बिना वेतन और भत्तों के होगी। इसमें निम्नलिखित मामलों को छोड़कर वेतन वृद्धि की गणना के लिए इस पर विचार नहीं किया जाएगाः

(क) चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर ली गई छुट्टी;

(ख) ऐसे मामलों में जहां कुलपति/ प्राचार्य संतुष्ट हो कि शिक्षक के नियंत्रण से बाहर के कारणों के चलते छुट्टी ली गई थी, जैसे कि नागरिक विद्रोह, अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण कार्यभार ग्रहण करने अथवा पुनः कार्यभार ग्रहण करने में अक्षमता और शिक्षक के खाते में अन्य कोई भी छुट्टी नहीं हो;

(ग) उच्चत्तर अध्ययन जारी रखने हेतु ली गई छुट्टी; और

(घ) शिक्षण पद, अध्येतावृत्ति अथवा शोध– सह– शिक्षण पद के लिए निमंत्रण स्वीकार करने अथवा तकनीकी अथवा अकादमिक महत्व के कार्य सौपे जाने पर छुट्टी प्रदान की गई हो।

(iii) असाधारण छुट्टी को आकस्मिक छुट्टी और विशेष आकस्मिक छुट्टी के अलावा अन्य किसी छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है बशर्ते छुट्टी पर कार्य से लगातार अनुपस्थिति की कुल अवधि, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर ली गई हो, 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी (उस छुट्टी की अवधि सहित जो उक्त छुट्टी के साथ जोडी गई है)। कार्य से अनुपस्थिति की कुल अवधि किसी भी स्थिति में व्यक्ति की संपूर्ण सेवा अवधि में पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(iv) छुट्टी प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, अनुपस्थिति की अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से बिना छुट्टी के अनुपस्थिति को असाधारण छुट्टी में परिवर्तित कर सकता है।

VII. 'अर्जन शोध्य छुट्टी '

(i) 'अर्जन शोध्य छुट्टी' कुलपति/ प्राचार्य के विवेक पर स्थायी शिक्षक को उसकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान 360 दिनों से अधिक नहीं प्रदान की जा सकती है, जिसमें से चिकित्सा प्रमाणपत्र पर एक समय में 90 दिन और संपूर्ण रूप से 180 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। उक्त छुट्टी को उनके द्वारा बाद में अर्जित किए गए अर्ध–वेतन छुट्टी से काटा जाएगा।

(ii) 'अर्जन शोध्य छुट्टी' कुलपति/ प्राचार्य द्वारा तब तक प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक वह संतुष्ट ना हो कि जहाँ तक उन्हें यह यथोचित पूर्वानुमान हो कि शिक्षक छुट्टी की समाप्ति पर कार्य पर वापस लौटेगा और दी गई छुट्टी अर्जित करेगा।

(iii) एक शिक्षक, जिसे 'अर्जन शोध्य छुट्टी' प्रदान की गई है, उसे तब तक सेवा से त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उसकी सक्रिय सेवा से उसके छुट्टी के खाते में शेष छुट्टी समाप्त नहीं हो जाती अथवा वह इस तरह से अर्जित नहीं की गई अवधि हेतु वेतन और भत्तों के रूप में उसे दी गई धनराशि वापस ना करें। ऐसे मामलों में जहां खराब स्वास्थ्य के कारण सेवानिवृत्ति अपरिहार्य बन जाती है, शिक्षक आगे की सेवा के लिए अशक्त हो जाता है, ऐसे मामलों में अर्जित की जाने वाली छुट्टी की अवधि हेतु वेतन अवकाश का प्रतिदाय कार्यकारी परिषद्/ महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद्/ महाविद्यालय का शासी निकाय किसी अन्य अपवादस्वरूप मामले में लिखित में कारणों को दर्ज करके, अर्जित की जाने वाली छुट्टी की अवधि हेतु वेतन अवकाश के प्रतिदाय को समाप्त कर सकता है।

VIII. प्रसूति छुट्टी

(i) महिला शिक्षक को पूर्ण वेतन पर पूरी सेवा अवधि में दो बार 180 दिनों से अधिक की प्रसूति छुट्टी नहीं दी जा सकती हैं। प्रसूति छुट्टी अकाल प्रसव हो जाने सहित गर्भपात के मामले में भी प्रदान की जा सकती हैं, बशर्ते कि एक महिला शिक्षक को अपनी सेवा अवधि में 45 दिनों से अधिक छुट्टी नहीं प्रदान की गई हो और छुट्टी हेतु आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए।

(ii) प्रसूति छुट्टी को किसी अर्जित अवकाश, अर्ध–वेतन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है परंतु प्रसूति छुट्टी को आगे बढ़ाने के लिए आवेदन के साथ किसी भी छुट्टी को केवल उस स्थिति में प्रदान किया जा सकता है जब उसके अनुरोध के साथ एक चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न हो।

IX. बालचर्या छुट्टी

महिला शिक्षकों को अपने अवयस्क बच्चे/ बच्चों की देखभाल के लिए दो वर्षों की अवधि की छुट्टी प्रदान की जा सकती है। केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों की तर्ज पर महिला शिक्षकों को अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान दो वर्षों (730) दिनों की अधिकतम अवधि हेतु बालचर्या छुट्टी प्रदान की जा सकती है। ऐसे मामलों में जहां बालचर्या छुट्टी 45 दिनों से अधिक की अवधि के लिए प्रदान की गई हो तो विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान एक अंशकालिक/ वैकल्पिक अतिथि शिक्षक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पूर्व जानकारी प्रदान कर नियुक्त कर सकते हैं।

X. पितृत्व अवकाश

पुरुष शिक्षकों को उनकी पत्नी की प्रसूति के दौरान 15 दिनों की पितृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है पर ऐसा अवकाश केवल दो बच्चों पर ही प्रदान किया जाएगा।

XI. दत्तक ग्रहण छुट्टी

दत्तक ग्रहण छुट्टी केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार प्रदान की जा सकती है।

XII. सरोगेसी हेतु छुट्टी

सरोगेसी हेतु छुट्टी भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और मानदंडों के अनुसार लागू होगी।

9. शोध संवर्धन अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा संबंधित एजेंसी (केंद्र/राज्य सरकार) शिक्षकों और अन्य गैर– व्यवसायिक अकादमिक स्टॉफ को अपनी नियुक्ति के पश्चात् शीघ्र शोध शुरू करने के लिए सामाजिक विज्ञान, मानविकी और भाषा में 3 लाख रुपए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 6 लाख रुपए तक स्टार्टअप अनुदान प्रदान कर सकते हैं।

9.1 परामर्शदात्री कार्य

संस्थाओं और परामर्शदाता शिक्षकों के बीच परामर्शदात्री नियमों, निबंधनों, शर्तों और राजस्व साझा करने के मॉडल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पृथक परामर्शदात्री नियमों के अनुसार किया जाएगा।

10.0 सी.ए.एस. के अंतर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना करना

सहायक आचार्य, सह–आचार्य, आचार्य अथवा किसी अन्य नाम से जाने वाले रूप में एक शिक्षक को सी.ए.एस. के अंतर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर और डीबीटी जैसे अन्य वैज्ञानिक/ व्यावसायिक संगठनों में सहायक आचार्य, सह– आचार्य अथवा आचार्य अथवा समकक्ष के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय हो, की गणना की जानी चाहिए, बशर्ते कि–

(क) धारित पद की अनिवार्य अर्हताएं सहायक आचार्य, सह– आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई अर्हताओं से कम नहीं हो।

(ख) पद, सहायक आचार्य (व्याख्याता), सह– आचार्य (उपाचार्य) और आचार्य के पद के रूप में समकक्ष श्रेणी का हो/ था अथवा पूर्व संशोधित वेतनमान पर हो/ रहा हो।

(ग) संबंधित सहायक आचार्य, सह– आचार्य और आचार्य के पास सहायक आचार्य, सह– आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताए होनी चाहिए।

(घ) ऐसी नियुक्तियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार/ केंद्र सरकार/ संस्थानों की निर्धारित चयन प्रक्रिया के निर्धारित विनियमों के अनुसार पद भरे गए हो।

(ङ) किसी भी अवधि के दौरान पूर्व नियुक्ति अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं की गई हो।

(च) पूर्व तदर्थ अथवा अस्थाई अथवा परिशिष्ट सेवा (जिस भी नाम से इसे जाना जाए) की प्रत्यक्ष भर्ती और प्रोन्नति हेतु गणना की जाएगी, बशर्ते कि–

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, हेतु अनिवार्य अर्हताएं आवश्यक धारित पद की आवश्यक अर्हताओं से कम ना हो;

(ii) पदधारी की नियुक्ति, विधिवत रूप से गठित चयन समिति/ संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की गई हो;

(iii) पदधारी नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक आचार्य, सह–आचार्य और आचार्य, जैसी भी स्थिति हो, के मासिक सकल वेतन से कम कुल सकल परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहे हों; और

(छ) इस खंड के अंतर्गत विगत सेवा की गणना करते समय संस्थान (निजी/ स्थानीय निकाय/ सरकारी), जहां पूर्व सेवाएं प्रदान की गई थी, की प्रबंधन के स्वरूप का संदर्भ देते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

11.0 परिवीक्षा और स्थायीकरण की अवधि

11.1 किसी शिक्षक की परिवीक्षा की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी, जिसे असंतोषजनक प्रदर्शन किए जाने की स्थिति में एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

11.2 परिवीक्षाधीन शिक्षक को एक वर्ष के अंत में स्थायी किया जाएगा, जब तक कि पहले वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी विशिष्ट आदेश के माध्यम से इस अवधि को एक और वर्ष बढ़ाया ना गया हो।

11.3 इस विनियम के खंड 11 के अध्यधीन, विश्वविद्यालय/ संबंधित संस्थान के लिए यह अनिवार्य है कि वह संतोषजनक कार्य निष्पादन के सत्यापन की यथावत प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के 45 दिनों के भीतर पदधारियों को स्थायी करने का आदेश जारी करें।

11.4 परिवीक्षा और स्थायीकरण नियमों को केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी केवल भर्ती के शुरूआती चरण पर ही लागू किया जाएगा।

11.5 परिवीक्षा और स्थायीकरण संबंधी केंद्र सरकार के अन्य सभी नियम यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

12.0 शिक्षकों के पदों का सृजन और उनका भरा जाना

12.1 जहां तक व्यवहार्य हो, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का पद पिरामिड क्रम में सृजित किए जाएं, उदाहरण के लिए, आचार्य के 1 पद के लिए प्रति विभाग सह– आचार्य के 2 पद और सहायक आचार्यों के चार पद होने चाहिए।

12.2 विश्वविद्यालय प्रणाली में सभी स्वीकृत/ अनुमोदित पद तत्काल आधार पर भरे जाएंगे।

13.0 परिशिष्ट आधार पर नियुक्तियां

परिशिष्ट आधार पर शिक्षक की नियुक्ति तभी की जानी चाहिए जब पूर्ण रूप से अनिवार्य न हो और जब छात्र शिक्षक का अनुपात निर्धारित मानदंड पर खरा न उतरता हो। ऐसे किसी मामले में, उक्त नियुक्तियों की संख्या महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में संकाय पदों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें नियुक्त करने संबंधी अर्हताएं और चयन प्रक्रिया वही होनी चाहिए जो नियमित आधार पर नियुक्त किए गए शिक्षकों पर लागू होती हैं। उक्त अनुबंधित शिक्षकों को दी गई निर्धारित परिलब्धियां नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक आचार्य के मासिक सकल वेतन से कम नहीं होनी चाहिए। प्रारंभ में, ऐसी नियुक्तियां एक शिक्षा सत्र से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए और ऐसे किसी नए शिक्षक के कार्य निष्पादन की अन्य सत्र हेतु परिशिष्ट आधार पर नियुक्त करने से पहले शैक्षणिक कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जानी चाहिए। जब प्रसूति छुट्टी, बालचर्या छुट्टी इत्यादि के कारण रिक्तियां भरना पूर्ण रूप से अनिवार्य हो, तभी परिशिष्ट आधार पर ऐसी नियुक्तियां की जानी चाहिए।

14.0 शिक्षण के दिवस

14.1 विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में कम से कम 180 शिक्षण दिवस होने चाहिए अर्थात् 6 दिनों के सप्ताह में न्यूनतम 30 सप्ताह के वास्तविक शिक्षण दिवस होने चाहिए। शेष दिनों में, 12 सप्ताह को प्रवेश और परीक्षा संबंधी कार्यकलापों और सह– पाठ्यचर्या, खेलकूद, महाविद्यालय दिवस इत्यादि हेतु शिक्षणेत्तर दिवसों के लिए उपयोग किया जा सकता है। 8 सप्ताह प्रावकाश के लिए और 2 सप्ताह विभिन्न सरकारी छुट्टियों के लिए दिए जा सकते हैं। यदि विश्वविद्यालय पांच दिवसीय प्रति सप्ताह की पद्धति अपनाता है तो सप्ताह की संख्या तदनुसार बढाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छह दिवसीय सप्ताह में 30 सप्ताह के समकक्ष वास्तविक शिक्षण कार्य किया जा सके।

उक्त उपबंध को निम्नानुसार संक्षेप में दिया गया है –

	सप्ताहों की संख्या : एक सप्ताह में 6 दिवसीय पद्धति		**सप्ताहों की संख्या : एक सप्ताह में 5 दिवसीय पद्धति**	
श्रेणीकरण	**विश्वविद्यालय**	**महाविद्यालय**	**विश्वविद्यालय**	**महाविद्यालय**
शिक्षण और ज्ञान अर्जन प्रक्रिया	30 (180 दिन) सप्ताह	30 (180 दिन) सप्ताह	36 (180 दिन) सप्ताह	36 (180 दिन) सप्ताह
प्रवेश, परीक्षा और परीक्षा हेतु तैयारी	**12**	**10**	**8**	**8**
प्रावकाश	**8**	**10**	**6**	**6**
सरकारी छुट्टियां (शिक्षण दिनों में तदनुसार वृद्धि करना और उनका समायोजन करना)	**2**	**2**	**2**	**2**
कुल	**52**	**52**	**52**	**52**

14.2 प्रावकाश में 2 सप्ताह की कमी करने के बदले विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अर्जित अवकाश में उक्त अवधि की एक तिहाई दिनों के अवकाश की वृद्धि की जा सकती है। तथापि, महाविद्यालय के पास एक वर्ष में कुल 10 सप्ताहों के प्रावकाश का विकल्प होगा और प्रावकाश के दौरान कार्य करने की आवश्यकता के अलावा किसी और कारण से अर्जित अवकाश नहीं दिया जाएगा जिसके लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के मामले में अर्जित अवकाश के रूप में एक तिहाई अवधि की छुट्टी दी जाएगी।

15.0 कार्यभार

15.1 पूर्णकालिक रोजगार के मामले में एक शिक्षा वर्ष में शिक्षकों का कार्यभार 30 कार्य सप्ताह (एक सौ अस्सी शिक्षण दिवस) के लिए एक सप्ताह में 40 घंटों से कम नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह कम से कम 5 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध हो। शिक्षक अवर– स्नातक पाठ्यक्रमों के मामले में सामुदायिक विकास/ पाठयेत्तर कार्यकलापों/ पुस्तकालय परामर्श/ शोध हेतु छात्रों को शिक्षित करने के लिए कम से कम प्रतिदिन दो घंटे (प्रति समन्वयक न्यूनतम 15 छात्र) और/ अथवा स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रमों के मामले में शोध हेतु प्रतिदिन कम से कम दो घंटे का समय देंगे जिसके लिए विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा आवश्यक स्थान और अवसंरचना प्रदान की जाएगी। प्रत्यक्ष शिक्षण– ज्ञान अर्जन कार्यभार निम्नानुसार होना चाहिए :

सहायक आचार्य	16 घंटे प्रति सप्ताह
सह– आचार्य और आचार्य	14 घंटे प्रति सप्ताह

15.2 ऐसे आचार्य, जो विस्तार तथा प्रशासनिक कार्यों में शामिल हैं, तथा ऐसे सह –आचार्य और सहायक आचार्य जो सक्रिय रूप से प्रशासन कार्य में जुटे हुए हों उन्हें प्रति सप्ताह कार्यों के लिए शिक्षण और ज्ञान अर्जन में दो घंटे की छूट प्रदान की जा सकती है।

16.0 सेवा करार और वरिष्ठता का निर्धारण करना

16.1 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में भर्ती के समय विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय और संबंधित शिक्षक के बीच एक सेवा करार होना चाहिए और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार/ प्राचार्य के पास जमा की जाएगी। उक्त सेवा करार पर सरकारी प्रयोजनों के अनुसार विधिवत् रूप से स्टॉम्प ड्यूटी का भुगतान किया जाएगा।

16.2 खंड 6.0 और इसके उपखंडों और उपखंड 6.1 से 6.4 और इसमें अंतर्विष्ट सभी उपखंड तथा परिशिष्ट – II की तालिका 1 से 5 के अनुसार स्व– मूल्यांकन प्रविधियां, पात्रता के अनुसार, सेवा करार/ रिकॉर्ड का भाग होंगी।

16.3 सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए गए शिक्षकों के बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण

सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए गए शिक्षकों के बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण कार्यभार संभालने की तिथि से किया जाएगा और सी.ए.एस. के अंतर्गत प्रोन्नत किए गए शिक्षकों हेतु पात्रता की तिथि से किया जाएगा, जैसे कि संबंधित भर्तियों की चयन समिति की सिफारिशों में दर्शाया गया है। वरिष्ठता के अन्य सभी मामलों के लिए संबंधित केंद्र/ राज्य सरकार के नियम और विनियम लागू होंगे।

17.0 व्यावसायिक आचार संहिता

I. शिक्षक और उनके दायित्व :

जो कोई भी शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाता है उसका दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाए रखे। एक शिक्षक लगातार अपने छात्रों और समाज की समीक्षा के अधीन रहता है। इसलिए, प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद नहीं हो। पहले से ही निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों और उन्हें छात्रों प्रसार करना एक शिक्षक का स्वयं का आदर्श होना चाहिए। इस व्यवसाय में आगे यह भी आवश्यक है कि शिक्षक शांत, धैर्यवान, मिलनसार और मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो।

एक शिक्षक को :

(i) ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि समुदाय उनसे आशा करता है;

(ii) उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों;

(iii) अध्ययन और शोध के माध्यम से लगातार पेशेवर विकास जारी रखने चाहिए;

(iv) ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पेशेवर बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भागीदारी करके मुक्त और मैत्रीपूर्ण विचार व्यक्त करने चाहिए;

(v) पेशेवर संगठनों में सक्रिय सदस्यता को बनाए रखना चाहिए और उनके माध्यम से शिक्षा और व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए;

(vi) विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षण, अनुशिक्षण, प्रायोगिक ज्ञान, संगोष्ठियों और शोध कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए;

(vii) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना और उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए;

(viii) विश्वविद्यालय के अधिनियम, सांविधि और अध्यादेश का पालन करना चाहिए और विश्वविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परंपराओं का आदर करना चाहिए;

(ix) महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक दायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे किः प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन और निगरानी करना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना; और

(x) सामुदायिक सेवा सहित सह– पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।

II. **शिक्षक और छात्र**

शिक्षक को :

(i) छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए ;

(ii) छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए;

(iii) छात्रों के व्यवहार और क्षमताओं में अंतर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए;

(iv) छात्रों को उनकी उपलब्धियों में और सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए;

(v) छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिज्ञासा का भाव और लोकतंत्र, देश भक्ति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, और शांति के आदर्श का संचरण करना चाहिए;

(vi) छात्रों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नही करना चाहिए;

(vii) गुणों का मूल्यांकन करने में छात्र की केवल उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए;

(viii) कक्षा के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए;

(ix) छात्रों में हमारी राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ विकसित करने में सहायता करना चाहिए;

(x) अन्य छात्रों, सहपाठियों अथवा प्रशासन के विरुद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए।

III. **शिक्षक और सहयोगी शिक्षक**

शिक्षक को :

(i) पेशे से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे;

(ii) अन्य शिक्षकों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए;

(iii) उच्च प्राधिकारियों को सहयोगियों के विरुद्ध बेबुनियादी आरोप लगाने से बचना चाहिए;

(iv) अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, रंग, धर्म, प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए।

IV. **शिक्षक और प्राधिकारी**

शिक्षक को :

(i) लागू नियमों के अनुसार अपने व्यवसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और अपने स्वयं के संस्थागत निकाय और/ अथवा व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से पेशे के लिए घातक ऐसे नियम में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के लिए पेशे के अनुकूल प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करना चाहिए जो पेशेवर हित में हों।

(ii) निजी ट्यूशन और अनुशिक्षण कक्षाओं सहित अन्य कोई रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो;

(iii) विभिन्न पदों का कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना;

(iv) अन्य संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में अपने संगठनों के माध्यम से सहयोग करके पदों को स्वीकार करेंगे;

(v) पेशे की मर्यादा के अनुरूप और हितों के मद्देनजर संस्थाओं की बेहतरी हेतु प्राधिकरणों का सहयोग करना चाहिए;

(vi) परिशिष्ट की शर्तों का अनुपालन करेंगे;

(vii) किसी स्थिति में नियोजन में परिवर्तन से पहले उचित नोटिस देंगे और ऐसे नोटिस की अपेक्षा करेंगे;

(viii) अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त छुट्टियां लेने से बचेंगे और और जहां तक संभव हो सके शैक्षणिक सत्र को पूरा करने हेतु अपने विशेष उत्तरदायित्वों के मद्देनजर छुट्टी लेने से पूर्व सूचना प्रदान करेंगे।

शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी

शिक्षकों को चाहिए कि :

(i) प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में सहयोग से किए जाने वाले कार्यों में शिक्षणेत्तर स्टॉफ को अपना सहकर्मी और समान सहयोगी समझे;

(ii) शिक्षकों और शिक्षणेत्तर स्टॉफ से संबंधित संयुक्त स्टॉफ परिषदों के कार्य में सहायता करें।

VI. शिक्षक और अभिभावक

शिक्षकों को चाहिए कि :

(i) शिक्षक, निकायों और संगठनों के माध्यम से इस बात पर ध्यान देने का प्रयास करें कि संस्थाएं, अभिभावकों, अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क बनाएं और जब कभी आवश्यक हो, अभिभावकों को उनकी निष्पादन रिपोर्ट भेजें और परस्पर विचारों के आदान– प्रदान और संस्था के लाभ हेतु इस प्रयोजनार्थ आयोजित बैठकों में अभिभावकों से भेंट करें।

VII. शिक्षक और समाज

शिक्षकों को चाहिए कि :

(i) इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा एक जन सेवा है और चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करें;

(ii) समाज में शिक्षा में सुधार करने और समाज के नैतिक और बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करे;

(iii) सामाजिक समस्याओं से अवगत हों और ऐसी क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज की प्रगति और कुल मिलाकर देश की प्रगति में सहायक हो;

(iv) नागरिक के कर्तव्यों का निवर्हन करें, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग ले और सरकारी सेवा के उत्तरदायित्वों में सहायता करें;

(v) ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने से और सदस्य बनने या किसी भी प्रकार से सहायता करने से बचें जो विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषाई समूहों में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देती हो, परंतु राष्ट्रीय एकता के लिए सक्रिय होकर कार्य करें।

कुलपति/ सम–कुलपति/ कुलदेशिक

कुलपति/ सम–कुलपति/ कुलदेशिक को चाहिए कि :

(क) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादमिक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करे;

(ख) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और निर्णय लें, जोकि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हो;

(ग) कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा, प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें;

(घ) विश्वविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ङ) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे;

(च) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

महाविद्यालय के प्राचार्य को चाहिए कि;

(क) नीति निर्माण, प्रचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों के इष्टतम उपयोग और पर्यावरण और धारणीयता के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेरणादायक और प्रेरक मूल्य आधारित अकादमिक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करे;

(ख) पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें और निर्णय लें, जोकि विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में हो;

(ग) कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा, प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधक के रूप में कार्य करें;

(घ) विश्वविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें, जिससे अभिनव सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ङ) ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे;

(च) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;

(छ) पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें;

(ज) शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें;

(झ) समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लें;

(ञ) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय) / पुस्तकाध्यक्ष (विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय) को चाहिए कि वहः

(क) आचरण और व्यवहार में उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;

(ख) पेशे की गरिमा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करें;

(ग) शिक्षण और अनुसंधान में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में संलिप्त न हों और इसे हतोत्साहित करें;

(घ) समाज सेवा सहित विस्तार, पाठ्यचर्या से जुड़े हुए और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में भाग लें;

(ङ) अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें।

18.0 उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में मानकों को बनाए रखना :

उच्चतर शिक्षा में शिक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थानों द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें अपनाई जाएंगीः

i. इस संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों और उनमें समय– समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी उपाधि की मूल्यांकन प्रक्रिया समान होगी। विश्वविद्यालय उक्त विनियमों को इनकी अधिसूचना के पश्चात् छह माह के भीतर अंगीकार कर लेंगे।

ii. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सेवारत शिक्षकों के लिए पीएचडी सीटों की अधिकता के संबंध में विशेष उपबंध किया जाएगा लेकिन, यदि विभाग में पात्र पर्यवेक्षकों के पास कोई रिक्त सीट उपलब्ध नहीं हो तो यह विभाग में उपलब्ध कुल सीटों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

iii. शोध को बढ़ावा देने के लिए और देश की शोध उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षकों को पीएचडी/ एमफिल विद्वानों के पर्यवेक्षण की अनुमति प्रदान करेगा और आवश्यकता आधारित सुविधाएं प्रदान करेगा, तदनुसार विश्वविद्यालय अपनी उपविधियों तथा अध्यादेशों में संशोधन करेंगे।

iv. इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार सभी नव–नियुक्त संकाय सदस्यों को मूल शोध/ कंप्युटेशनल सुविधा स्थापित करने के लिए एक बार प्रारम्भिक धन/ स्टार्ट– अप अनुदान/ शोध अनुदान प्रदान किया जाएगा।

v. इन विनियमों में निर्धारित उपबंधों के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति के लिए पीएचडी उपाधि को अनिवार्य अपेक्षा बनाया जाएगा।

vi. संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समन्वय स्थापित करने के लिए शोध सुविधाओं, मानव संसाधन, कौशल, और अवसरंचना को साझा करने के लिए राज्य में विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थाओं के बीच अनुसंधान शोध कलस्टर सृजित किए जाएंगे।

vii. विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सभी नव–नियुक्त सहायक आचार्यों के लिए आदर्श रूप से उनके शैक्षिक कार्य शुरू करने से पहले एक माह का अनुगम कार्यक्रम शुरू किया जाएगा लेकिन यह नव–नियुक्त संकाय सदस्य की भर्ती के निश्चित रूप से एक वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केन्द्रों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/ संस्थाएं, अध्यापक और शिक्षण से संबन्धित पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) योजना के माध्यम से अपने अधिदेश के अनुरूप उक्त अनुगम कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

viii. उक्त अनुगम कार्यक्रमों को सीएएस आवश्यकताओं के प्रयोजन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केन्द्रों द्वारा पहले से चलाए जा रहे अभिविन्यास कार्यक्रमों के समतुल्य माना जाएगा। विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थाएं अपने संकाय सदस्यों को चरणबद्ध तरीके से उक्त कार्यक्रमों में भेजेंगे जिससे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।

ix. पीएमएमएमएनएमटीटी योजना के अंतर्गत स्कूल ऑफ एजुकेशन (एसओई), टीचिंग लर्निंग सेंटर्स (टीएलसी), फेकल्टी डेवलपमेंट सेंटर्स (एफडीसी), सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस इन सांइस एंड मेथेमेटिक्स (सीईएसएमई), सेंटर्स फॉर अकैडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट (सीएएलईएम) जैसे केन्द्रों द्वारा शिक्षकों/संकाय सदस्यों हेतु आयोजित एक सप्ताह से लेकर एक माह तक के सभी अल्पकालीन और दीर्घकालीन क्षमता–निर्माण कार्यक्रमों के साथ–साथ अध्यापन– संबंधी और विषय– विशिष्ट

क्षेत्रों के लिए आयोजित किए जा रहे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं पर इन विनियमों के तहत कॅरियर उन्नति योजना में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विचार किया जाएगा।

19.0 अन्य निबंधन और शर्तें

19.1 पीएचडी/ एमफिल और अन्य उच्चतर शिक्षा हेतु प्रोत्साहन

i. जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दाखिला, पंजीकरण, कोर्स– वर्क और बाह्य मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन करके संबंधित विषय में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, वे सहायक आचार्य के रूप में भर्ती के प्रवेश स्तर पर प्रदान की जाने वाली वेतन वृद्धि में पाँच गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

ii. सहायक आचार्य के पद पर भर्ती के समय एमफिल उपाधि धारक दो गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

iii. जिन शिक्षकों के पास एलएलएम/ एम.टेक/ एम.आर्क/ एम.ई/ एम.वी.एससी/ एम.डी., आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की उपाधि है जिन्हें संबन्धित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है वे भी प्रवेश स्तर पर दो गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

iv.

(क) जो शिक्षक सेवा के दौरान पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे तभी प्रवेश स्तर पर तीन गैर –मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे यदि पीएचडी, रोजगार से सम्बंधित विषय में की गई है और जो विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, कोर्स– वर्क, मूल्यांकन आदि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके प्रदान की गई हो।

(ख) तथापि, उन सेवारत शिक्षकों को जिन्हें इन विनियमों के लागू होने के समय से पहले ही पीएचडी की उपाधि प्रदान कर दी गई है या पीएचडी में नामांकन हो गया हो, जो कोर्स– वर्क और मूल्यांकन पूरा कर चुके हों, यदि कोई हो तो, और पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के संबंध में केवल अधिसूचना जारी की गई हो, तो वे भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, चाहे, पीएचडी की उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

v. अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, वे शिक्षक जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है वे उस स्थिति में भी प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स– वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

vi. ऐसे सेवारत शिक्षक जिनका अभी पीएचडी में नामांकन नहीं हुआ है, को प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि का लाभ तभी प्राप्त होगा जब वे सेवा में रहते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त करें और उक्त नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय में होना चाहिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नामांकन सहित सम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।

vii. ऐसे शिक्षक, जो सेवा के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम में एमफिल उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करते हैं जिन्हें संबंधित सांविधिक निकाय/ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भी केवल प्रवेश स्तर पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

viii. ऐसे सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पुस्तकालय विज्ञान की विधा में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पी.एच.डी. प्रदान करने के लिए नामांकन, कोर्स– वर्क, और मूल्यांकन के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का पालन करता हो, वे पांच गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

ix. (क) सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जो सेवाकाल के दौरान कभी भी पुस्तकालय विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से जो नामांकन, कोर्स– वर्क, और मूल्यांकन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करते हैं वे केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

(ख) तथापि, ऐसे शिक्षक, जो सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन हैं, जिन्होंने इन विनियमों के लागू होने से पूर्व पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली है या पहले ही कोर्स वर्क और मूल्यांकन, यदि कोई हों तो, पूरा कर लिया हो और इस सम्बन्ध में केवल अधिसूचना की प्रतीक्षा हो, वे लोग भी केवल प्रवेश स्तर पर लागू वृद्धि में तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

ix. सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष या उच्च पदों पर आसीन अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है, वे प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स–वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसा भी मामला हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

x. अन्य प्रत्येक मामले के संबंध में, सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष और उच्च पुस्तकालय पदों पर आसीन सेवारत व्यक्ति, जो पीएचडी में पहले से ही नामांकित है, केवल उस स्थिति में प्रवेश स्तर पर तीन गैर– मिश्रित वेतन वृद्धि के पात्र होंगे जब पीएचडी प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोर्स– वर्क या मूल्यांकन या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, के सम्बन्ध में पीएचडी की उपाधि प्रदान करने हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित किया गया हो।

xi.ऐसे सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल की उपाधि है, के लिए प्रवेश स्तर पर दो गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी। सहायक पुस्तकाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकाध्यक्ष और जो उच्च पदों पर आसीन हैं, जो सेवा के दौरान किसी भी समय पुस्तकालय विज्ञान में एमफिल की उपाधि प्राप्त करते हैं के लिए प्रवेश स्तर पर एक गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी।

xii.शारीरिक शिक्षा और खेलकूद सहायक निदेशक/ महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक, जिनके पास प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद/ खेलकूद विज्ञान में ऐसे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त है, जो शारीरिक शिक्षा/ शारीरिक शिक्षा और खेलकूद/ खेलकूद विज्ञान में पीएचडी की उपाधि के लिए नामांकन, कोर्स वर्क, और मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करता हो, के लिए पांच गैर– मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार्य होगी।

xiii.पूर्वगामी खंडों में किसी शर्त के बावजूद भी, जो पहले से ही इस विनियम या पूर्व योजनाओं/ विनियमों के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर या सेवा के दौरान पीएचडी/ एमफिल की उपाधि के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे इस विनियम के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

xiv. शिक्षक, पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग जिन्होंने सेवा के दौरान पहले ही पीएचडी/ एमफिल की उपाधि प्राप्त करने हेतु मौजूदा नीति के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त किया है, उन्हें इन विनियमों के अंतर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

xv. उन पदों के लिए जहाँ पूर्व योजनाओं/ विनियमों के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर पीएचडी/ एमफिल की उपाधि के आधार पर कोई वेतन वृद्धि स्वीकार्य नहीं थी, वहां पीएचडी/ एमफिल की उपाधि प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ केवल उन नियुक्तियों के लिए होगा, जो इन विनियमों के लागू होने पर या इसके पश्चात् की गई हैं।

19.2 पदोन्नत्ति

जब किसी व्यक्ति की पदोन्नत्ति होगी, तो पदोन्नत्ति पर उनका वेतन नीचे दिए गए पे– मेट्रिक्स अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

पदोन्नति पर, शिक्षक या समकक्ष पद को उस स्तर पर अगले उच्चतर प्रकोष्ठ में प्रविष्ट करके उसके मौजूदा वेतन के अकादमिक वेतन स्तर में कल्पित वेतनवृद्धि की जाएगी और इस प्रकोष्ठ में दर्शाया गया वेतन अब उस पद के अनुरूप नए शैक्षणिक स्तर पर निर्धारित होगा, जहां उसे प्रोन्नत किया गया है। यदि उस वेतन के समान एक प्रकोष्ठ नए स्तर पर उपलब्ध है, तो वह प्रकोष्ठ नया वेतन होगा, अन्यथा उस स्तर पर अगला प्रकोष्ठ शिक्षक या समकक्ष पद का नया वेतन होगा। यदि नए स्तर पर इस पद्धति से परिकलित वेतन नए स्तर के पहले प्रकोष्ठ से कम है, तो वेतन नए स्तर के पहले प्रकोष्ठ पर निर्धारित किया जाएगा।

19.3 भत्ते और लाभ

I. शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग हेतु अन्य भत्ते और लाभ, जैसे कि गृहनगर यात्रा रियायत, छुट्टी यात्रा रियायत, विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, गृह निर्माण भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षेत्र–आधारित विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता आदि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान होंगे और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संगत नियमों द्वारा शासित होंगे।

II. केन्द्रीय/ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू पेंशन, उपदान, अनुग्रह राशि इत्यादि भी केन्द्रीय/ राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा और खेलकूद संवर्ग संबद्ध और घटक महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों, जैसा भी मामला हो, में लागू होंगे।

III. चिकित्सा संबंधी लाभः शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्ग के लिए सभी चिकित्सा लाभ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले लाभ के समान होंगे। इसके अलावा, शिक्षकों और पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्ग को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत रखा जा सकता है या केंद्र/ राज्य विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों हेतु केंद्र सरकार/ संबंधित राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना, के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, के तहत रखा जा सकता है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट– 1	**मौजूदा पदधारी, जो तालिकाओं में दर्शाई गई विभिन्न श्रेणियों के पदों पर दिनांक 01–01–2016 को आसीन थे, के लिए वेतन निर्धारण हेतु फिटमेंट तालिका, (मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की अधिसूचना के संबंध में मानव संसाधन और विकास मंत्रालय दिनांक 08–11–2017 का पत्र संख्या शुद्धिपत्र संख्या 1–7/2015 –U-II(1))**

परिशिष्ट– 2	**आकलन मानदंड और पद्धति**
	तालिका 1 से 3 – विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षको हेतु
	तालिका 4 – सहायक पुस्तकाध्यक्ष, उप–पुस्तकाध्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष आदि
	तालिका 5 – सहायक निदेशक/ उप निदेशक/ निदेशक शारीरिक शिक्षा और खेलकूद आदि।

संजीव कुमार नारायण, अवर सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./147/18]

परिशिष्ट 1

मौजूदा पदधारी, जो तालिकाओं में दर्शाई गई विभिन्न श्रेणियों के पदों पर दिनांक 01–01–2016 को आसीन थे, के लिए वेतन निर्धारण हेतु फिटमेंट तालिका

फ. सं. 1–7/2015– U.II(**1**)

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

विश्वविद्यालय–2 अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 8 नवम्बर, 2017

शुद्धिपत्र

विषय : सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के संबंध में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के अनुक्रम में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और समकक्ष संवर्गों के वेतन में संशोधन की योजना।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के दिनांक 02–11–2017 की आदेश संख्या 1–7/2015–U.II(**1**) में उक्त आदेश में जोड़े गए अनुलग्नक (पृष्ठ 9) में दिए गए आंकड़े

(क) प्रकोष्ठ अकादमिक स्तर 12, पंक्ति 3 को ''84,100'' की बजाय ''84,700'' पढ़ा जाए

(ख) प्रकोष्ठ अकादमिक स्तर 13क, पंक्ति 16 को ''2,04,100'' की बजाय ''2,04,700'' पढ़ा जाए

(ख) प्रकोष्ठ अकादमिक स्तर 14, पंक्ति 9 को ''1,82,100'' की बजाय ''1,82,700'' पढ़ा जाए

2. उक्त आदेश की शेष विषयवस्तु समान रहेगी।

ह0/–

(डॉ. के.के. त्रिपाठी)

निदेशक

प्रति प्रेषित :

1 सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली– 110002

2 केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों/ सम विश्वविद्यालय संस्थाओं के कुलपति

3 प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, सॉउथ ब्लॉक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली

4 सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

5 सचिव, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

6 सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

7 सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली

8 सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

9 सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली

10 सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव

11 वेबमास्टर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस आदेश को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा तैयार मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु

पे बैंड (रुपए)	15,600 से 39,100			37,400 से 67,000		67,000 से 79,000
18	95,300	1,13,800	1,31,700	2,17,100		
19	98,200	1,17,200	1,35,700			
20	1,01,100	1,20,700	1,39,800			
21	1,04,100	1,24,300	1,44,000			
22	1,07,200	1,28,000	1,48,300			
23	1,10,400	1,31,800	1,52,700			
24	1,13,700	1,35,800	1,57,300			
25	1,17,100	1,39,900	1,62,000			
26	1,20,600	1,44,100	1,66,900			
27	1,24,200	1,48,400	1,71,900			
28	1,27,900	1,52,900	1,77,100			
29	1,31,700	1,57,500	1,82,400			
30	1,35,700	1,62,200	1,87,900			
31	1,39,800	1,67,100	1,93,500			
32	1,44,000	1,72,100	1,99,300			
33	1,48,300	1,77,300	2,05,300			
34	1,52,700	1,82,600	2,11,500			
35	1,57,300	1,88,100				
36	1,62,000	1,93,700				
37	1,66,900	1,99,500				
38	1,71,900	2,05,500				
39	1,77,100					
40	1,82,400					

परिशिष्ट– III

तालिका 1

विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु आकलन मानदंड और पद्धति

क्रम संख्या	क्रियाकलाप	ग्रेडिंग मानदंड
1	शिक्षण : (पढ़ाई गई कक्षाओं की संख्या/सौंपी गई कुल कक्षाएं) X 100 प्रतिशत (पढ़ाई गई कक्षाओं में अनुशिक्षण, प्रयोगशाला और शिक्षण संबंधी अन्य क्रियाकलाप शामिल हैं)	80 प्रतिशत और अधिक – अच्छा 80 प्रतिशत से कम लेकिन 70 प्रतिशत से अधिक – संतोषजनक 70 प्रतिशत से कम – संतोषजनक नहीं
2	विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के छात्र संबंधी क्रियाकलापों/ शोध क्रियाकलापों में भागीदारी – (क) प्रशासनिक दायित्व जैसे कि मुखिया, अध्य क्ष / संकाय अध्यक्ष / निदेशक/ समन्वयक/ वार्डन आदि। (ख) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा सौंपी गई परीक्षा और मूल्यांकन ड्यूटी अथवा परीक्षा पत्र मूल्यांकन हेतु उपस्थित होना। (ग) छात्रों से संबंधित पाठ्क्रम से जुड़ी, विस्तार और क्षेत्र आधारित क्रियाकलापों जैसे कि विद्यार्थी क्लब, कॅरियर परामर्श, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठि और अन्य क्रियाकलाप, सांस्कृतिक, खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस और समाज सेवा। (घ)संगोष्ठियों/ सम्मेलन/ कार्यशालाएं अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय संबंधी क्रियाकलापों का आयोजन (ङ) पीएचडी छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्रिय भागीदारी के साक्ष्य। (च) राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित लघु और बृहद अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन। (छ) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सूची के जर्नल में कम से कम एक एकल या संयुक्त प्रकाशन।	अच्छा – कम से कम 3 क्रियाकलापों में भागीदारी संतोषजनक – 1 से 2 क्रियाकलाप असंतोषजनक – किसी भी क्रियाकलाप में भाग नहीं लेना/ कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना। **नोट :** क्रियाकलापों की संख्या क्रियाकलापों की वृहद श्रेणी के अंतर्गत या सभी श्रेणियों को मिलाकर हो सकती है।

समग्र ग्रेडिंग :

बेहतर – शिक्षण में अच्छा है और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में संतोषजनक या अच्छा है।

अथवा

संतोषजनक – शिक्षण में संतोषजनक और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में अच्छा या संतोषजनक।

संतोषजनक नहीं है– यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा हो और न ही संतोषजनक हो।

नोटः क्रम संख्या 1 और 2 में दिये गए क्रियाकलापों की ग्रेडिंग के आकलन के प्रयोजन हेतु, ऐसी सभी अवधियाँ जो शिक्षकों द्वारा मातृत्व अवकाश, बाल परिचर्या अवकाश, अध्ययन छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी जैसी विभिन्न प्रकार की वैतनिक छुट्टियों पर व्यतीत की गई हैं और ग्रेडिंग आकलन में से प्रतिनियुक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। शिक्षक का शेष अवधि के लिए आकलन किया जाएगा और शिक्षक की ग्रेडिंग करने के लिए आकलन की सम्पूर्ण अवधि में से इन अवधियों को हटा दिया जाएगा। उपरोक्त वर्णित ऐसी छुट्टियों/ प्रतिनियुक्ति के कारण शिक्षक को सीएएस के अंतर्गत प्रोन्नति में शिक्षण दायित्वों से उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई नुकसान नहीं होगा बशर्ते ऐसी छुट्टियाँ/ प्रतिनियुक्ति इन विनियमों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करके सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व–अनुमोदन से और मूल संस्थान के अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार ली गई हों।

तालिका– 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसेः प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान / अभियांत्रिकी / कृषि / चिकित्सा / पशु–चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा / मानविकी / कला / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	**समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र**	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2	**प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)**		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3	**आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान– अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास**		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम
	(ग) एमओओसी		
	चार चतुर्थांश में पूर्ण एमओओसी का विकास (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 05 अंक / क्रेडिट)	20	20
	प्रति मॉड्यूल / व्याख्यान एमओओसी (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	05
	विषयवस्तु लेखक / एमओओसी के प्रत्येक मॉड्यूल हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	02
	एमओओसी हेतु पाठ्यक्रम समन्वयक (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 02 अंक / क्रेडिट)	08	08
	(घ) ई– विषयवस्तु		
	पूर्ण पाठ्यक्रम / ई– पुस्तक हेतु चार चतुर्थांशों में ई– विषयवस्तु का विकास	12	12
	प्रति मॉड्यूल ई– विषयवस्तु (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	05
	समग्र पाठ्यक्रम / पत्र / ई–पुस्तक में ई– विषयवस्तु मॉड्यूल के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	02

	संपूर्ण पाठ्यक्रम/ पत्र/ ई–पुस्तक हेतु ई– विषयवस्तु का संपादक	10	10
4	**(क) शोध मार्गदर्शन**		
	पीएचडी	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध
	एम.फिल./ स्नातकोत्तर शोध प्रबंध	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि
	(ख) पूरी की गई शोध परियोजनाएं		
	10 लाख से अधिक	10	10
	10 लाख से कम	05	05
	(ग) जारी शोध परियोजनाएं :		
	10 लाख से अधिक	05	05
	10 लाख से कम	02	02
	(घ) परामर्शत्री सेवाएं	03	03
5	**(क) पेटेंट**		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	10
	राष्ट्रीय	07	07
	(ख) *नीतिगत दस्तावेज (सं.रा.सं./ यूनेस्को/ विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय/संगठन को सौंपे गए)		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	10
	राष्ट्रीय	07	07
	राज्य	04	04
	(क) पुरस्कार / अध्येतावृत्ति		
	अंतर्राष्ट्रीय	07	07
	राष्ट्रीय	05	05
6	***अतिथि व्याख्यान/ संसाधक/ संगोष्ठियों/ सम्मलेनों में पत्र प्रस्तुतीकरण/ सम्मलेन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र प्रस्तुत करना (संगोष्ठियों/ सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए पत्र और सम्मलेन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र के रूप में प्रकाशित पत्रों की गणना सिर्फ एक बार की जाएगी)**		
	अंतर्राष्ट्रीय (विदेश)	07	07
	अंतर्राष्ट्रीय (देश के भीतर)	05	05
	राष्ट्रीय	03	03
	राज्य/ विश्वविद्यालय	02	02

सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रभाव कारक) :

i. प्रभाव कारक रहित संदर्भित जर्नल में प्रकाशित पत्र – 5 अंक

ii. 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र – 10 अंक

iii. 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 15 अंक

iv. 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 20 अंक

v. 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 25 अंक

vi. 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र – 30 अंक

(क) दो लेखक : प्रत्येक लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत

(ख) दो से अधिक लेखक : प्रथम /मूल/संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत

संयुक्त परियोजनाएं : मूल शोधकर्ता और सह– शोधकर्ता में से प्रत्येक को 50 प्रतिशत प्राप्त होगा

नोट :

- यदि संपादित पुस्तक अथवा कार्यवाहियों का भाग के रूप में पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर एक बार ही दावा किया जा सकता है।
- शोध विद्यार्थियों के संयुक्त पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक हेतु सूत्र, कुल प्राप्तांक का 70 प्रतिशत होगा। पर्यवेक्षक और सह– पर्यवेक्षक दोनों में से प्रत्येक को 7 अंक मिलेंगे।
- * शिक्षक के शोध अंकों की गणना करने के प्रयोजनार्थ 5(ख), नीतिगत दस्तावेज और 6 की श्रेणियों से संयुक्त शोध अंक, आमंत्रित व्याख्याता /संसाधक /पत्र प्रस्तुतीकरण संबंधित शिक्षक के कुल शोध अंकों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत की ऊपरी सीमा होगी।
- शोध प्राप्तांक 6 श्रेणियों में से कम से कम तीन श्रेणियों से होंगे।

तालिका 3 क

विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्यों के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड

क्रम संख्या	शैक्षणिक रिकॉर्ड	प्राप्तांक			
1	**स्नातक**	80 प्रतिशत और उससे अधिक=15	60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत से कम= 13	55 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत से कम = 10	45 प्रतिशत से लेकर 55 प्रतिशत से कम =05
2	**स्नातकोत्तर**	80 प्रतिशत और उससे अधिक =25	60 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत से कम तक= 23	55 प्रतिशत लेकर (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 50 प्रतिशत (असंपन्न वर्ग) / शारीरिक रूप से निशक्त) से 60 प्रतिशत से कम = 20	
3	**एमफिल**	60 प्रतिशत और उससे अधिक = 07	55 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत से कम = 05		
4	**पीएचडी**	30			
5	**नेट सहित जेआरएफ**	07			
	नेट	05			
	एसएलईटी / एसईटी	03			
6	**शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)**	10			
7	**शिक्षण/ पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 2 अंक) #**	10			
8	**पुरस्कार**				
	अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय स्तर (अंतरराष्ट्रीय संगठनों/ भारत सरकार/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिए गए पुरस्कार)	03			
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार)	02			

 # तथापि, यदि शिक्षण/ पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोट :

(क)

i. एमफिल + पीएचडी अधिकतम – 30 अंक

ii. जेआरएफ/ नेट/ सेट अधिकतम – 07 अंक

iii. अवार्ड की श्रेणी में अधिकतम – 03 अंक

(ख) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ग)

शैक्षणिक प्राप्तांक –	80
शोध प्रकाशन –	10
शिक्षण अनुभव –	10
कुल :	**100**

(घ) यह अंक संबंधित राज्यों के एसएलईटी/ सेट विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में नियुक्ति के लिए वैध होंगे।

तालिका 3 (ख)

महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के पद हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड

क्रम संख्या	**शैक्षणिक रिकॉर्ड**	**प्राप्तांक**			
1	**स्नातक**	80 प्रतिशत और उससे अधिक = 21	60 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत से कम = 19	55 प्रतिशत से अधिक और 60 प्रतिशत से कम = 16	45 प्रतिशत से अधिक और 55 प्रतिशत से कम = 10
2	**स्नातकोत्तर**	80 प्रतिशत और उससे अधिक = 25	60 प्रतिशत से अधिक और 80 प्रतिशत से कम =23	55 प्रतिशत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/ शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशत) से अधिक और 60 प्रतिशत से कम = 20	
3	**एमफिल**	60 प्रतिशत और उससे अधिक= 07	55 प्रतिशत से अधिक और 60 प्रतिशत से कम = 05		
4	**पीएचडी**	25			
5	**जेआरएफ सहित नेट**	10			
	नेट	08			
	एसएलईटी/ सेट	05			
6	**शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)**	06			
7	**शिक्षण/ पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 2 अंक) #**	10			
8	**पुरस्कार**				
	अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय स्तर (अंतरराष्ट्रीय संगठनों/ भारत सरकार/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिए गए पुरस्कार)	03			
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिए गए पुरस्कार)	02			

 # तथापि यदि शिक्षण/ पोस्ट डॉक्टोरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंकों को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोट :

(क)

i. एमफिल + पीएचडी अधिकतम – 25 अंक

ii. जेआरएफ/ नेट/ सेट अधिकतम – 10 अंक

iii. अवार्ड की श्रेणी में अधिकतम – 03 अंक

(ख) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ग)

शैक्षणिक प्राप्तांक – 84

शोध प्रकाशन – 06

शिक्षण अनुभव – 10

कुल : 100

(घ) एसएलईटी/ सेट प्राप्तांक केवल संबंधित राज्यों के विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में नियुक्ति के लिए वैध होंगे।

तालिका 4

पुस्तकाध्यक्ष हेतु आकलन मानदंड और पद्धति

क्रम संख्या	**क्रियाकलाप**	**ग्रेडिंग मानदंड**
1	पुस्तकालय में उपस्थित होने की नियमितता (उपस्थित होने के लिए अपेक्षित दिनों की कुल संख्या की तुलना में उपस्थित दिनों के प्रतिशत के संदर्भ में गणना) पुस्तकालय में उपस्थित होने के समय व्यक्ति से अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित कार्य करने की आशा की जाती है : • पुस्तकालय संसाधनों और संगठन तथा पुस्तकों, जर्नलों और रिपोर्टों का रखरखाव • पुस्तकालय पाठक सेवा जैसे शोधकर्ताओं से साहित्य प्राप्ति सेवाओं और रिपोर्ट के विश्लेषण का प्रावधान • संस्थागत वेबसाइट को अद्यतन करने में सहायता	90 प्रतिशत और उससे अधिक – अच्छा 90 प्रतिशत से कम लेकिन 80 प्रतिशत और उससे अधिक – संतोषजनक 80 प्रतिशत से कम – असंतोषजनक
2	पुस्तकालय कार्यकलाप से संबंधित अथवा विशिष्ट पुस्तक अथवा पुस्तकों की शैली के संबंध में संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं का आयोजन	अच्छा – 1 राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी/ कार्यशाला + 1 राज्य/ संस्था स्तर की कार्यशाला/ संगोष्ठी संतोषजनक – 1 राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी/ कार्यशाला अथवा 1 राज्य स्तर की संगोष्ठी/ कार्यशाला + 1 संस्था स्तरीय संगोष्ठी/ कार्यशाला अथवा 4 संस्था स्तरीय संगोष्ठी/ कार्यशाला असंतोषजनक – उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आने वाले
3	यदि पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत डॉटाबेस है तो *अथवा* यदि पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत डॉटाबेस नहीं है	अच्छा – कंप्यूटरीकृत डॉटाबेस में शतप्रतिशत वास्तविक पुस्तकें और जर्नल संतोषजनक – कंप्यूटरीकृत डॉटाबेस में कम से कम 99 प्रतिशत वास्तविक पुस्तकें और जर्नल असंतोषजनक – अच्छा अथवा संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले अथवा अच्छा – अद्यतन किया गया 100 प्रतिशत कैटलॉग डॉटाबेस

		संतोषजनक – अद्यतन किया गया 90 प्रतिशत कैटलॉग डॉटाबेस असंतोषजनक – कैटलॉग डॉटाबेस का अद्यतन नहीं होना (सीएएस संवर्धन समिति द्वारा औचक रूप से सत्यापित किया जाए)
4	वस्तुसूची और खोई हुई पुस्तकों की जांच करना	अच्छा – जांची गई वस्तुसूची और खोई हुई पुस्तकें 0.5 प्रतिशत से कम। संतोषजनक – जांची गई वस्तुसूची और खोई हुई पुस्तकें एक प्रतिशत से कम । असंतोषजनक – वस्तुसूची की जांच नहीं की गई हो अथवा जांची गई वस्तुसूची और खोई हुई पुस्तकें एक प्रतिशत अथवा उससे अधिक।
5	i. बिना कंप्यूटरीकृत डॉटाबेस वाली संस्था में पुस्तकों के डॉटाबेस का डिजिटलीकरण ii. पुस्तकालय नेटवर्क का संवर्धन iii. पुस्तकों और अन्य संसाधनों से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करने के लिए प्रणाली की स्थापना । iv. दाखिले, परीक्षाओं और पाठ्येतर कार्यकलापों के दौरान किए गए कार्यों सहित महाविद्यालय प्रशासन और अभिशासन संबंधी कार्यों में सहायता प्रदान करना। v. उपयोगकर्ताओं हेतु अल्पकालिक पाठ्यक्रम तैयार करना और उनका संचालन करना। vi. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित जर्नल में कम से कम एक शोध पत्र का प्रकाशन करना।	अच्छा – किन्हीं दो कार्यकलापों में शामिल होना। संतोषजनक – कम से कम एक कार्यकलाप में शामिल होना। असंतोषजनक – किसी भी कार्यकलाप में शामिल ना होना / नहीं किया जाना।
समग्र ग्रेडिंग	अच्छा : मद 1 में अच्छा और मद 4 सहित किन्ही दो अन्य मदों में संतोषजनक/अच्छा संतोषजनक : मद 1 में संतोषजनक और मद 4 सहित किन्ही अन्य दो मदों में संतोषजनक/अच्छा असंतोषजनक : यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा है और न ही संतोषजनक।	

नोट :

1 – पुस्तकालय कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी करने और आकलन के मानदंड की गणना करने के लिए आईसीटी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

2 – पुस्तकाध्यक्ष को प्रकाशित पत्र, पुनश्चर्या अथवा प्रविधि पाठ्यक्रम में शामिल होने, संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से सफलतापूर्वक शोध मार्गदर्शन करने, परियोजना पूर्ण करने संबंधी साक्ष्य को संबंधित विभाग को सौंपना होगा ।

3 – उपयोगकर्ताओं की शिकायतों की निगरानी करने की प्रणाली और जिस सीमा तक शिकायतों के समाधान किया गया उस संबंध में ब्योरा भी सीएएस प्रोन्नति समिति को उपलब्ध कराया जाए।

<u>तालिका 5</u>

शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशकों हेतु आकलन मानदंड और पद्धति

क्रम संख्या	क्रियाकलाप	ग्रेडिंग मानदंड
1	उपस्थिति को जितने दिनों तक महाविद्यालय में उपस्थित हुए हैं की तुलना में जितने दिन उनसे उपस्थित रहने की आशा की जाती है के संदर्भ में प्रतिशत में परिकलन किया जाता है।	90 और उससे अधिक – अच्छा 80 से अधिक लेकिन 90 से कम – संतोषजनक 80 से कम – असंतोषजनक

2	अंतर्महाविद्यालयी प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन	अच्छा – 5 से अधिक विधाओं में अंतर्महाविद्यालयी प्रतिस्पर्धाएं। संतोषजनक – 3 से 5 विधाओं में अंतर्महाविद्यालयी प्रतिस्पर्धाएं। असंतोषजनक – न ही अच्छा और न ही संतोषजनक
3	बाह्य प्रतिस्पर्धाओं में संस्थान की भागीदारी	अच्छा – कम से कम एक विधा में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा और कम से कम तीन विधाओं में राज्य / जिला स्तर की प्रतिस्पर्धा संतोषजनक – कम से कम एक विधा में राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा और कम से कम तीन विधाओं में जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा अथवा कम से कम 5 विधाओं में जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धा असंतोषजनक – न तो अच्छा और न ही संतोषजनक
4	वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय आगतों के साथ खेलकूद और शारीरिक प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन। खेलकूद के मैदानों और खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा सुविधाओं का विकास और रखरखाव ।	अच्छा/ संतोषजनक/ असंतोषजनक का आकलन प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा।
5	i. संस्थान के कम से कम एक विद्यार्थी राष्ट्रीय /राज्य /विश्वविद्यालय की टीमों (केवल महाविद्यालय स्तरों के लिए) में भागीदारी करता है। राज्य /राष्ट्रीय /अंतर्विश्वविद्यालय/ अंतर्महाविद्यालय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन। ii. राज्य/ राष्ट्रीय स्तर पर अनुशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जाना । iii. वर्ष में कम से कम तीन कार्यशालाओं का आयोजन iv. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित जर्नल में कम से कम एक शोध पत्र का प्रकाशन। दाखिले, परीक्षाओं और पाठ्येतर कार्यकलापों के दौरान किए गए कार्य सहित महाविद्यालय प्रशासन और अभिशासन संबंधी कार्य में सहायता।	अच्छा : किन्हीं दो कार्यकलापों में शामिल होना। संतोषजनक : एक कार्यकलाप असंतोषजनक : किसी भी कार्यकलाप में शामिल ना होना / आरंभ नहीं किया जाना।
समग्र ग्रेडिंग :	अच्छा : मद 1 में अच्छा और किन्हीं अन्य दो मदों में संतोषजनक/ अच्छा संतोषजनक : मद 1 में संतोषजनक और किन्ही अन्य दो मदों में संतोषजनक/ अच्छा असंतोषजनक : यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा है और न ही संतोषजनक।	

नोट :

1– खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी करने और मूल्यांकन के मानदंड की गणना करने के लिए आईसीटी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

2– संस्थान को छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रतिक्रिया को संबंधित शारीरिक शिक्षा और खेलकूद निदेशक तथा सीएएस प्रोन्नति समिति के साथ भी साझा करना चाहिए।

3– उपयोगकर्ताओं की शिकायतों की निगरानी करने की प्रणाली और किस सीमा तक शिकायतों का निवारण किया गया, इस संबंध में ब्योरा भी सीएएस प्रोन्नति समिति को उपलब्ध कराया जाए।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2018

UGC REGULATIONS ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION, 2018

No. F.1-2/2017(EC/PS).—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section(I) of Section 26 read with Section 14 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the "UGC Regulations on Minimum qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education 2010" (Regulation No.F.3-1/2009 dated 30th June, 2010) together with all amendments made therein from time to time, the University Grants Commission, hereby, frames the following Regulations, namely:-

1. Short title, application and commencement:

1.1 These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018.

1.2 These shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every Institution including a Constituent or an affiliated College recognized by the Commission, in consultation with the University concerned under Clause (i) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and every Institution deemed to be a University under Section 3 of the said Act.

1.3 These shall come into force from the date of notification.

2. The Minimum Qualifications for appointment and other service conditions of University and College teachers, Librarians, and Directors of Physical Education and Sports as a measure for the maintenance of standards in higher education, shall be as provided in the Annexure to these Regulations.

3. If any University contravenes the provisions of these Regulations, the Commission after taking into consideration the cause, if any, shown by the University for such failure or contravention, may withhold from the University, the grants proposed to be made out of the Fund of the Commission.

UGC REGULATIONS ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND OTHER MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION, 2018

Minimum qualifications for the posts of Senior Professor, Professors and Teachers, and other Academic Staff in Universities and Colleges and revision of pay scales and other Service Conditions pertaining to such posts.

1.0 Coverage

These Regulations are issued for minimum qualifications for appointment and other service conditions of University and College teachers and cadres of Librarians, Directors of Physical Education and Sports for maintenance of standards in higher education and revision of pay-scales.

1.1 For the purposes of direct recruitment to teaching posts in disciplines relating to university and collegiate education, interalia in the fields of health, medicine, special education, agriculture, veterinary and allied fields, technical education, teacher education, norms or standards laid down by authorities established by the relevant Act of Parliament under article 246 of the Constitution for the purpose of co-ordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions, shall prevail

i. Provided that where no such norms and standards have been laid down by any regulatory authority, UGC Regulations herein shall be applicable till such time as any norms or standards are prescribed by the appropriate regulatory authority.

ii. Provided further that for appointment to the post of Assistant Professor and equivalent positions pertaining to disciplines in which the National Eligibility Test (NET), conducted by the University Grants Commission or Council of Scientific and Industrial Research as the case may be, or State level

Eligibility Test (SLET) or the State Eligibility Test (SET),conducted by bodies accredited by the UGC for the said purpose, qualifying in NET/SLET/SET shall be an additional requirement.

1.2 Every university or institution deemed to be University, as the case may be, shall as soon as may be, but not later than within six months of the coming into force of these Regulations, take effective steps for the amendment of the statutes, ordinances or other statutory provisions governing it, so as to bring the same in accordance with these Regulations.

2.0 Pay Scales, Pay Fixation, and Age of Superannuation

Pay scales as notified by the Government of India from time to time will be adopted by the University Grants Commission.

2.1 Subject to the availability of vacant positions and fitness, teachers such as Assistant Professor, Associate Professor, Professor and Senior Professor only, may be re-employed on contract appointment beyond the age of superannuation, as applicable to the concerned University, college and Institution, up to the age of seventy years.

Provided further that all such re-employment shall be strictly in accordance with the guidelines prescribed by the UGC, from time to time.

2.2 The date of implementation of the revision of pay shall be 1st January, 2016.

3.0 Recruitment and Qualifications

3.1 The direct recruitment to the posts of Assistant Professor, Associate Professor and Professor in the Universities and Colleges, and Senior Professor in the Universities, shall be on the basis of merit through an all-India advertisement, followed by selection by a duly-constituted Selection Committee as per the provisions made under these Regulations. These provisions shall be incorporated in the Statutes/Ordinances of the university concerned. The composition of such a committee shall be as specified in these Regulations.

3.2 The minimum qualifications required for the post of Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Senior Professor, Principal, Assistant Librarian, Deputy Librarian, Librarian, Assistant Director of Physical Education and Sports, Deputy Director of Physical Education and Sports and Director of Physical Education and Sports, shall be as specified by the UGC in these Regulations.

3.3

I. The National Eligibility Test (NET) or an accredited test (State Level Eligibility Test SLET/SET) shall remain the minimum eligibility for appointment of Assistant Professor and equivalent positions wherever provided in these Regulations. Further, SLET/SET shall be valid as the minimum eligibility for direct recruitment to Universities/Colleges/Institutions in the respective state only:

Provided that candidates who have been awarded a Ph.D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2009, or the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D. Degree) Regulation,2016, and their subsequent amendments from time to time, as the case may be, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or any equivalent position in any University, College or Institution.

Provided further that the award of degree to candidates registered for the M.Phil/Ph.D.programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances / Bye-laws / Regulations of the Institutions awarding the degree. All such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:

a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in regular mode only;

b) The Ph.D. thesis has been awarded by at least two external examiners;

c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;

d) The candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one is in a refereed journal;

e) The candidate has presented at least two papers, based on his/her Ph.D. work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC/ ICSSR/CSIR or any similar agency.

The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

II. The clearing of NET/SLET/SET shall not be required for candidates in such disciplines for which NET/SLET/SET has not been conducted.

3.4 A minimum of 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale, wherever the grading system is followed) at the Master‘s level shall be the essential qualification for direct recruitment of teachers and other equivalent cadres at any level.

I. A relaxation of 5% shall be allowed at the Bachelor’s as well as at the Master‘s level for the candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes (OBC)(Non-creamy Layer)/Differently-abled ((a) Blindness and low vision; (b) Deaf and Hard of Hearing; (c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid-attack victims and muscular dystrophy; (d) Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) Multiple disabilities from amongst persons under (a) to (d) including deaf-blindness) for the purpose of eligibility and assessing good academic record for direct recruitment. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever the grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based only on the qualifying marks without including any grace mark procedure.

3.5. A relaxation of 5% shall be provided, (from 55% to 50% of the marks) to the Ph.D. Degree holders who have obtained their Master‘s Degree prior to19 September, 1991.

3.6 A relevant grade which is regarded as equivalent of 55%, wherever the grading system is followed by a recognized university, at the Master‘s level shall also be considered valid.

3.7 The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for appointment and promotion to the post of Professor.

3.8 The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for appointment and promotion to the post of Associate Professor.

3.9 The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for promotion to the post of Assistant Professor (Selection Grade/Academic Level 12) in Universities.

3.10 The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for direct recruitment to the post of Assistant Professor in Universities with effect from 01.07.2021.

3.11 The time taken by candidates to acquire M.Phil. and / or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching/ research experience to be claimed for appointment to the teaching positions. Further the period of active service spent on pursuing Research Degree simultaneously with teaching assignment without taking any kind of leave, shall be counted as teaching experience for the purpose of direct recruitment/ promotion. Regular faculty members upto twenty per cent of the total faculty strength (excluding faculty on medical / maternity leave) shall be allowed by their respective institutions to take study leave for pursuing Ph.D. degree.

3.12 Qualifications:

No person shall be appointed to the post of University and College teacher, Librarian or Director of Physical Education and Sports, in any university or in any of institutions including constituent or affiliated colleges recognised under clause (f) of Section 2 of the University Grants commission Act, 1956 or in an institution deemed to be a University under Section 3 of the said Act if such person does not fulfil the requirements as to the qualifications for the appropriate post as provided in the Schedule 1 of these Regulations.

4.0 Direct Recruitment

4.1 For the Disciplines of Arts, Commerce, Humanities, Education, Law, Social Sciences, Sciences, Languages, Library Science, Physical Education, and Journalism & Mass Communication.

I. Assistant Professor:

Eligibility (A or B) :

A.

i) A Master‘s degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale wherever the grading system is followed) in a concerned/relevant/allied subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.

ii) Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC or the CSIR, or a similar test accredited by the UGC, like SLET/SET or who are or have been awarded a Ph. D. Degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET/SLET/SET :

Provided, the candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bye-laws/Regulations of the Institution awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions :-

a) The Ph.D. degree of the candidate has been awarded in a regular mode;

b) The Ph.D. thesis has been evaluated by at least two external examiners;

c) An open Ph.D. viva voce of the candidate has been conducted;

d) The Candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work, out of which at least one is in a refereed journal;

e) The candidate has presented at least two papers based on his/her Ph.D work in conferences/seminars sponsored/funded/supported by the UGC / ICSSR/ CSIR or any similar agency.

The fulfilment of these conditions is to be certified by the Registrar or the Dean (Academic Affairs) of the University concerned.

Note: NET/SLET/SET shall also not be required for such Masters Programmes in disciplines for which NET/SLET/SET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC, like SLET/SET.

OR

B. The Ph.D degree has been obtained from a foreign university/institution with a ranking among top 500 in the World University Ranking (at any time) by any one of the following: (i) Quacquarelli Symonds (QS) (ii) the Times Higher Education (THE) or (iii) the Academic Ranking of World Universities (ARWU) of the Shanghai Jiao Tong University (Shanghai).

Note:The Academic score as specified in Appendix II (Table 3A) for Universities, and Appendix II (Table 3B) for Colleges, shall be considered for short-listing of the candidates for interview only, and the selections shall be based only on the performance in the interview.

II. Associate Professor:

Eligibility:

i) A good academic record, with a Ph.D. Degree in the concerned/allied/relevant disciplines.

ii) A Master‘s Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point-scale, wherever the grading system is followed).

iii) A minimum of eight years of experience of teaching and / or research in an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor in a University, College or Accredited Research Institution/industry with a minimum of seven publications in the peer-reviewed or UGC-listed journals and a total research score of Seventy five (75) as per the criteria given in Appendix II, Table 2.

III. Professor:

Eligibility (A or B) :

A.

i) An eminent scholar having a Ph.D. degree in the concerned/allied/relevant discipline, and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with, a minimum of 10 research publications in the peer-reviewed or UGC-listed journals and a total research score of 120 as per the criteria given in Appendix II, Table 2.